SHRIRAM
DUVERSITY
DUCATION
XPERT
"Right Access Get Success"

SHRIRAM
IAS ACADEMY
BARAUT (BAGHPAT)

करेन्ट अफेयर्स मैगजीन

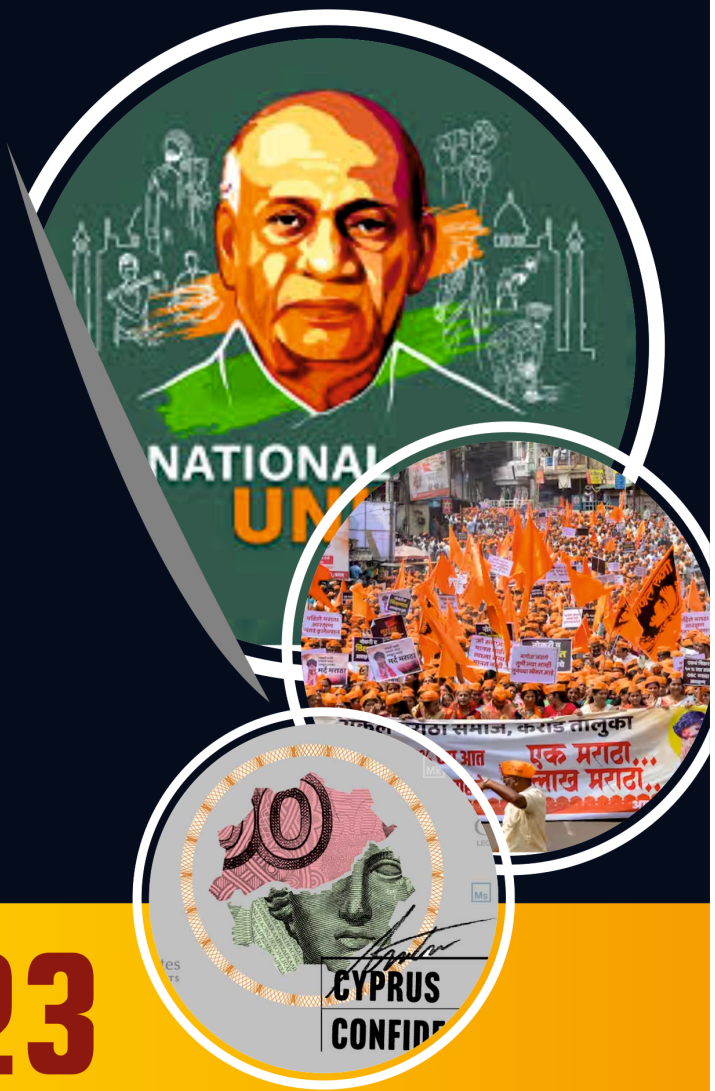

दिसम्बर-2023

"Right Access Get Success"

दिसम्बर- 2023

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
कला एवं संस्कृति	**1-11**
राष्ट्रीय एकता दिवस	
जियोग्लिफ़	
तमिल लंबाडी कला	
रत्नागिरी में मंदिर गुफा	
बिरसा मुंडा	
छत्रपति शिवाजी महाराज	
विश्व विरासत सूची	
12वीं सदी के चोल मंदिर का जीर्णोद्धार	
मीरा बाई	
लाचित बोरफुकन	
राजनीति और शासन	**12-24**
मराठा आरक्षण विरोध	
विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता	
संसदीय समितियाँ	
एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रणाली	
घरेलू हिंसा अधिनियम	
बिहार विधानसभा ने जातिगत कोटा बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया	
CBI का क्षेत्राधिकार और सीमाएँ	
भारत में व्यभिचार	
आदर्श कारागार अधिनियम, 2023	
चुनावी बांड योजना	
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	**25-34**
गोवा में एक बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करना	
पश्चिमी अंटार्कटिका में तेजी से पिघल रही बर्फ	
अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023	
पर्यावरण DNA	
उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2023	
OECD अंतरिम रिपोर्ट	
उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023	

अर्थव्यवस्था **35-46**

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
यूनिवर्सल बेसिक इनकम
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग
विदेशी मुद्रा पर सीधी लिस्टिंग
GST माफी योजना
सक्रिय और निष्क्रिय इक्विटी फंड
MSCI उभरते बाजार सूचकांक
साइप्रस गोपनीय जांच
सूक्ष्म उद्यमिता
RBI ने जोखिम भार बढ़ाया

विज्ञान और तकनीक **47-59**

डीप ओशन मिशन (DOM)
यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप
CAR-T (काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल) थेरेपी
भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र
न्यूट्रॉन स्टार विलय में टेल्यूरियम
क्लाउड सीडिंग
विट्रिमर्स
सबसे पुराना ब्लैक होल
चिकनगुनिया का टीका

सामाजिक मुद्दे **60-67**

एक राष्ट्र, एक पंजीकरण प्लेटफार्म
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक
भारत के भूजल की सुरक्षा
भारत में सड़क दुर्घटनाएँ - 2022
भारत में ऑनलाइन जुए का विनियमन
डीप फेक

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध **68-78**

केमैन द्वीप समूह
'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023'
UAE और भारत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
ऑपरेशन कैक्टस
2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद
ऑपरेशन ऑल क्लियर
इजराइल फिलिस्तीन पर भारत का रुख
लक्समबर्ग
आसियान-भारत बाजरा महोत्सव 2023

सरकारी योजना **79-84**

मेरा भारत प्लेटफार्म
पीएम-किसान भाई (भंडारण प्रोत्साहन) योजना
पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान
अंशदायी पेंशन योजना - केरल
PM श्री

अबुआ आवास योजना - झारखंड
एम्प्लिफ़ी 2.0 पोर्टल

विविध **85-93**

गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (GMC)
शत्रुतापूर्ण गतिविधि वॉच कर्नेल (HAWK) प्रणाली
प्रोपेन आपूर्ति समझौता
प्रोजेक्ट कुशा
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
उत्तराखंड सुरंग का ढहना
कंबाला दौड़
शान राज्य

योजना दिसम्बर 2023 **94-98**

1: धरती, लोगों, शांति और समृद्धि के लिए G20
2. एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की दुनिया को डिजाइन करना
3. DPI और जनभागीदारी
4. AI का उपयोग
5. भारत में ऊर्जा संक्रमण

कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2023 **99-105**

1: ग्रामीण भारत में खेल प्रतिभाओं का पोषण करना
2. PM विश्वकर्मा योजना
3. स्वास्थ्य सेवा में प्रतिभा का विकास करना
4. सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करना
5. ग्रामीण शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

1 कला एवं संस्कृति

राष्ट्रीय एकता दिवस

खबरों में क्यों?

सरदार वल्लभभाई पटेल को याद करने और सम्मान करने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद भारत को एक एकजुट देश बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहा जाता है, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के सम्मान में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- पटेल ने भारत की आजादी की लड़ाई में और बाद में रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत सरकार ने 2014 में घोषणा की कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

सरदार वल्लभभाई पटेल

- सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे।
- वह स्वतंत्र भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे, जिन्होंने 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आरम्भिक जीवन और जीवन-यात्रा

- सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक सफल वकील बने।
- वह 1910 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1913 में बैरिस्टर बनकर वापस लौटे।

राजनीति में प्रवेश

- सरदार पटेल का राजनीतिक करियर तब शुरू हुआ जब वे 1917 में महात्मा गांधी से मिले और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके अहिंसक आंदोलन में शामिल हो गए।
- उन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो अंग्रेजों द्वारा दमनकारी कराधान के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। उन्होंने खेड़ा में प्लेग और अकाल के दौरान राहत कार्य भी आयोजित किये।
- 1924 में, वह अहमदाबाद नगर बोर्ड के अध्यक्ष बने और शहर की स्वच्छता, जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणालियों में सुधार किया।
- उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया।
- 1928 में, उन्होंने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो गुजरात में किसानों द्वारा कर प्रतिरोध का एक बड़ा अभियान था। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की और किसानों के लिए रियायतें हासिल कीं। इस अभियान के बाद ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली, जिसका अर्थ नेता या मुखिया होता है।
- 1931 में, उन्हें कराची सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, न्यूनतम मजदूरी, अस्पृश्यता का उन्मूलन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांगें शामिल थीं।

स्वतंत्रता और विभाजन में भूमिका

- सरदार पटेल कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे।
- उन्होंने 1934 में अंग्रेजों द्वारा क्रूर दमन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के गांधीजी के फैसले का समर्थन किया।
- उन्होंने तत्काल और बिना शर्त आजादी का आह्वान करते हुए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के गांधीजी के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- वह उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1946 में सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत की थी।
- उन्होंने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के विचार का विरोध किया लेकिन इसे गृह युद्ध से बचने के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने गांधीजी को विभाजन के लिए अपनी सहमति देने के लिए राजी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्हें भारत की संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

रियासतों का एकीकरण

- सरदार पटेल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में उनकी भूमिका थी।
- उन्होंने अनिच्छुक शासकों को भारत में शामिल होने के लिए मनाने के लिए कूटनीति, अनुनय, प्रोत्साहन और धमकियों का इस्तेमाल किया।
- उन्होंने राज्यों के विलय से उत्पन्न सीमाओं, प्रशासन, सुरक्षा और वित्त के जटिल मुद्दों से निपटा।
- इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, जैसे रजाकारों (निज़ाम के प्रति वफादार एक उग्रवादी समूह) के सशस्त्र विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों द्वारा हैदराबाद पर कब्ज़ा, जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ का विलय, जिसमें पाकिस्तान के मुकाबले भारत का पक्ष लिया गया और पाकिस्तानी आदिवासियों के आक्रमण के बाद कश्मीर का एकीकरण।
- उन्होंने ब्रिटिश-युग की भारतीय सिविल सेवा (ICS) के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के नाम से जानी जाने वाली एक अखिल भारतीय सिविल सेवा की भी स्थापना की। उन्होंने आईएएस की एक पेशेवर और निष्पक्ष नौकरशाही के रूप में कल्पना की जो भारत के शासन के "स्टील फ्रेम" के रूप में काम करेगी।

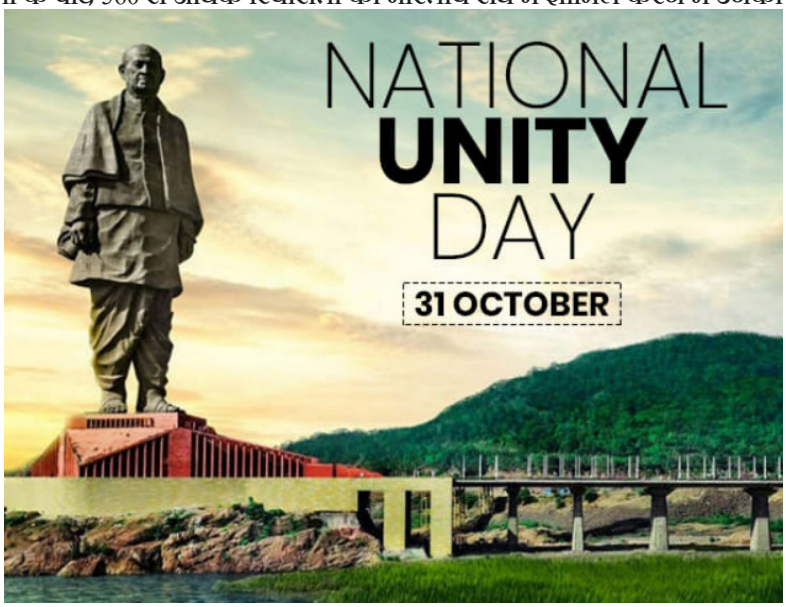

मृत्यु और विरासत

- सरदार पटेल का 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के सोनपुर (अब राजघाट) में किया गया। उनकी मृत्यु पर लाखों भारतीयों ने शोक व्यक्त किया जो उन्हें राष्ट्रीय नायक मानते थे।
- सरदार पटेल को व्यापक रूप से आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक माना जाता है। राष्ट्र में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए उनके जन्मदिन, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें उनके साहस, दृढ़ संकल्प, व्यावहारिकता और राजनेता कौशल के लिए भी याद किया जाता है।
- उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जैसे 1991 में भारत रत्न (भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार), अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ए सरदार सरोवर बांध के पास पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है।

जियोग्लिफ़

खबरों में क्यों?

हाल ही में तेलंगाना के मेडचल-मलकजगिरी जिले में मुदिचू थलापल्ली के बाहरी इलाके में 3,000 साल पुराना एक चक्र के आकार का जियोग्लिफ़ खोजा गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह जमीन पर निर्मित एक बड़ा डिजाइन या रूपांकन (आम तौर पर 4 मीटर से अधिक लंबा) है और आमतौर पर चट्टानी चट्टानों या परिदृश्य के समान टिकाऊ तत्वों, जैसे पत्थर, पत्थर के टुकड़े, बजरी या पृथ्वी द्वारा निर्मित होता है।
- भू-दृश्य के भीतर वस्तुओं को व्यवस्थित या स्थानांतरित करके एक जियोग्लिफ़ बनाया जाता है।
- जियोग्लिफ़ दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् सकारात्मक और नकारात्मक जियोग्लिफ़।
- सकारात्मक जियोग्लिफ़: यह जमीन पर सामग्री की व्यवस्था और संरक्षण द्वारा टोपेट्रोफॉर्म (जो कि केवल बोल्डर का उपयोग करके बनाई गई रूपरेखा है) के समान तरीके से बनता है।
- नकारात्मक जियोग्लिफ़: यह पेट्रोग्लिफ़ के समान अलग-अलग रंग या बनावट वाली ज़मीन बनाने के लिए प्राकृतिक ज़मीन की सतह के हिस्से को हटाकर बनाई जाती है।
- जियोग्लिफ़ की एक और विविधता है जिसमें एक विशेष डिज़ाइन में पौधों को बोना शामिल है। डिज़ाइन को देखने में आमतौर पर वर्षों लग जाते हैं क्योंकि यह पौधों के बढ़ने पर निर्भर करता है। इस प्रकार के जियोग्लिफ़ को आर्बर ग्लिफ़ कहा जाता है।
- एक अन्य प्रकार के जियोग्लिफ़ को अक्सर 'चाक जायंट्स' के रूप में जाना जाता है, जो पहाड़ियों में उकेरे गए होते हैं, जो नीचे की चट्टान को उजागर करते हैं।

इतिहास में ज्योग्लिफ़:

- प्राचीन काल से, सबसे व्यापक रूप से ज्ञात ज्योग्लिफ़ पेरू की नाज़्का रेखाएँ हैं, जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं।
- अतीत के अन्य जियोग्लिफ़ में उरल्स में मेगालिथ, उफ़िंगटन व्हाइट हॉर्स, लॉन्ग मैन ऑफ़ विलमिंगटन और कई अन्य शामिल हैं।

तेलंगाना से प्राप्त जियोग्लिफ़ की विशेषताएं:

- निचले स्तर की ग्रैनिटॉइड पहाड़ी पर उकेरा गया, जियोग्लिफ़ 5 मीटर व्यास में फैला है और इसका आकार एकदम गोलाकार है।
- वृत्त के चारों ओर एक 30-सेंटीमीटर चौड़ा किनारा है, और वृत्त के भीतर दो त्रिकोण हैं।
- इसका समय लौह युग का माना जाता है, विशेषकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास।
- यह सुझाव दिया गया है कि यह चक्र महापाषाण समुदायों के लिए उनके गोलाकार दफन स्थलों की योजना बनाने में एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है।

नाज़्का लाइन्स के बारे में मुख्य तथ्य:

- रेखाएँ दक्षिणी पेरू के नाज़्का रेगिस्तान में विशाल जियोग्लिफ़ का एक समूह हैं।
- विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन्हें 500 ईसा पूर्व से 500 CE की अवधि में कहीं भी डिजाइन किया गया था।
- कुछ रेखाएँ सीधी हैं, जबकि अन्य जानवरों और पौधों के डिज़ाइन को दर्शाती हैं।
- सभी रेखाओं की कुल लंबाई 808 मील से अधिक है, जबकि वे लगभग 19 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करती हैं।
- एक व्यक्तिगत डिज़ाइन की चौड़ाई 0.2 और 0.7 मील के बीच होती है।
- सभी डिज़ाइन मिट्टी की ऊपरी परत को हटाकर बनाए गए थे। एक लाइन की गहराई चार से छह इंच के बीच होती है।
- कुछ आकृतियाँ 1,500 फीट की ऊँचाई से भी दिखाई देती हैं।
- वर्षों से लाइनों के संरक्षण का श्रेय क्षेत्र की शुष्क और हवा रहित जलवायु को दिया जा सकता है।

तमिल लंबाडी कला

खबरों में क्यों?

पोर्गई आर्टिसन एसोसिएशन सोसाइटी, 60 से अधिक महिलाओं के साथ, कढ़ाई वाले कपड़े बना रही है और बेच रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कला के बारे में जागरूकता हो और यह अगली पीढ़ी तक पहुंचे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में उत्पत्ति।
- लम्बाडी समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में निहित है।
- समुदाय के भीतर ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों से प्रभावित।

विशेषताएँ

- बोल्ड और कॉन्ट्रास्टिंग रंगों पर फोकस के साथ जीवंत रंग योजनाएं।
- जटिल कढ़ाई और दर्पण का काम जो वस्त्रों और परिधानों को सुशोभित करता है।
- प्रकृति, लोककथाओं और पारंपरिक मान्यताओं का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व।
- दृश्य रूप से आकर्षक कला रूप बनाने के लिए ज्यामितीय पैटर्न और जटिल डिजाइन का उपयोग।
- पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक लंबाडी रूपांकनों और प्रतीकों का समावेश।

महत्व

- लम्बाडी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पहचान को दर्शाता है।
- कहानी कहने और सांस्कृतिक आख्यानों को संरक्षित करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है।
- प्रकृति और उसके परिवेश के साथ समुदाय के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है।
- लम्बाडी लोगों की जीवंत जीवनशैली और उत्सव की भावना का प्रतिनिधित्व करता है।

महत्वपूर्ण तत्व

- लंबाडी वस्त्र: दर्पण, मोतियों और जीवंत धागों से सजे जटिल कढ़ाई वाले वस्त्र।
- लंबाडी आभूषण: अलंकृत और रंगीन आभूषण, अक्सर पारंपरिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं।
- लंबाडी पेंटिंग: कपड़े या कैनवास पर कलात्मक प्रतिनिधित्व जो समुदाय की लोककथाओं, परंपराओं और दैनिक जीवन को दर्शाते हैं।
- लंबाडी नृत्य और संगीत: पारंपरिक नृत्य रूप और संगीत जो समुदाय के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों और अनुष्ठानों के साथ होते हैं।

एक खानाबदोश बोली

- मूल और खानाबदोश विरासत: लम्बाडी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक प्रवासन पैटर्न को दर्शाता है।
- क्षेत्रीय बोलियाँ और लिपि उपयोग: संबंधित क्षेत्रों में प्रमुख भाषाओं की लिपियों (जैसे, देवनागरी, कन्नड़, तमिल या तेलुगु लिपि) का उपयोग करके लिखा जाता है।
- द्विभाषावाद और क्षेत्रीय एकीकरण: भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी समुदायों के आधार पर तेलुगु, कन्नड़ या मराठी में दक्षता।

लंबाडी नृत्य

- सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक संदर्भ: सामुदायिक भावना, उत्सव परंपराओं और ऐतिहासिक आख्यानों को दर्शाता है।
- लंबाडी नृत्य शैली की विशेषताएं: सुंदर चाल, लयबद्ध फुटवर्क और अभिव्यंजक इशारों की विशेषता, अक्सर सिर पर धातु के बर्तन के साथ प्रदर्शन किया जाता है।
- लंबाडी नृत्य प्रदर्शन में पोशाक और आभूषण: कढ़ाई और दर्पण के साथ रंगीन कपड़े, मनके गहने के साथ, सांस्कृतिक समृद्धि और जीवन शक्ति का प्रतीक।

रत्नागिरी में मंदिर गुफा

खबरों में क्यों?

प्राचीन भारतीय इतिहास के एक प्रोफेसर और उनके शोधकर्ताओं की टीम ने मुंबई से लगभग 380 किमी दूर रत्नागिरी के राजापुर के पास एक जंगली इलाके में चट्टानों को काटकर बनाई गई दो शैव मंदिर गुफाओं की खोज की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- रत्नागिरी भारत के महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित एक तटीय जिला है, जो अरब सागर से घिरा है।

इतिहास और सांस्कृतिक विरासत:

- जिले ने मौर्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट और मराठों सहित विभिन्न राजवंशों का प्रभाव देखा है।
- रत्नागिरी का सांस्कृतिक ताना-बाना जीवंत परंपराओं, लोक कलाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं से बुना गया है जो कोंकणी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत की विविधता और समृद्धि को जोड़ता है।

प्राकृतिक आकर्षण:

- रत्नागिरी अपने प्राचीन समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें गणपतिपुले बीच, मांडवी बीच और भट्टे बीच शामिल हैं।
- जिले की विशेषता इसकी हरी-भरी पहाड़ियाँ, हरी-भरी घाटियाँ और प्राकृतिक परिदृश्य हैं।

ऐतिहासिक स्थल:

- रत्नागिरी किला: बहमनी शासनकाल के दौरान बनाया गया और बाद में मराठों द्वारा इसकी किलेबंदी की गई।
- थिबॉ पैलेस: पहले भोर पैलेस के नाम से जाना जाता था, थिबॉ पैलेस एक ऐतिहासिक इमारत है जो अंतिम बर्मी राजा, राजा थिबॉ और उनके परिवार के निर्वासित निवास के रूप में कार्य करता था।

बागवानी महत्व:

- रत्नागिरी अपने अल्फांसो आमों के लिए प्रसिद्ध है।
- यह जिला काजू के बागानों के लिए भी जाना जाता है।

सांस्कृतिक त्यौहार:

गणेश चतुर्थी

- नारियाल पूर्णिमा: नारियाल पूर्णिमा, जिसे नारियल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, समुद्र और नारियल की पूजा पर केंद्रित अनुष्ठानों और उत्सवों के साथ मनाया जाता है।

एलिफेंटा गुफाएँ

- एलीफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के मुंबई हार्बर में एलीफेंटा द्वीप पर स्थित है।
- माना जाता है कि गुफाओं का निर्माण 5वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया था, ये गुफाएं भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को दर्शाती हैं।

इतिहास:

- हालाँकि सटीक उत्पत्ति पर बहस निरंतर जारी है, परन्तु आमतौर पर यह माना जाता है कि एलीफेंटा गुफाएं चालुक्य और राष्ट्रकूट सहित विभिन्न राजवंशों के शासन के दौरान बनाई गई थीं।

वास्तुकला:

- गुफाएँ अनुकरणीय रॉक-कट वास्तुकला का प्रदर्शन करती हैं।
- गुफाओं को मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें मुख्य गुफा या महान गुफा, छोटी गुफाएं और विभिन्न मूर्तिकला पैनल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक हिंदू धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के एक अद्वितीय पहलू का प्रतिनिधित्व करता है।
- गुफाओं का लेआउट और डिज़ाइन हिंदू मंदिर वास्तुकला के सिद्धांतों को दर्शाता है, जिसमें मंडप (हॉल), स्तंभ और हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी जैसे तत्व शामिल हैं।

मूर्तियां और कलाकृति:

- गुफाएँ हिंदू देवी-देवताओं की कई मूर्तियों से सजी हैं, जिनमें मुख्य रूप से नटराज, अर्धनारीश्वर और महायोगी जैसे विभिन्न रूपों में भगवान शिव के चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- मूर्तियां अपने अभिव्यंजक और गतिशील रूपों की विशेषता रखती हैं, जो सूक्ष्म भावनाओं और जटिल विवरणों को पकड़ने में प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों की महारत को दर्शाती हैं।
- एलीफेंटा गुफाओं की मूर्तियां हिंदू पौराणिक कथाओं, दर्शन और ब्रह्मांडीय चक्र के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में दर्शाए गए जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति को दर्शाती हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- शिव-केंद्रित विषय-वस्तु और चित्रण: गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव के पंथ पर जोर देती हैं, जिसमें मूर्तियां और नक्काशियां उनके दिव्य व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जिसमें निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक के रूप में उनकी भूमिका भी शामिल है।
- त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर जैसी उल्लेखनीय मूर्तियां: त्रिमूर्ति मूर्तिकला, परमात्मा के तीन पहलुओं - ब्रह्मा, विष्णु और शिव को दर्शाती है - गुफाओं में सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित मूर्तियों में से एक है। अर्धनारीश्वर मूर्तिकला ब्रह्मांड में पुरुष और महिला ऊर्जा की एकता और संतुलन का प्रतीक है।

बिरसा मुंडा

खबरों में क्यों?

हाल ही में प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके पैतृक गांव जाएंगे और समुदाय के लिए एक कल्याण योजना शुरू करेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वह मुंडा जनजाति से आने वाले एक लोक नायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे।
- उन्होंने एक भारतीय जनजातीय जन आंदोलन का नेतृत्व किया जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत बिहार और झारखंड बेल्ट में उभरा।

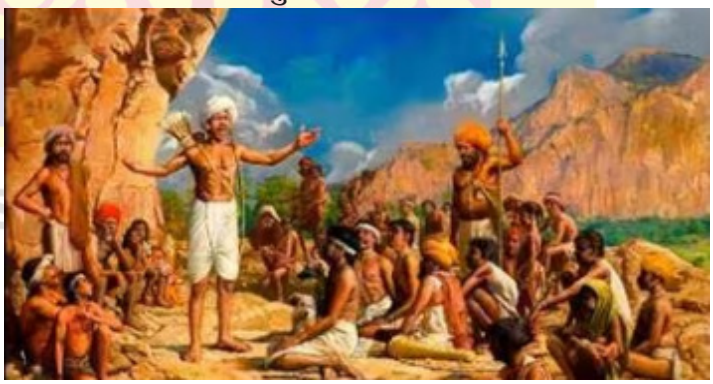

- मुंडा ने आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए ज़-बरदस्ती ज़मीन हड़पने के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया, जो आदिवासियों को बंधुआ मजदूरों में बदल देगा और उन्हें घोर गरीबी के लिए मजबूर कर देगा।
- उन्होंने अपने लोगों को अपनी ज़मीन के मालिक होने और उस पर अपना अधिकार जताने के महत्व को महसूस करने के लिए प्रभावित किया।
- आदिवासी क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था, या स्थायी बंदोबस्त की शुरूआत की प्रतिक्रिया के रूप में, बिरसा मुंडा ने 1894 में अंग्रेजों और दिकुओं - बाहरी लोगों के खिलाफ "उलगुलान" या विद्रोह की घोषणा की।
- उन्होंने 'बिरसाइत' नामक धर्म की स्थापना की।
- 'धरती अब्बा' या पृथ्वी पिता के रूप में जाने जाने वाले बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अपने धर्म का अध्ययन करने और अपनी सां-स्कृतिक जड़ों को न भूलने की आवश्यकता पर बल दिया।
- बिरसा मुंडा ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया।
- 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।
- आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष के कारण 1908 में छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम पारित होने के रूप में ब्रिटिश सरकार को बड़ा झटका लगा। इस अधिनियम ने आदिवासी लोगों से गैर-आदिवासियों को जमीन देने पर प्रतिबंध लगा दिया।
- राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके प्रभाव को देखते हुए, 2000 में उनकी जयंती पर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया।
- 15 नवंबर, बिरसा मुंडा की जयंती, को केंद्र सरकार द्वारा 2021 में 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया गया।

छत्रपति शिवाजी महाराज

खबरों में क्यों?

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की आधारशिला भारतीय सेना की 41 राष्ट्रीय राइफल्स मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रखी गई, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है।
- इसके लिए पांच किलों शिवनेरी, तोरणा, राजगढ़, प्रतापगढ़ और रायगढ़ से मिट्टी और पानी लाया गया।

छत्रपति शिवाजी महाराज

- वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित शासकों में से एक हैं और उन्हें 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है।

आरंभिक जीवन:

- शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था जो अब महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है।
- ऐसा माना जाता है कि शिवाजी का नाम देवी शिवाई नामक एक स्थानीय देवता के नाम पर रखा गया था।
- शिवाजी की मां जीजाबाई सिंदखेड के लखुजी जाधवराव की बेटी थीं। उनके पिता शाहजीराजे भोसले दक्कन के एक प्रमुख सरदार थे।
- कम उम्र से ही उनमें नेतृत्व के गुण और राजनीति में गहरी रुचि थी।

गठबंधन और शत्रुताएँ:

- अपने जीवन के दौरान, शिवाजी मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा की सल्तनत, बीजापुर की सल्तनत और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के साथ गठबंधन और शत्रुता दोनों में लगे रहे।
- शिवाजी के सैन्य बलों ने मराठा प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया, किलों पर कब्जा किया और निर्माण किया और मराठा नौसेना का गठन किया।
- मराठा नौसेना ने महाराष्ट्र के तट पर स्थित जयगढ़, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और अन्य किलों की रक्षा की।

शिवाजी की गुरिल्ला रणनीति:

- शिवाजी की सशस्त्र सेना की कुछ प्रमुख सीमाएँ थीं। उसके अधिकांश शत्रुओं की तुलना में उसके पास आदमी या अश्वशक्ति नहीं थी, खासकर अपने जीवन के शुरुआती चरणों के दौरान।
- इसका मतलब यह था कि पारंपरिक लड़ाई में, उसे शायद ही कभी अपने दुश्मनों के सामने टिकने का मौका मिलता।
- बड़ी सेनाओं के साथ पारंपरिक युद्ध के लिए उपयुक्त उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के विपरीत, मराठा देश का इलाका अलग था।
- उनके लोग छोटे, अत्यधिक मोबाइल और भारी हथियारों से लैस होकर यात्रा करते थे, अक्सर सुस्त मुगल या आदिल शाही सेनाओं में कहर बरपाते थे, आपूर्ति और खजाना लूटते थे और जल्दी से पीछे हट जाते थे।
- एक तरफ अरब सागर, केंद्र में कोंकण का मैदान और मैदानी इलाकों पर नजर रखने वाले पश्चिमी घाट के साथ, 17वीं शताब्दी में इस क्षेत्र का अधिकांश भाग घने जंगलों से ढका हुआ था।
- ऐसे इलाके में युद्ध गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, जिसमें बड़ी पारंपरिक सेनाओं के फंसने का खतरा होता है।

किलों का महत्व (शिवनेरी, तोरणा, राजगढ़, प्रतापगढ़ और रायगढ़):

- इतिहास में लंबे समय तक, सैन्य रणनीति और रणनीति में वायु शक्ति के केंद्र में आने से पहले, किले किसी भी देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे।

भौगोलिक कारक:

- अपने लंबे जीवन में, उन्होंने कई ऐसे किलों पर कब्जा कर लिया, जिनमें तोरणा (जब वह केवल 16 वर्ष के थे) राजगढ़, सिंहगढ़ और पुरंदर शामिल थे।
- कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के समय छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने क्षेत्रों में 200 से अधिक किलों पर नियंत्रण था, कुछ अनुमानों के अनुसार यह संख्या 300 से अधिक थी।

राज तिलक:

- 1674 में, उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने साम्राज्य के छत्रपति (सम्राट) के रूप में ताज पहनाया गया।

प्रशासन एवं नागरिक नियम:

- उन्होंने मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी और उनमें से प्रत्येक को उनके काम के लिए जिम्मेदार बनाया गया।
- राज्य के मामलों पर सलाह देने के लिए उनके पास एक मंत्रिपरिषद (अष्ट प्रधान) थी लेकिन वह इससे बंधे नहीं थे।

- वह धार्मिक सहिष्णुता में भी विश्वास करते थे और सभी धर्मों को समान सम्मान देते थे।
- उन्होंने किसी भी पद को वंशानुगत नहीं बनाया।
- सामान्यतः वह अपने नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों को जागीरें नहीं सौंपता था।

कला एवं संस्कृति:

- ऐतिहासिक व्यक्ति न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे।
- उन्होंने साहित्य और संगीत को प्रोत्साहित किया और उनका दरबार रचनात्मकता और बौद्धिकता का केंद्र था।
- मृत्यु:- इनकी 1680 में मृत्यु हो गई लेकिन उन्हें अभी भी उनके साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है।

समसामयिक वृत्तांत:

- अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली और इतालवी लेखकों के समकालीन लेखों में शिवाजी को उनके वीरतापूर्ण कारनामों और चतुर युक्तियों के लिए सराहा गया।
- शिव जयंती का उत्सव 1870 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले द्वारा निर्धारित किया गया था और तब से, लोग इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं।
- इस समारोह का संचालन महान मुक्ति सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता का ध्यान मराठा राजा के योगदान की ओर आकर्षित करने का श्रेय भी दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने औपनिवेशिक सरकार के संबंध में संभावित नकारात्मक निहितार्थों के साथ शिवाजी को 'उत्पीड़क के प्रतिद्वंद्वी' के रूप में चित्रित किया।

परंपरा:

- भारतीय नौसेना के INS शिवाजी का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
- मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है।

विश्व विरासत सूची

खबरों में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक में दो स्थलों को विश्व धरोहर सूची के लिए प्रस्तावित किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हसन में श्रवणबेलगोला और गडग जिलों में लक्कुंडी के स्मारकों को राज्य पुरातत्व संग्रहालय और विरासत विभाग (DAMH) द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
- अस्थायी सूची उन संपत्तियों का पूर्वानुमान प्रदान करती है जिन्हें एक राज्य पार्टी अगले पांच से दस वर्षों में शिलालेख के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय ले सकती है।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंतिम घोषणा पर विचार करने के लिए, किसी स्मारक को पहले अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया जाना चाहिए।
- राज्य पार्टी द्वारा यूनेस्को साइट के रूप में शिलालेख के लिए प्रस्तावित किए जाने से पहले स्मारकों को कम से कम एक वर्ष के लिए सूची में होना चाहिए।
- यूनेस्को की अस्थायी सूची में वर्तमान में 50 भारतीय स्मारक शामिल हैं।

श्रवणबेलगोला

- चंद्रगिरि पहाड़ी पर श्रवणबेलगोला मंदिर परिसर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है।
- यह गोमतेश्वर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मुक्त खड़ी अखंड मूर्तियों में से एक माना जाता है।
- इसे एक ही पत्थर से तराशा गया और 981 ई. में पवित्र किया गया।
- श्रवणबेलगोला वह स्थान भी है जहां मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे।

लक्कुंडी

- लक्कुंडी को 'लोक्कीगुंडी' के नाम से भी जाना जाता है।
- एक हजार साल पहले यह एक महत्वपूर्ण शहर था।
- यह होयसल साम्राज्य की राजधानियों में से एक थी।
- पूरे गांव में प्राचीन मंदिरों के 50 से अधिक खंडहर बिखरे हुए हैं, जो चालुक्यों, कलचुरियों और सुएना के काल के हैं।
- इस क्षेत्र में 100 से अधिक बावड़ियाँ हैं, जिन्हें 'कल्याणी' भी कहा जाता है, प्रत्येक आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प सुंदरता को प्रदर्शित करती है।

यूनेस्को की अस्थायी सूची क्या है?

- यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की एक सूची है जिन पर प्रत्येक राज्य पार्टी नामांकन के लिए विचार करना चाहती है।

- यदि कोई राज्य पक्ष किसी स्मारक या स्थल को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की सांस्कृतिक या प्राकृतिक विरासत मानता है तो राज्य ऐसे स्थलों की एक सूची तैयार करता है और इसे यूनेस्को को भेजता है।
- यूनेस्को ऐसे स्मारकों को शामिल करने को स्वीकार या अस्वीकार करने के बाद एक अस्थायी सूची बनाता है।
- किसी देश की अस्थायी सूची में कोई स्थान स्वचालित रूप से उस साइट को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान नहीं करता है।
- अंतिम नामांकन डोजियर पर विचार करने से पहले किसी भी स्मारक/स्थल को अस्थायी सूची (TL) पर रखना अनिवार्य है।
- किसी साइट को अस्थायी साइट के रूप में सूचीबद्ध करने के बाद, राज्य पार्टी को एक नामांकन दस्तावेज़ तैयार करना होगा जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल के लिए माना जाएगा।

विश्व धरोहर स्थल क्या है?

- विश्व धरोहर स्थल एक "उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य" वाला स्थान है।
- विश्व धरोहर कन्वेंशन के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, एक उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य सांस्कृतिक और/या प्राकृतिक महत्व को दर्शाता है जो इतना असाधारण है कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है और सभी मानवता की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सामान्य महत्व का होता है।

स्थल तीन श्रेणियों में हैं:

- सांस्कृतिक विरासत: सांस्कृतिक विरासत में इतिहास, कला या विज्ञान के दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य शामिल है, और इसमें स्मारक, इमारतों के समूह और स्थल शामिल हैं जो प्रकृति और मानव एजेंसी का संयुक्त कार्य हैं। उदाहरणों में ताज महल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और सिडनी ओपेरा हाउस शामिल हैं।
- प्राकृतिक विरासत: प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत वे स्थल आते हैं जिनका विज्ञान, संरक्षण या प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य है, जैसे सुंदरबन प्राकृतिक पार्क या विक्टोरिया झरना।
- मिश्रित विरासत: एक मिश्रित स्थल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के घटक शामिल होते हैं।

विश्व धरोहर स्थल और अस्थायी सूची के बीच अंतर

- विश्व धरोहर स्थल वह स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
- विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय 'विश्व धरोहर कार्यक्रम' द्वारा बनाए रखी जाती है।
- अपने विरासत स्थल को विश्व विरासत सूची में अंकित कराने के लिए देश अपनी सीमाओं के भीतर स्थित महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की एक सूची बनाता है।
- इस 'इन्वेंटरी' को अस्थायी सूची के रूप में जाना जाता है।
- इस प्रकार इसे अस्थायी सूची में बनाना किसी भी साइट के लिए पहला कदम है जो विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए अंतिम नामांकन चाहता है।

12वीं सदी के चोल मंदिर का जीर्णोद्धार

खबरों में क्यों?

चोल राजवंश का 12वीं सदी का एक मंदिर, आकर्षक वास्तुकला विशेषताओं के साथ, तिरुपति के बाहरी इलाके में मुंडलापुडी गांव में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मंदिर को एक 'अधिष्ठान' (तहखाने) पर खड़ा किया गया था, दीवारों को कोष्ठ, मकर थोराना, लघु मंदिरों और 'कुंभपंजर' स्तंभों से सजाया गया था।
- विशिष्ट चोल शैली में उत्कीर्ण नटराज, वेणुगोपाल कृष्ण, संगीतकारों और बौनों की कुछ मूर्तियाँ भी हैं।
- मुंडलापुड़ी गांव का नाम मूल रूप से मुनाईपुंडी या मुनियापुंडी के नाम से जाना जाता था।
- मंदिर के तहखाने की ढलाई पर उत्कीर्ण विक्रम चोल (1118-35 ई.पू.) के एक शिलालेख में राजा राजा नरेंद्र की उपाधि के बाद इसे शिवपादशेखरनल्लूर भी कहा गया था।
- शिलालेख में यह भी दर्ज है कि गांव की आय को योगीमल्लावरम में पारासारेश्वर स्वामी मंदिर में दीपक जलाने के लिए दान कर दिया गया था, जो सिर्फ एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है।
- मंदिर में कोई कृष्ण की मूर्ति नहीं है और ग्रामीण भगवान कृष्ण के केवल एक फोटो फ्रेम की पूजा कर रहे हैं।

कला और वास्तुकला

- पल्लवों के बाद चोल राजवंश दक्षिणी भारत की मुख्य शक्ति बन गया और अन्य राज्यों के बीच विजयी हुआ।
- चोल वंश की राजधानी तंजावुर शहर थी।
- वे बंगाल, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा तक आगे बढ़े और इंडोनेशिया तक उनके व्यापारिक संबंध थे।
- उनकी सैन्य और आर्थिक शक्ति नीचे की भव्य वास्तुशिल्प प्रस्तुतियों में परिलक्षित होती थी।
- तंजावुर, गंगैकोंडचोलपुरम, दारासुरम, त्रिभुवनम का काल।
- उन्होंने दो सौ से अधिक मंदिरों का निर्माण कराया था जो कि पिछले मंदिरों की ही निरंतरता प्रतीत होती है।

- कुछ विविधताओं के साथ पल्लव वास्तुकला। चोल राजाओं ने पहले ईंटों के मंदिर बनवाए और बाद में उन्होंने पत्थर के मंदिर बनवाए।
- प्रथम चोल शासक विजयालय चोल ने नरत्तमलाई में मंदिर बनवाया। यह एक पत्थर का मंदिर है। यह प्रारंभिक चोल मंदिर वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है।
- पुडुकोट्टई क्षेत्र में कन्नानूर का बालासुब्रमण्यम मंदिर और थिरुक्कटलाई मंदिर का निर्माण आदित्य-प्रथम के काल में किया गया था।
- कुंभकोणम में नागेश्वर मंदिर मूर्तिकला कार्य के लिए प्रसिद्ध है।
- राजा परांतक प्रथम ने श्रीनिवासनल्लूर (त्रिची जिला) में कोरंगानाथ मंदिर का निर्माण कराया। कोडुम्बलुर का मुवरकोइल। वे बाद की चोल वास्तुकला और मूर्तिकला के अच्छे उदाहरण हैं।
- चोल काल के इन सभी मंदिरों के अलावा, दक्षिण भारतीय वास्तुकला के इतिहास में सबसे बड़ा मील का पत्थर तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। इसके कई वास्तुशिल्प महत्व हैं। इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है।
- राजेंद्र चोल ने गंगईकोंडा चोलपुरम में एक मंदिर बनवाया जो भी उतना ही प्रसिद्ध है। राजा राजेंद्र चोल ने चोल कला और वास्तुकला को श्रेय दिया।
- राजा कुलोथुंगा प्रथम ने कुंभकोणम में सूर्य देव के लिए एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला में अपनी तरह का पहला मंदिर है।
- राजराजा द्वितीय ने धरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया।
- ये मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की वास्तुकला की शैली को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं
- इसका प्रभाव सीलोन और एसई एशियाई मंदिरों की वास्तुकला पर भी देखा जा सकता है
- श्रीविजय (सुमात्रा) और चावकम (जावा) जैसे राज्य।
- राज राजा प्रथम ने इसी तर्ज पर श्रीलंका के पोलानुरुवा में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था

चोल वास्तुकला की विशेषताएं

- चोल मंदिरों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है - प्रारंभिक मंदिर और बाद के मंदिर; प्रारंभिक मंदिर पल्लव वास्तुकला से प्रभावित हैं जबकि बाद के मंदिर चालुक्य प्रभाव से प्रभावित हैं।

- नागरा के विपरीत मंदिर ऊँची चारदीवारी से घिरे होते थे।
- पहले के उदाहरण आकार में मामूली थे और जबकि बाद के उदाहरण विमानों के साथ विशाल और बड़े थे
- भूदृश्य पर गोपुरों का प्रभुत्व।
- प्रारंभ में, गोपुरम की विशेषताएं अधिक प्रमुख थीं लेकिन बाद के चरणों में, विमानों ने सबसे आगे ले लिया।
- शिखर सीढ़ीदार पिरामिड के रूप में है, जिसे विमान के नाम से जाना जाता है। पल्लव प्रभाव रथों के समान शिखर/विमान में देखा जा सकता है, जो एक अष्टकोणीय आकार का मुकुट तत्व है जिसे शिखर के नाम से जाना जाता है।
- चोल मंदिरों के गर्भगृह आकार में गोलाकार और चौकोर दोनों थे और आंतरिक गर्भगृह की दीवारें सुशोभित थीं। गर्भगृह के ऊपरी तरफ गुंबद के आकार के शिखर और कलश के साथ विशेष विमान बनाए गए हैं जो गोपुरम के शीर्ष पर भी थे।
- पंचायतन शैली, लेकिन सहायक तीर्थस्थलों पर कोई विमान नहीं।
- स्तंभ के आधार में शेर की आकृति का अभाव, जैसा कि पल्लव वास्तुकला में देखा गया है, लेकिन कुदुस की उपस्थिति।
- सजावट, हालाँकि, यह पल्लवों से थोड़ी अलग है।
- मंदिर में अधिकतर गर्भगृह, अंतराल, सभामंडप होते हैं। कई मंदिरों में स्तंभों वाले मंडप होते हैं, जैसे अर्थमंडप, महामंडप और नंदी मंडप।
- मंदिर की सीमा के अंदर पानी की टंकी की उपस्थिति।
- उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल नीस और ग्रेनाइट के ब्लॉक हैं।
- प्रारंभिक समूह का महत्वपूर्ण उदाहरण विजयालय मंदिर है जबकि बाद का समूह तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर और गंगईकोंडचोलपुरम के बृहदीश्वर मंदिर का प्रतिनिधित्व करता है।
- चोल वास्तुकला की एक विशेष विशेषता कलात्मक परंपरा की शुद्धता है। इन मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियां और शिलालेख भी लगे हुए हैं।

मीरा बाई

खबरों में क्यों?

पीएम मोदी संत मीरा बाई की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मीरा बाई, जिन्हें मीरा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख संत, कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त थीं।

प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि

- जन्म और परिवार: मीरा बाई का जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में (लगभग 1498 ई.) भारत के राजस्थान में मेड़ता के शाही परिवार में हुआ था। वह कम उम्र से ही भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थीं, जो कृष्ण के बचपन की कहानियों से प्रेरित थीं।
- राजकुमार भोज राज से विवाह: मीरा बाई का विवाह चित्तौड़ साम्राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार भोज राज से हुआ था। अपनी शाही स्थिति के बावजूद, उनका दिल पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर झुका हुआ था, जिससे सांसारिक कर्तव्यों पर उनकी भक्ति को प्राथमिकता मिलने के कारण शाही घराने में संघर्ष हुआ।

भगवान कृष्ण की भक्ति

- भक्ति आंदोलन: मीरा बाई भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती बन गई, एक आध्यात्मिक और भक्ति आंदोलन जिसने परमात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया और मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रेम और भक्ति की वकालत की।
- कविता के माध्यम से भक्ति व्यक्त करना: उन्होंने आत्मा को झकझोर देने वाली कविताओं (भजन और पदावली) के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया, जिससे उनकी आध्यात्मिक लालसा और परमात्मा के साथ मिलन की तीव्र लालसा व्यक्त हुई।

भक्ति आंदोलन

- मध्ययुगीन भारत में उत्पन्न भक्ति आंदोलन, एक महत्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक क्रांति थी जिसने भक्ति (भक्ति) और परमात्मा के साथ व्यक्तिगत, भावनात्मक संबंध पर जोर दिया।
- यह उस समय प्रचलित अनुष्ठान प्रथाओं की कठोरता, जातिगत भेदभाव और समाज की पदानुक्रमित संरचना की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा।

उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ:

- उद्भव का युग: भक्ति आंदोलन 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, जिसने मध्ययुगीन काल के दौरान 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच प्रमुखता प्राप्त की।
- धर्मग्रंथों का प्रभाव: इस आंदोलन ने भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों जैसे भक्ति ग्रंथों से प्रेरणा ली, जिसमें भक्ति, प्रेम और परमात्मा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया गया।

भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत:

- व्यक्तिगत भक्ति: भक्ति ने मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति के मार्ग पर जोर दिया, चुने हुए देवता के साथ व्यक्तिगत, भावनात्मक संबंध को प्रोत्साहित किया।
- समानता और समावेशिता: इसने जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी व्यक्तियों की समानता का उपदेश दिया, मध्यस्थों की आवश्यकता के बिना भक्त और परमात्मा के बीच सीधे संबंध की वकालत की।
- सादगी और सार्वभौमिकता: इस आंदोलन ने अनुष्ठानों और विस्तृत धार्मिक प्रथाओं की जटिलताओं को पार करते हुए आध्यात्मिकता के लिए एक सरल और सार्वभौमिक दृष्टिकोण का प्रचार किया।

प्रमुख हस्तियाँ और उनका योगदान:

- रामानुज, माधवाचार्य और चैतन्य महाप्रभु: भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इन संतों ने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, प्रत्येक ने अपने अद्वितीय दर्शन और शिक्षाओं के साथ।
- मीराबाई, कबीर, तुलसीदास और सूरदास: इन उल्लेखनीय कवि-संतों ने अपने चुने हुए देवताओं के प्रति अपने गहन प्रेम और भक्ति को व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति गीत और छंदों की रचना की।

प्रभाव और विरासत:

- सामाजिक सुधार: भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता और समावेशिता की वकालत करते हुए सामाजिक पदानुक्रम और जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती दी।
- सांस्कृतिक प्रभाव: इससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भक्ति संगीत, साहित्य और कला रूपों का प्रसार हुआ, जिससे देश की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई।
- धार्मिक समन्वयवाद: इस आंदोलन ने विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के संश्लेषण की सुविधा प्रदान की, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा मिला।

लाचित बोरफुकन

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने लाचित दिवस पर लाचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की।

महत्वपूर्ण बिंदु

लाचित बोरफुकन

- जन्म वर्ष: 24 नवंबर 1622
- परिवार: उनके पिता मोमाई तमुली बोरबरुआ अहोम सेना के कमांडर-इन--चीफ थे।
- अहोम साम्राज्य में भूमिका: लाचित बोरफुकन ने अहोम साम्राज्य में एक कमांडर और पार्षद के रूप में कार्य किया।
- अहोम साम्राज्य ने, 600 वर्षों से अधिक समय तक, वर्तमान असम में मुगल साम्राज्य के कई आक्रमणों का बहादुरी से विरोध किया।
- अहोम-मुगल संघर्ष: 1615 में, अहोम राजवंश को मुगल साम्राज्य के साथ अपने पहले महत्वपूर्ण संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः मुगलों ने 1662 में अहोम राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया।
- सरायघाट पर विजय: 1671 में सरायघाट की निर्णायक लड़ाई के दौरान, लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में, अहोमों ने मुगलों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, जो संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
- बोरफुकन का नेतृत्व: लाचित बोरफुकन को मुख्य रूप से सरायघाट की लड़ाई के दौरान उनके नेतृत्व के लिए मनाया जाता है।
- मुगल प्रभाव का अंत: 1682 तक, बोरफुकन के नेतृत्व में अहोमों ने क्षेत्र में मुगल प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया और एक स्थायी जीत हासिल की।

सरायघाट का युद्ध

के बारे में: सरायघाट की लड़ाई 1671 में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई एक नौसैनिक लड़ाई थी।

- यह मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के आखिरी बड़े प्रयास की आखिरी लड़ाई थी।

अहोम साम्राज्य

- स्थापना: लगभग 600 वर्षों के समृद्ध इतिहास वाले अहोम राजवंश की स्थापना पहली बार 1228 में हुई थी।
- समृद्ध साम्राज्य: यह बहु-जातीय साम्राज्य ऊपरी और निचली ब्रह्मपुत्र घाटी में फला-फूला, जो जीविका के लिए अपनी उपजाऊ भूमि में चावल की खेती पर निर्भर था।
- मुगलों के साथ संघर्ष: मुगलों के साथ संघर्षों की एक श्रृंखला में शामिल होने के कारण, अहोमों को 1615 से 1682 तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल शामिल था।

SHRIRAM DUVERSITY DUCATION XPERT "Right Access Get Success"

2 राजनीति और शासन

मराठा आरक्षण विरोध

खबरों में क्यों?

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का विरोध तेज होने के बीच राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई पर सलाह देने के लिए उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों का एक पैनल गठित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि:

- मराठा जातियों का एक समूह है जिसमें किसान और ज़मींदार समेत अन्य लोग शामिल हैं, जो राज्य की आबादी का लगभग 33 प्रतिशत हैं।
- इस पर पहला विरोध प्रदर्शन 32 साल पहले मुंबई में मथाडी लेबर यूनियन के नेता अन्नासाहेब पाटिल ने किया था।

2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

- 2018 में, महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव करते हुए एक विधेयक पारित किया।
- इसे कोर्ट में चुनौती दी गई।
- 2019 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) अधिनियम, 2018 के तहत मराठा कोटा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- यह फैसला देते हुए कि राज्य द्वारा दिया गया 16 प्रतिशत कोटा 'उचित' नहीं था, एचसी ने इसे घटाकर शिक्षा में 12 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत कर दिया, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी।
- हाई कोर्ट ने कहा कि जबकि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, असाधारण परिस्थितियों और असाधारण परिस्थितियों में, पिछड़ेपन को प्रतिबिंबित करने वाला मात्रात्मक डेटा उपलब्ध होने पर इस सीमा को पार किया जा सकता है।

GM गायकवाड़ आयोग:

- उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी एम गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले 11 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBC) के निष्कर्षों पर बहुत अधिक भरोसा किया।

मराठों की संख्या:

- समिति ने 355 तालुकाओं में से प्रत्येक के दो गांवों से लगभग 45,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक मराठा आबादी थी।

पिछड़ेपन का स्तर:

- नवंबर 2015 की रिपोर्ट में मराठा समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा पाया गया।

सामाजिक पिछड़ेपन में, आयोग ने पाया कि:

- लगभग 76.86% मराठा परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि और कृषि श्रम में लगे हुए हैं, लगभग 70% कच्चे घरों में रहते हैं, केवल 35-39% के पास व्यक्तिगत नल जल कनेक्शन हैं।

किसान की आत्महत्या:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013-2018 में कुल 13,368 किसानों की आत्महत्या के मुकाबले कुल 2,152 (23.56%) मराठा किसानों की मौत हुई।

मराठा महिलाएँ:

- आयोग ने यह भी पाया कि 88.81% मराठा महिलाएं परिवार के लिए शारीरिक घरेलू काम के अलावा आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम में भी शामिल हैं।

शैक्षिक पिछड़ापन:

- शैक्षिक पिछड़ेपन में, यह पाया गया कि:

- 13.42% मराठा निरक्षर हैं,
- 35.31 % प्राथमिक शिक्षित,
- 43.79 % HSC और SSC,
- 6.71% स्नातक और स्नातकोत्तर और
- 0.77% तकनीकी और व्यावसायिक रूप से योग्य।

सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण क्यों रद्द किया?

- 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मराठा कोटा को रद्द कर दिया, जिसने राज्य में कुल आरक्षण को 1992 के इंद्रा साहनी (मंडल) फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से ऊपर ले लिया।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि 50% की सीमा, हालांकि 1992 में अदालत द्वारा एक मनमाना निर्धारण था, अब संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है।
- इसमें कहा गया है कि 50% का आंकड़ा पार करने की कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, मराठा एक प्रमुख अग्रिम वर्ग थे और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में हैं।
- 2022 में, SC द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत कोटा को बरकरार रखने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता, तब तक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य EWS कोटा से लाभान्वित हो सकते हैं।
- SC द्वारा अपनी समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद, राज्य सरकार ने कहा कि वह एक उपचारात्मक याचिका दायर करेगी और समुदाय के 'पिछड़ेपन' के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक नया पैनल बनाएगी।

महाराष्ट्र सरकार का ताजा कदम

- राज्य ने निज़ाम काल के राजस्व रिकॉर्ड सहित दस्तावेजों के आधार पर मराठों को कुनबी (OBC) प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप के शिंदे के तहत पांच सदस्यीय समिति का गठन किया।
- बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पैनल के गठन के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी।
- राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में पैनल की पहली रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

महाराष्ट्र में मौजूदा आरक्षण

राज्य में 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद कुल आरक्षण 52 फीसदी है. इसमें इनके लिए कोटा शामिल है:

- अनुसूचित जाति (13%),
- अनुसूचित जनजाति (7%),
- अन्य पिछड़ा वर्ग (19%),
- विशेष पिछड़ा वर्ग (2%),
- विमुक्त जाति (3%),
- घुमंतू जनजाति B (2.5%),
- घुमंतू जनजाति C-धंगर (3.5%) एवं
- घुमंतू जनजाति D-वंजारी (2%)।

- 12-13 फीसदी मराठा कोटा जुड़ने से राज्य में कुल आरक्षण 64-65 फीसदी हो गया था।
- राज्य में 10% EWS कोटा भी प्रभावी है।
- मराठों के अलावा धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समुदायों ने भी आरक्षण की मांग उठाई है।

विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता

खबरों में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने बिलों को मंजूरी देने में कथित देरी को लेकर राज्यपाल RN रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा रही है, ताकि राज्यपाल द्वारा संवैधानिक आदेश का पालन करने में निष्क्रियता, चूक, देरी और विफलता की घोषणा की जा सके।
- याचिका में राज्यपाल को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विधेयकों और फाइलों और सरकारी आदेशों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।
- इनमें से किसी भी कार्य के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है।
- यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल यथाशीघ्र उसे लौटा सकता है और जब कोई विधेयक लौटाया जाता है तो सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि विधेयक सदन द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर दिया जाता है। राज्यपाल उस पर सहमति नहीं रोकेंगे।

- संविधान यह अनिवार्य बनाता है कि राज्यपाल को किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना चाहिए जो उच्च न्यायालय के पंखों को काटता है या उसके कामकाज को कमजोर करता है।
- राष्ट्रपति की सहमति के बिना ऐसा विधेयक कानून नहीं बनेगा।

जटिल अन्वेषण

- संविधान से विलोपन: भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 75 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने का जिक्र करते समय 'अपने विवेक से' शब्द शामिल थे। संविधान लागू होने पर यह वाक्यांश जानबूझकर हटा दिया गया था।
- संविधान निर्माताओं के विचार: संविधान सभा की राय थी कि राज्य वास्तव में अपने क्षेत्र में संप्रभु थे, संविधान में उल्लिखित विशिष्ट स्थितियों से परे विवेकाधीन शक्ति, राज्यपाल को राज्य सरकार को खत्म करने में सक्षम नहीं बनाती है।
- जनहित के विरुद्ध: सरकार द्वारा कोई विधेयक तब लाया जाता है जब किसी विशेष मामले पर कानून की तत्काल आवश्यकता होती है। अत: यदि राज्यपाल इस पर संविधान के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे वास्तव में जनहित को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- संविधान की भावना के विरुद्ध: चूंकि अनिश्चित काल तक कोई निर्णय नहीं लेना संविधान द्वारा प्रदान किया गया विकल्प नहीं है, जो राज्यपाल ऐसा करते हैं वे स्पष्ट रूप से उस तरीके से कार्य कर रहे हैं जो संवैधानिक रूप से स्वीकृत नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल के पास कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं और वह केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य कर सकता है। वास्तव में, कार्यकारी शक्तियाँ निर्वाचित सरकार में निहित होती हैं, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
- मंत्रिपरिषद के अनुरूप कार्य करें: राज्यपाल पद पर संविधान सभा में बहस के दौरान डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे संवैधानिक ढांचे में राज्यपाल के पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं और उन्हें केवल राज्य में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है।

संसदीय समितियाँ

खबरों में क्यों?

लोकसभा आचार समिति 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सांसद (MP) महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की जांच कर रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

लोकसभा आचार समिति के बारे में

- स्थापना: अध्यक्ष ने 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया, जो 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई।
- सदस्य: इसमें एक वर्ष की अवधि के लिए स्पीकर द्वारा नियुक्त 15 सदस्य होते हैं।
- कार्यप्रणाली: कोई भी व्यक्ति किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से जाकर एक संसद सदस्य (सांसद) के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
- इस शिकायत में कथित कदाचार के सहायक साक्ष्य और एक हलफनामा शामिल होना चाहिए जो पुष्टि करता हो कि शिकायत "झूठी, तुच्छ या परेशान करने वाली" नहीं है।
- समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपती है, जो फिर सदन की राय मांगता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

संसदीय समिति

- संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है और जो अध्यक्ष के निर्देशन में काम करता है।
- संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है। वे अपना अधिकार अनुच्छेद 105 से प्राप्त करते हैं, जो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 118, जो संसद को अपनी प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
- वे अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं।
- जो विधेयक समितियों को भेजे जाते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन के साथ सदन में वापस कर दिया जाता है।
- संसद समितियों की सिफ़ारिशों से बंधी नहीं है।

संसदीय समितियों के प्रकार

- मोटे तौर पर, संसदीय समितियों को वित्तीय समितियों, विभाग से संबंधित स्थायी समितियों, अन्य संसदीय स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल हैं। इन समितियों का गठन 1950 में किया गया था।
- बजटीय प्रस्तावों और महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों की जांच करने के लिए 1993 में सत्रह विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ अस्तित्व में आईं। बाद में समितियों की संख्या बढ़ा दी गई।
- तदर्थ समितियाँ: इन्हें एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है और जब वे उन्हें सौंपा गया कार्य पूरा कर लेते हैं और एक रिपोर्ट सौंप देते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- संसद किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए विशेष उद्देश्य से दोनों सदनों के सदस्यों को लेकर एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन भी कर सकती है।
- प्रत्येक सदन के लिए अन्य स्थायी समितियाँ हैं, जैसे व्यवसाय सलाहकार समिति और विशेषाधिकार समिति।

महत्व

- संसदीय समितियाँ एक ऐसे तंत्र के रूप में कार्य करती हैं जो संसद की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करती है।
- वे जनता की याचिकाओं की भी जांच करते हैं, जांच करते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद के अधिनियमों के अनुरूप हैं या नहीं और संसद के प्रशासन का प्रबंधन करने में मदद करते हैं।
- प्रत्येक आइटम पर अधिक समय देने की उनकी क्षमता उन्हें मामलों की अधिक विस्तार से जांच करने की अनुमति देती है।
- वे विभिन्न मुद्दों पर पार्टियों को आम सहमति तक पहुंचने में भी मदद करते हैं।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रणाली

खबरों में क्यों?

SC ने AoR प्रणाली में सुधार और सुधार के लिए एक "व्यापक योजना" का आह्वान किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट ने एक तुच्छ मामला दायर करने के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) की खिंचाई की और जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने वकील को फटकार लगाई कि AoR केवल "हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी" नहीं हो सकता।

AoR कौन है?

- केवल AoR ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले दायर कर सकता है। एक AoR अदालत के समक्ष बहस करने के लिए वरिष्ठ वकीलों सहित अन्य वकीलों को शामिल कर सकता है, लेकिन AoR मूल रूप से वादी और देश की सर्वोच्च अदालत के बीच की कड़ी है।
- AoR दिल्ली स्थित विशिष्ट वकीलों का एक समूह है जिनकी कानूनी प्रैक्टिस ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होती है। वे अन्य अदालतों में भी पेश हो सकते हैं।
- इस प्रथा के पीछे विचार यह है कि विशेष योग्यता वाला एक वकील, जिसे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुना जाता है, एक मुकदमेबाज के लिए उपस्थित होने के लिए सुसज्जित है क्योंकि यह मुकदमेबाज के लिए अंतिम अवसर वाला न्यायालय है।

पात्रता मापदंड

- प्रशिक्षण: AoR परीक्षा देने से पहले, न्यायालय द्वारा अनुमोदित AoR के साथ न्यूनतम एक वर्ष का प्रशिक्षण।
- अनुभव: प्रशिक्षण शुरू करने से पहले वकील के पास कम से कम चार साल का कानूनी अभ्यास होना चाहिए।
- परीक्षा: अभ्यास और प्रक्रिया, प्रारूपण, व्यावसायिक नैतिकता और अग्रणी मामलों जैसे विषयों को कवर करने वाली 3 घंटे की परीक्षा। उत्तीर्ण होने के लिए, वकील को प्रत्येक विषय में कम से कम 50% के साथ न्यूनतम 60% (400 में से 240) अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

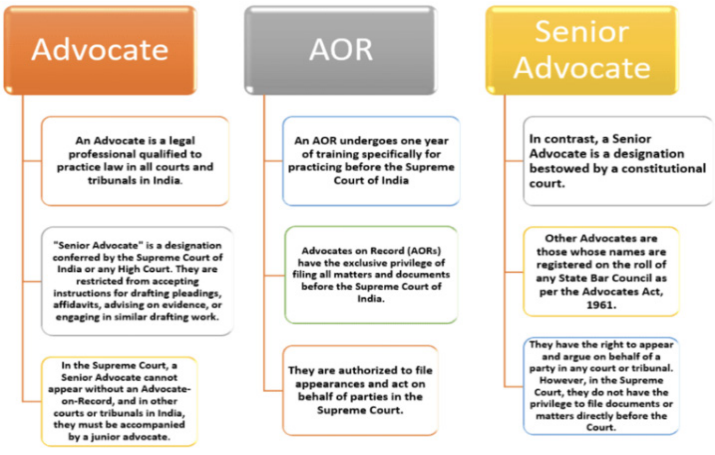

अन्य आवश्यकताएं

- किसी AoR का दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के 16 किलोमीटर के दायरे में एक कार्यालय होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, उन्हें AoR के रूप में पंजीकृत होने के एक महीने के भीतर एक पंजीकृत क्लर्क को नियुक्त करना आवश्यक है।

AoR प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियम:

- संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट को मामलों की सुनवाई के लिए नियम बनाने और अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 विशिष्ट पात्रता मानदंड और एक कठोर परीक्षा की रूपरेखा तैयार करता है जिसे एक वकील को AoR बनने के लिए पास करना होगा।
- भारत में AoR प्रणाली कुछ हद तक बैरिस्टर और सॉलिसिटर की ब्रिटिश प्रथा पर आधारित है, जिसमें AoR सॉलिसिटर के समकक्ष के रूप में कार्य करता है।
- बैरिस्टर आम तौर पर अदालत में मामलों पर बहस करते हैं, जबकि वकील ग्राहकों के मामलों को संभालते हैं।
- भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायालय द्वारा नामित किया जाता है और उनके पास एक अलग गाउन होता है। वे सीधे तौर पर ग्राहकों से आग्रह नहीं कर सकते हैं और आम तौर पर AoR जैसे अन्य वकीलों द्वारा उन्हें जानकारी दी जाती है।

पृष्ठभूमि

- AoR प्रणाली मोटे तौर पर बैरिस्टर और सॉलिसिटर की ब्रिटिश प्रथा पर आधारित है।
- जबकि बैरिस्टर काला गाउन और विग पहनते हैं और मामलों पर बहस करते हैं, वकील ग्राहकों से मामले लेते हैं।
- संघीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के औपनिवेशिक पूर्ववर्ती, "एजेंट" मामले उठाते थे जबकि बैरिस्टर बहस करते थे।
- उच्च न्यायालयों में, बहस करने वाले वकीलों को वकील कहा जाता था। भारत में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायालय द्वारा नामित किया जाता है और वे एक विशिष्ट गाउन पहनते हैं।
- बैरिस्टरों की तरह, वे ग्राहकों से आग्रह नहीं कर सकते हैं और उन्हें केवल अन्य वकीलों द्वारा जानकारी दी जाती है, उदाहरण के लिए, एक AoR.

घरेलू हिंसा अधिनियम

खबरों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि क्या एक ट्रांसजेंडर महिला जिसने लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (DV अधिनियम) के तहत रखरखाव का दावा कर सकती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा। यदि न्यायालय यह मानता है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं DV अधिनियम के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं, तो यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत होगी। इससे यह संदेश भी जाएगा कि ट्रांसजेंडर महिलाएं भी जैविक महिलाओं की तरह ही घरेलू हिंसा से सुरक्षा की हकदार हैं।
- हालाँकि, यदि न्यायालय यह मानता है कि DV अधिनियम ट्रांसजेंडर महिलाओं पर लागू नहीं होता है, तो यह भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह ट्रांसजेंडर महिलाओं को बिना किसी कानूनी सहारा के घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील बना देगा।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय संसद द्वारा अपने घरों की सीमा के भीतर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा की बढ़ती चिंताओं को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम ने घरेलू दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए विशिष्ट कानून की आवश्यकता को मान्यता दी।

विशेषताएँ

- अधिनियम मोटे तौर पर घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है, जिसमें घरेलू क्षेत्र के भीतर शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल है।
- यह पीड़िता और उसके आश्रितों की सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न सुरक्षा आदेश, जैसे सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और मौद्रिक राहत प्रदान करता है।
- अधिनियम पीड़ितों को तत्काल राहत पाने का अधिकार देता है, जिसमें साझा घर में रहने का अधिकार और दुर्व्यवहार करने वाले को उसे बेदखल करने से रोकना शामिल है।

- अधिनियम पीड़ितों के लिए परामर्श और सहायता सेवाओं पर जोर देता है, जिससे उनकी शारीरिक और भावनात्मक भलाई सुनिश्चित होती है।
- पीड़ित अदालत में अपने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और सहायता के हकदार हैं।

महत्व

- घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना।
- इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, घरों के भीतर सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देता है।
- हिंसा और भय से मुक्त जीवन जीने के लिए महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देता है।
- पीड़ितों के आर्थिक और भावनात्मक पुनर्वास की सुविधा प्रदान करता है।

अधिनियम को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम, जिनमें शामिल हैं:

- घरेलू हिंसा के मामलों को संभालने के लिए विशेष पुलिस सेल की स्थापना।
- अधिनियम के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- पीड़ितों को तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए परामर्श केंद्र और हेल्पलाइन स्थापित करना।
- कानून प्रवर्तन अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को अधिनियम की बारीकियों के बारे में प्रशिक्षण देना।

चुनौतियां

- कई महिलाएं अपने अधिकारों और अधिनियम के प्रावधानों से अनजान हैं।
- सामाजिक कलंक के डर के कारण सामाजिक दृष्टिकोण अक्सर महिलाओं को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करते हैं।
- कुछ मामलों में, अधिनियम के कार्यान्वयन को कानूनी और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- दुर्व्यवहार करने वाले पर आर्थिक निर्भरता कभी-कभी पीड़ितों को कानूनी सहारा लेने से रोकती है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए आगे का रास्ता

- महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
- पीड़ितों की सहायता करने और एक सहायक वातावरण बनाने के लिए स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करें।
- घरेलू हिंसा के मामलों को संवेदनशीलता से संभालने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करें।
- अधिनियम के कार्यान्वयन का लगातार आकलन करें और उभरते मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक कानूनी सुधार करें।

बिहार विधानसभा ने जातिगत कोटा बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया

खबरों में क्यों?

बिहार विधानसभा ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) कोटा के साथ, यह विधेयक बिहार में आरक्षण को 75% तक बढ़ा देगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से कहीं अधिक है।
- शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण में समान वृद्धि प्रदान करने वाले विधेयक, जो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए थे, को भी विधानसभा में ध्वनि मत के माध्यम से सर्वसम्मति से पारित किया गया।

भारत में आरक्षण

- मौजूदा निर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 16.66%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 25.84% प्रतिशत निर्धारित है।
- संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 राज्य (यानी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- राज्यों में EWS को आरक्षण या नियुक्ति दी जाए या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार को करना है।
- 1992 के आदेश के बाद से, कई राज्यों ने 50% सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए हैं, जिनमें हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।
- इनमें से कई राज्यों द्वारा बनाए गए कानून या तो रुके हुए हैं या कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 16: यह सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है लेकिन अपवाद के रूप में राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण प्रदान कर सकता है जिसका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

- अनुच्छेद 16 (4A): प्रावधान करता है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है यदि उन्हें राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 335: यह मानता है कि सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करने के लिए विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें बराबर लाया जा सके।
- भारत के संविधान का 103वां संशोधन: संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई।

पक्ष में तर्क

- जाति-आधारित आरक्षण सामाजिक अन्याय की जड़ों को संबोधित करता है - और इसे आर्थिक स्थिति-आधारित आरक्षण द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
- संविधान निर्देशक सिद्धांतों के साथ मौलिक अधिकारों की संलग्नता में वास्तविक समानता की प्राप्ति का आदेश देता है।
- यह एक रूढ़िवादी धारणा है कि एससी और एसटी से प्राप्त पदोन्नति कुशल नहीं है या उन्हें नियुक्त करने से दक्षता कम हो जाती है।
- आरक्षण और यहां तक कि पदोन्नति देने का मुख्य कारण यह है कि सरकार के उच्च पदों पर SC/ST उम्मीदवार बहुत कम हैं।

आरक्षण के खिलाफ बहस

- आरक्षण आरक्षित उम्मीदवारों को अनुचित लाभ प्रदान करके योग्यता और वास्तविक प्रतिभा को हतोत्साहित करता है।
- कई लोग जाति-आधारित हाशिए पर गरीबी को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के लिए पात्र मानते हैं।
- आरक्षण केवल शुरुआत में समान स्तर के लिए मौजूद होना चाहिए; उन्हें उच्च पदों/पदोन्नति के लिए बंद किया जाना चाहिए।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों के आर्थिक रूप से संपन्न सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए।
- आरक्षित उम्मीदवारों के लिए कम कटऑफ और पात्रता मानदंड किसी संस्थान या संगठन की समग्र क्षमता को कम कर देते हैं।
- शिक्षा और सार्वजनिक सेवा में निरंतर आरक्षण केवल एक अस्थायी उपाय था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान स्थापित किया है कि राज्यों को सेवा के एक विशेष कैडर में SC और एसटी के प्रतिनिधित्व पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा और उस डेटा के आधार पर प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में निर्णय लेना होगा।
- प्रतिनिधित्व के अनुसार सकारात्मक भेदभाव समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक असमानताओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बन सकता है, लेकिन ऐसी प्रणालियों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए और उन्हें फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए।
- सबसे स्पष्ट सुधार अपेक्षाकृत धनी लाभार्थियों की संख्या को कम करना होगा।

CBI का क्षेत्राधिकार और सीमाएँ

खबरों में क्यों?

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अपनी खुद की बॉस है और मामलों के पंजीकरण, जांच और अभियोजन में केंद्र सरकार का जांच एजेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं है।

महत्वपूर्ण बिंदु

CBI के बारे में

- यह भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। यह एक विशिष्ट शक्ति है जो सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के संरक्षण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभा रही है।
- यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।
- CBI, भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के तहत कार्य करती है।
- लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों के लिए CBI सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति है।
- इतिहास: सीबीआई की उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (SPE) से होती है जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
- तब SPE का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेनदेन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना था।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में लागू किया गया था।
- डीएसपीई ने अपना लोकप्रिय वर्तमान नाम, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) गृह मंत्रालय के एक संकल्प दिनांक 1.4.1963 के माध्यम से प्राप्त किया।

शक्ति और जनादेश

- CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अधिनियम की धारा 2 DSPE को केवल केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।
- हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5(1) के तहत अधिकार क्षेत्र को रेलवे क्षेत्रों और राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति प्रदान करे।
- सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के सीबीआई के कार्यकारी अधिकारी जांच के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी की सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
- अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान केवल उन मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

भूमिका

- चूंकि पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई ने निष्पक्षता और सक्षमता के लिए प्रतिष्ठा स्थापित की है, इसलिए उससे हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध आदि जैसे पारंपरिक अपराध के अधिक मामलों की जांच करने की मांग की गई थी।
- प्रारंभ में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अपराध केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित थे।
- कालांतर में, बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के साथ, इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी सीबीआई के दायरे में लाया गया।
- इसी तरह, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मचारी भी सीबीआई के दायरे में आ गए।
- इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी पीड़ित पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर ऐसे मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपना शुरू कर दिया।
- सीबीआई के पास हाई प्रोफाइल पारंपरिक अपराधों, आर्थिक अपराधों, बैंकिंग धोखाधड़ी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले अपराधों से निपटने का भी अनुभव है।
- CBI को ICPO-इंटरपोल के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है।

नवीनतम उपलब्धियाँ

- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपने 'चक्र-II' ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, भारतीयों को निशाना बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी से जुड़े दो और मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है; और एक साइबर-सक्षम प्रतिरूपण रैकेट जिसमें सिंगापुर के नागरिकों को धोखा दिया गया था।

मुद्दे और आलोचना

- एजेंसी विश्वसनीयता के ऐसे संकट से जूझ रही है।
- इसके कार्यों और निष्क्रियताओं ने कुछ मामलों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।
- CBI में भ्रष्ट अधिकारियों के ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार के हाथों में लचीले हो जाते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने [2013 में] इसे "पिंजरे में बंद तोता" कहा था।
- CBI के पास दर्ज मामलों का विवरण, उनकी जांच में हुई प्रगति और अंतिम परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं।
- कुछ राज्यों ने आरोप लगाया कि CBI पूर्व सहमति के बिना राज्य में कई मामलों की जांच कर रही है और FIR दर्ज कर रही है।

भारत में व्यभिचार

खबरों में क्यों?

गृह मामलों की संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 को बदलने के लिए प्रस्तावित कानून, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में व्यभिचार को एक अपराध के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- संसदीय समिति ने IPC, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करने वाले तीन विधेयकों पर रिपोर्ट को अपनाया।
- भाजपा के राज्यसभा सदस्य बृज लाल की अध्यक्षता वाले पैनल ने, जिसने इस अगस्त 2023 में संसद में पेश किए जाने के बाद विधेयकों की जांच की, 50 से अधिक बदलावों का सुझाव दिया और उनमें कई त्रुटियों को चिह्नित किया।
- भारत में व्यभिचार: सामान्य तौर पर व्यभिचार को 'एक विवाहित व्यक्ति और उसके पति या पत्नी के अलावा किसी और के बीच यौन संबंध, यानी एक व्यक्ति जो उसकी पत्नी/पति नहीं है, के बीच यौन संबंध' के रूप में समझा जा सकता है। भारत में व्यभिचार कानून को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 द्वारा परिभाषित किया गया है।

भारत में व्यभिचार कानून का इतिहास

- व्यभिचार कानून, एक पूर्व-संवैधानिक कानून, 1860 में बनाया गया था।
- उस समय महिलाओं को अपने पतियों से स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं था और उन्हें अपने पतियों की संपत्ति या "संपत्ति" के रूप में माना जाता था।
- इसलिए, व्यभिचार को पति के खिलाफ अपराध माना गया, जिसके लिए वह अपराधी पर मुकदमा चला सकता था।
- 1837 में, भारत के विधि आयोग (लॉर्ड मैकाले के अधीन) ने आईपीसी के पहले मसौदे में व्यभिचार को अपराध के रूप में शामिल नहीं किया था।
- दूसरे विधि आयोग को कुछ संदेह हुआ और उसने सिफारिश की कि अपराध को आईपीसी से बाहर रखना अनुचित होगा और इसे बाद में शामिल किया गया।

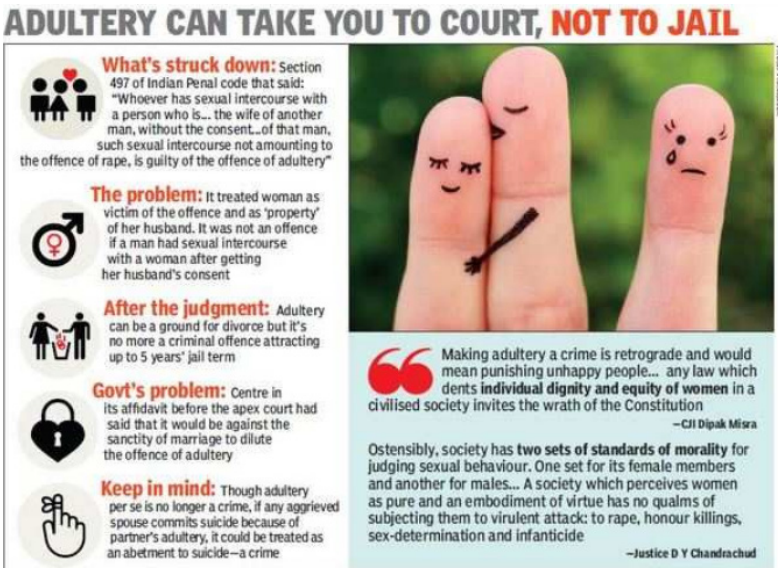

व्यभिचार पर अब कानूनी स्थिति क्या है?

- 2018 तक, आईपीसी में धारा 497 शामिल थी, जो व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में परिभाषित करती थी जिसमें पांच साल तक की कारागार या जुर्माना या दोनों हो सकते थे।
- हालाँकि, धारा 497 के तहत केवल पुरुषों को ही सज़ा दी जा सकती है, महिलाओं को नहीं।
- जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने सर्वसम्मति से आईपीसी की धारा 497 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसमें भेदभाव भी शामिल था।
- अदालत ने CrPC की धारा 198(2) को भी इस हद तक रद्द कर दिया कि यह धारा 497 के तहत व्यभिचार के अपराध पर लागू होती है।
- CrPC की धारा 198(2) कहती है कि कुछ मामलों में, अदालतें किसी मामले का संज्ञान केवल तभी ले सकती हैं जब पीड़ित पक्ष द्वारा संपर्क किया गया हो और, व्यभिचार के मामलों में, केवल पति को ही "पीड़ित" माना जाएगा।
- अदालत ने माना कि व्यभिचार को केवल तलाक के लिए वैध आधार माना जा सकता है और इसे आपराधिक अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

हाउस कमेटी ने क्या सिफारिश की है?

- समिति द्वारा अपनाई गई बीएनएस, 2023 पर रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध के रूप में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे लिंग-तटस्थ बनाया जाना चाहिए - अर्थात, पुरुषों और महिलाओं दोनों को इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए।
- संक्षेप में, रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि धारा 497 को भेदभाव के आधार पर रद्द कर दिया गया था, और इसे लिंग-तटस्थ बनाने से इस कमी को दूर किया जा सकेगा।

इसे क्यों गिराया गया?

प्रकृति में भेदभावपूर्ण:

- धारा 497 की भेदभावपूर्ण प्रकृति, और व्यभिचार के लिए केवल पुरुषों को दंडित करने में इसकी "प्रकट मनमानी", उन आधारों में से एक थी जिस पर अदालत ने प्रावधान को रद्द कर दिया था।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:

- धारा 497 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन थी:
- अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार - व्यभिचार पर केवल पुरुषों और महिलाओं पर मुकदमा चलाया गया और इसलिए, इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया;
- अनुच्छेद 15(1) - राज्य को लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है - कानून में केवल पतियों को ही पीड़ित पक्ष माना गया;
- अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा - इस कानून के तहत महिलाओं को अपने पति की संपत्ति माना गया, जो उनकी बुनियादी गरिमा के खिलाफ है।

महिलाओं की स्वायत्तता:

- अदालत ने मानवीय गरिमा के एक पहलू के रूप में महिलाओं की स्वायत्तता को रेखांकित किया।
- न्यायालय ने घोषणा की कि पति न तो अपनी पत्नी का स्वामी है, न ही उस पर उसकी कानूनी संप्रभुता है
- किसी महिला के साथ असम्मानजनक व्यवहार करने वाली कोई भी प्रणाली संविधान के क्रोध को आमंत्रित करती है।

कोई अपराध नहीं:

- इसके अलावा, व्यभिचार अपराध की अवधारणा में फिट नहीं बैठता है।
- यदि इसे अपराध माना जाता है, तो वैवाहिक क्षेत्र की अत्यधिक गोपनीयता में अत्यधिक घुसपैठ होगी।
- तलाक के लिए इसे एक आधार के रूप में छोड़ दिया जाना बेहतर है।

SHRIRAM UNIVERSITY EDUCATION XPERT "Right Access Get Success"

क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द किया जा सकता है?

- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सम्पूर्ण देश पर लागू होता है।
- संसद ऐसे कानून को आसानी से पारित नहीं कर सकती जो शीर्ष अदालत के फैसले का खंडन करता हो।
- हालाँकि, यह एक ऐसा कानून पारित कर सकता है जो अदालत के फैसले के आधार को हटा देता है।
- ऐसा कानून पूर्वव्यापी और भावी दोनों हो सकता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक, 2023 के बारे में:

- भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले पहले कानून आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी, 1860 में लागू हुई।
- भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 IPC को निरस्त और प्रतिस्थापित करेगा।
- बीएनएस विधेयक में मानहानि, महिलाओं के खिलाफ अपराध और आत्महत्या के प्रयास सहित मौजूदा प्रावधानों में कई बदलावों का प्रस्ताव है।
- जहां IPC में 511 धाराएं हैं, वहीं BNS बिल में 356 प्रावधान हैं।

आदर्श कारागार अधिनियम, 2023

खबरों में क्यों?

केंद्रीय गृह सचिव ने मई, 2023 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा था जिसमें 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' शामिल था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत में औपचारिक कारागार प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आकार लेना शुरू हुई।
- ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1799 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में भारत की पहली आधुनिक कारागार की स्थापना की।
- अंग्रेजों ने एक दंड व्यवस्था प्रणाली शुरू की और पूरे देश में जेलों की स्थापना की।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर कारागार, जिसका निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, का उपयोग राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया जाता था।
- 1894 का कारागार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने ब्रिटिश भारत में जेलों के प्रबंधन और प्रशासन के नियमों को रेखांकित किया।
- 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को अंग्रेजों द्वारा स्थापित कारागार व्यवस्था विरासत में मिली।
- 1894 का कारागार अधिनियम स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक काल में जेलों के प्रशासन को नियंत्रित करता रहा।
- कारागार सुधार पर मुल्ला समिति (1980) और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर समिति (1987) ने कारागार की स्थिति और प्रशासन में सुधार के लिए सिफारिशें कीं।
- 1894 के कारागार अधिनियम में संशोधन किया गया है, और राज्यों के पास अपने स्वयं के कारागार मैनुअल और नियम हैं।
- भारत में जेलों के अधीक्षण और प्रबंधन के लिए मॉडल कारागार मैनुअल पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा राज्यों के लिए कारागार प्रशासन में सुधार और सुधार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में तैयार किया गया था।
- कारागार प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी पेश करने के प्रयास किए गए हैं, जैसे कि E-कारागार परियोजना, जिसका उद्देश्य कारागार रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करना है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ, कैदियों के पुनर्वास और सुधार की ओर ध्यान केंद्रित हो गया है।
- कारागार प्रशासन में मानवाधिकार संबंधी विचारों और कैदियों के इलाज के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रमुखता मिली है।

आदर्श कारागार अधिनियम, 2023

- आधुनिक समय की जरूरतों और कारागार प्रबंधन की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिनियम को संशोधित और उन्नत करने की आवश्यकता महसूस की गई।
- इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा समकालीन आधुनिक जरूरतों और सुधारात्मक विचारधारा के अनुरूप, औपनिवेशिक युग के पुराने कारागार अधिनियम की समीक्षा और संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
- गृह मंत्रालय ने कारागार अधिनियम, 1894 में संशोधन का कार्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को सौंपा।
- ब्यूरो ने राज्य कारागार अधिकारियों, सुधारात्मक विशेषज्ञों आदि के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद एक मसौदा तैयार किया।
- कारागार अधिनियम, 1894 के साथ-साथ, 'कैदी अधिनियम, 1900' और 'कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950' की भी गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गई है और इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को 'आदर्श कारागार अधिनियम 2023' में समाहित किया गया है।

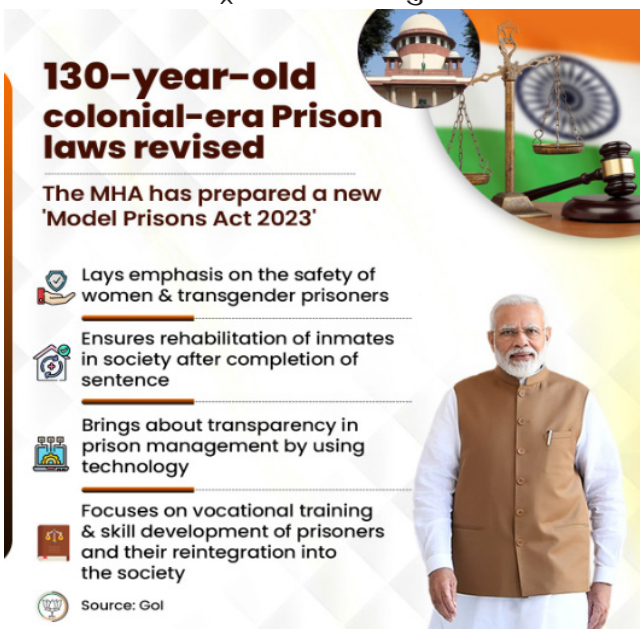

- राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन मॉडल कारागार अधिनियम, 2023 को अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे संशोधनों के साथ अपनाकर लाभ उठा सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझ सकते हैं, और अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूदा तीन अधिनियमों को निरस्त कर सकते हैं।

नए आदर्श कारागार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- सुरक्षा मूल्यांकन और कैदियों के पृथक्करण, व्यक्तिगत सजा योजना के लिए प्रावधान।
- शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन।
- महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर आदि के लिए अलग आवास की व्यवस्था।
- कारागार प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कारागार प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान।
- अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेप आदि का प्रावधान।
- जेलों में मोबाइल फोन आदि प्रतिबंधित वस्तुओं के इस्तेमाल पर कैदियों और कारागार कर्मचारियों के लिए सजा का प्रावधान।
- उच्च सुरक्षा कारागार, खुली कारागार (खुली एवं अर्ध खुली) आदि की स्थापना एवं प्रबंधन के संबंध में प्रावधान।
- दुर्दांत अपराधियों और आदतन अपराधियों आदि की आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा के लिए प्रावधान।
- अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए कैदियों को कानूनी सहायता, पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई आदि का प्रावधान।
- कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास और समाज में उनके पुन:एकीकरण पर ध्यान दें।

मॉडल अधिनियम का महत्व:

- मॉडल अधिनियम एक व्यापक दस्तावेज है जो कारागार प्रबंधन के सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करता है, जैसे सुरक्षा, संरक्षा, वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेप, कैदियों को अलग करना, महिला कैदियों के लिए विशेष प्रावधान, कारागार में कैदियों की आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना, अनुदान देना। कैदियों को पैरोल और छुट्टी, उनकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास आदि।
- मॉडल अधिनियम में कैदियों के सुधार, पुनर्वास और समाज में एकीकरण के लिए उचित प्रावधान हैं। इसमें संस्थागत देखभाल के अभिन्न अंग के रूप में 'कैदियों के लिए कल्याण कार्यक्रम' और 'पश्चात देखभाल और पुनर्वास सेवाओं' के प्रावधान भी हैं।
- यह कैदियों के वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन और मूल्यांकन द्वारा उन्हें अलग बैरकों/बाड़ों/कोठरियों में रखने का प्रावधान करता है।

अन्य कारागार सुधार

- कारागारों का आधुनिकीकरण योजना: कारागारों, कैदियों और कारागार कर्मियों की स्थिति में सुधार के लिए जेलों के आधुनिकीकरण की योजना 2002-03 में शुरू की गई थी।
- कारागारों का आधुनिकीकरण परियोजना (2021-26): सरकार ने जेलों की सुरक्षा बढ़ाने और सुधार और पुनर्वास के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए जेलों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए परियोजना के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- E-प्रिज़न परियोजना: E-प्रिज़न परियोजना का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से कारागार प्रबंधन में दक्षता लाना है।
- मॉडल कारागार मैनुअल 2016: मैनुअल कारागार कैदियों के लिए उपलब्ध कानूनी सेवाओं (मुफ्त सेवाओं सहित) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

कारागार व्यवस्था की चुनौतियाँ

कुछ प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं:

- भारत की कई जेलें अत्यधिक भीड़भाड़ से पीड़ित हैं। अधिक जनसंख्या के कारण रहने की स्थिति ख़राब हो सकती है, कैदियों के बीच तनाव बढ़ सकता है और अनुशासन बनाए रखने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।
- पुराना होना और अपर्याप्त कारागार बुनियादी ढांचा आम मुद्दे हैं। कैदियों को अपर्याप्त स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं के साथ खराब रखरखाव वाली सुविधाओं में रखा जा सकता है।
- कारागारों में अक्सर कर्मचारियों की कमी होती है, जिससे व्यवस्था बनाए रखने, पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने और पुनर्वास कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- सीमित संसाधनों और पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप कैदियों के लिए कौशल विकास के अवसरों की कमी होती है। इससे रिहाई पर समाज में उनके पुन: एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- कारागारों में बड़ी संख्या में व्यक्ति परीक्षण पूर्व हिरासत में हैं और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विलंबित न्याय और मामलों का ढेर कुछ व्यक्तियों को लंबे समय तक कारावास में रखने का कारण बनता है।
- किशोर न्याय प्रणाली को युवा अपराधियों के लिए उचित सुविधाएं और पुनर्वास प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ कारागार परिवेशों में किशोरों के वयस्कों के साथ घुलने-मिलने को लेकर चिंताएँ हैं।
- कारागार प्रणाली के भीतर, कर्मचारियों सहित, भ्रष्टाचार विभिन्न मुद्दों में योगदान दे सकता है, जिसमें कैदियों के बीच हिंसा और प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी शामिल है।
- कुछ मामलों में हिरासत में मौत, यातना और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच की कमी से संबंधित मुद्दों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूचना मिली है।

- कारागारों के भीतर सीमित शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर कैदियों की नए कौशल हासिल करने की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं जो उनके पुनर्वास और समाज में पुन: एकीकरण में सहायता कर सकते हैं।

चुनावी बांड योजना

खबरों में क्यों?

भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 2018 चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई शुरू करने वाली है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनावी बांड योजना के भीतर गुमनामी का सिद्धांत मौलिक 'जानने के अधिकार', 'सूचना के अधिकार' (अनुच्छेद 19) के एक प्रमुख घटक का खंडन करता है।
- जवाब में, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से तर्क दिया कि नागरिकों का सूचना का अधिकार उचित सीमाओं के अधीन है।

चुनावी बांड क्या हैं?

- चुनावी बांड 2017 में भारत सरकार द्वारा पेश किए गए ब्याज मुक्त "वाहक उपकरण" हैं। ये बांड वचन पत्र के रूप में कार्य करते हैं और मांग पर धारक द्वारा भुनाए जा सकते हैं। वे राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने में सक्षम बनाते हैं।

चुनावी बांड कैसे कार्य करते हैं?

- चुनावी बांड अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों के अधीन भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अधिकृत शाखाओं से 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के मूल्यवर्ग में खरीद के लिए उपलब्ध हैं। राजनीतिक दल इन बांडों को प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुना सकते हैं और चुनावी खर्चों के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं।

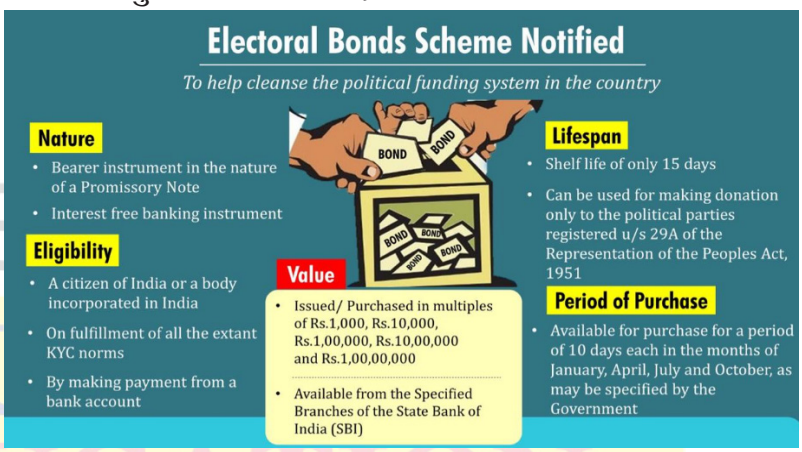

विंडोज़ खरीदें

- चुनावी बांड केवल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10-दिवसीय विंडो के दौरान खरीदे जा सकते हैं। इस सीमित उपलब्धता का उद्देश्य राजनीतिक दलों को धन के प्रवाह को विनियमित करना है।

पात्रता मापदंड

- चुनावी बांड का उपयोग केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। इन दलों को पिछले लोक सभा चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त होना चाहिए या विधान सभा।

चुनावी बांड के पीछे तर्क

- पिछला धन उगाहने का तरीका: भारतीय राजनीतिक दल पारंपरिक रूप से व्यक्तिगत नागरिकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं दोनों के वित्तीय योगदान पर निर्भर रहे हैं।
- इस पारंपरिक प्रणाली के तहत, दानदाताओं को इन नकद दान के स्रोत का खुलासा करने की बाध्यता के बिना किसी राजनीतिक दल को 20,000 रुपये तक नकद योगदान करने की अनुमति थी।
- इस सीमा से अधिक राशि के लिए, दान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना था, राजनीतिक दलों को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को प्रस्तुत रिपोर्ट में इन योगदानों के स्रोतों की घोषणा करने की आवश्यकता थी।
- नकद दान के मुद्दे: पारंपरिक धन उगाही प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष नकद दान का प्रचलन था। ECI को दानदाताओं का खुलासा करने की आवश्यकता से बचने के लिए, राजनीतिक दल कभी-कभी 20,000 रुपये से अधिक के दान को छोटी, कई राशियों में विभाजित करके नकद में स्वीकार करते हैं।
- नकद दान की इस प्रथा ने दानदाताओं को गुमनाम रहने की अनुमति दी और राजनीतिक व्यवस्था में बेहिसाब धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया।
- नकदी को हतोत्साहित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास: नकद दान से उत्पन्न चुनौतियों और पारदर्शिता की कमी के जवाब में, भारत सरकार ने चुनावी बांड तंत्र की शुरुआत की।
- इस कदम का उद्देश्य नकद योगदान पर निर्भरता को हतोत्साहित करना और राजनीतिक धन उगाहने में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
- दाताओं की गुमनामी का महत्व: चुनावी बांड प्रणाली के माध्यम से दाता की गुमनामी को बनाए रखने से नकद दान के प्रभाव में कमी आने और चुनावी फंडिंग की पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- इस बांड तंत्र के समर्थकों का तर्क है कि दाता प्रकटीकरण की आवश्यकता के किसी भी कदम के परिणामस्वरूप नकद योगदान के माध्यम से राजनीतिक गतिविधियों के वित्तपोषण की प्रथा का पुनरुत्थान हो सकता है।

चुनावी बांड की आलोचना

- पारदर्शिता को झटका: आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बांड भारतीय और विदेशी कंपनियों से असीमित, गुमनाम दान की अनुमति देकर राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में बाधा डालते हैं, जिससे संभावित रूप से चुनावी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
- दाता गुमनामी के मुद्दे: सिस्टम की दाता गुमनामी सुविधा पारदर्शिता के खिलाफ जाती है और नागरिकों के 'जानने के अधिकार' का उल्लंघन करती है। इसमें प्रभावी दाता ट्रैकिंग का अभाव है।
- धन विधेयक परिचय: 'धन विधेयक' के रूप में चुनावी बांड की शुरूआत राज्यसभा की जांच को नजरअंदाज करती है, जिससे प्रक्रिया की अखंडता के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- चुनाव आयोग की चिंता: चुनाव आयोग को चिंता है कि चुनावी बांड पारदर्शिता से समझौता कर सकते हैं और विदेशी कॉर्पोरेट प्रभाव को आमंत्रित कर सकते हैं। यह केवल राजनीतिक योगदान के लिए स्थापित की गई फर्जी कंपनियों की संभावना के बारे में चेतावनी देता है, जो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कमजोर करती हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनियाँ: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बार-बार चुनावी बांडों की अपारदर्शी प्रकृति और हस्तांतरणीयता के कारण काले धन के प्रचलन, मनी लॉन्ड्रिंग, सीमा पार जालसाजी और जालसाजी को बढ़ाने की क्षमता के बारे में आगाह किया है।

चुनावी फंडिंग सुधार के लिए आगे का रास्ता

- चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण: जर्मनी, जापान, कनाडा और स्वीडन जैसे देशों के सफल मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आंशिक राज्य वित्त पोषण पर विचार करें।
- राष्ट्रीय चुनावी कोष: एक राष्ट्रीय चुनावी कोष की स्थापना का अन्वेषण करें जहां सभी दानकर्ता योगदान कर सकें, जिसमें राजनीतिक दलों को उनके वोट शेयर के आधार पर धन आवंटित किया जा सके। यह दृष्टिकोण दाता की गुमनामी को सुरक्षित रखता है और राजनीतिक वित्तपोषण से काले धन को खत्म करने में मदद करता है।
- गुमनाम दान की सीमा: भारत के विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार, गुमनाम स्रोतों से प्राप्त दान की अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपये या किसी राजनीतिक दल की कुल फंडिंग का 20% लागू करें।
- नकद दान पर प्रतिबंध: 2000 रुपये से कम के दान के लिए वर्तमान भत्ते की जगह, व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को नकद दान पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करें।
- पार्टी खातों की लेखापरीक्षा: वेंकटचलैया समिति की रिपोर्ट (2002) में प्रस्तावित अनुसार, पार्टी की आय और व्यय की लेखापरीक्षा और खुलासा करने के लिए कठोर नियामक ढांचे स्थापित करें।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ: अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखें और उन्हें लागू करें, जैसे कि 1995 में कॉर्पोरेट फंडिंग पर फ्रांस का प्रतिबंध और व्यक्तिगत दान पर 6,000 यूरो की सीमा। कॉर्पोरेट फंडिंग से जुड़े भ्रष्टाचार घोटालों के जवाब में ब्राजील और चिली ने भी कॉर्पोरेट दान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

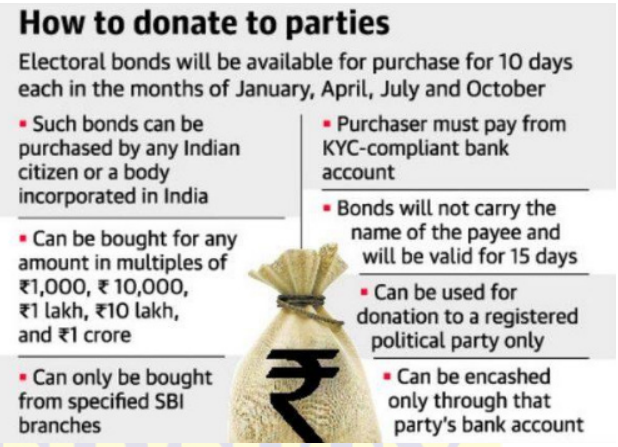

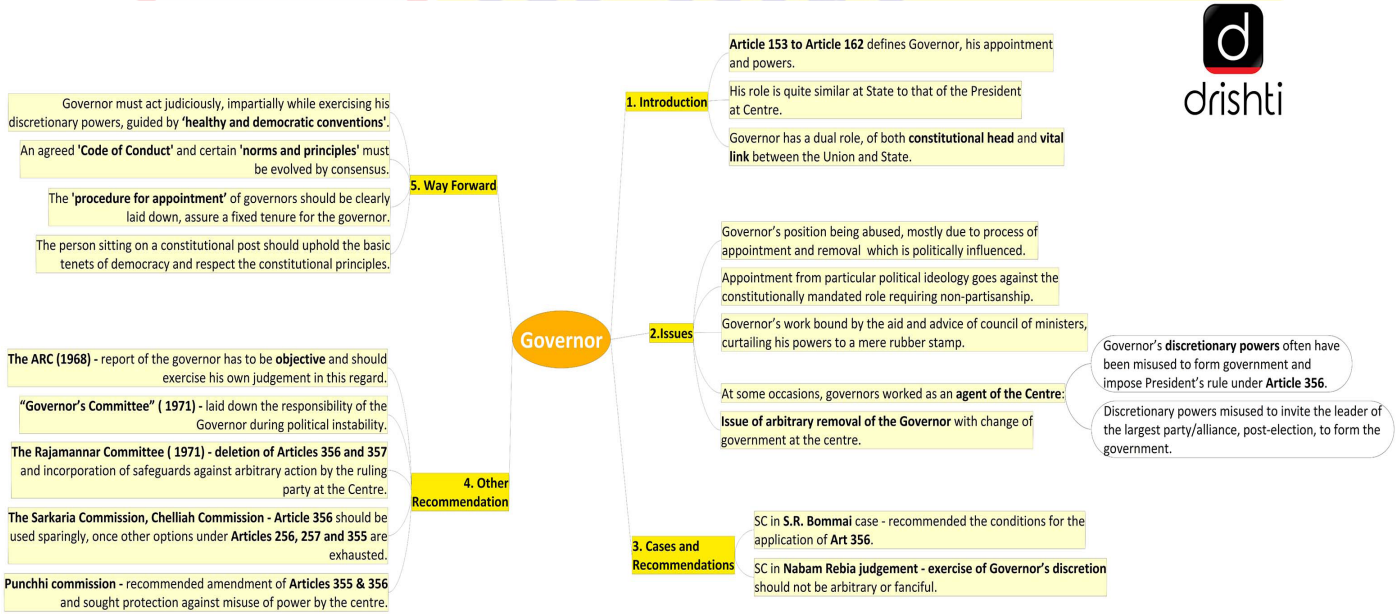

3 पर्यावरण और पारिस्थितिकी

गोवा में एक बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करना

खबरों में क्यों?

हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को तीन महीने के भीतर म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य (WLS) और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- न्यायालय ने राज्य को एक वर्ष के भीतर अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के अधिकारों और दावों का निर्धारण और निपटान करने का भी निर्देश दिया।
- गोवा सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
- गोवा फाउंडेशन ने गोवा में बॉम्बे HC के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की, जिसमें तीन महीने के भीतर एक बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए गोवा सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

पृष्ठभूमि

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत गठित वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा जारी 2014 की भारत में बाघों की स्थिति (सह-शिकारी और शिकार) रिपोर्ट, इस क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति के बारे में बताती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि गोवा के कोटिगाओ-महादेई वन परिसर में पांच संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं:
  - म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य,
  - भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान,
  - भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान,
  - नेत्रावली वन्य अभ्यारण्य और
  - कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य
- वे मिलकर 750 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के जंगलों को जोड़ने वाली एक सन्निहित बेल्ट बनाते हैं।
- इसमें आगे कहा गया है कि गोवा में लगभग तीन से पांच बाघों के साथ लगातार बाघों की मौजूदगी है।

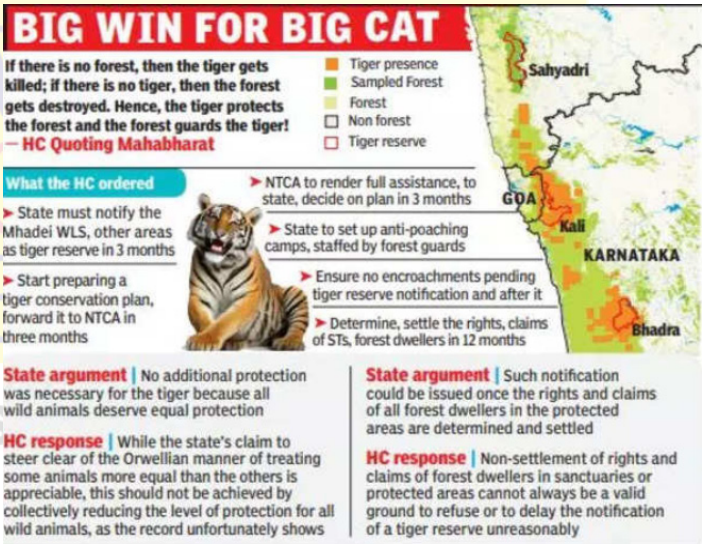

गोवा में बाघ अभयारण्य के प्रस्तावों की स्थिति

- 2011 में म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि गोवा में बाघ केवल क्षणिक जानवर नहीं हैं, बल्कि एक निवासी आबादी भी हैं।
- म्हादेई कर्नाटक के दक्षिण-पूर्व में भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके दक्षिण में अंशी डांडेली टाइगर रिजर्व से जुड़ा एक बाघ परिदृश्य है, जिसमें लगभग 35 बाघ हैं।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 2008 में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि गोवा के संरक्षित क्षेत्र और कर्नाटक और महाराष्ट्र में उनके निकटवर्ती जंगल संभवतः पश्चिमी घाट क्षेत्र में सबसे अच्छे संभावित बाघ आवासों में से कुछ हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है।

NTCA की सिफ़ारिशें

- राज्य सरकार बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करेगी:
- 2016 में, एनटीसीए ने सिफारिश की कि राज्य सरकार को कोटिगाओ-म्हादेई वन परिसर में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करना चाहिए।
- अगले 18 महीनों में, वन विभाग ने रिज़र्व के लिए एक अस्थायी नक्शा तैयार किया - जिसमें मुख्य क्षेत्र के रूप में कुछ मानव बस्तियों के साथ बड़े पैमाने पर अबाधित क्षेत्र शामिल हैं, जो इसका सबसे संरक्षित क्षेत्र है।

एक विशेष बाघ सुरक्षा बल:

- क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए 'विशेष बाघ सुरक्षा बल' जैसे सख्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

संरक्षित क्षेत्रों का सीमांकन करने वाला मानचित्र:

- 2018 में एक मसौदा प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि पश्चिमी घाट में मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में सन्निहित वन आवास को कोर जोन के रूप में सीमांकित करने के लिए एक नक्शा तैयार किया गया है।
- मुख्य गांवों और मानव बस्तियों को इस क्षेत्र से बाहर रखा जाना था और जहां तक संभव हो, प्रस्तावित बफर जोन में रखा जाना था।
- प्रस्तावित मानचित्र में कहा गया है कि 745.18 वर्ग किलोमीटर संरक्षित क्षेत्रों में से 578.33 वर्ग किलोमीटर को कोर जोन और 166.85 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

गोवा सरकार की दलीलें:

- WPA अनुभाग अनिवार्य नहीं है: NTCA की सिफारिशों का हवाला देते हुए, राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38-V (1) के प्रावधान केवल निर्देशिका थे और अनिवार्य नहीं थे।
- वनवासियों के अधिकारों को पहले निपटाने की जरूरत: सरकार ने कहा कि वह इस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के विरोध में नहीं है, लेकिन आगे का अध्ययन आवश्यक है और इस तरह के कदम उठाने से पहले वनवासियों के अधिकारों को पूरी तरह से निपटाने की जरूरत है। वनवासियों के अधिकारों और दावों के निपटान के बिना इन क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में प्रस्तावित करना समय से पहले हो सकता है और व्यापक सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और मानव-बाघ संघर्ष को और बढ़ाएगा।
- बाघ के लिए कोई अलग सुरक्षा आवश्यक नहीं: राज्य द्वारा प्रस्तुत एक और तर्क यह था कि संरक्षित क्षेत्रों में सभी वनस्पतियों और जीवों के लिए बाघ अभयारण्य के समान सुरक्षा का आनंद लिया जाता है और बाघ के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी जंगली जानवर समान सुरक्षा के हकदार थे।

पश्चिमी अंटार्कटिका में तेजी से पिघल रही बर्फ

खबरों में क्यों?

एक नए अध्ययन के अनुसार, चाहे कार्बन उत्सर्जन कितना भी कम हो जाए, आसपास के गर्म पानी के कारण पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की शेल्फ का तेजी से पिघलना अब अपरिहार्य है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- '21वीं सदी में पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ-शेल्फ के पिघलने में अपरिहार्य भविष्य में वृद्धि' शीर्षक वाला अध्ययन, पिछले सप्ताह नेचर में प्रकाशित हुआ था।
- यदि बर्फ की शेल्फ पूरी तरह से पिघल गई, तो इससे वैश्विक औसत समुद्र स्तर 5.3 मीटर (17.4 फीट) बढ़ जाएगा।
- यदि ऐसा होता है, तो भारत सहित दुनिया भर के कमजोर तटीय शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

बर्फ की शेल्फ क्या है?

- बर्फ की शेल्फ हिमानी बर्फ का एक समूह है जो लगभग उत्तराखंड के आकार की 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को कवर करती है।
- आज, ग्रह पर दो बड़ी बर्फ की शेल्फ हैं: ग्रीनलैंड की बर्फ की शेल्फ और अंटार्कटिक बर्फ की शेल्फ।
- उनमें ग्रह पर मौजूद मीठे पानी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा मौजूद है।
- इसका मतलब यह है कि जैसे-जैसे बर्फ की चादरों का द्रव्यमान बढ़ता है, वे वैश्विक औसत समुद्र स्तर में कमी में योगदान करते हैं, जबकि द्रव्यमान खोने से वैश्विक औसत समुद्र स्तर में वृद्धि में योगदान होता है।

पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के पिघलने की दर

- बर्फ की शेल्फ विभिन्न तरीकों से पिघलती हैं। इनमें से एक तब होता है जब गर्म समुद्र का पानी बर्फ को पिघला देता है, जो तैरती हुई बर्फ की शेल्फ की सीमाएँ होती हैं।
- जब बर्फ की शेल्फ पतली हो जाती है या गायब हो जाती है, तो ग्लेशियर तेजी से बढ़ते हैं, जिससे अधिक बर्फ सीधे समुद्र में गिरती है और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है।
- समुद्री बर्फ, ध्रुवीय क्षेत्रों को घेरने वाली मुक्त-तैरती बर्फ और बर्फ की शेल्फ से अलग होती है।
- पश्चिमी अंटार्कटिका में भी यही हो रहा है।
- दशकों से, क्षेत्र की बर्फ की परतें कम हो रही हैं, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, और बर्फ की शेल्फ सिकुड़ गई है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- अध्ययन में भविष्य में पश्चिम अंटार्कटिका सागर के गंभीर और व्यापक रूप से गर्म होने के साथ-साथ बर्फ की परतों के अधिक पिघलने की भी भविष्यवाणी की गई है।
- इससे निश्चित रूप से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, जिससे भारत सहित दुनिया भर के तटीय शहर प्रभावित होंगे।

- भारत अपनी विशाल तटरेखा और घनी आबादी के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील है।
- यदि तटीय समुदाय समुद्र के बढ़ते स्तर, जैसे कि दीवारें खड़ी करने से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो निवासियों को स्थानांतरित होना होगा या शरणार्थी बनना होगा।

क्या कोई उम्मीद बची है?

- हालांकि निष्कर्ष निराशाजनक हैं, रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयासों को रोकना नहीं चाहिए।
- विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम अंटार्कटिक की पिघलती बर्फ की चादर, समुद्र के स्तर में वृद्धि का सिर्फ एक घटक है, जो जलवायु परिवर्तन का सिर्फ एक प्रभाव है।

अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023

खबरों में क्यों?

2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट COP26 में किए गए वादों के विपरीत, विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन वित्त में 15% की गिरावट पर प्रकाश डालती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- UNEP की अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2023: जलवायु अनुकूलन पर कम तैयारी अपर्याप्त निवेश और योजना के कारण दुनिया उजागर हो रही है कि जलवायु अनुकूलन पर प्रगति धीमी हो रही है जबकि इन बढ़ते जलवायु परिवर्तन प्रभावों को पकड़ने के लिए इसमें तेजी लानी चाहिए।
- सार्वजनिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों ने 2025 तक अनुकूलन वित्त सहायता को दोगुना कर 40 बिलियन डॉलर सालाना करने की अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद 2021 में फंडिंग को घटाकर लगभग 21 बिलियन डॉलर कर दिया है।

अनुकूलन वित्तपोषण

- अनुकूलन वित्तपोषण से तात्पर्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए धन के प्रवाह से है।
- यह व्यापक जलवायु वित्त परिदृश्य का एक प्रमुख तत्व है जिसमें शमन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए) और अनुकूलन (जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जो पहले से ही हो रहे हैं या होने की उम्मीद है) दोनों में निवेश शामिल है।

रिपोर्ट के बारे में

- अनुकूलन गैप रिपोर्ट (AGR) एक वार्षिक UNEP प्रमुख प्रकाशन है।
- UNEP द्वारा 2014 से प्रत्येक वर्ष अनुकूलन गैप रिपोर्ट (AGR) प्रकाशित की जाती है।
- रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य UNFCCC सदस्य देशों के वार्ताकारों और व्यापक UNFCCC निर्वाचन क्षेत्र को वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर जलवायु अनुकूलन की स्थिति और रुझानों के बारे में सूचित करना है।
- AGR प्रमुख जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं और निर्णय निर्माताओं को विज्ञान-आधारित विकल्पों का एक सेट भी प्रदान करता है।
- 2014 के बाद से, UNEP ने UNFCCC प्रक्रिया के तापमान और अनुकूलन लक्ष्यों के संदर्भ में पर्याप्त अनुकूलन प्रतिक्रिया की सुविधा के उद्देश्य से अनुकूलन अंतर का विज्ञान-आधारित आकलन तैयार किया है।
- अनुकूलन अंतर वास्तव में कार्यान्वित अनुकूलन और समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बीच का अंतर है, जो बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन प्रभावों से संबंधित प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित होता है, और संसाधन सीमाओं और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

इस वर्ष की रिपोर्ट में नया क्या है?

- रिपोर्ट जो अनुकूलन कार्यों की योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन में प्रगति को देखती है, यह पाती है कि विकासशील देशों की अनुकूलन वित्त आवश्यकताएं अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त प्रवाह से 10-18 गुना बड़ी हैं। यह पिछली सीमा के अनुमान से 50 प्रतिशत अधिक है।
- इस दशक में विकासशील देशों में अनुकूलन की अनुमानित लागत प्रति वर्ष 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- घरेलू अनुकूलन प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए आवश्यक अनुकूलन वित्त प्रति वर्ष 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है।
- इन जरूरतों के बावजूद, विकासशील देशों में सार्वजनिक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अनुकूलन वित्त प्रवाह 2021 में 15 प्रतिशत घटकर 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- बढ़ती अनुकूलन वित्त आवश्यकताओं और लड़खड़ाते प्रवाह के परिणामस्वरूप, वर्तमान अनुकूलन वित्त अंतर अब प्रति वर्ष 194-366 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- साथ ही, अनुकूलन योजना और कार्यान्वयन स्थिर प्रतीत होता है।
- अनुकूलन में इस विफलता का नुकसान और नुकसान पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए।

जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण की दिशा में वैश्विक प्रयास क्या हैं?

अंतर्राष्ट्रीय समझौते और प्रतिबद्धताएँ

- 2015 में अपनाए गए पेरिस समझौते में सभी पक्षों को अनुकूलन प्रयासों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है और अनुकूलन और शमन वित्तपोषण के बीच संतुलन का आह्वान किया गया है।
- UNFCCC के ढांचे के भीतर स्थापित ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), अनुकूलन और शमन प्रथाओं में सहायता के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों को धन हस्तांतरित करने के प्राथमिक तंत्रों में से एक है।

जलवायु सम्मेलन और प्रतिज्ञाएँ

- वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) एक मंच के रूप में कार्य करते हैं जहां देश जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तपोषण सहित प्रतिबद्धताओं पर चर्चा और बातचीत करते हैं।
- ग्लासगो में COP26 में 2019 के स्तर से 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करने की प्रतिज्ञा इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों में की गई प्रतिबद्धताओं का एक उदाहरण है।

बहुपक्षीय विकास बैंक (MDB)

- विश्व बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे संस्थान ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराते हैं।

द्विपक्षीय सहायता

- विकसित देश अक्सर द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से विकासशील देशों को सीधे या यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) या UK के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) जैसी एजेंसियों के माध्यम से अनुकूलन वित्तपोषण प्रदान करते हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

- अनुकूलन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की आवश्यकता को तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। निजी निवेशकों को शामिल करने के प्रयासों में हरित बांड, बीमा योजनाएँ और सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल हैं।

राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ और रणनीतियाँ

- विकासशील देशों को राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ (NAP) बनाने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो उनकी प्राथमिकता अनुकूलन आवश्यकताओं को स्पष्ट करती हैं।

तकनीकी हस्तांतरण

- यूएनएफसीसीसी के तहत प्रौद्योगिकी तंत्र का उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी और जानकारी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है।

क्षमता-निर्माण और ज्ञान साझा करना

- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नेटवर्क जलवायु प्रभावों के लिए योजना बनाने और प्रतिक्रिया देने के लिए विकासशील देशों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- पहल में ज्ञान विनिमय कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं।

नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्र

- नए वित्तीय उपकरण और तंत्र विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो अनुकूलन के लिए अतिरिक्त धन का लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि जलवायु जोखिम बीमा, आपदा बांड और लचीलापन बांड।

सिविल सोसायटी और NGO सहभागिता

- गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन अनुकूलन वित्त के प्रभावी उपयोग की वकालत, परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अनुकूलन वित्तपोषण के लाभ

- भेद्यता को कम करना: अनुकूलन वित्तपोषण समुदायों, क्षेत्रों और देशों को चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र-स्तर में वृद्धि और अन्य जलवायु-संबंधी जोखिमों के प्रति उनकी भेद्यता को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीला बनने में मदद करता है।
- लागत-प्रभावशीलता: जलवायु प्रभावों की पूरी लागत वहन करने की तुलना में अनुकूलन उपायों में निवेश करना लंबी अवधि में काफी अधिक लागत-प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए, बाढ़ सुरक्षा का निर्माण करना बाढ़ से होने वाली अनिर्धारित क्षति के परिणामस्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान की तुलना में बहुत कम महंगा है।
- सतत विकास: प्रभावी अनुकूलन यह सुनिश्चित करके सतत विकास में योगदान देता है कि विकास परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में जलवायु जोखिमों का ध्यान रखा जाता है।
- खाद्य सुरक्षा: कृषि में अनुकूलन वित्तपोषण अधिक लचीली कृषि पद्धतियों और फसल की किस्मों को विकसित करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है जो बदलती जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं।

- जैव विविधता की रक्षा: अनुकूलन कार्यों के वित्तपोषण से उन पारिस्थितिक तंत्रों और जैव विविधता की रक्षा करने में मदद मिल सकती है जो जलवायु परिवर्तन से खतरे में हैं, और मानवता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बनाए रखा जा सकता है।
- स्वास्थ्य लाभ: सार्वजनिक स्वास्थ्य में जलवायु अनुकूलन के उपाय जलवायु-संवेदनशील बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों के बोझ को कम कर सकते हैं, और समुदायों को चरम मौसम की घटनाओं के स्वास्थ्य प्रभावों से बचा सकते हैं।
- आर्थिक स्थिरता: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके, अनुकूलन वित्त कमजोर क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता में योगदान कर सकता है, जिससे आजीविका के नुकसान और विस्थापन को रोकने में मदद मिल सकती है।
- बुनियादी ढांचे का लचीलापन: अनुकूलन वित्त के साथ लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण यह सुनिश्चित कर सकता है कि सड़कें, इमारतें और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर सकते हैं।
- वैश्विक सहयोग: अनुकूलन वित्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें अक्सर विकसित और विकासशील देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक समुदाय के बीच साझेदारी शामिल होती है।

अनुकूलन वित्तपोषण में चुनौतियाँ

- अपर्याप्त धनराशि: वर्तमान में जलवायु अनुकूलन के लिए जो राशि आवंटित की जा रही है वह आवश्यकता से काफी कम है, खासकर सबसे कमजोर देशों में।
- अधूरी प्रतिज्ञाएँ: विकसित देश अक्सर अपने वित्तपोषण वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे अनुकूलन पहल के लिए अप्रत्याशितता और अपर्याप्त वित्तीय प्रवाह होता है।
- अनुकूलन और शमन वित्तपोषण के बीच असंतुलन: कई कमजोर क्षेत्रों के लिए अनुकूलन के बढ़ते महत्व के बावजूद, जलवायु वित्त के आवंटन में अनुकूलन की तुलना में शमन के पक्ष में एक महत्वपूर्ण असंतुलन है।
- जटिल पहुंच प्रक्रियाएं: अनुकूलन निधि तक पहुंच जटिल और नौकरशाही हो सकती है, जिससे विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

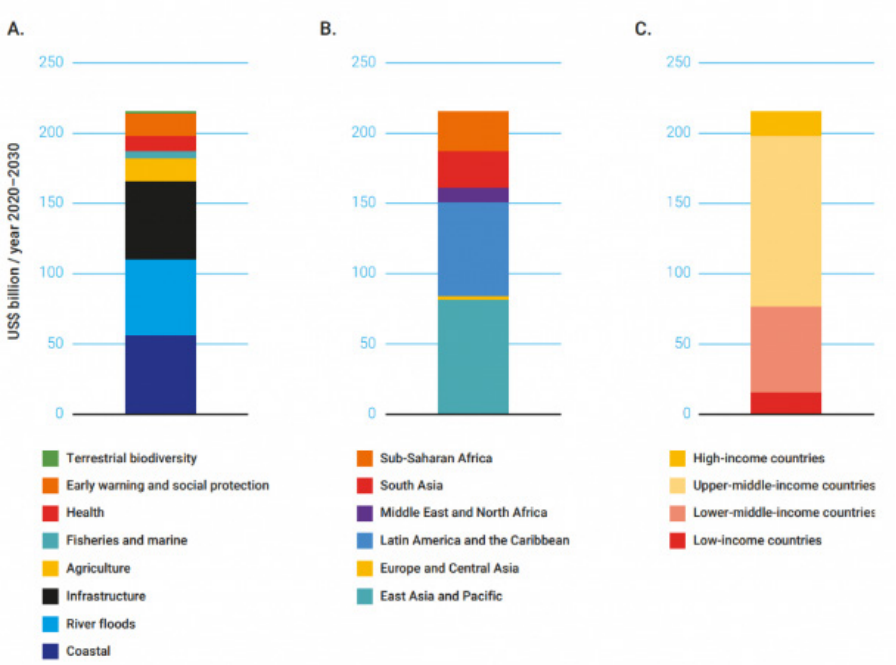

- निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव: अनुकूलन परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने में एक चुनौती है, जिन्हें अक्सर नवीकरणीय ऊर्जा जैसी शमन परियोजनाओं की तुलना में कम लाभदायक माना जाता है।
- योजना बनाने और लागू करने की सीमित क्षमता: विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं की प्रभावी ढंग से योजना बनाने, आवेदन करने और लागू करने के लिए आवश्यक संस्थागत और तकनीकी क्षमताओं की कमी हो सकती है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: अनुकूलन वित्त का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएं हैं, जिससे अक्षमताएं और भ्रष्टाचार हो सकता है।
- जलवायु और आर्थिक झटके: वैश्विक आर्थिक मंदी, महामारी, या बड़े पैमाने पर जलवायु आपदाएं अचानक ध्यान और संसाधनों को दीर्घकालिक अनुकूलन आवश्यकताओं से दूर कर सकती हैं।
- अनुकूलन परिणामों को मापना: अनुकूलन हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को मापना चुनौतीपूर्ण है, जिससे धन के आवंटन का आकलन करना और उचित ठहराना मुश्किल हो जाता है।
- विकास में अनुकूलन को एकीकृत करना: व्यापक विकास रणनीतियों और वित्तीय नियोजन में अनुकूलन के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता है, जिसे हासिल करना मुश्किल हो गया है।

पर्यावरण DNA

खबरों में क्यों?

CCMB की एक शाखा, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला (LaCONES) के शोधकर्ताओं ने पर्यावरणीय DNA (eDNA) का उपयोग करके पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का आकलन करने के लिए एक उपन्यास विधि विकसित की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पर्यावरण DNA (eDNA) पानी, मिट्टी या हवा जैसे पर्यावरणीय नमूनों से सीधे प्राप्त आनुवंशिक सामग्री को संदर्भित करता है।
- यह प्रत्यक्ष अवलोकन या कैप्चर की आवश्यकता के बिना एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विभिन्न जीवों की उपस्थिति और बहुतायत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

पर्यावरणीय DNA के अनुप्रयोग

जैव विविधता निगरानी

- eDNA का उपयोग विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की जैव विविधता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जो लुप्तप्राय या मायावी सहित विभिन्न प्रजातियों की उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए एक गैर-आक्रामक विधि प्रदान करता है।

जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन

- जलीय वातावरण में, eDNA विश्लेषण मछली और अन्य जलीय जीवों की निगरानी करने, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधन और संरक्षण में सहायता करने में मदद करता है।

आक्रामक प्रजाति का पता लगाना

- eDNA तकनीक पर्यावरण में आक्रामक प्रजातियों के आनुवंशिक निशानों की पहचान करके उनका शीघ्र पता लगाने में सहायता करती है, जिससे पारिस्थितिक व्यवधानों को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

eDNA नमूनाकरण तकनीकें

जल का नमूना

- मछली, उभयचर और अकशेरुकी जीवों सहित विभिन्न जलीय जीवों से DNA निकालने के लिए झीलों, नदियों या महासागरों से पानी के नमूनों का संग्रह।

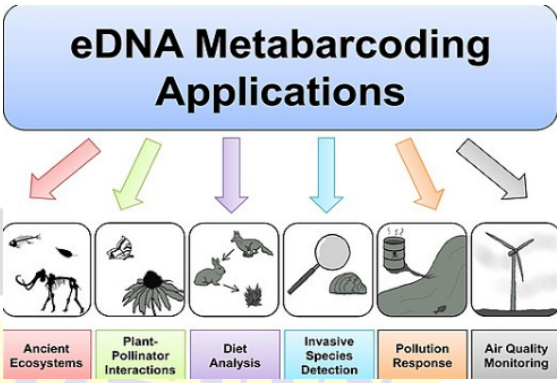

मिट्टी का नमूना लेना

- मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सूक्ष्मजीव समुदायों और विभिन्न जीवों की उपस्थिति का अध्ययन करने के लिए मिट्टी के नमूनों से DNA का निष्कर्षण।

पर्यावरणीय DNA विश्लेषण के लाभ

- गैर-आक्रामक: eDNA विश्लेषण पर्यावरण पर प्रभाव को कम करते हुए, आवासों या जीवों को सीधे परेशान किए बिना पारिस्थितिक तंत्र की निगरानी की अनुमति देता है।
- लागत-प्रभावी: यह पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों की तुलना में जैव विविधता मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक लागत-प्रभावी तरीका प्रदान करता है, जिसके लिए अक्सर व्यापक क्षेत्रीय कार्य और संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- उच्च संवेदनशीलता: ईडीएनए विश्लेषण अत्यधिक संवेदनशील है, जो आनुवंशिक सामग्री की कम सांद्रता का भी पता लगाने में सक्षम है, जिससे दुर्लभ या मायावी प्रजातियों की पहचान की जा सकती है।

चुनौतियाँ और विचार

- संदूषण: शोधकर्ताओं या उपकरणों सहित बहिर्जात डीएनए के साथ नमूनों के संदूषण से भ्रामक परिणाम हो सकते हैं।
- गिरावट: तापमान और यूवी विकिरण जैसे पर्यावरणीय कारक eDNA के गिरावट का कारण बन सकते हैं, जिससे विश्लेषण की सटीकता प्रभावित होती है।
- डेटा व्याख्या: eDNA डेटा की व्याख्या के लिए आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी दोनों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, साथ ही अध्ययन किए जा रहे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र की समझ की भी आवश्यकता होती है।

पारंपरिक तरीकों की तुलना में लाभ

- लागत-प्रभावी और कुशल: ईडीएनए दृष्टिकोण पारंपरिक तरीकों का एक सस्ता, तेज़ और स्केलेबल विकल्प है, जो इसे बड़े पैमाने पर मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी और संरक्षण के लिए उपयुक्त बनाता है।
- व्यापक जैव विविधता मूल्यांकन: यह विधि जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगा सकती है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरियोट्स जैसे कवक, पौधे, कीड़े, पक्षी, मछली और अन्य जानवर शामिल हैं।

कार्यान्वयन और निष्कर्ष

- सफल अनुप्रयोग: शोधकर्ताओं ने इसकी प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए भारत के ओडिशा में जैव विविधता वाले चिल्का लैगून पारिस्थितिकी तंत्र में ईडीएनए विधि का परीक्षण किया।
- उल्लेखनीय परिणाम: संदर्भ अनुक्रमों के एक व्यापक डेटाबेस के साथ eDNA टुकड़ों के 10 अरब से अधिक अनुक्रमों की तुलना की गई, जिससे चिल्का लैगून में जीवन के वृक्ष में लगभग 1,071 परिवारों की कुल वर्गीकरण विविधता का पता चला।
- संरक्षण के लिए निहितार्थ: यह दृष्टिकोण विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की निगरानी और संरक्षण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उनके भीतर मौजूद विविध जीवन रूपों की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है।

उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2023

खबरों में क्यों?

2023 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जिसका शीर्षक "फ़ेज़िंग डाउन या फ़ेज़िंग अप" जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था।
- यह स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान (SEI), क्लाइमेट एनालिटिक्स, E3G, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा निर्मित है।
- यह वार्मिंग को 1.5°C या 2°C तक सीमित करने के अनुरूप सरकारों के नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन और वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच विसंगति को ट्रैक करता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

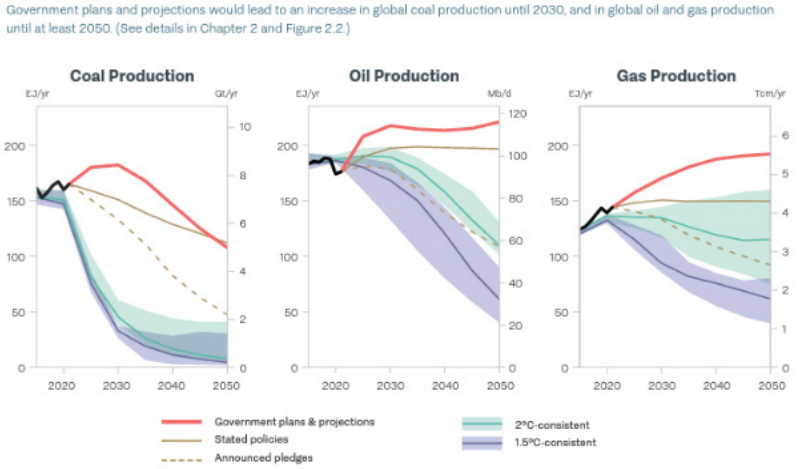

- उत्पादन अंतर: यदि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन मौजूदा गति से जारी रहता है, तो दुनिया 2030 तक दीर्घकालिक वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की 50% संभावना के साथ शेष उत्सर्जन बजट को पार कर सकती है।
- सरकारें 2030 में लगभग 110% अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना रही हैं, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित करने के अनुरूप होगा, और 69% अधिक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप होगा।
- समय के साथ उत्पादन अंतर का परिमाण भी बढ़ने का अनुमान है।
- प्रतिबद्धताओं के बीच संघर्ष: प्रमुख उत्पादक देशों ने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने का वादा किया है और जीवाश्म ईंधन उत्पादन से उत्सर्जन को कम करने के लिए पहल शुरू की है, लेकिन किसी ने भी वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के अनुरूप कोयला, तेल और गैस उत्पादन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया है।
- जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में वृद्धि: सरकारी योजनाओं और अनुमानों से 2030 तक वैश्विक कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी और कम से कम 2050 तक वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि होगी।
- भारत: भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की हिस्सेदारी में 50% की वृद्धि का वादा किया है। 2070 तक नेट-शून्य तक पहुंचने का लक्ष्य है।
- जबकि भारत ने महत्वपूर्ण निवेश किए हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जीवाश्म ईंधन उत्पादन को प्रबंधित रूप से बंद करने का समर्थन करने के लिए कोई सरकारी नीति या प्रवचन की पहचान नहीं की गई थी।

सुझाव

- सरकारों को जीवाश्म ईंधन उत्पादन के लिए अपनी योजनाओं, अनुमानों और समर्थन में और अधिक पारदर्शी होना चाहिए और वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं।
- सरकारों को जीवाश्म ईंधन उत्पादन में निकट और दीर्घकालिक कटौती लक्ष्यों को अपनाने और उन्हें अन्य जलवायु शमन लक्ष्यों के पूरक के लिए उपयोग करने की सख्त आवश्यकता है।
- जीवाश्म ईंधन उत्पादन से दूर एक न्यायसंगत परिवर्तन के लिए देशों की अलग-अलग जिम्मेदारियों और क्षमताओं को पहचानना होगा।
- अधिक संक्रमण क्षमता वाली सरकारों को अधिक महत्वाकांक्षी कटौती का लक्ष्य रखना चाहिए और सीमित क्षमता वाले देशों में संक्रमण प्रक्रियाओं को वित्तपोषित करने में मदद करनी चाहिए।

OECD अंतरिम रिपोर्ट

खबरों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति (INC3) से पहले अंतरिम रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है- 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की ओर: एक नीति परिदृश्य विश्लेषण।

महत्वपूर्ण बिंदु

वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण पर रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं (2022-2040)

प्लास्टिक रिसाव सांख्यिकी (2022):

- वैश्विक स्तर पर 21 मिलियन टन (MT) प्लास्टिक पर्यावरण में लीक हो गया।

सामान्य व्यवसाय परिदृश्य (2040):

- 2040 तक मैक्रोप्लास्टिक रिसाव में 50% वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है।
- 30 मीट्रिक टन प्लास्टिक रिसाव की आशंका है, जिसमें 9 मीट्रिक टन जलीय वातावरण में प्रवेश करेगा।

प्लास्टिक के उपयोग को स्थिर करना (2040):

- प्राथमिक प्लास्टिक के उपयोग को 2020 के स्तर पर स्थिर करने से अभी भी 2040 तक महत्वपूर्ण रिसाव (12 मीट्रिक टन) होगा।

महत्वाकांक्षी वैश्विक कार्रवाई (2040):

- महत्वाकांक्षी कार्रवाई अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम कर सकती है, कुप्रबंधित कचरे को लगभग समाप्त कर सकती है और प्लास्टिक रिसाव को लगभग समाप्त कर सकती है।
- 2040 में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में बेसलाइन से एक चौथाई की कटौती की संभावना।
- 2040 तक कुप्रबंधित कचरे को वस्तुतः समाप्त करना, रिसाव को 1.2 मीट्रिक टन तक कम करना।
- नदियों और महासागरों में प्लास्टिक का स्टॉक अभी भी बढ़ने की उम्मीद है लेकिन बेसलाइन से 74 मीट्रिक टन कम है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और निपटान से पर्यावरण (आवास विनाश, मिट्टी प्रदूषण), जलवायु (कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 3.8% का योगदान) और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक नीति क्रियाएँ (2040):

- शीघ्र, कठोर और समन्वित नीति कार्रवाई का महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
- महत्वाकांक्षी कार्यों की लागत 2040 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% होगी।

निवेश आवश्यकताएँ (2020-2040):

- कम उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों वाले तेजी से बढ़ते देशों को अपशिष्ट संग्रहण, छंटाई और उपचार के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकता होती है।
- लागत के असमान वितरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया है।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सिफ़ारिशें

व्यापक नीति दृष्टिकोण:

- विभिन्न नीति परिदृश्यों को विकसित और कार्यान्वित करें जो प्लास्टिक प्रदूषण को उसके पूरे जीवनचक्र में व्यापक रूप से संबोधित करें।
- विभिन्न चरणों में प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समग्र नीतियों के महत्व पर जोर दें।

तकनीकी और आर्थिक बाधाओं पर काबू पाना:

- 2040 तक प्लास्टिक रिसाव के उन्मूलन में बाधक तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के प्रयासों को प्राथमिकता दें।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन समाधान खोजने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करें।

पुनर्चक्रण संबंधी सफलताएँ:

- प्लास्टिक रीसाइक्लिंग प्रक्रियाओं की दक्षता और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक पर निर्भरता को कम करने के लिए टिकाऊ और लागत प्रभावी रीसाइक्लिंग तरीकों के विकास को प्रोत्साहित करें।

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का विस्तार:

- स्क्रैप और सेकेंडरी प्लास्टिक के लिए अच्छी तरह से काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करना।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हुए, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक के वैश्विक व्यापार के लिए कुशल तंत्र स्थापित करने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

- प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में ज्ञान, संसाधन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- प्लास्टिक कचरे की सीमा पार प्रकृति को संबोधित करने में साझा जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए समन्वित कार्रवाई के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित करें।

जन जागरूकता और शिक्षा:

- प्लास्टिक के जिम्मेदार उपयोग और निपटान को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम लागू करें।
- प्लास्टिक की खपत को कम करने और प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में सार्वजनिक समझ बढ़ाने के लिए व्यवहारिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करें।

सतत प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन:

- प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग को लागू करने जैसी सतत प्रथाओं को अपनाने वाले व्यवसायों और उद्योगों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पेश करें।
- निजी क्षेत्र को पारंपरिक प्लास्टिक उत्पादों में निवेश करने और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

विधान और विनियमन:

- प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान को लक्षित करने वाले मजबूत कानून और नियम बनाएं और लागू करें।
- उद्योगों को उनके प्लास्टिक पदचिह्न के लिए जवाबदेह बनाने और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों को लागू करें।

निगरानी और रिपोर्टिंग:

- प्लास्टिक अपशिष्ट कटौती प्रयासों में प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक व्यापक निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करें।
- कार्यान्वित नीतियों की प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करें और वास्तविक समय डेटा और उभरती चुनौतियों के आधार पर रणनीतियों को समायोजित करें।

उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023

खबरों में क्यों?

COP28 से पहले, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 'उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023: टूटा रिकॉर्ड - तापमान नई ऊंचाई पर पहुंचा, फिर भी दुनिया उत्सर्जन में कटौती करने में विफल (फिर से)' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

महत्वपूर्ण बिंदु

उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट:

- UNEP उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट (EGR) श्रृंखला पेरिस समझौते के अनुरूप ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने और 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य रखने में विश्व की प्रगति पर नज़र रखती है।
- 2010 से, इसने अनुमानित भविष्य के वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के बीच अंतर का वार्षिक विज्ञान-आधारित मूल्यांकन प्रदान किया है, यदि देश अपने जलवायु शमन वादों को लागू करते हैं, और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए उन्हें कहां होना चाहिए।
- प्रत्येक वर्ष, रिपोर्ट रुचि के एक विशिष्ट मुद्दे से निपटने के लिए उत्सर्जन अंतर को पाटने के प्रमुख अवसरों पर भी प्रकाश डालती है।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच जलवायु वार्ता को सूचित करने के उद्देश्य से, ईजीआर को हर साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) से पहले लॉन्च किया जाता है।

EGR 2023 से प्रमुख निष्कर्ष:

बढ़ता वैश्विक तापमान:

- इस वर्ष 86 दिन तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है।
- न केवल सितंबर अब तक का सबसे गर्म महीना था, बल्कि यह पिछले रिकॉर्ड को अभूतपूर्व 0.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक कर गया, जबकि वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.8 डिग्री सेल्सियस ऊपर था।

वैश्विक GHG उत्सर्जन ने 2022 में नया रिकॉर्ड बनाया:

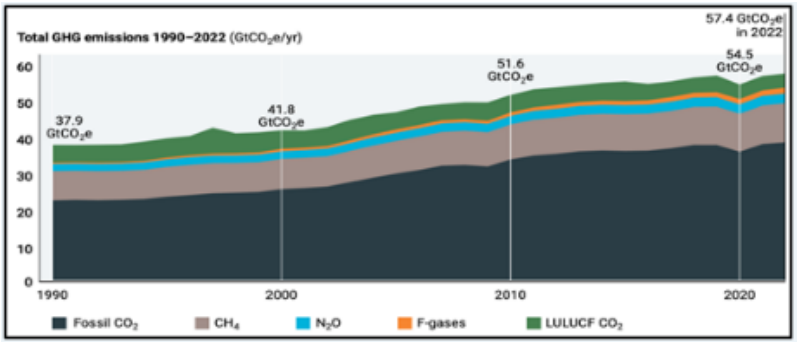

- वैश्विक GHG उत्सर्जन 2021 से 2022 तक 1.2 प्रतिशत बढ़कर 57.4 गीगाटन CO2 समकक्ष (GtCO2e) के नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया।
- परिवहन के अलावा सभी क्षेत्रों ने COVID-19 महामारी से प्रेरित उत्सर्जन में गिरावट से पूरी तरह से उबर लिया है और अब 2019 के स्तर को पार कर गया है।
- जीवाश्म ईंधन के दहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं से होने वाला CO2 उत्सर्जन समग्र वृद्धि में मुख्य योगदानकर्ता था, जो वर्तमान GHG उत्सर्जन का लगभग दो तिहाई है।

असमानता के वैश्विक पैटर्न:

- प्रति व्यक्ति क्षेत्रीय GHG उत्सर्जन विभिन्न देशों में काफी भिन्न होता है।
- रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में वे 6.5 टन CO2 समकक्ष (tCO2e) के विश्व औसत से दोगुने से भी अधिक हैं, जबकि भारत में वे इसके आधे से भी कम हैं।
- ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन काफी हद तक समान है, और G20 औसत से थोड़ा नीचे के स्तर पर है।
- ऐतिहासिक उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान समान रूप से देशों और देशों के समूहों में काफी भिन्न होता है।

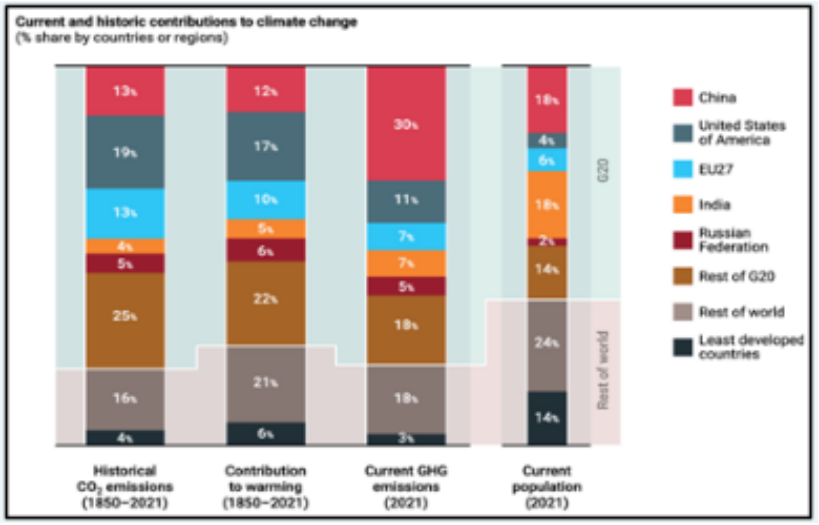

इस दशक में कार्रवाई 2035 के लिए NDC के अगले दौर में आवश्यक महत्वाकांक्षा का निर्धारण करेगी:

- उत्सर्जन अंतर को नवीनतम NDC के पूर्ण कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अनुमानित वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन और पेरिस समझौते के दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य के साथ संरेखित कम से कम लागत वाले मार्गों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।
- पेरिस समझौते के तहत पहले वैश्विक स्टॉकटेक की परिकल्पना एनडीसी के अगले दौर को सूचित करने के लिए की गई है, जिसे देशों से 2025 में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें 2035 के लक्ष्य शामिल होंगे।
- कुल मिलाकर, NDC के अगले दौर में वैश्विक महत्वाकांक्षा 2035 में वैश्विक GHG उत्सर्जन को 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे के मार्गों के अनुरूप स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

ग्लोबल वार्मिंग 3°C तक सीमित होने का अनुमान है:

- वर्तमान नीतियों द्वारा निहित जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के स्तर की निरंतरता से 66 प्रतिशत संभावना के साथ पूरी शताब्दी में ग्लोबल वार्मिंग को 3 डिग्री सेल्सियस (सीमा: 1.9-3.8 डिग्री सेल्सियस) तक सीमित करने का अनुमान है।
- 2100 के बाद वार्मिंग और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि CO2 उत्सर्जन अभी तक शुद्ध-शून्य स्तर तक पहुंचने का अनुमान नहीं है।
- सबसे आशावादी परिदृश्य में जहां सभी सशर्त एनडीसी और नेट-शून्य प्रतिज्ञाएं पूरी की जाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का अनुमान है।

राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता:

- EGR में 4 प्रमुख क्षेत्रों की सूची दी गई है जहां ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है। ये 4 क्षेत्र हैं:
- कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की प्राथमिकताएँ निर्धारित करना और संकेत देना।
- विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मजबूत माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रणाली विकसित करना।
- अन्य प्रयासों के साथ तालमेल और सह-लाभ का उपयोग करना।
- नवाचार में तेजी लाना।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम:

UNEP के बारे में

- UNEP की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया था।
- यह देश, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय दायित्वों को लागू करने में मदद करते हुए पर्यावरण मानकों और प्रथाओं को मजबूत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है।

संकेंद्रण के छह क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन
- संघर्ष के बाद और आपदा प्रबंधन
- पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन
- पर्यावरण शासन
- हानिकारक पदार्थ
- संसाधन दक्षता/टिकाऊ उपभोग और उत्पादन

शासी निकाय

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEP की शासी निकाय है।
- इसे गवर्निंग काउंसिल को बदलने के लिए 2012 में बनाया गया था।
- वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं और इसकी बैठक हर दो साल में होती है।
- मुख्यालय: नैरोबी, केन्या

UNEP द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट:

- उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट
- वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट
- वैश्विक पर्यावरण आउटलुक

4 अर्थव्यवस्था

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को RBI की पूर्व अनुमति के बिना गैर-लाभकारी शाखाएं बंद करने की अनुमति दी है, लेकिन उन्हें अपने संबंधित राज्य में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मंजूरी लेनी होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

RBI के सर्कुलर की मुख्य बातें

- शाखाओं को बंद करने का निर्णय DCCB के बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए। बोर्ड को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए और निर्णय को बोर्ड बैठक की कार्यवाही में उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।
- DCCB को शाखा के सभी मौजूदा जमाकर्ताओं/ग्राहकों को दो महीने पहले नोटिस देना आवश्यक है। यह अधिसूचना स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से और शाखा के प्रत्येक घटक के साथ सीधे संवाद करके की जानी चाहिए।
- जबकि DCCB को गैर-लाभकारी शाखाओं को बंद करने के लिए RBI से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- DCCB को बंद शाखा के लिए जारी मूल लाइसेंस संबंधित RBI के क्षेत्रीय कार्यालय को वापस करना होगा।
- यदि RBI ने बैंक पर प्रतिबंध लगाया है तो DCCB को शाखाएं बंद करने की अनुमति नहीं है।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB)

- DCCB सहकारी बैंक हैं जो भारत में जिला स्तर पर संचालित होते हैं।
- वे कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
- DCCB ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे किसानों और अन्य समुदाय के सदस्यों को फसल ऋण, कृषि उपकरण वित्तपोषण और बचत खाते जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

DCCB की संरचना

- प्रत्येक जिले का अपना DCCB होता है, जिसे सामूहिक रूप से जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है।
- शासन संरचना में विभिन्न पेशेवर सहकारी निकायों जैसे दुग्ध संघ, शहरी सहकारी समितियां, ग्रामीण सहकारी समितियां आदि के निर्वाचित प्रतिनिधि और निदेशक शामिल हैं।
- ये निर्वाचित प्रतिनिधि निर्णय लेने और बैंक की नीतियों को आकार देने के लिए जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष का चुनाव

- DCCB का अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है।
- विभिन्न सहकारी निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि और निदेशक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
- स्थानीय राजनेताओं का इन चुनावों में शामिल होना आम बात है, और DCCB अध्यक्ष का पद जीतना उनके राजनीतिक करियर को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकता है।

राज्य शीर्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक की भूमिका

- प्रत्येक राज्य में एक राज्य शीर्ष केंद्रीय सहकारी बैंक है।
- यह शीर्ष बैंक राज्य के भीतर सभी DCCB के लिए केंद्रीय समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है।
- यह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत व्यक्तिगत DCCB को सहायता, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राजनीतिक भागीदारी के लाभ और हानि

लाभ

- राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेता स्थानीय विकास परियोजनाओं, कृषि पहलों और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बैंक के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।
- वे उन नीतियों की वकालत कर सकते हैं जो स्थानीय समुदाय, विशेषकर किसानों और ग्रामीण व्यवसायों को लाभान्वित करती हैं।

हानि

- राजनीतिक हस्तक्षेप से भ्रष्टाचार, पक्षपात और धन का कुप्रबंधन हो सकता है, जिससे संसाधनों को उनके इच्छित उद्देश्यों से दूर किया जा सकता है।
- राजनीतिक चुनावों के कारण नेतृत्व में बार-बार परिवर्तन से बैंक के संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अस्थिरता पैदा हो सकती है।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम

खबरों में क्यों?

हाल ही में, तेलंगाना में 2022 में शुरू किए गए वर्कफ्री पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से व्यक्तियों और परिवारों पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) के सकारात्मक परिणाम पर प्रकाश डाला गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) एक सामाजिक कल्याण प्रस्ताव है जिसमें सभी लाभार्थियों को बिना शर्त हस्तांतरण भुगतान के माध्यम से गारंटीकृत आय प्रदान करना शामिल है। इसे गरीबी को कम करने और अन्य आवश्यकता-आधारित सामाजिक कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करने, संभावित रूप से नौकरशाही भागीदारी को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UBI के लाभ:

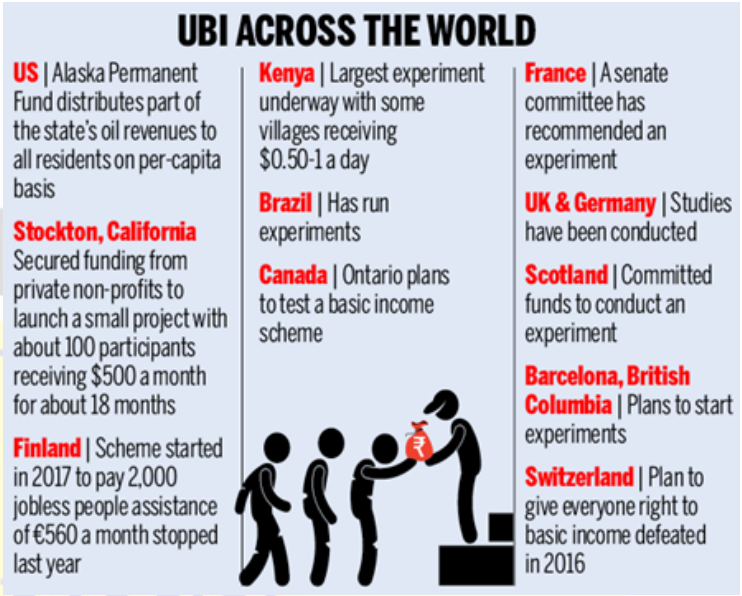

- गरीबी में कमी: UBI न्यूनतम आय स्तर स्थापित करके गरीबी और आय असमानता को कम करता है, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों को लाभ पहुंचाता है। यह लोगों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी ज़रूरतें वहन करने में सक्षम बनाता है।
- बेहतर स्वास्थ्य: UBI गरीबी और वित्तीय असुरक्षा से जुड़े तनाव, चिंता और अवसाद को कम करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है। यह बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पोषण तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है।
- सुव्यवस्थित कल्याण प्रणाली: UBI कई लक्षित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करके मौजूदा कल्याण प्रणाली को सरल बनाता है। इससे प्रशासनिक लागत कम हो जाती है और साधन-परीक्षण और पात्रता आवश्यकताओं की जटिलताएँ समाप्त हो जाती हैं।
- वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता: UBI व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा और काम, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन के बारे में विकल्प चुनने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- आर्थिक प्रोत्साहन: यह सीधे व्यक्तियों के हाथों में पैसा पहुंचाता है, उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करता है और आर्थिक विकास को गति देता है। इससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ होता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा होती है।
- उद्यमिता और रचनात्मकता: UBI लोगों को उद्यमिता को आगे बढ़ाने, जोखिम लेने और रचनात्मक या सामाजिक रूप से लाभकारी गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार देता है जो अन्यथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकते हैं।

UBI के विपक्ष:

- लागत: UBI महंगा है और इसे वित्तपोषित करने के लिए उच्च करों, खर्चों में कटौती या बढ़े हुए कर्ज की आवश्यकता होती है। इससे संभावित रूप से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, श्रम बाजार विकृत हो सकता है और आर्थिक विकास कम हो सकता है।
- कार्य प्रेरणा: एक चिंता है कि UBI काम करने की प्रेरणा को कम कर सकता है, जिससे उत्पादकता और दक्षता कम हो सकती है। यह निर्भरता, अधिकारिता और आलस्य की संस्कृति पैदा कर सकता है, जिससे व्यक्ति कौशल और शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित हो सकते हैं।
- मुद्रास्फीति का दबाव: UBI मुद्रास्फीति में योगदान दे सकता है क्योंकि व्यवसाय बाजार में उपलब्ध अतिरिक्त आय पर कब्जा करने के लिए अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को समायोजित करते हैं।
- सरकारी सहायता पर निर्भरता: यूबीआई से सरकारी सहायता पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे कुछ व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे या मूल आय पर निर्भर हो जाएंगे, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए प्रेरणा कम हो जाएगी।

वर्कफ्री पायलट प्रोजेक्ट: एक परिवर्तनकारी सामाजिक पहल

- वर्कफ्री पायलट प्रोजेक्ट बाथ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में मोंटफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट और इंडिया नेटवर्क फॉर बेसिक इनकम के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे यूरोपीय अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, भाग लेने वाले वयस्कों को 1,000 रुपये मिलते हैं, और बच्चों को 18 महीने की अवधि के लिए हर महीने 500 रुपये मिलते हैं।
- यह परियोजना वर्तमान में हैदराबाद की पांच झुग्गियों में रहने वाले 1,250 निवासियों का समर्थन कर रही है।

सकारात्मक परिणाम और परिवर्तनकारी प्रभाव:

- वर्कफ्री पायलट प्रोजेक्ट को एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसके व्यक्तियों और परिवारों के लिए सकारात्मक परिणाम आए हैं।
- तेलंगाना के कुछ निवासी जो स्थानांतरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे, उन्हें परियोजना द्वारा प्रदान की गई यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) सहायता के माध्यम से वित्तीय स्थिरता मिली है। उदाहरण के लिए, उन्होंने चूड़ी व्यवसाय शुरू करने के लिए नकद सहायता का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

UBI समर्थन का उपयोग:

- निवासियों ने भोजन, ईंधन, कपड़े खरीदने और उपयोगिता बिलों का भुगतान करने सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए नकद सहायता का उपयोग किया है, जो आम तौर पर उनके मासिक खर्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

समान पायलट परियोजनाएँ:

- स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) ने 2011 में दिल्ली और मध्य प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया। दिल्ली में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 100 परिवारों को पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये मिलते थे।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) के लिए आगे का रास्ता

- संतुलित आय राशि: यह सुनिश्चित करने के लिए कि UBI आवश्यक सहायता प्रदान करते समय काम को हतोत्साहित न करे, मूल आय के रूप में प्रदान की गई राशि को सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए। रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए व्यक्तिगत प्रेरणा बनाए रखने के लिए सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
- पूरक सहायता प्रणालियाँ: सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित मजबूत समर्थन प्रणालियों को लागू करके UBI की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। ये पूरक उपाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि UBI प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो जो उनकी भलाई और जीवन की गुणवत्ता में योगदान करती है।
- UBI सिद्धांतों के साथ तालमेल: जबकि नकद हस्तांतरण जैसी योजनाएं UBI के सिद्धांतों के साथ संरेखित होती हैं, वे अक्सर विशिष्ट जनसांख्यिकी या आबादी को लक्षित करती हैं। यह लक्षित दृष्टिकोण संभावित लाभार्थियों को बाहर करने का जोखिम उठा सकता है और उन सभी को कवर नहीं कर सकता है जो बुनियादी आय से लाभान्वित हो सकते हैं।
- दक्षता और कम आवंटन: धन के गलत आवंटन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और मौजूदा कल्याण योजनाओं में रिसाव को कम करने के लिए, UBI को अधिक कुशल विकल्प के रूप में पेश करने का सुझाव दिया गया है। UBI की सार्वभौमिकता प्रशासनिक जटिलताओं को कम कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय सहायता उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जबकि साधन-परीक्षण और लक्ष्यीकरण से जुड़ी ओवरहेड लागत को कम किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग

खबरों में क्यों?

हेग की अदालत ने देवास के निवेशकों को दिए गए 111 मिलियन डॉलर के पुरस्कार के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज कर दी

महत्वपूर्ण बिंदु

- नीदरलैंड के हेग की अदालत ने देवास मल्टीमीडिया नामक भारतीय उपग्रह कंपनी में विदेशी निवेशकों को दिए गए 111 मिलियन डॉलर के मुआवजे को रद्द करने के भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।
- यह भुगतान एक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया था क्योंकि भारत के इसरो के एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के साथ 2005 का एक उपग्रह सौदा 2011 में रद्द हो गया था।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL)

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की एक सहायक संस्था है।
- इसका अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कानून के प्रगतिशील सामंजस्य और एकीकरण को आगे बढ़ाना है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है।
- UNCITRAL की स्थापना 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।

पृष्ठभूमि - देवास-एंट्रिक्स डील

देवास-एंट्रिक्स डील:

- इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जनवरी 2005 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- सौदे के तहत, इसरो देवास को दो संचार उपग्रह (GSAT-6 और 6A) 167 करोड़ रुपये में 12 साल के लिए पट्टे पर देगा।
- देवास उपग्रहों पर S-बैंड ट्रांसपोंडर का उपयोग करके भारत में मोबाइल प्लेटफार्मों पर मल्टीमीडिया सेवाएं प्रदान करेगा, इसरो 70 मेगाहर्ट्ज S-बैंड स्पेक्ट्रम पट्टे पर देगा।

सौदा रद्द करना:

- सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के फैसले के बाद फरवरी 2011 में तत्कालीन सरकार ने इस सौदे को रद्द कर दिया था।
- समिति ने देश की सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एस-बैंड स्पेक्ट्रम की आवश्यकता का हवाला देते हुए समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया।
- इसके अलावा, ऐसे भी आरोप थे कि देवास सौदे में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य के संचार स्पेक्ट्रम को कौड़ियों के भाव में सौंपना शामिल था।
- 2014 में, CBI को 2005 के सौदे की जांच करने के लिए कहा गया था।
- बाद में, ED ने एंट्रिक्स के एक पूर्व प्रबंध निदेशक और देवास के पांच अधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 2018 में आरोप पत्र दायर किया।
- इसमें कहा गया है कि देवास ने विभिन्न दावों के तहत अपनी 579 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग का 85% अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया।

देवास ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से संपर्क किया:

- सौदा रद्द होने के बाद देवास मल्टीमीडिया में विदेशी निवेशकों ने मुआवजे की मांग करते हुए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों का दरवाजा खटखटाया।
- ये विदेशी निवेशक थे - जर्मन टेलीकॉम प्रमुख डॉयचे टेलीकॉम, तीन मॉरीशस निवेशक और स्वयं देवास मल्टीमीडिया।

नतीजतन:

- देवास मल्टीमीडिया को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1.2 बिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया गया;
- जिनेवा में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा डॉयचे टेलीकॉम को 101 मिलियन डॉलर का मुआवजा दिया गया,
- मॉरीशस के निवेशकों को UNCITRAL द्वारा $111 मिलियन का पुरस्कार दिया गया।
- भारत में देवास मल्टीमीडिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का परिसमापन
- भारत में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसके निर्माण में धोखाधड़ी का हवाला देते हुए मई 2021 में देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन का आदेश दिया।
- NCLT के आदेश को जनवरी 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।
- भारत में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो वर्तमान में देवास और उसके अधिकारियों के खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे हैं।
- नीदरलैंड के हेग की अदालत ने देवास मल्टीमीडिया नामक भारतीय उपग्रह कंपनी में विदेशी निवेशकों को दिए गए 111 मिलियन डॉलर के मुआवजे को रद्द करने के भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि

- देवास के निवेशकों को UNCITRAL द्वारा मुआवजा दिया गया
- अक्टूबर 2020 में, देवास मल्टीमीडिया में मॉरीशस स्थित तीन निवेशकों को हेग में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) ट्रिब्यूनल द्वारा मुआवजे के रूप में 111 मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया गया।
- ये तीन निवेशक थे सीसी/देवास मॉरीशस लिमिटेड, टेलकॉम देवास मॉरीशस लिमिटेड और देवास एम्प्लॉइज मॉरीशस प्राइवेट लिमिटेड।
- उन्हें असफल देवास-एंट्रिक्स उपग्रह सौदे पर मुआवजा दिया गया।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत सरकार ने 2020 के मुआवजा पुरस्कार को रद्द करने के लिए मार्च 2022 में हेग की जिला अदालत से संपर्क किया।
- इसमें जनवरी 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया जिसने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और जांच एजेंसियों CBI और ईडी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप पर देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन को बरकरार रखा।

हेग के जिला न्यायालय का फैसला

- जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एंट्रिक्स कॉर्प के साथ 2005 सैटेलाइट डील हासिल करने की प्रक्रिया में देवास मल्टीमीडिया द्वारा गलत काम करने का ताजा सबूत मानने की सरकार की याचिका खारिज कर दी।
- अदालत ने फैसला किया कि देवास मल्टीमीडिया के खिलाफ भारत के धोखे, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों को हेग की अपील अदालत ने पहले ही संबोधित कर दिया था।
- भारत ने मुआवजे के लिए एक अंतरिम मध्यस्थ फैसले को चुनौती दी थी, और ये आरोप उस मामले का हिस्सा थे।

विदेशी मुद्रा पर सीधी लिस्टिंग

खबरों में क्यों?

भारत सरकार ने हाल ही में कुछ भारतीय कंपनियों को विशिष्ट विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति दी है, जिससे वे वैश्विक पूंजी बाजारों में प्रवेश कर सकें और संभावित रूप से पूंजी बहिर्वाह बढ़ा सकें।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सेबी द्वारा नियुक्त समिति, जिसमें सेबी, पूंजी संस्थानों और बड़ी कानून फर्मों के सदस्य शामिल हैं, ने भारतीय कंपनियों के लिए कराधान और फेमा प्रावधानों को सरल बनाने के लिए विदेशी लिस्टिंग की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा, जिससे विदेशी लिस्टिंग अधिक व्यवहार्य हो जाएगी।
- भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा लिस्टिंग मानदंडों में संशोधन के प्रस्ताव का उद्देश्य विदेशी मुद्रा पर लिस्टिंग की प्रक्रिया को उदार बनाना है। अब तक, भारतीय कंपनियों को विदेशी लिस्टिंग से पहले भारत में सूचीबद्ध होना आवश्यक है।
- प्राथमिक उद्देश्य भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच को आसान बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

कंपनियाँ वर्तमान में विदेशी बाज़ारों में सूचीबद्ध की प्रक्रिया

- घरेलू सूचीबद्ध कंपनियां विदेशी बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए डिपॉजिटरी रसीदों - अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों (ADR) या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदों (GDR) का उपयोग करेंगी।
- इस मार्ग के तहत, विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की इच्छुक भारतीय कंपनियां अपने शेयर एक भारतीय संरक्षक को देंगी और विदेशी निवेशकों को डिपॉजिटरी रसीदें जारी की जाएंगी।

- प्राइम डेटाबेस के मुताबिक, 2008 से 2018 के बीच 109 कंपनियों ने ADR/GDR रूट के जरिए 51,847.72 करोड़ रुपये जुटाए। 2018 के बाद कोई भी कंपनी विदेश में सूचीबद्ध नहीं हुई।

प्रस्तावित परिवर्तनों में प्रमुख भारतीय नियमों में संशोधन शामिल होंगे, जिनमें शामिल हैं:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा): फेमा में प्रस्तावित परिवर्तन भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को शेयरों की बिक्री से संबंधित मुद्दों का समाधान करेंगे। यह संभवतः विदेशी लिस्टिंग आयोजित करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए प्रक्रिया और नियमों पर स्पष्टता प्रदान करेगा।
- आयकर अधिनियम: संशोधनों में भारत के भीतर शेयर हस्तांतरण पर कर लगाने के तरीके में बदलाव शामिल हो सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नए विदेशी लिस्टिंग मानदंडों के साथ संरेखित हों।

- कंपनी अधिनियम 2013: कंपनी अधिनियम में कुछ वर्गों की प्रतिभूतियों को विदेशी न्यायक्षेत्रों में स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्रावधान जोड़े जाने की उम्मीद है। विदेशी लिस्टिंग को सक्षम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय कंपनियों के लिए लाभ

- वैश्विक पूंजी तक पहुंच: भारतीय कंपनियों के पास अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने का एक नया रास्ता होगा।
- विविध निवेशक आधार: विदेशी लिस्टिंग उन्हें व्यापक, अधिक विविध निवेशक आधार से अवगत कराएगी, जिससे संभावित रूप से मूल्यांकन और निवेश में वृद्धि होगी।
- क्रॉस-लिस्टिंग लाभ: कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले खुद को बेंचमार्क करने में सक्षम होंगी, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- लाभहीन स्टार्टअप के लिए समर्थन: टेक स्टार्टअप और यूनिकॉर्न, जो शुरू में लाभदायक नहीं हो सकते हैं, विदेशी बाजारों से पूंजी के बड़े पूल तक पहुंच सकते हैं।
- वैश्विक विस्तार: यह अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, वैश्विक ब्रांड पहचान और विस्तार योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करता है।

चुनौतियाँ और विचार

- नियामक अनुपालन: कंपनियों को उस विदेशी मुद्रा के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी जहां वे सूचीबद्ध होना चुनते हैं। इसमें विदेशी लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण मानदंडों का पालन करना शामिल है।
- कर निहितार्थ: कराधान नियमों और फेमा प्रावधानों में बदलाव से विदेशी लिस्टिंग की समग्र लागत और व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है।
- बाजार का विकल्प: भारतीय कंपनियों को बाजार की प्रतिष्ठा, निवेशक आधार और नियामक वातावरण जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए लिस्टिंग के लिए विदेशी मुद्रा की पसंद पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी।
- कानूनी और वित्तीय रिपोर्टिंग: उन्हें अपने कानूनी और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता होगी।

GST माफी योजना

खबरों में क्यों?

वित्त मंत्रालय वस्तु एवं सेवा कर (GST) मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना लेकर आया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

GST एमनेस्टी योजना के बारे में

- वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई माफी योजना 31 जनवरी, 2024 तक खुली है।
- यह उन करदाताओं को अपनी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देता है जो कर अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों के लिए अपील की समय सीमा (31 मार्च, 2023) से चूक गए हैं, जिससे उन्हें अपने कर विवादों को हल करने का अवसर मिलता है।
- यह अपील दायर करने की अवधि को पिछली सख्त तीन महीने की खिड़की से आगे बढ़ाता है, जिससे करदाताओं को कर मांगने वाले मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ अपनी अपील दायर करने के लिए अधिक लचीली समयरेखा प्रदान की जाती है।
- GST परिषद ने इस पहल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत संस्थाओं को योजना से लाभ पाने के लिए कर मांग का 12.5% पूर्व-जमा करना होगा, जो पिछले 10% से अधिक है।
- यह 25,000 रुपये से कम आय वाली महिला कर्मचारियों के लिए छूट जैसे लाभ प्रदान करता है, प्रत्येक रिटर्न के लिए 1,000 रुपये के देर से भुगतान की अनुमति देता है और गैर-फाइलर्स को अपनी जीएसटी फाइलिंग पर ध्यान देने के लिए एक बार का ब्रेक देता है।
- कराधान विशेषज्ञ और पेशेवर इस योजना को सकारात्मक रूप से देखते हैं। उनका मानना है कि यह उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में काम करेगा जो प्रशासनिक त्रुटियों या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपील की समय सीमा से चूक गए।
- इस पहल से करदाताओं के बीच बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करने, कर अधिकारियों के साथ बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने और विवाद समाधान के लिए एक अधिक कुशल तंत्र प्रदान करने की उम्मीद है।
- योजना द्वारा प्रस्तावित सुव्यवस्थित अपील प्रक्रिया में कानूनी प्रणाली पर बोझ को कम करने की क्षमता है, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी कम होगी। इससे करदाताओं और कर प्रशासन दोनों को लाभ होता है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- यह एक एकल अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि जैसे कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है।
- यह भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- यह जुलाई 2017 से लागू हुआ।
- उद्देश्य: देश भर में उत्पादों की कीमतों में अस्पष्टता को दूर करना और समानता लाना।

सक्रिय और निष्क्रिय इक्विटी फंड

खबरों में क्यों?

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, सक्रिय इक्विटी फंडों में लगभग 74,000 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रवाह देखा गया और निष्क्रिय इक्विटी फंडों में 9,000 करोड़ रुपये का प्रवाह देखा गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सक्रिय फंड और निष्क्रिय फंड म्यूचुअल फंड निवेश के लिए दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक की अपनी विशेषताओं और फायदे हैं।

एक्टिव फंड क्या हैं?

- एक सक्रिय फंड में, फंड मैनेजर अंतर्निहित प्रतिभूतियों को खरीदने, रखने या बेचने और स्टॉक चयन का निर्णय लेने में 'सक्रिय' होता है।
- यह फंड पेशेवर फंड मैनेजरों पर निर्भर करता है जो निवेश का प्रबंधन करते हैं।
- सक्रिय फंड पोर्टफोलियो बनाने और प्रबंधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और शैलियों को अपनाते हैं।
- उनसे बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में बेहतर रिटर्न (अल्फा) उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- फंड में जोखिम और रिटर्न अपनाई गई रणनीति पर निर्भर करेगा।
- सक्रिय फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो फंड प्रबंधकों की अल्फा पीढ़ी क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं। फंड प्रबंधन द्वारा सक्रिय प्रबंधन और विश्लेषण की आवश्यकता है

पैसिव फंड क्या हैं?

- पैसिव फंड (इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)) एक पोर्टफोलियो रखते हैं जो किसी बताए गए इंडेक्स या बेंचमार्क की नकल करता है।

- निष्क्रिय फंड में, स्टॉक चयन में फंड मैनेजर की निष्क्रिय भूमिका होती है।
- खरीदने, रखने या बेचने के निर्णय बेंचमार्क इंडेक्स द्वारा संचालित होते हैं और फंड मैनेजर/डीलर को न्यूनतम ट्रैकिंग त्रुटि के साथ इसे दोहराने की आवश्यकता होती है।
- पैसिव फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो किसी विशिष्ट बाजार सूचकांक के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। इसमें न्यूनतम ट्रैकिंग त्रुटि शामिल है, और निर्णय बेंचमार्क सूचकांक की गतिविधियों पर आधारित होते हैं।

सक्रिय बनाम निष्क्रिय फंड:

- सक्रिय फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो फंड प्रबंधकों की अल्फा पीढ़ी क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं।
- पैसिव फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो बाजार सूचकांक के अनुसार बिल्कुल आवंटन करना चाहते हैं।

MSCI उभरते बाजार सूचकांक

खबरों में क्यों?

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स (EM) इंडेक्स पर भारत की उपस्थिति 30 नवंबर से प्रभावी, नौ नए शेयरों को शामिल करने के साथ विस्तारित होने के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- MSCI उभरते बाजार सूचकांक पर भारत का बढ़ता प्रभाव सूचकांक पर भारत का भारांक 16.3% तक बढ़ा देगा, जो 131 भारतीय शेयरों के सर्वकालिक उच्च प्रतिनिधित्व तक पहुंच जाएगा।

MSCI EM इंडेक्स क्या है ?

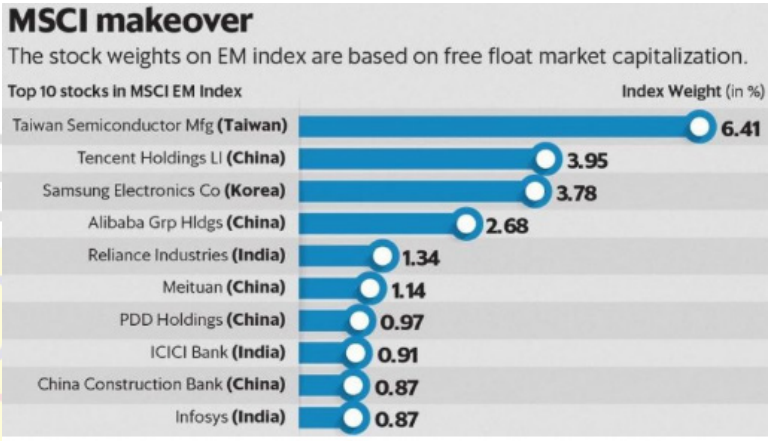

- MSCI NYSE पर सूचीबद्ध एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचकांक है।
- इसे MSCI Inc. द्वारा जारी और रखरखाव किया जाता है, जो वैश्विक इक्विटी सूचकांक, निवेश विश्लेषण और अन्य वित्तीय डेटा और सेवाओं का अग्रणी प्रदाता है।
- इसके स्टॉक सूचकांकों पर वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधकों, हेज फंड, बैंकों, निगमों और बीमा कंपनियों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाती है।
- वे वैश्विक शेयर बाजारों में धन आवंटित करने के लिए इन सूचकांकों पर भरोसा करते हैं।
- MSCI सूचकांक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), इंडेक्स फंड और कुछ फंड ऑफ फंड के माध्यम से निष्क्रिय निवेश के लिए एक आधार के रूप में काम करते हैं।

EM सूचकांक पर भारत की प्रगति

- बढ़ता वजन: MSCI EM सूचकांक पर भारत का वजन लगातार बढ़ रहा है, जो आगामी पुनर्संतुलन के साथ चार साल पहले की तुलना में दोगुना होकर 16.3% हो गया है।
- चीन के बाद दूसरा: EM इंडेक्स पर ताइवान (15.07%), दक्षिण कोरिया (11.78%), और ब्राजील (5.42%) जैसे देशों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए, भारत केवल चीन (29.89%) को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर है।
- मजबूत प्रदर्शन: एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, भारत ने शुद्ध रिटर्न उत्पन्न करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, MSCI EM के -2.14% की तुलना में अक्टूबर के दौरान वर्ष में 4.75% रिटर्न का दावा किया है। लंबी अवधि में, भारत ने दस वर्षों में MSCI EM के 1.19% के मुकाबले 8.33% का वार्षिक रिटर्न हासिल किया है।

स्टॉक के लिए समावेशन मानदंड

- बाजार पूंजीकरण-आधारित वेटेज: EM सूचकांक पर स्टॉक का भार फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो विदेशी निवेशकों के व्यापार के लिए उपलब्ध शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च बाजार पूंजीकरण से निवेशकों द्वारा अधिक वजन और आवंटन प्राप्त होता है।
- शीर्ष भारतीय स्टॉक: MSCI EM पर प्रमुख भारतीय शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज (भार 1.34%), ICICI बैंक (0.91%), और इंफोसिस (0.87%) शामिल हैं।

बढ़े हुए प्रतिनिधित्व का प्रभाव

- निष्क्रिय प्रवाह: निष्क्रिय विदेशी ट्रैकर्स से नौ नए शामिल भारतीय शेयरों और बढ़े हुए भार वाले अन्य भारतीय काउंटरों में $1.5 बिलियन का निवेश करने की उम्मीद है।
- स्टॉक पुनर्संतुलन: MSCI के समायोजन में ज़ोमैटो, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे शेयरों का भार बढ़ाना शामिल है, जिससे संभावित रूप से लगभग 160 मिलियन डॉलर का निष्क्रिय प्रवाह आकर्षित हो सकता है। हालाँकि, रिलायंस जैसे दिग्गज शेयरों के वजन में मामूली कटौती हो सकती है।

- समग्र FPI निवेश: वृद्धि से मुख्य रूप से निष्क्रिय ट्रैकर्स को लाभ होता है, और जरूरी नहीं कि इससे समग्र विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रवाह में वृद्धि हो। बहरहाल, यह निवेशकों की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि निष्क्रिय निवेश कम खर्च और कम मानवीय त्रुटि के कारण विस्तारित अवधि में अधिक रिटर्न प्रदान करते हैं।
- सकारात्मक भावना: MSCI EM की भारत की सकारात्मक समीक्षा मॉर्गन स्टेनली द्वारा भारत को सबसे पसंदीदा उभरते बाजार के दर्जे में अपग्रेड करने के तुरंत बाद आई, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की अपील और बढ़ गई।

साइप्रस गोपनीय जांच

खबरों में क्यों?

साइप्रस गोपनीय जांच में भारत से नियंत्रित अपतटीय संस्थाओं के एक जाल का खुलासा हुआ है, जो भारत में व्यक्तियों द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन पर प्रकाश डालता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत-साइप्रस अपतटीय कनेक्शन कानूनी कर योजना, गोपनीयता और नियामक चुनौतियों के साथ एक जटिल परिदृश्य है।
- साइप्रस गोपनीय जांच ने इन बारीकियों को प्रकाश में लाया है, जांच को प्रेरित किया है और अपतटीय वित्तीय गतिविधियों की जटिलताओं के बारे में सवाल उठाए हैं।

साइप्रस गोपनीय और इसका दायरा

- वैश्विक अपतटीय जांच: साइप्रस कॉन्फिडेंशियल 3.6 मिलियन दस्तावेजों की जांच करता है, वैश्विक अभिजात वर्ग द्वारा साइप्रस में स्थापित कंपनियों का खुलासा करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: 55 देशों और क्षेत्रों के 60 मीडिया आउटलेट्स के 270 से अधिक पत्रकार इस जांच में भाग लेते हैं।
- डेटा स्रोत: जांच में साइप्रस के छह अपतटीय सेवा प्रदाताओं के दस्तावेजों का सहारा लिया गया है, जिससे न केवल भारतीय निवेशकों का पता चलता है, बल्कि साइप्रस के अनुकूल कर माहौल का लाभ उठाने के लिए प्रमुख व्यापारिक समूहों द्वारा गठित संस्थाओं का भी पता चलता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

साइप्रस में अपतटीय संस्थाओं की स्थापना

- भारतीय संस्थाएं: जांच का उद्देश्य अपतटीय संस्थाओं के आसपास की गोपनीयता को खत्म करना है, यह उजागर करना है कि उन्हें भारत से कैसे नियंत्रित किया जाता है, देश के भीतर व्यक्तियों से आने वाले वित्तीय निर्देशों के साथ।
- वैधता: साइप्रस में अपतटीय कंपनियों की स्थापना अवैध नहीं है। भारत का साइप्रस सहित विभिन्न देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA) है, जो लाभप्रद कर दरों की पेशकश करता है।
- टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र: कंपनियां कम कर दरों से कानूनी रूप से लाभ उठाने के लिए इन देशों में टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्रों का उपयोग करती हैं। इन न्यायक्षेत्रों की विशेषता ढीली नियामक निगरानी और कड़े गोपनीयता कानून हैं।

साइप्रस के साथ भारत की कर संधि

- 2013 से पहले: 2013 से पहले, भारत और साइप्रस के बीच एक कर संधि थी जो निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर से छूट देती थी, जिससे पर्याप्त निवेश आकर्षित होता था। साइप्रस में भी 4.5% की कम विदहोल्डिंग कर दर थी।
- 2013 के बाद: भारत ने 2013 में साइप्रस को एक अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र (NJA) के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे NJA संस्थाओं से जुड़े लेनदेन के लिए उच्चतर कर दरों और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों को बढ़ावा मिला।
- 2016 में संशोधित DTA: 2016 में एक संशोधित DTAA पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 1 नवंबर, 2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव से साइप्रस को NJA से अलग कर दिया गया। इस संधि ने पूंजीगत लाभ के स्रोत-आधारित कराधान और एक ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की शुरुआत की।

साइप्रस में कर लाभ

- कर दरें: साइप्रस से प्रबंधित अपतटीय कंपनियों और शाखाओं पर 4.25% कर लगाया जाता है, जबकि विदेश से प्रबंधित और अपतटीय साझेदारी वाली कंपनियों को पूर्ण कर छूट का आनंद मिलता है।
- लाभांश और पूंजीगत लाभ: लाभांश पर कोई रोक नहीं है, और अपतटीय संस्थाओं में शेयरों की बिक्री या हस्तांतरण पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं है।
- संपत्ति शुल्क में छूट: अपतटीय कंपनियों में शेयरों की विरासत पर कोई संपत्ति शुल्क नहीं।
- आयात शुल्क में छूट: विदेशी कर्मचारियों के लिए वाहन, कार्यालय या घरेलू उपकरण की खरीद पर कोई आयात शुल्क नहीं।
- लाभकारी स्वामी गुमनामी: अपतटीय संस्थाओं के लाभकारी मालिकों की गुमनामी सुनिश्चित करता है।

भारत-साइप्रस DTAA और इसका महत्व

- कर योजना: DTAA अपनी अनुकूल कर व्यवस्था के साथ साइप्रस को कर नियोजन के लिए एक क्षेत्राधिकार बनने में सक्षम बनाता है। विदेशी निवेशक अक्सर भारत में निवेश करने और DTAA से लाभ उठाने के लिए साइप्रस में निवेश फर्म स्थापित करते हैं।
- मॉरीशस का विकल्प: साइप्रस अब भारतीय निवेश के लिए अपतटीय संस्थाओं की स्थापना के लिए मॉरीशस का एक विकल्प है, क्योंकि भारत से भुगतान किए गए लाभांश विदहोल्डिंग टैक्स के अधीन हैं, लेकिन साइप्रस में कराधान के अधीन नहीं हैं।

साइप्रस में अपतटीय ट्रस्ट

- साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट कानून: इस कानून के तहत अपतटीय ट्रस्टों को संपत्ति शुल्क और आयकर से छूट दी गई है, बशर्ते कि ट्रस्टी साइप्रस गोपनीयता की गारंटी हो।
- कर से बचाव: ऑफशोर ट्रस्ट व्यवसायियों को उन करों से बचने की अनुमति देते हैं जिनका भुगतान उन्हें तब करना पड़ता जब विदेशी परिचालन से होने वाली आय उनके निवास के देश में भेजी गई होती।
- भारतीय DTAA की सीमाएं: यदि किसी कंपनी को केवल कर से बचने के लिए भारत में शेयरधारक के रूप में शामिल किया गया पाया जाता है तो डीटीएए भारतीय आयकर विभाग को संधि के लाभों से इनकार करने से नहीं रोकता है। ऐसे मामलों में पूरे लेनदेन पर सवाल उठाया जा सकता है।

सूक्ष्म उद्यमिता

खबरों में क्यों?

ग्रामीण भारत में सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देने से इसकी कई गंभीर चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। यह ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है, घरेलू आय बढ़ा सकता है और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवास को कम कर सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लगभग 1.5 बिलियन की आबादी के साथ, भारत ऐतिहासिक रूप से कृषि पर बहुत अधिक निर्भर रहा है, लेकिन इस अत्यधिक निर्भरता ने खेती योग्य भूमि के सिकुड़ने, छोटी जोत और प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग जैसे मुद्दों को जन्म दिया है।
- नीति निर्माताओं ने माना है कि ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, युवा पीढ़ी को लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों के कारण वैकल्पिक आजीविका तलाशने की जरूरत है।

ग्रामीण भारत में सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लाभ

- ग्रामीण समस्याओं का समाधान: सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देने से ग्रामीण भारत में बेरोजगारी, घरेलू आय में वृद्धि और ग्रामीण से शहरी प्रवास में कमी सहित विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।
- अप्रत्यक्ष कृषि लाभ: सूक्ष्म उद्यमिता अप्रत्यक्ष रूप से अधिक निवेश आकर्षित करके और कृषि पद्धतियों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करके कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है।
- आर्थिक विकास: सूक्ष्म व्यवसाय लचीलेपन की पेशकश करते हैं, प्रवेश के लिए कम बाधाएं रखते हैं, और नौकरियां पैदा करते हैं, स्थानीय आर्थिक विकास और नवाचार में योगदान करते हैं।
- नवाचार: छोटी कंपनियाँ अक्सर बाज़ार में नए उत्पाद और विचार पेश करती हैं, जिससे उनके विशिष्ट बाज़ारों में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

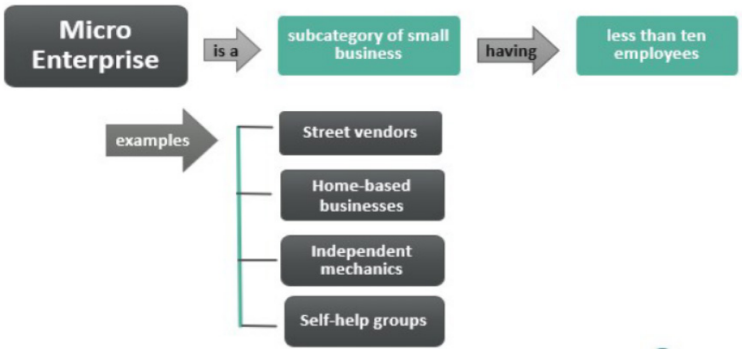

- स्थानीय आर्थिक विकास: सूक्ष्म उद्यम स्थानीय विक्रेताओं का समर्थन करके और नागरिकों को रोजगार देकर समुदाय की मदद करते हैं, जिससे कर राजस्व में वृद्धि होती है और पड़ोस में सुधार होता है।
- आत्मनिर्भरता: सूक्ष्म-व्यवसाय मालिकों का अपनी वित्तीय नियति पर अधिक नियंत्रण होता है, जिससे स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
- विविध पेशकश: माइक्रो-फर्में अक्सर विशेष सामान या सेवाएं प्रदान करती हैं जो बड़ी कंपनियों द्वारा पेश नहीं की जा सकती हैं, जिससे बाजार में विविधता आती है।
- आर्थिक लचीलापन: छोटी कंपनियाँ बड़े उद्योगों में मंदी के दौरान तेजी से समायोजित हो सकती हैं और आर्थिक स्थिरता में योगदान कर सकती हैं।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम: भारत का संपन्न स्टार्टअप वातावरण, कई पहलों और सरकारी समर्थन के साथ, कर प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता सहित उद्यमशीलता की सफलता में योगदान देता है।
- सूक्ष्म-उद्यमिता की अपनी चुनौतियाँ हैं, जैसे वित्तीय अनिश्चितता और संसाधन सीमाएँ, लेकिन उद्यमशीलता की भावना और दृढ़ संकल्प वाले लोगों के लिए यह एक पुरस्कृत कैरियर मार्ग हो सकता है।

सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएँ

ASPIRE (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना):

- कृषि-व्यवसाय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में प्रौद्योगिकी और ऊष्मायन केंद्र स्थापित करता है।
- आजीविका और प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य जिला स्तर पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन (SIP-EIT):

- भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों (MSME) और स्टार्ट-अप को विदेशी पेटेंट आवेदन दाखिल करने में सहायता करता है।
- नवाचार, ब्रांड पहचान और वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

गुणक अनुदान योजना (MGS):

- उत्पादों और पैकेजों को विकसित करने के लिए कंपनियों को सरकारी और शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास समूहों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- अवधारणा के प्रमाण और वैश्विक उत्पाद व्यावसायीकरण के बीच अंतर को कम करता है।
- सरकार अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए उद्योग निवेश को प्रति परियोजना 2 करोड़ रुपये तक, उद्योगों के एक समूह के लिए अधिकतम 4 करोड़ रुपये से मेल खाती है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE):

- ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करता है और स्टार्ट-अप, छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म-फर्मों को ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है।
- विनिर्माण और सेवा-आधारित व्यवसायों के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है।
- प्रति पात्र उधारकर्ता को 200 लाख रुपये तक की निधि और गैर-निधि-आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।

एकल बिंदु पंजीकरण योजना (SPRS):

- एमएसई को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा प्रबंधित।
- एमएसई को बयाना राशि जमा (EMD) के बिना सरकारी अधिग्रहण में भाग लेने में सक्षम बनाता है।
- केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा MSE से वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% सुनिश्चित करता है।

एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च या कोर रिसर्च ग्रांट (CRG):

- विभिन्न विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अनुसंधान करने में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संगठनों का समर्थन करता है।
- शोधकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी, व्यक्तिगत-केंद्रित फंडिंग को बढ़ावा देता है।

उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार अनुसंधान:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन अवधारणाओं और पहलों को प्रोत्साहित करता है।
- महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी प्रभाव की संभावना वाले साहसिक और साहसी सुझावों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- फंडिंग में लचीले बजट के साथ उपभोग्य वस्तुएं, अप्रत्याशित खर्च, उपकरण और यात्रा शामिल है।

डिज़ाइन क्लिनिक योजना:

- MSME और स्टार्ट-अप के लिए डिजाइन-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
- नवीन उत्पाद डिजाइनों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास का समर्थन करता है।
- डिज़ाइन सेमिनार में भाग लेने और नवीनतम डिज़ाइन प्रथाओं के बारे में सीखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED) योजना:

- निर्माताओं को उच्च-गुणवत्ता, दोष-मुक्त और विश्वसनीय उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- गुणवत्ता सुधार के लिए संसाधन, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक व्यापक प्रमाणीकरण और मूल्यांकन प्रक्रिया प्रदान करता है।

RBI ने जोखिम भार बढ़ाया

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर, 2023 से विशिष्ट उपभोक्ता ऋण श्रेणियों पर जोखिम भार 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया, जिससे बैंकों और NBFC को इन ऋणों के लिए अतिरिक्त पूंजी आवंटित करने की आवश्यकता हुई।

महत्वपूर्ण बिंदु

जोखिम भार

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अपने विवेकपूर्ण नियामक उपायों के हिस्से के रूप में समय-समय पर जोखिम भार को समायोजित करता है।
- जोखिम भार का उपयोग उस पूंजी की मात्रा की गणना करने में किया जाता है जो बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों के विरुद्ध रखने की आवश्यकता होती है, और इन भारों में परिवर्तन से बैंकों की पूंजी पर्याप्तता और ऋण देने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

जोखिम भार क्या हैं?

- जोखिम भार बैंकों द्वारा रखी गई विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों को दिए गए संख्यात्मक मान हैं। ये मान प्रत्येक परिसंपत्ति से जुड़े कथित जोखिम को दर्शाते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास इन परिसंपत्तियों से होने वाले संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी भंडार है।
- बैंकों को न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना अनिवार्य है। यह किसी बैंक की पूंजी और उसकी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का अनुपात है। उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंकों के पास संभावित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त बफर हैं।

जोखिम भार में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक:

- उभरते जोखिम: RBI नियमित रूप से जोखिम परिदृश्य का मूल्यांकन करता है। यदि कुछ क्षेत्रों या प्रकार के ऋणों को आर्थिक स्थितियों, बाजार की गतिशीलता, या नियामक चिंताओं के कारण जोखिम भरा माना जाता है, तो वे इस बढ़े हुए जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए जोखिम भार बढ़ा सकते हैं।
- निवारक उपाय: आर्थिक तनाव के समय या जब विशिष्ट क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आरबीआई संभावित नुकसान के खिलाफ बैंकों को मजबूत करने और वित्तीय प्रणाली के भीतर स्थिरता बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के रूप में जोखिम भार बढ़ा सकता है।

बढ़े हुए जोखिम भार के निहितार्थ:

- पूंजी आवश्यकताएँ: उच्च जोखिम भार के कारण बैंकों को इन परिसंपत्तियों के विरुद्ध अधिक पूंजी आवंटित करने की आवश्यकता होती है। इससे ऋण देने या विस्तार के लिए उपलब्ध कुल पूंजी में कमी आ सकती है। बैंकों को एक निश्चित पूंजी बफर बनाए रखने के लिए नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। बढ़ा हुआ जोखिम भार बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने या अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो को समायोजित करने की मांग कर सकता है।
- उधार देने की प्रथाएँ: बैंक ऊंचे जोखिम भार वाले क्षेत्रों या उधारकर्ताओं को ऋण देने में अधिक सतर्क हो सकते हैं। यह सावधानी ऋण की उपलब्धता और शर्तों को प्रभावित कर सकती है।
- परिसंपत्ति गुणवत्ता और पोर्टफोलियो प्रबंधन: नियामक परिवर्तनों का अनुपालन करने के लिए बैंक अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और संभावित रूप से जोखिम भरी परिसंपत्तियों से विनिवेश कर सकते हैं। यह उनकी ऋण देने की प्रथाओं के समग्र जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित कर सकता है।

जोखिम भार पर RBI की हालिया कार्रवाई

- RBI ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण और व्यक्तिगत ऋण जैसे कुछ असुरक्षित ऋणों पर जोखिम भार बढ़ा दिया है। इसने इस क्षेत्र को पूरा करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक ऋण देने के लिए जोखिम भार भी बढ़ा दिया।

उधारकर्ताओं पर प्रभाव

- ब्याज दरें: कम जोखिम भार आमतौर पर उधारकर्ताओं के लिए कम ब्याज दरों में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम जोखिम भार वाली परिसंपत्तियों के लिए बैंकों को कम पूंजी अलग रखने की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण देने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, होम लोन पर अक्सर व्यक्तिगत ऋण या क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दरें कम होती हैं क्योंकि उनका जोखिम भार कम होता है।
- ऋण का मूल्य निर्धारण: जोखिम भार अप्रत्यक्ष रूप से ऋण के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं। उच्च जोखिम-भार का मतलब है कि बैंकों को अधिक पूंजी आवंटित करनी होगी, जिससे संभावित रूप से उधारकर्ताओं के लिए उच्च ब्याज दरें हो सकती हैं।

RBI की चिंता के पीछे कारण

- असुरक्षित ऋणों में वृद्धि: असुरक्षित ऋण तेजी से बढ़ रहे हैं, जो बैंकिंग प्रणाली के पोर्टफोलियो के लगभग 10% तक पहुंच गए हैं। इस श्रेणी में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और व्यक्तिगत खर्चों के लिए ऋण शामिल हैं। चिंता इन ऋणों में संपार्श्विक की कमी और धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करने में असमर्थता से उत्पन्न होती है, जिससे उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- जोखिम न्यूनीकरण: जोखिम भार बढ़ाकर, आरबीआई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक इन क्षेत्रों में संभावित नुकसान के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं और अत्यधिक जोखिम को रोकें जो बैंकिंग प्रणाली के लिए खतरा बन सकता है।

खुदरा ऋण पर प्रभाव

- पूंजी की खपत: नई जोखिम भार सीमा के कारण बैंकों को इन ऋणों के बदले अधिक पूंजी रखने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे संभवतः ऋण देने की लागत 35-100 आधार अंकों तक बढ़ जाएगी। अच्छी पूंजी वाले उधारदाताओं को अतिरिक्त पूंजी जुटाने की तत्काल आवश्यकता का सामना नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन PSU बैंक अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- विकास और मूल्य निर्धारण की गतिशीलता: जोखिम भार में वृद्धि के बावजूद, ऋण वृद्धि पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, विशेष रूप से ब्याज दर में बदलाव के बावजूद भी ऋण की मजबूत मांग को देखते हुए। हालाँकि, यह कदम बैंकों की समग्र मूल्य निर्धारण रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है और ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं द्वारा समान रूप से इसकी बारीकी से निगरानी की जाएगी।

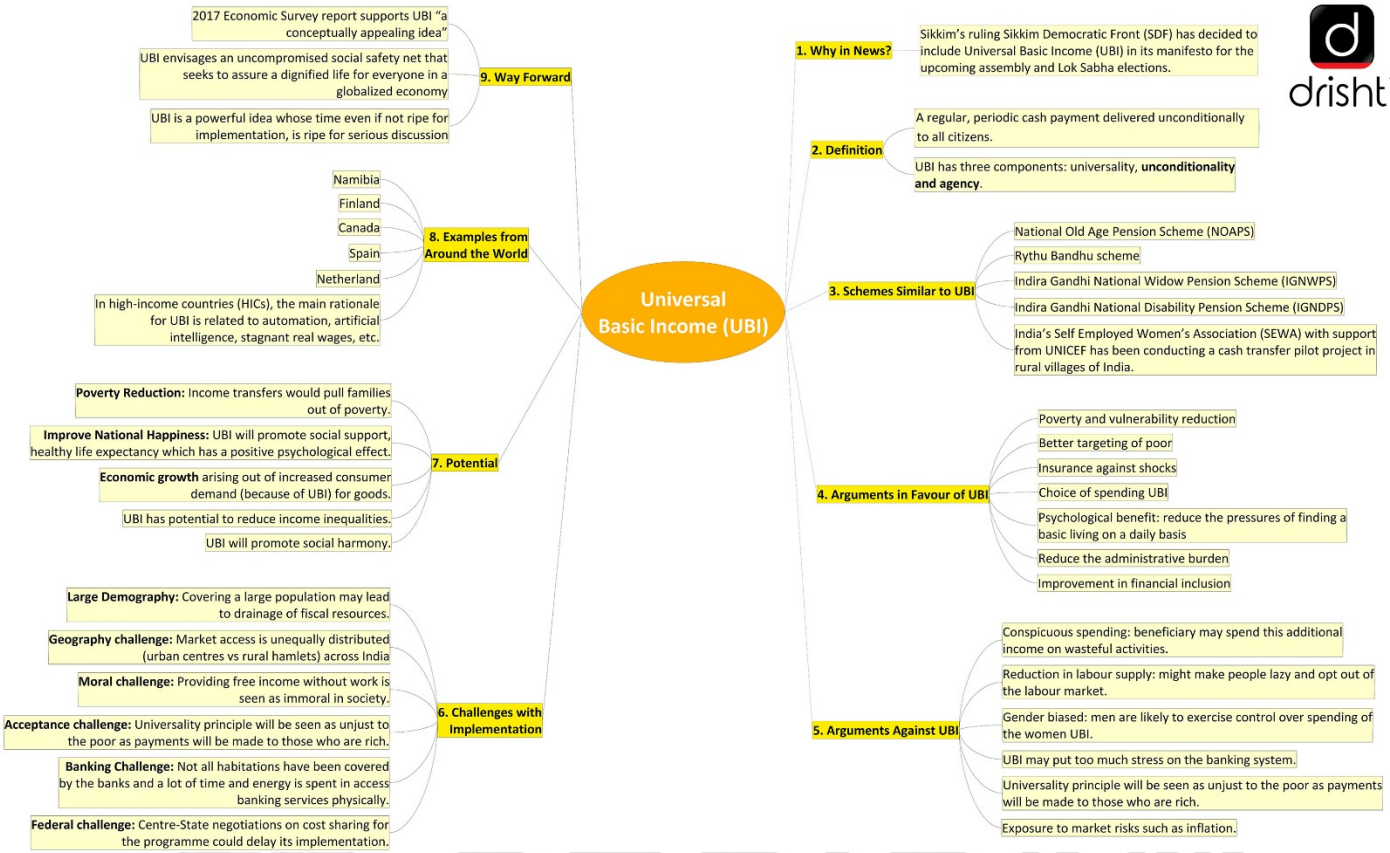

SHRIRAM
DUVERSITY
DUCATION
XPERT
"Right Access Get Success"

5 विज्ञान और तकनीक

डीप ओशन मिशन (DOM)

खबरों में क्यों?

भारत पहली बार डीप ओशन मिशन (DOM) के तहत स्वदेशी रूप से विकसित सबमर्सिबल का उपयोग करके समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक यात्रा पर निकलेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- DOM को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा कार्यान्वित किया गया है और चरणबद्ध तरीके से पांच साल की अवधि में लगभग 4,077 करोड़ रुपये की लागत से 2021 में अनुमोदित किया गया था।

मिशन के छह स्तंभ हैं:

1. गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी;
2. समुद्री जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास, जिसमें भविष्य के जलवायु अनुमानों को समझने और प्रदान करने के लिए समुद्री अवलोकनों और मॉडलों की एक श्रृंखला शामिल है;
3. गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार;
4. गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण का उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय कटकों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिजकरण की संभावित साइटों की पहचान करना है;
5. समुद्र से ऊर्जा और मीठे पानी का दोहन;
6. समुद्री जीव विज्ञान और नीली जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिभाओं के पोषण और नए अवसरों को बढ़ावा देने के केंद्र के रूप में महासागर जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना करना।

समुद्रयान मिशन

- DOM के एक भाग के रूप में, भारत के प्रमुख गहरे महासागर मिशन, 'समुद्रयान' को 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- 'समुद्रयान' के साथ, भारत मध्य हिंद महासागर में समुद्र तल तक 6,000 मीटर की गहराई तक पहुंचने के लिए एक दल अभियान शुरू कर रहा है। यह यात्रा गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी Matsya6000 से पूरी होगी।

मत्स्य6000

- मत्स्य6000 भारत की प्रमुख गहरे समुद्र में चलने वाली मानव पनडुब्बी है जिसका लक्ष्य 6,000 मीटर की गहराई तक समुद्र तल तक पहुंचना है।
- तीन चालक दल के सदस्यों के साथ, जिन्हें "एक्वानॉट्स" कहा जाता है, सबमर्सिबल में वैज्ञानिक उपकरणों और उपकरणों का एक सूट होता है जो अवलोकन, नमूना संग्रह, बुनियादी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्रयोग की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

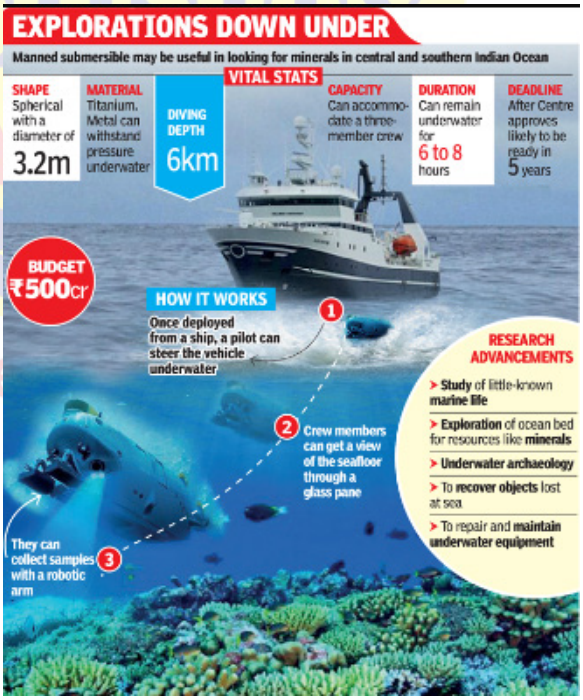

मत्स्य6000 की विशेषताएं:

- मत्स्य6000 रिमोट संचालित वाहनों (ROVs) और स्वायत्त रिमोट वाहनों (AUVs) की सर्वोत्तम और सबसे व्यवहार्य सुविधाओं को जोड़ती है।
- Matsya6000 का इंटीरियर 2.1 मीटर व्यास वाले एक विशेष क्षेत्र के भीतर यात्रा करने वाले तीन मनुष्यों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- टाइटेनियम मिश्र धातु से निर्मित, गोले को 6,000 बार तक के दबाव को झेलने के लिए इंजीनियर किया गया है।
- यह अंडरवाटर थ्रस्टर्स का उपयोग करके लगभग 5.5 किमी/घंटा की गति से आगे बढ़ सकता है।

महत्व

- 'न्यू इंडिया 2030' दस्तावेज़ भारत के विकास के छठे मुख्य उद्देश्य के रूप में नीली अर्थव्यवस्था को रेखांकित करता है। वर्ष 2021-2030 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'समुद्र विज्ञान दशक' के रूप में नामित किया गया है।
- DOM प्रधान मंत्री के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PMSTIAC) के तहत नौ मिशनों में से एक है।
- यह मिशन पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटैलिक सल्फाइड सहित मूल्यवान संसाधनों के स्थायी निष्कर्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियां

- गहरे महासागरों में उच्च दबाव: ऐसी उच्च दबाव वाली स्थितियों में संचालन के लिए टिकाऊ धातुओं या सामग्रियों से तैयार किए गए सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है।
- इसकी अविश्वसनीय रूप से नरम और कीचड़ भरी सतह के कारण समुद्र तल पर उतरना भी चुनौतियाँ पेश करता है।
- खनिजों को सतह पर लाने के लिए बड़ी मात्रा में शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- खराब दृश्यता एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती है क्योंकि प्राकृतिक प्रकाश सतह से केवल कुछ दस मीटर नीचे ही प्रवेश कर पाता है,
- ये सभी जटिल चुनौतियाँ तापमान, संक्षारण, लवणता आदि में भिन्नता जैसे कारकों से और भी जटिल हो गई हैं।

6,000 मीटर की गहराई को क्यों चुना गया है?

- भारत पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटैलिक सल्फाइड सहित मूल्यवान संसाधनों के स्थायी निष्कर्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
- ISA ने इसके लिए भारत को मध्य हिंद महासागर में 75,000 वर्ग किमी और 26° दक्षिण में अतिरिक्त 10,000 वर्ग किमी आवंटित किया है।
- पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स, जिनमें तांबा, मैंगनीज, निकल, लोहा और कोबाल्ट जैसी कीमती धातुएं होती हैं, लगभग 5,000 मीटर गहराई में पाए जाते हैं, और पॉलीमेटैलिक सल्फाइड मध्य हिंद महासागर में लगभग 3,000 मीटर पर पाए जाते हैं।
- इसलिए, भारत के हित 3,000-5,500 मीटर की गहराई तक फैले हुए हैं।
- 6,000 मीटर की गहराई पर काम करने के लिए खुद को तैयार करके, हम भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और मध्य हिंद महासागर दोनों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं।

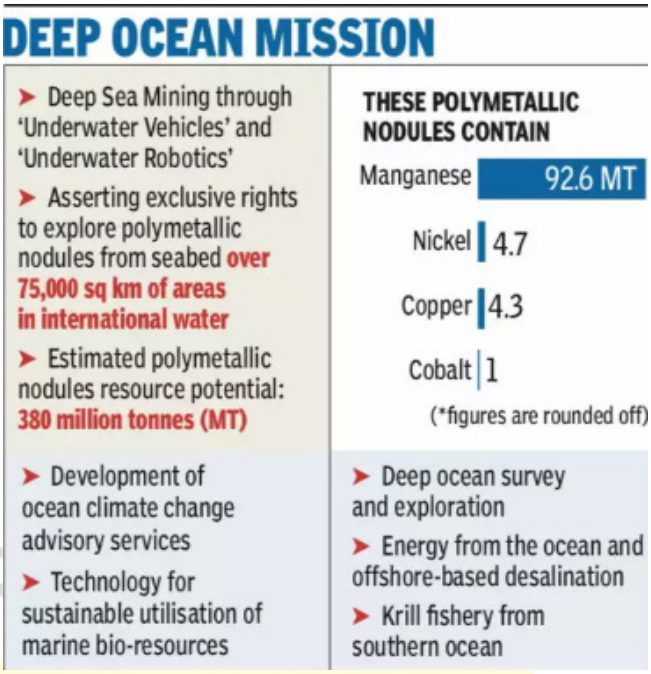

यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप

खबरों में क्यों?

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के यूक्लिड मिशन द्वारा ली गई पहली तस्वीरें जारी होने वाली हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूक्लिड मिशन ESA के कॉस्मिक विजन कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति और घटकों और इसे नियंत्रित करने वाले मौलिक कानूनों का पता लगाना है।
- इसका मुख्य लक्ष्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांड के "अंधेरे पक्ष" की जांच करना है।
- इसे 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था।
- इसका नाम अलेक्जेंड्रिया के यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर रखा गया है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व रहते थे और उन्होंने ज्यामिति विषय की स्थापना की थी।
- यूक्लिड मिशन आकाश के एक तिहाई से अधिक भाग में 10 अरब प्रकाश वर्ष तक की अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन करके ब्रह्मांड का 3डी मानचित्र (तीसरे आयाम के रूप में समय के साथ) बनाएगा।
- इससे पता चलेगा कि ब्रह्मांडीय समय में डार्क एनर्जी ने पदार्थ के खिंचाव और पृथक्करण को कैसे प्रभावित किया है।

अंतरिक्ष यान और उपकरण:

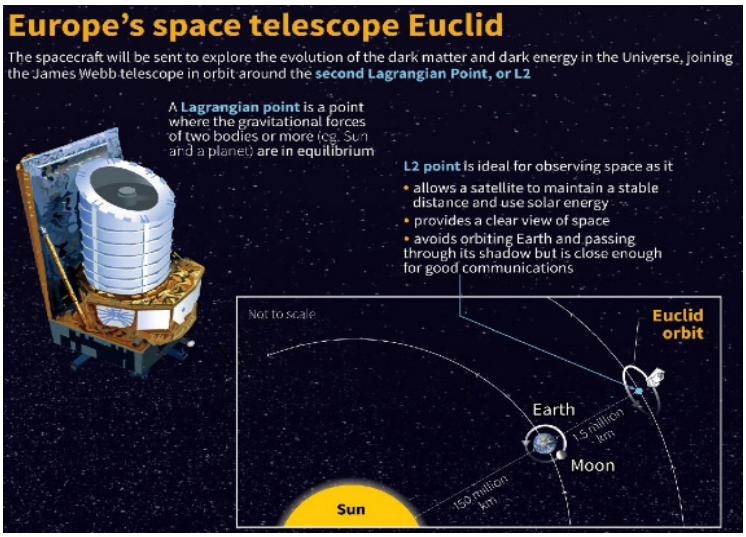

- यूक्लिड अंतरिक्ष यान लगभग 7 मीटर लंबा और 3.7 मीटर व्यास का है। इसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं: सर्विस मॉड्यूल और पेलोड मॉड्यूल।
- पेलोड मॉड्यूल में एक 2-मीटर व्यास वाला टेलीस्कोप और दो वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं: एक दृश्य-तरंग दैर्ध्य कैमरा (दृश्यमान उपकरण, VIS) और एक निकट--अवरक्त कैमरा/स्पेक्ट्रोमीटर (निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोमी-टर और फोटोमीटर, NISP)।
- सेवा मॉड्यूल में उपग्रह प्रणालियाँ शामिल हैं: विद्युत ऊर्जा उत्पादन और वितरण, दृष्टिकोण नियंत्रण, डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रणोदन, टेलीकमांड और टेलीमेट्री, और थर्मल नियंत्रण।
- कक्षा: इसकी परिचालन कक्षा पृथ्वी की कक्षा से परे 5 मिलियन किमी की औसत दूरी पर सूर्य-पृथ्वी लैग्रेंज प्वाइंट 2 (एल 2) नामक एक बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल होगी।
- जीवनकाल: नाममात्र मिशन का जीवनकाल विस्तार की संभावना के साथ छह साल है (प्रणोदन के लिए उपयोग की जाने वाली ठंडी गैस की मात्रा तक सीमित)।

डार्क एनर्जी क्या है?

- डार्क एनर्जी उस रहस्यमयी शक्ति को दिया गया नाम है जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड के विस्तार की दर समय के साथ धीमी होने के बजाय तेज हो रही है।
- अब यह माना जाता है कि यह ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ का 68% हिस्सा है।
- पारंपरिक अर्थों में यह कोई पदार्थ या ऊर्जा नहीं है। यह विद्युत चुम्बकीय बलों के साथ संपर्क नहीं करता है और इसलिए इसे सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है।

CAR-T (काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल) थेरेपी

खबरों में क्यों?

हाल ही में, NexCAR9 को कैंसर के इलाज के लिए पहली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) टी-सेल थेरेपी के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से मंजूरी मिली, जो भारत में पहली बार हुआ।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि

- कैंसर एक ऐसी स्थिति है जो शरीर के भीतर विशिष्ट कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और प्रसार की विशेषता है। कैंसर के उपचार में मुख्य रूप से तीन प्राथमिक तौर-तरीके शामिल होते हैं:
  - कैंसरग्रस्त ऊतक को हटाने के लिए सर्जरी;
  - ट्यूमर को लक्षित करने के लिए आयनीकृत विकिरण का उपयोग करने वाली रेडियोथेरेपी;
  - प्रणालीगत थेरेपी जिसमें ट्यूमर पर कार्य करने वाली दवाओं का प्रशासन शामिल है।
- जबकि सर्जरी और रेडियोथेरेपी में समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, प्रणालीगत चिकित्सा में प्रगति उल्लेखनीय रही है।
- कार टी-सेल थेरेपी इस प्रणालीगत थेरेपी में एक उल्लेखनीय विकास है, जो वर्तमान में दुनिया भर में शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर रही है।

CAR T-सेल थेरेपी क्या है?

- CAR टी-सेल थेरेपी कैंसर के उपचार का एक अत्यधिक उन्नत रूप है। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के विपरीत, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित दवाएं शामिल होती हैं, CAR T-सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है।
- ट्यूमर को लक्षित करने और उस पर हमला करने के लिए टी-कोशिकाओं, एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका, को सक्रिय करने के लिए इन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है।
- अधिक प्रभावी ढंग से गुणा करने के लिए तैयार होने के बाद इन संशोधित कोशिकाओं को रोगी के रक्त प्रवाह में पुनः शामिल किया जाता है।
- ये कोशिकाएं लक्षित एजेंटों से भी अधिक सटीक हैं और कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को सीधे उत्तेजित करती हैं, जिससे उपचार असाधारण रूप से प्रभावी हो जाता है। इन्हें अक्सर "जीवित औषधियाँ" कहा जाता है।

CAR T-सेल थेरेपी का उपयोग

ल्यूकेमिया और लिम्फोमास:

- ल्यूकेमिया (श्वेत रक्त कोशिका-उत्पादक कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर) और लिम्फोमा (लसीका प्रणाली से) के इलाज के लिए सीएआर टी-सेल थेरेपी को मंजूरी दे दी गई है।
- ये कैंसर एकल कोशिका प्रकार की अनियंत्रित वृद्धि के परिणामस्वरूप होते हैं, जिससे सीएआर टी-कोशिकाओं का लक्ष्य सुसंगत और भरोसेमंद हो जाता है।

पुनरावृत्ति:

- CAR टी-सेल थेरेपी का उपयोग उन रोगियों के लिए भी किया जाता है जिनका कैंसर प्रारंभिक सफल उपचार के बाद वापस आ गया है या कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के पिछले संयोजनों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है।

सफलता दर:

- कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में, थेरेपी अत्यधिक प्रभावी हो सकती है, जिसकी सफलता दर 90% तक होती है, जबकि अन्य कैंसर प्रकारों में, यह कम प्रभावी होती है।

संभावित दुष्प्रभाव:

- साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम सामान्य कोशिकाओं को संपार्श्विक क्षति के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली का एक व्यापक सक्रियण है।
- न्यूरोलॉजिकल लक्षण गंभीर भ्रम, दौरे और बोलने में दिक्कत।

NexCAR9 के बारे में

- मुंबई की इम्यूनोएडॉप्टिव सेल थेरेपी (इम्यूनोएसीटी) को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से भारत की पहली सीएआर टी-सेल थेरेपी के लिए मंजूरी मिल गई।
- उपचार, जिसे NexCAR19 कहा जाता है, CD19 पर केंद्रित है, जो B लिम्फोसाइटों के लिए एक बायोमार्कर है, जो इसे ल्यूकेमिया इम्यूनोथेरेपी के लिए एक लक्ष्य बनाता है।
- पहले, सीएआर-टी सेल थेरेपी की लागत अत्यधिक थी, लगभग $400,000 या 3.3 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गई थी, और यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध थी।
- हालाँकि, यह सफलता भारत में रोगियों की पहुंच के भीतर चिकित्सा लाएगी। इसे प्रमुख शहरों के 20 सरकारी और निजी अस्पतालों में पेश किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत प्रति मरीज लगभग 30-35 लाख रुपये होगी।
- यह मील का पत्थर न केवल भारत में सुलभ जीवन रक्षक उपचार प्रदान करता है, बल्कि अन्य संसाधन-विवश देशों तक भी इसकी उपलब्धता बढ़ाता है।
- भारत सीएआर-टी थेरेपी तक पहुंच के साथ विशिष्ट देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है।

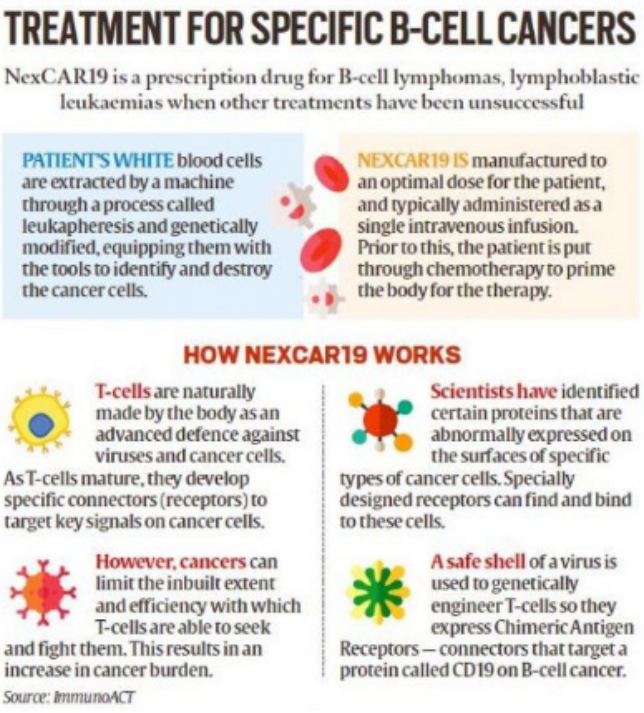

प्रभावशीलता और अनूठी विशेषताएं

- लगभग 70% मरीज़ NexCAR19 उपचार का जवाब देते हैं, जिनमें से कुछ को पूर्ण छूट प्राप्त होती है।
- लैब और जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि दवा से संबंधित विषाक्तता कम है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी और साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम (CRS) भी शामिल है।
- व्यापक प्रयोज्यता सुनिश्चित करते हुए, टाटा मेमोरियल अस्पताल में बाल रोगियों के लिए परीक्षण चल रहे हैं।

उपलब्धता और सामर्थ्य

- ImmunoACT कई शहरों में टाटा मेमोरियल, नानावटी, फोर्टिस और जसलोक सहित अस्पतालों के साथ लाइसेंस हासिल करने और साझेदारी करने की प्रक्रिया में है।
- CAR-T थेरेपी अंतिम सरकारी मंजूरी मिलने तक कुछ ही हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में उपलब्ध होने की उम्मीद है।
- शुरुआत में इसकी कीमत 30-40 लाख रुपये थी, इम्यूनोएसीटी का लक्ष्य अंततः लागत को 10-20 लाख रुपये तक कम करना है, जिससे थेरेपी अधिक सुलभ हो जाएगी।
- CDSCO जैसी नियामक एजेंसियों की मंजूरी से बीमा कवरेज होना चाहिए, लेकिन सीमा भिन्न हो सकती है, और बीमाकर्ताओं और सरकार के साथ चर्चा जारी है।

भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र

खबरों में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने "ग्लोबल बायो-इंडिया 2023" की वेबसाइट लॉन्च की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जैव प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण रूप से बेहतर उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए आणविक, सेलुलर और आनुवंशिक प्रक्रियाओं से संबंधित जैविक ज्ञान और तकनीकों के अनुप्रयोग से संबंधित है।
- जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और प्रक्रियाओं ने जीवन में आसानी, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया है और आजीविका के अवसर पैदा किए हैं, आदि।

भारत में स्थिति

- भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को निम्नलिखित खंडों बायोफार्मास्यूटिकल्स, जैव--सेवाएं, जैव-कृषि, जैव-औद्योगिक और जैव-आईटी में विभाजित किया गया है।
- जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भारत के USD 5 Tn अर्थव्यवस्था लक्ष्य में योगदान देने के लिए प्रमुख चालक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष -12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत में जैव प्रौद्योगिकी के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
- 2022 में, भारत विश्व स्तर पर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) रिपोर्ट 2023 के अनुसार 40 वें स्थान पर रहते हुए मध्य और दक्षिणी एशिया में शीर्ष नवाचार अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना गया।

SHRIRAM UNIVERSITY EDUCATION XPERT "Right Access Get Success"

- भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का मूल्य 2022 में 93.1 बिलियन डॉलर था, जिसके 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र अगले दशक में तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है।

उपलब्धियाँ और क्षमता

- भारत के पास जैव संसाधनों की एक विशाल संपदा है, एक असंतृप्त संसाधन जो दोहन की प्रतीक्षा कर रहा है और विशेष रूप से विशाल जैव विविधता और हिमालय में अद्वितीय जैव संसाधनों के कारण जैव प्रौद्योगिकी में एक लाभ है।
- जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक व्यापार और जैव-अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन बनने की क्षमता है जो भारत की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।
- जैव प्रौद्योगिकी एक परिवेश, एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जो स्वच्छ, हरा-भरा और कल्याण के साथ अधिक अनुकूल होगा।
- यह आजीविका के आकर्षक स्रोत भी उत्पन्न करता है, पेट्रोकेमिकल-आधारित विनिर्माण के विकल्प भी उत्पन्न करता है, जैसे जैव-आधारित उत्पाद जैसे खाद्य योजक, बायोइंजीनियरिंग संबंध, पशु चारा उत्पाद
- भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, उद्योग और जैव-सूचना विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- जैव प्रौद्योगिकी युवाओं के बीच एक ट्रेंडिंग करियर विकल्प के रूप में उभरी है।
- भारत दुनिया में कम लागत वाली दवाओं और टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।
- टीके, एंटीवायरल, डायग्नोस्टिक परीक्षण और अन्य उपकरणों जैसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण और उपयोग करके, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा है।

कार्य

- भारत सरकार (GOI) की नीतिगत पहल जैसे स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी और जैव-विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) क्षेत्र की क्षमता को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसका उद्देश्य एक चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को सक्षम करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में, अनुसंधान और विकास, कृषि जैव प्रौद्योगिकी आदि को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) को 162.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1,345 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए थे।
- 2022 में, भारत और फिनलैंड द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और डिजिटल शिक्षा, भविष्य की मोबाइल प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकी और आईसीटी में डिजिटल साझेदारी जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, संक्रामक रोग के टीके, भोजन और पोषण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन लागू किया गया था।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) का उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों को मजबूत और सशक्त बनाना है।
- आवश्यक बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करके उत्पादों और सेवाओं में अनुसंधान का अनुवाद करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा देश भर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं।
- ग्लोबल बायो-इंडिया 2023 (जैव प्रौद्योगिकी हितधारकों का एक विशाल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन) भारत के बायोटेक विकास और अवसरों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है।
- DBT और BIRAC ग्लोबल बायो-इंडिया 2023 का आयोजन कर रहे हैं,
- मार्च 2022 में जारी एक ज्ञापन में, भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम 20 के अनुसरण में कुछ जीनोम-संपादित पौधों को जैव सुरक्षा मूल्यांकन से छूट दी। जीव या कोशिका नियम 1989। यह छूट नई पौधों की किस्मों का उत्पादन करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं और कंपनियों पर नियामक बोझ को कम करती है।

समस्याएँ

- जैव सुरक्षा का संबंध मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जैव प्रौद्योगिकी के संभावित प्रतिकूल प्रभावों से है।
- जैव प्रौद्योगिकी सामाजिक-आर्थिक और नैतिक चिंताओं को भी जन्म देती है, जिनमें से कुछ का वर्णन यहां किया गया है।
- भारत में नई पौधों की किस्मों को विकसित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में चुनौतियां बनी हुई हैं।
- भारत केवल एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियर पौधे - कपास की खेती की अनुमति देता है।
- मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर डर और जैव विविधता पर संभावित प्रभाव ने भारत में इंजीनियर खाद्य संयंत्रों के प्रवेश को रोक दिया है।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों की खेती और आयात पर प्रतिबंध के अलावा, भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पौधों से प्राप्त किसी भी उत्पाद के लिए लेबलिंग की भी सख्त आवश्यकताएं हैं।

न्यूट्रॉन स्टार विलय में टेल्यूरियम

खबरों में क्यों?

जापान और लिथुआनिया के भौतिकविदों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि न्यूट्रॉन स्टार विलय के दौरान टेल्यूरियम का उत्पादन होता है, जिससे इस विचार को बल मिलता है कि ये विलय ब्रह्मांड में अधिकांश भारी तत्वों के लिए जिम्मेदार हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

"आर-प्रक्रिया" और भारी नाभिक का संश्लेषण

- "आर-प्रक्रिया" मुक्त न्यूट्रॉन के उच्च घनत्व वाले वातावरण में होने वाले भारी नाभिक के संश्लेषण का वर्णन करती है।
- नाभिक तेजी से न्यूट्रॉन को पकड़ता है, जिससे विशिष्ट परमाणु द्रव्यमान संख्या, जैसे 80, 130 और 196 के आसपास चोटियों के साथ न्यूट्रॉन-समृद्ध नाभिक का वितरण होता है।

भारी तत्व निर्माण में न्यूट्रॉन स्टार विलय की भूमिका

- न्यूट्रॉन तारे के विलय से उत्सर्जित पदार्थ किलोनोवा की ओर ले जाता है, ऐसी घटनाएँ जो एक हजार नोवा जितनी चमकीली होती हैं लेकिन सुपरनोवा जितनी चमकीली नहीं होतीं।
- सौर मंडल में प्रचुरता पैटर्न विशिष्ट "आर-प्रक्रिया" शिखर प्रदर्शित करते हैं, जो इस प्रक्रिया से पृथ्वी पर भारी तत्वों की उत्पत्ति का संकेत देते हैं।

किलोनोवा और स्पेक्ट्रल विश्लेषण की पुष्टि

- न्यूट्रॉन-स्टार विलय GW170817 से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के बाद 2017 में किलोनोवा के अस्तित्व की पुष्टि की गई थी।
- GW170817 के किलोनोवा के वर्णक्रमीय विश्लेषण से स्ट्रोंटियम, सेरियम और लैंथेनाइड तत्वों के अवशोषण हस्ताक्षरों का पता चला, जो आर-प्रक्रिया की उपस्थिति का संकेत देते हैं।

किलोनोवा में टेल्यूरियम की भूमिका

- शोधकर्ताओं ने भारी तत्वों की उत्सर्जन रेखाओं का मॉडल तैयार किया, जिसमें दोगुने आयनित टेल्यूरियम से 2.1 माइक्रोमीटर पर एक मजबूत उत्सर्जन रेखा की भविष्यवाणी की गई, जो GW170817 के स्पेक्ट्रम में एक अस्पष्ट विशेषता से मेल खाती है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) से पुष्टि

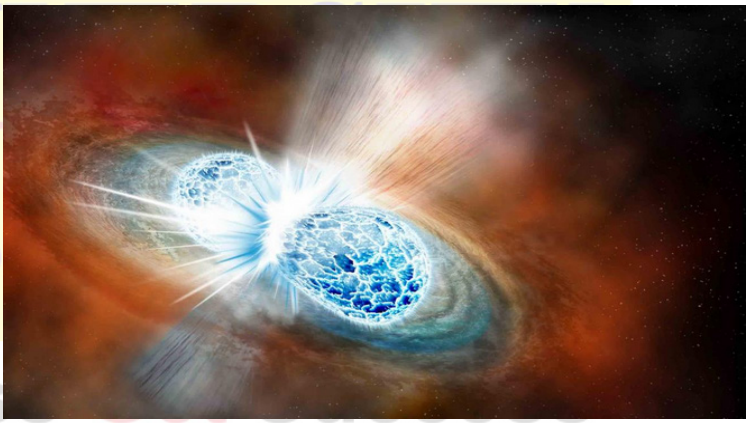

- गामा-किरण विस्फोट GRB230307A के JWST द्वारा किए गए अवलोकन ने न्यूट्रॉन स्टार विलय में आर-प्रक्रिया की घटना के लिए और सबूत प्रदान किए।
- JWST के इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रा ने GW170817 में समानताएं दिखाई, जिसमें टेल्यूरियम के लिए जिम्मेदार 2.1 माइक्रोमीटर सुविधा की उपस्थिति भी शामिल है।

JWST के साथ चल रहे अवलोकनों का महत्व

- JWST की संवेदनशीलता ने GRB230307A में किलोनोवा का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाया, भले ही यह GW170817 से काफी दूर था।
- JWST के साथ निरंतर अवलोकन का उद्देश्य इन विलयों में निर्मित विभिन्न नाभिकों के पूर्ण विवरण को उजागर करना है, जो आवर्त सारणी में तत्वों की उत्पत्ति की बेहतर समझ में योगदान देता है।

टेल्यूरियम का परिचय

- टेल्यूरियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Te और परमाणु संख्या 52 है।
- यह एक भंगुर, हल्का विषैला, दुर्लभ, चांदी-सफेद उपधातु है।
- यह आवर्त सारणी पर चाकोजेन समूह का सदस्य है, तत्वों का एक समूह जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और पोलोनियम शामिल हैं।

टेल्यूरियम के गुण

भौतिक गुण:

- उपस्थिति: चांदी-सफेद, क्रिस्टलीय, भंगुर धातु
- घनत्व: 6.24 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर
- गलनांक: 722.66 केल्विन (449.51 डिग्री सेल्सियस या 841.12 डिग्री फ़ारेनहाइट)
- क्वथनांक: 1,261 केल्विन (988 डिग्री सेल्सियस या 1,810 डिग्री फ़ारेनहाइट)

रासायनिक गुण

- प्रतिक्रियाशीलता: यह एक मध्यम प्रतिक्रियाशील तत्व है जो सल्फर और सेलेनियम के समान गुण दिखाता है।
- घुलनशीलता: पानी में अघुलनशील, लेकिन सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और क्षार में घुलनशील।

टेल्यूरियम की घटना

- टेल्यूरियम पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ तत्वों में से एक है, और यह पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से सोने और चांदी के टेल्यूराइड्स के रूप में पाया जाता है।
- यह कुछ तांबे के अयस्कों में भी मौजूद होता है।
- इसके अतिरिक्त, टेल्यूरियम कुछ दुर्लभ खनिजों में पाया जा सकता है, जैसे कि कैलावेराइट, सिल्वेनाइट और टेल्यूराइट।

टेल्यूरियम का उपयोग

- फोटोवोल्टिक उद्योग: प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने की क्षमता के कारण इसका उपयोग सौर पैनलों के उत्पादन में किया जाता है।
- धातुकर्म: इसका उपयोग तांबे और स्टेनलेस स्टील की मशीनीकरण में सुधार करने और विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के उत्पादन में किया जाता है।
- रबर विनिर्माण: टेल्यूरियम का उपयोग रबर के उपचार में त्वरक के रूप में किया जाता है।
- ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स: इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, जैसे CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क के उत्पादन में किया जाता है।
- थर्मोइलेक्ट्रिक अनुप्रयोग: टेल्यूरियम का उपयोग थर्मोइलेक्ट्रिक उपकरणों में अपशिष्ट ताप को बिजली में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है।

स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव

- विषाक्तता: टेल्यूरियम और इसके यौगिकों को मध्यम रूप से विषाक्त माना जाता है। टेल्यूरियम के उच्च स्तर के संपर्क में आने से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें लहसुन जैसी सांस की गंध, सिरदर्द और यहां तक कि अधिक गंभीर लक्षण भी शामिल हैं।
- पर्यावरणीय प्रभाव: टेल्यूरियम प्रदूषण विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकता है, और पर्यावरण में इसकी रिहाई से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

न्यूट्रॉन सितारों का परिचय

- वे सुपरनोवा विस्फोट के दौरान बने विशाल तारों के ढहे हुए कोर हैं।
- न्यूट्रॉन तारे अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं, मुख्य रूप से न्यूट्रॉन से बने होते हैं, और उनमें असाधारण गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं।

न्यूट्रॉन तारे के लक्षण

घनत्व और संरचना

- घनत्व: न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड में सबसे घने पिंडों में से हैं, जिनका घनत्व 10^17 किग्रा/वर्ग मीटर तक हो सकता है।
- संरचना: वे मुख्य रूप से कसकर भरे हुए न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जो सुपरनोवा घटना के दौरान कोर के ढहने से उत्पन्न होते हैं।

आकार और द्रव्यमान

- आकार: न्यूट्रॉन सितारों की त्रिज्या आमतौर पर लगभग 10-15 किलोमीटर होती है, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट बनाती है।
- द्रव्यमान: इनका द्रव्यमान सूर्य से 1.4 से 3 गुना तक हो सकता है, कुछ का द्रव्यमान इस सीमा से भी अधिक हो सकता है।

चुंबकीय क्षेत्र

- मजबूत चुंबकीय क्षेत्र: न्यूट्रॉन सितारों के पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, जो आमतौर पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से एक ट्रिलियन गुना अधिक मजबूत होते हैं। यह तीव्र चुंबकीय क्षेत्र अनोखी खगोलीय घटनाओं को जन्म देता है।

न्यूट्रॉन सितारों का निर्माण

- न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने परमाणु ईंधन को ख़त्म कर देते हैं और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपनी बाहरी परतों का समर्थन नहीं कर पाते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, बाहरी परतें बाहर निकल जाती हैं और एक घना कोर पीछे छूट जाता है, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहकर एक न्यूट्रॉन तारा बनाता है।

गुण और व्यवहार

- तीव्र घूर्णन: पतन के दौरान कोणीय गति के संरक्षण के कारण, न्यूट्रॉन तारे अक्सर तेजी से घूमते हैं, कभी-कभी प्रति सेकंड कई बार की गति से।
- पल्सर: उनके चुंबकीय ध्रुवों से निकलने वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण की किरणों वाले न्यूट्रॉन सितारों को पल्सर के रूप में जाना जाता है। जब न्यूट्रॉन तारा घूमता है तो इन किरणों को विकिरण के स्पंदों के रूप में देखा जाता है, जिससे उन्हें "स्पंदित तारे" के रूप में नामित किया जाता है।

महत्व और अनुसंधान

- वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों, तारकीय विकास की गतिशीलता और अत्यधिक घनत्व के तहत पदार्थ के व्यवहार के अध्ययन में आवश्यक हैं।

क्लाउड सीडिंग

खबरों में क्यों?

दिल्ली में प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने बारिश कराने के लिए 'क्लाउड सीडिंग' की योजना बनाई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

बादल बनने के बारे में

- छोटी-छोटी पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल से बना है।
- जब वायुमंडलीय जल वाष्प ठंडा हो जाता है और धूल या नमक जैसे कणों के आसपास संघनित हो जाता है।
- पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल को संघनन या बर्फ के नाभिक की आवश्यकता होती है।
- इन कणों के बिना, वर्षा की बूंदों या बर्फ के टुकड़ों के रूप में वर्षा नहीं हो सकती।

क्लाउड सीडिंग

- क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम विधि है जिसका उपयोग बादलों में कुछ पदार्थों को शामिल करके वर्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- क्लाउड सीडिंग के दौरान, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे रसायनों को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके आकाश में छोड़ा जाता है।
- ये रसायन जलवाष्प को आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा वाले बादलों का निर्माण होता है।
- इस विधि से बारिश कराने में आमतौर पर लगभग आधा घंटा लगता है।

क्लाउड सीडिंग की तकनीकें:

1. हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य तरल बादलों में बूंदों के सहसंयोजन में तेजी लाना है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी बूंदों का निर्माण होता है जिससे वर्षा होती है।
   - हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में उपयोग किए जाने वाले सीडिंग एजेंट कुशल क्लाउड कंडेनसेशन नाभिक (CCN) या GCCN के रूप में काम करते हैं और संक्षेपण और टकराव-सहसंयोजन प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बूंद आकार वितरण (DSD) का विस्तार होता है और वर्षा दक्षता में वृद्धि होती है।
2. ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग, सुपरकूल्ड बादलों में बर्फ के उत्पादन को प्रेरित करने पर केंद्रित है, जिससे वर्षा होती है।
   - ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग में कुशल बर्फ के नाभिक, जैसे सिल्वर आयोडाइड कण या सूखी बर्फ, को बादल में फैलाना शामिल है, जो बर्फ के कणों के उत्पादन को बढ़ाता है और बारिश को बढ़ाता है।

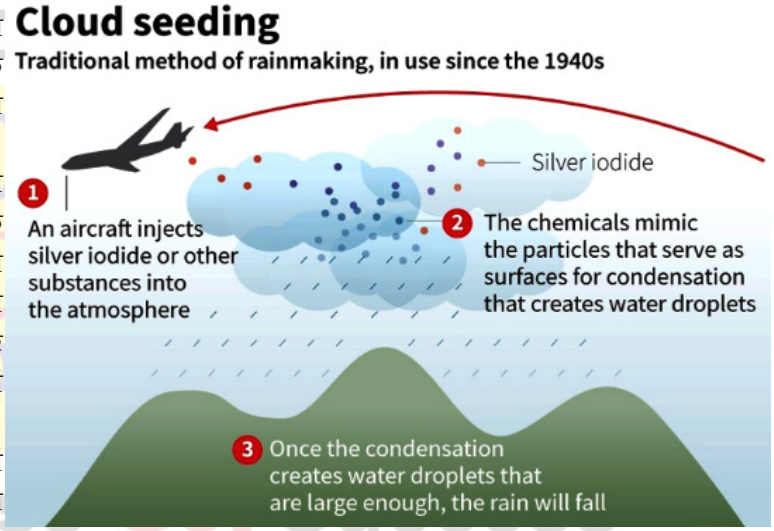

क्लाउड सीडिंग की उपयोगिता

यह विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है, जिनमें शामिल हैं:

- सूखे के प्रभाव को कम करना
- जंगल की आग को रोकना
- वर्षा में वृद्धि
- वायु गुणवत्ता में वृद्धि।

क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता:

- उपयुक्त परिस्थितियों में वर्षा बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग प्रभावी साबित हुई है।
- एक यादृच्छिक बीजारोपण प्रयोग में 276 संवहनशील बादलों का चयन किया गया, जिनमें 150 बादल बीजारोपण के अधीन थे और 122 बिना बीज वाले।
- वर्षा की संभावना वाले बादलों की पहचान करने के लिए तरल जल सामग्री और ऊर्ध्वाधर गति सहित विशिष्ट बादल विशेषताओं का उपयोग किया गया था।
- लक्षित संवहनी बादल आमतौर पर एक किलोमीटर से अधिक गहरे थे और गहरे क्यूम्यलस बादलों में विकसित होने की संभावना थी।

क्लाउड सीडिंग की सफलता की कहानी

- सोलापुर शहर में किया गया एक क्लाउड सीडिंग प्रयोग, जो पश्चिमी घाट के निचले हिस्से में पड़ता है और इसलिए कम वर्षा होती है, वर्षा में 18% सापेक्ष वृद्धि हासिल करने में सक्षम था।

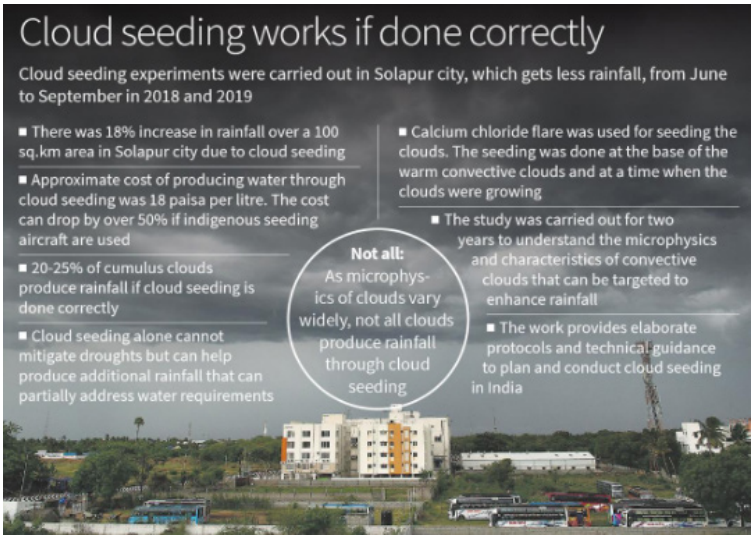

अनुप्रयोग:

- शीतकालीन बर्फबारी को बढ़ाने और पर्वतीय स्नोपैक को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है, जो आसपास के क्षेत्रों में समुदायों के लिए प्राकृतिक जल आपूर्ति को पूरक कर सकता है।
- ओलावृष्टि को रोकने, कोहरे को खत्म करने, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा कराने या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग की जा सकती है।

चुनौतियाँ:

- क्लाउड सीडिंग के लिए नमी से भरे बादलों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध या पूर्वानुमानित नहीं होते हैं।
- क्लाउड सीडिंग ऐसे समय में नहीं होती है जब अतिरिक्त वर्षा समस्याग्रस्त होगी, जैसे कि उच्च बाढ़ जोखिम या व्यस्त अवकाश यात्रा अवधि के समय।
- क्लाउड सीडिंग का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे प्राकृतिक जल चक्र में परिवर्तन, मिट्टी और पानी को रसायनों से दूषित करना, या स्थानीय जलवायु को प्रभावित करना।

विट्रिमर्स

खबरों में क्यों?

जापानी वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लास्टिक का एक अभिनव संस्करण विकसित किया है जो ताकत और लचीलेपन में पारंपरिक वेरिएंट से आगे निकल जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पारंपरिक प्लास्टिक के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की वैश्विक खोज में, टोक्यो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एपॉक्सी राल विट्रीमर पर आधारित एक टिकाऊ प्लास्टिक सफलतापूर्वक तैयार किया है।
- यह नवीन प्लास्टिक संस्करण, जिसे VPR (पॉलीरोटैक्सेन के साथ शामिल विट्रीमर) के रूप में जाना जाता है, पॉलीरोटैक्सेन अणु को संश्लेषण प्रक्रिया में एकीकृत करता है, जो विट्रीमर्स से जुड़ी भंगुरता को संबोधित करता है।
- यह अभूतपूर्व प्लास्टिक आंशिक बायोडिग्रेडेबिलिटी और जटिल आकृतियों को बनाए रखने की उल्लेखनीय क्षमता भी प्रदर्शित करता है, जिसे नियंत्रित हीटिंग के माध्यम से बहाल किया जा सकता है।

विशेषताएँ

- आकार स्मृति गुण: VPR मजबूत आंतरिक रासायनिक बंधनों के कारण कम तापमान पर एक कठोर संरचना बनाए रखता है, जबकि यह उच्च तापमान, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न आकृतियों के अनुकूल हो सकता है।
- बायोडिग्रेडेबिलिटी: वीपीआर 30 दिनों में समुद्री जल में 25% ब्रेकडाउन के साथ आशाजनक बायोडिग्रेडेबिलिटी प्रदर्शित करता है। घटक पॉलीरोटेक्सेन समुद्री जीवन के लिए संभावित खाद्य स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- स्व-उपचार क्षमताएं: यह अभिनव प्लास्टिक प्रभावशाली स्व-उपचार क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, जो सामान्य एपॉक्सी राल विट्रिमर्स की तुलना में 15 गुना तेजी से ठीक होता है।

बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का परिचय

- बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक प्रकार की प्लास्टिक सामग्री है जो बैक्टीरिया या अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवित जीवों की कार्रवाई के माध्यम से पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास जैसे प्राकृतिक तत्वों में विघटित हो सकती है।
- ये प्लास्टिक वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट संकट का एक आशाजनक समाधान प्रदान करते हैं, क्योंकि वे पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं और लैंडफिल और महासागरों में गैर-अपघटनीय प्लास्टिक कचरे के संचय को कम करते हैं।

बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के प्रकार

- जैव-आधारित प्लास्टिक: मकई स्टार्च, गन्ना, या सेलूलोज़ जैसे नवीकरणीय बायोमास स्रोतों से प्राप्त, ये प्लास्टिक विशिष्ट परिस्थितियों में प्राकृतिक तत्वों में विघटित होने में सक्षम हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाती है।
- सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक: इन प्लास्टिक को रासायनिक रूप से विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों, जैसे सूरज की रोशनी, गर्मी, नमी, या माइक्रोबियल गतिविधि के संपर्क में आने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे हानिरहित पदार्थों में उनके टूटने की सुविधा मिलती है।

- स्टार्च-आधारित प्लास्टिक: मक्का, गेहूं या आलू जैसी फसलों से प्राप्त स्टार्च-आधारित बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सबसे आम प्रकारों में से हैं। ये प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक स्टार्च और अन्य बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर के मिश्रण से बने होते हैं, जो पैकेजिंग और डिस्पोजेबल वस्तुओं में बहुमुखी अनुप्रयोग प्रदान करते हैं।
- पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA): पॉलीएलैक्टिक एसिड, मकई स्टार्च या गन्ना जैसे नवीकरणीय संसाधनों से उत्पादित एक जैव-आधारित बहुलक, औद्योगिक खाद स्थितियों के तहत बायोडिग्रेडेबल है। PLA का व्यापक रूप से पैकेजिंग सामग्री, डिस्पोजेबल टेबलवेयर और 3डी प्रिंटिंग सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
- पॉलीहाइड्रॉक्सीअल्केनोएट्स (PHA): पॉलीहाइड्रॉक्सीअल्केनोएट्स कार्बनिक पदार्थों के किण्वन के माध्यम से सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर का एक समूह है। ये बहुमुखी प्लास्टिक पारंपरिक पॉलीथीन के समान गुण प्रदान करते हैं और पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरणों और बायोडिग्रेडेबल बैग के उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं।
- पॉलीब्यूटिलीन सक्सिनेट (PBS): पॉलीब्यूटिलीन सक्सिनेट एक जैव-आधारित और बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर है जो स्यूसिनिक एसिड और 1,4-ब्यूटेनडियोल से निर्मित होता है। पीबीएस का उपयोग आमतौर पर कम्पोस्टेबल पैकेजिंग सामग्री, डिस्पोजेबल टेबल-वेयर और कृषि फिल्मों के उत्पादन में किया जाता है, जो अच्छे थर्मल और मैकेनिकल गुण प्रदान करते हैं।
- पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटाइरेट (PHB): पॉलीहाइड्रॉक्सीब्यूटाइरेट एक बायोडिग्रेडेबल थर्मोप्लास्टिक पॉलिएस्टर है जो नवीकरणीय कार्बन स्रोतों से सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित होता है। पीएचबी पारंपरिक पॉलीप्रोपाइलीन के समान गुण प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग पैकेजिंग, डिस्पोजेबल आइटम और बायोमेडिकल उपकरणों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- पॉलीथीन ऑक्साइड (PEO): पॉलीथीन ऑक्साइड एक पानी में घुलनशील, बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर है जो अपने उत्कृष्ट फिल्म बनाने और गाढ़ा करने के गुणों के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें जल उपचार, नियंत्रित-रिलीज़ दवा वितरण प्रणाली और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन शामिल है।
- कोपोलिएस्टर (PBSA): कोपोलिएस्टर, जिसे पॉलीब्यूटिलीन सक्सिनेट एडिपेट के रूप में भी जाना जाता है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर है जो स्यूसिनिक एसिड, एडिपिक एसिड और 1,4-ब्यूटेनडियोल से बना है। पीबीएसए बेहतर लचीलापन और प्रभाव प्रतिरोध प्रदान करता है और इसका उपयोग आमतौर पर कंपोस्टेबल पैकेजिंग फिल्मों और डिस्पोजेबल वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है।

बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लाभ

- पर्यावरणीय प्रभाव: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक के कारण होने वाले पर्यावरणीय बोझ को कम करता है, मिट्टी और जल प्रदूषण को कम करता है और समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है।
- अपशिष्ट में कमी: हानिरहित तत्वों में विघटित होने की उनकी क्षमता लैंडफिल में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे के संचय में कमी सुनिश्चित करती है, जिससे स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।
- संसाधन संरक्षण: जैव-आधारित प्लास्टिक के लिए नवीकरणीय बायोमास स्रोतों का उपयोग जीवाश्म ईंधन संसाधनों के संरक्षण में योगदान देता है और अधिक टिकाऊ और परिपत्र अर्थव्यवस्था में संक्रमण का समर्थन करता है।

चुनौतियाँ और विचार

- सीमित स्थायित्व: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में स्थायित्व और शेल्फ जीवन कम हो सकता है, जिससे उनके उचित अनुप्रयोगों और उपयोग पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक हो जाता है।
- औद्योगिक बुनियादी ढांचा: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के प्रभावी प्रबंधन और निपटान के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे और नियंत्रित वातावरण में उनके अपघटन को सुविधाजनक बनाने में सक्षम सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
- उपभोक्ता जागरूकता: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उचित उपयोग, निपटान और खाद बनाने की आवश्यकताओं के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना उनके पर्यावरणीय लाभों को अधिकतम करने और प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्तमान अनुप्रयोग और भविष्य की संभावनाएँ

- पैकेजिंग उद्योग: बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का पैकेजिंग उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग होता है, जिसमें एकल-उपयोग बैग, खाद्य कंटेनर और खाद योग्य पैकेजिंग सामग्री शामिल हैं।
- कृषि क्षेत्र: इन प्लास्टिक का उपयोग कृषि अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि गीली घास की फिल्में और पौधों के बर्तन, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना।
- चल रहे अनुसंधान: निरंतर अनुसंधान और विकास का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के स्थायित्व, यांत्रिक गुणों और लागत--प्रभावशीलता को बढ़ाना, उनके संभावित अनुप्रयोगों का विस्तार करना और विभिन्न उद्योगों में उनके व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है।

सबसे पुराना ब्लैक होल

खबरों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने हाल ही में सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज की है, जो बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष बाद का है।

महत्वपूर्ण बिंदु

ब्लैक होल:

- आयु: यह देखते हुए कि ब्रह्मांड 13.7 अरब वर्ष पुराना है, इससे इस नए खोजे गए ब्लैक होल की आयु 13.2 अरब वर्ष हो जाती है।

- आकार: वैज्ञानिकों के लिए और भी अधिक आश्चर्यजनक, यह ब्लैक होल हमारी अपनी आकाशगंगा के ब्लैक होल से 10 गुना बड़ा है।
- गठन: शोधकर्ताओं का मानना है कि ब्लैक होल गैस के विशाल बादलों से बना है जो तारों वाली आकाशगंगा के बगल में स्थित आकाशगंगा में ढह गए। दो आकाशगंगाएँ विलीन हो गई और ब्लैक होल ने कब्ज़ा कर लिया।

इसकी खोज कैसे हुई?

- दो अंतरिक्ष दूरबीनों - वेब और चंद्रा - ने अंतरिक्ष के उस क्षेत्र को बड़ा करने के लिए गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक तकनीक का उपयोग किया जहां यह आकाशगंगा, UHZ 1 और इसका ब्लैक होल स्थित है।
- दूरबीनों ने UHZ1 और उसके ब्लैक होल को पृष्ठभूमि में बहुत दूर तक बढ़ाने के लिए, पृथ्वी से केवल 3.2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर, आकाशगंगाओं के एक बहुत करीब समूह से प्रकाश का उपयोग किया।
- एक्स-रे से हम उस गैस को पकड़ सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा ब्लैक होल में खींची जा रही है, तेज हो गई है और यह एक्स-रे में चमकने लगती है।

वेब टेलीस्कोप

- 2021 में लॉन्च किया गया, वेब अंतरिक्ष में अब तक भेजी गई सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली खगोलीय वेधशाला है; यह ब्रह्मांड को अवरक्त में देखता है।
- यह विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञान वेधशाला है।
- यह हमारे सौर मंडल में रहस्यों को सुलझाएगा, अन्य सितारों के आसपास की दूर की दुनिया से परे देखेगा, और हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की रहस्यमय संरचनाओं और उत्पत्ति की जांच करेगा।
- नासा के 10 बिलियन डॉलर के जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से विकसित किया गया था।
- टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेसपोर्ट से एरियन 5 पर लॉन्च किया गया।

चंद्रा एक्स-रे वेधशाला

- अधिक उम्र के चंद्रा के पास एक्स-रे दृष्टि है; यह 1999 में कक्षा में प्रक्षेपित हुआ।
- चंद्रा दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में मदद करने के लिए विदेशी वातावरण की एक्स-रे छवियां प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- चंद्रा एक्स-रे वेधशाला हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और अब डीऑर्बिटेड कॉम्पटन गामा रे वेधशाला के साथ नासा के "महान वेधशालाओं" के बेड़े का हिस्सा है।

क्वासर क्या हैं?

- क्वासर (जिसे क्यूएसओ या अर्ध-तारकीय वस्तु के रूप में भी जाना जाता है) एक अत्यंत चमकदार सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (एजीएन) है।
- क्वासर की खोज पहली बार छह दशक पहले की गई थी। वे सुपरमैसिव ब्लैक होल में स्थित हैं, जो आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं।
- चूंकि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल गैस और धूल पर फ़ीड करता है, यह विकिरण के रूप में असाधारण मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप क्वासर बनता है।
- ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक बिंदु है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जिससे प्रकाश भी बच नहीं सकता है।

क्वासर का महत्व

- क्वासर ब्रह्मांड के इतिहास और संभवतः आकाशगंगा के भविष्य की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- क्वासर "ब्रह्मांडीय प्रकाशस्तंभ" के रूप में कार्य करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड की बाहरी पहुंच को देखने की अनुमति मिलती है।
- नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड की सबसे प्रारंभिक आकाशगंगाओं का अध्ययन करेगा। दूरबीन लगभग 13 अरब वर्ष पहले उत्सर्जित सबसे दूर के क्वासर से भी प्रकाश का पता लगाने में सक्षम है।

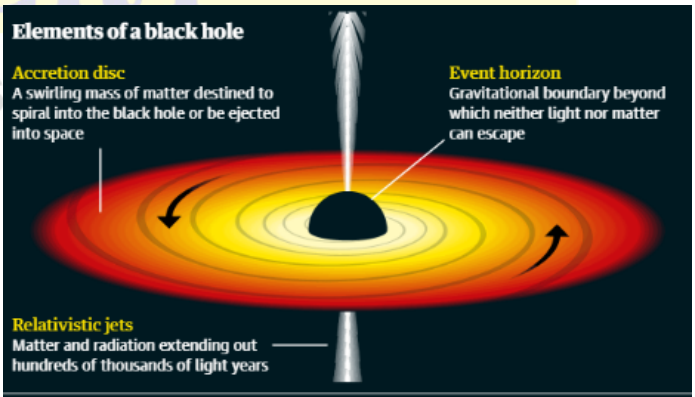

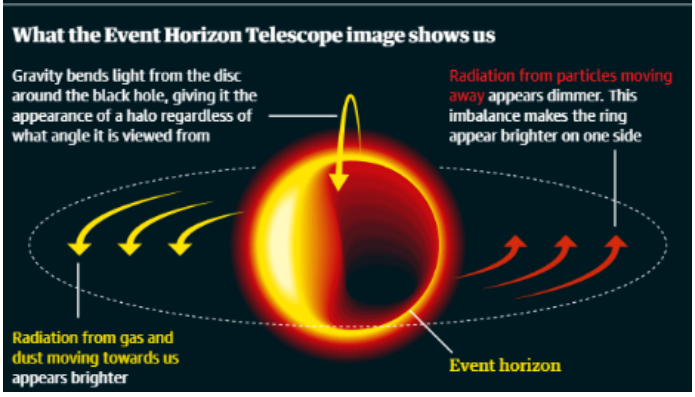

ब्लैक होल्स

- इसके बारे में: यह एक खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता है।
- एक ब्लैक होल की "सतह", जिसे उसका घटना क्षितिज कहा जाता है, उस सीमा को परिभाषित करती है जहां भागने के लिए आवश्यक वेग प्रकाश की गति से अधिक हो जाता है, जो ब्रह्मांड की गति सीमा है।
- पदार्थ और विकिरण अंदर गिरते हैं, लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाते हैं।

- आइंस्टीन के सिद्धांत की भूमिका: सबसे प्रसिद्ध रूप से, ब्लैक होल की भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि जब एक विशाल तारा मर जाता है, तो वह अपने पीछे एक छोटा, घना अवशेष कोर छोड़ जाता है।

चिकनगुनिया का टीका

खबरों में क्यों?

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके इक्सिचक को मंजूरी दे दी है, जो मच्छर जनित वायरस से उत्पन्न उभरते वैश्विक स्वास्थ्य खतरे को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- चिकनगुनिया एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों, विशेष रूप से एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
- यह वायरस आमतौर पर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- चिकनगुनिया संक्रमण की पहचान बुखार और गंभीर जोड़ों के दर्द जैसे लक्षणों से होती है। हालांकि यह वायरस आम तौर पर घातक नहीं है, लेकिन यह लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, खासकर वृद्ध वयस्कों और अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों में।

विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन - Ixchiq

- Ixchiq नामक वैक्सीन को यूरोपीय फार्मास्युटिकल कंपनी वलनेवा द्वारा विकसित किया गया था।
- अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने Ixchiq को मंजूरी दे दी, जिससे यह चिकनगुनिया का पहला टीका बन गया।
- टीका 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत है, जिनमें चिकनगुनिया वायरस के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है।
- इस अनुमोदन से वैक्सीन की तेजी से तैनाती की सुविधा मिलने की उम्मीद है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वायरस प्रचलित है।

चिकनगुनिया का वैश्विक प्रभाव और प्रसार

- FDA का कहना है कि चिकनगुनिया वायरस नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गया है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक प्रसार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पिछले 15 वर्षों में पांच मिलियन से अधिक मामले सामने आए हैं।
- चिकनगुनिया के संक्रमण से गंभीर बीमारी और लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, खासकर कुछ जनसांख्यिकीय समूहों के लिए।

वैक्सीन की संरचना और प्रशासन

- Ixchiq एक एक-खुराक वाला टीका है जिसमें कई टीकों में उपयोग किए जाने वाले मानक दृष्टिकोण का पालन करते हुए चिकनगुनिया वायरस का एक जीवित, कमजोर संस्करण होता है।
- वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए उत्तरी अमेरिका में 3,500 लोगों पर दो नैदानिक परीक्षण आयोजित किए गए।
- रिपोर्ट किए गए दुष्प्रभावों में सिरदर्द, थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, बुखार और मतली शामिल हैं।
- परीक्षणों में Ixchiq प्राप्तकर्ताओं में से 1.6% में गंभीर प्रतिक्रियाएं दर्ज की गई, जिनमें से दो व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी।
- कुछ टीका प्राप्तकर्ताओं को चिकनगुनिया जैसी प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का अनुभव हुआ जो 30 दिनों या उससे अधिक समय तक रहीं।

चिंताएँ और भविष्य के निहितार्थ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिकनगुनिया के संभावित रूप से भविष्य में महामारी का खतरा बनने के बारे में चिंता व्यक्त की है, खासकर जब जलवायु परिवर्तन वायरस फैलाने वाले मच्छरों के वितरण को बदल देता है।
- चिकनगुनिया गर्भवती व्यक्ति से उनके अजन्मे बच्चे में फैल सकता है, और यह नवजात शिशुओं के लिए घातक हो सकता है। FDA इस बात को लेकर अनिश्चितता को स्वीकार करता है कि क्या टीका वायरस गर्भाशय में मां से बच्चे में फैल सकता है और क्या टीका नवजात शिशुओं में प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है।

वैश्विक प्राधिकरण प्रयास

- वलनेवा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर वैक्सीन उपलब्ध कराने के प्रयासों का सुझाव देते हुए यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (EMA) के साथ प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है।

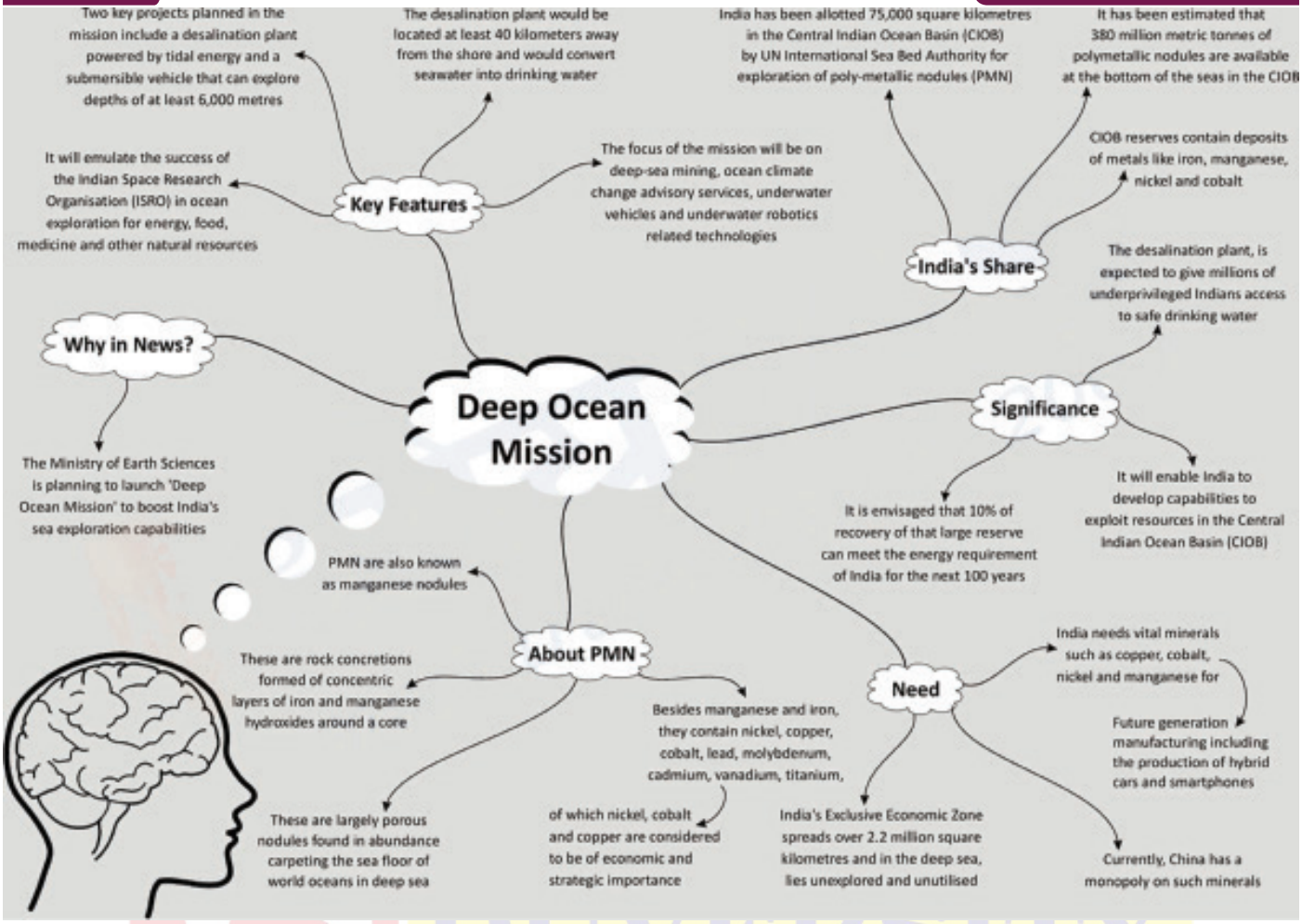

DUVERSITY
DUCATION
XPERT
"Right Access Get Success"

6 सामाजिक मुद्दे

एक राष्ट्र, एक पंजीकरण प्लेटफार्म

खबरों में क्यों?

NMC, डॉक्टरों के लिए एक राष्ट्र, एक पंजीकरण प्लेटफार्म लॉन्च करेगा

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक महत्वपूर्ण विकास में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 2024 के अंत तक देश के प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के मिशन पर काम शुरू किया है। इस पहल की आधारशिला राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर का निर्माण है (NMR), जो भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा। इस कदम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

पायलट प्रोजेक्ट और एनएमआर लॉन्च

- नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट अगले छह महीनों के भीतर शुरू करने की तैयारी है, और पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
- NMC के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के सदस्य डॉ. योगेन्द्र मलिक ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान की।

NMR की मुख्य विशेषताएं

NMR मौजूदा भारतीय मेडिकल रजिस्टर (IMR) की जगह लेगा और NMC की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध होगा। यह पंजीकृत डॉक्टरों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें शामिल हैं:

- विशिष्ट पहचान संख्या (UID): प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान संख्या सौंपी जाएगी।
- पंजीकरण संख्या: सत्यापन के लिए डॉक्टर का पंजीकरण नंबर।
- नाम और कार्य का स्थान: डॉक्टर का नाम और कार्यस्थल का विवरण।
- योग्यताएँ: डॉक्टर की शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानकारी।
- विशेषज्ञता: डॉक्टर की विशेषज्ञता का क्षेत्र।
- संस्थान/विश्वविद्यालय: उस संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम जहां योग्यताएं प्राप्त की गईं।

नकल और लालफीताशाही को खत्म करना

- डॉ. मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण मंच' बनाना है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य पंजीकरण प्रक्रिया के भीतर दोहराव और नौकरशाही बाधाओं को खत्म करना है।
- वर्तमान में, लगभग 1.4 मिलियन डॉक्टर आईएमआर के साथ पंजीकृत हैं, और उन्हें संक्रमण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका डेटा निर्बाध रूप से एनएमआर में स्थानांतरित किया जाएगा।

केंद्रीकृत UID जनरेशन

- विशिष्ट पहचान संख्या (UID) NMC के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (EMRB) द्वारा केंद्रीय रूप से तैयार की जाएगी।
- यह UID NMR के साथ पंजीकरण के प्रमाण के रूप में काम करेगा और डॉक्टरों को भारत में चिकित्सा अभ्यास करने की पात्रता प्रदान करेगा।
- इसके अलावा, एक बार जब डॉक्टर एनएमआर के साथ पंजीकृत हो जाते हैं, तो उन्हें कई राज्यों में प्रैक्टिस करने के लिए आवेदन करने और लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा होगी, जिससे पेशे के भीतर गतिशीलता बढ़ेगी।

विनियामक ढांचा और छात्र एकीकरण

- NMC ने इस साल मई में जारी अपने 'मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पंजीकरण और प्रैक्टिस मेडिसिन विनियम, 2023 के लाइसेंस' के माध्यम से इस अभूतपूर्व कदम की शुरुआत की।
- स्नातक मेडिकल छात्रों को 'मास्क UIB' सौंपी जाएगी, जिसका अनावरण उनकी MBBS की डिग्री पूरी होने पर किया जाएगा।
- ये UID जीवन भर वैध रहेंगे, और डॉक्टर एनएमआर के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी योग्यता को अपडेट करने में सक्षम होंगे।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) एक नियामक संस्था है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करती है।
- इसने 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान ले लिया।

आयोग:

- चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता प्रदान करता है,
- मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है,
- चिकित्सा व्यवसायियों को पंजीकरण प्रदान करता है,
- चिकित्सा अभ्यास की निगरानी करता है
- भारत में चिकित्सा बुनियादी ढांचे का आकलन करता है

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (FSSAI) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक मूल्यांकन है।
- इसे पहली बार FSSAI द्वारा वर्ष 2018-19 में पेश किया गया था।

FSSAI का उद्देश्य

- FSSAI एक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ ढांचा प्रदान करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने और अपने अधिकार क्षेत्र में मजबूत खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-2023 के प्रमुख निष्कर्ष

राज्य खाद्य सुरक्षा स्कोर में सामान्य गिरावट:

- पिछले पांच वर्षों में, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश सहित 20 बड़े भारतीय राज्यों में से 19 ने 2019 की तुलना में अपने 2022 - 2023 FSSAI स्कोर में गिरावट का अनुभव किया है।

2023 सूचकांक पैरामीटर समायोजन का प्रभाव:

- 2022- 2023 सूचकांक में पेश किए गए एक नए पैरामीटर के समायोजन के बाद, 20 में से 15 राज्यों ने 2019 की तुलना में 2022 - 2023 में कम FSSAI स्कोर दर्ज किया।

STATES WITH STEEPEST INDEX FALL

State	2019	2023
Maharashtra	74	45
Bihar	46	20.5
Gujarat	73	48.5
Andhra Pradesh	47	24
Chhattisgarh	46	27

Source: SFSI reports; all scores out of 100

SAFETY MEASURE

Parameter	Weight
Compliance	28
Consumer Empowerment	19
Human Resources and Institutional Data	18
Food Testing Infrastructure	17
Improvement in SFSI Rank *(added in 2023)*	10
Training and Capacity Building	8
TOTAL	100

संबंधित श्रेणियों में राज्यों की समग्र रैंकिंग:

'खाद्य परीक्षण अवसंरचना' में गिरावट:

- 'खाद्य परीक्षण अवसंरचना' पैरामीटर खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षित कर्मियों के साथ पर्याप्त परीक्षण बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को मापता है।
- इस पैरामीटर में सबसे भारी गिरावट देखी गई, सभी बड़े राज्यों का औसत स्कोर 2019 में 20 में से 13 से गिरकर 2022 - 2023 में 17 में से 7 हो गया।
- 2022 - 2023 में इस पैरामीटर में गुजरात और केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा जबकि आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

अनुपालन स्कोर में कमी:

- यह पैरामीटर प्रत्येक राज्य के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा किए गए खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण, किए गए निरीक्षण, आयोजित विशेष अभियान और शिविरों और ऐसे अन्य अनुपालन-संबंधी कार्यों को मापता है।
- 'अनुपालन' पैरामीटर के स्कोर में भी गिरावट आई।
- पंजाब और हिमाचल प्रदेश को इस पैरामीटर में उच्चतम स्कोर प्राप्त हुआ और झारखंड को सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ।

Category- Union Territories	
Name	Rank
Jammu & Kashmir	1
Delhi	2
Chandigarh	3

Category- Small States	
Small State	Rank
Goa	1
Manipur	2
Sikkim	3

Category- Large States	
Large State	Rank
Kerala	1
Punjab	2
Tamil Nadu	3

- सभी बड़े राज्यों के लिए 2022 - 2023 का औसत अनुपालन स्कोर 28 में से 11 रहा, जबकि 2019 में यह 30 में से 16 था।

विविध उपभोक्ता सशक्तिकरण:

- 'उपभोक्ता सशक्तिकरण' पैरामीटर, FSSAI की विभिन्न उपभोक्ता सशक्तीकरण पहलों में राज्य के प्रदर्शन को मापता है, जिसमें फूड फोर्टिफिकेशन, ईट राइट कैंपस, भोग (भगवान को आनंदमय स्वच्छता की पेशकश), रेस्तरां की स्वच्छता रेटिंग और स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब में भागीदारी शामिल है।
- तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, उसके बाद केरल और मध्य प्रदेश रहे।
- कुल मिलाकर, 2022 - 2023 में औसत स्कोर 2019 की तुलना में 19 में से 8 अंक रहा जब यह 20 में से 7.6 अंक था।

मानव संसाधन और संस्थागत डेटा स्कोर में गिरावट:

- 'मानव संसाधन और संस्थागत डेटा' पैरामीटर प्रत्येक राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, नामित अधिकारियों की संख्या और निर्णय और अपीलीय न्यायाधिकरणों की सुविधा सहित मानव संसाधनों की उपलब्धता को मापता है।
- इस पैरामीटर के लिए औसत स्कोर 2019 में 20 में से 11 अंक से घटकर 2022-2023 में 18 में से 7 अंक हो गया।
- यहां तक कि 2019 में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को भी 2022 - 2023 में कम अंक मिले।

'प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण' में सुधार:

- औसत स्कोर 2019 में 10 में से 3.5 से बढ़कर 2022- 2023 में 8 में से 5 हो गया।

FSSAI रैंक में सुधार:

- नए पैरामीटर ' FSSAI रैंक में सुधार' में केवल पंजाब में ही उल्लेखनीय सुधार हुआ।
- FSSAI रैंक पैरामीटर में सुधार, जिसका 2022 - 2023 में 10% वेटेज था, 20 बड़े राज्यों में से 14 को 0 अंक प्राप्त हुए।

भारत के भूजल की सुरक्षा

खबरों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि देश के 31 जलभृतों में से 27 जलस्रोतों में प्राकृतिक रूप से पूर्ति की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट आ रही है। इस मुद्दे पर कम से कम एक दशक से चिंताएं जताई जा रही हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

भारत में भूजल की कमी

- भारत वर्तमान में भूजल दोहन के मामले में चीन और अमेरिका दोनों को मिलाकर दुनिया में सबसे आगे है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार, देश का लगभग 70 प्रतिशत जल उपयोग भूजल स्रोतों पर निर्भर करता है। हालाँकि, यह अत्यधिक निष्कर्षण भारत की पर्यावरणीय स्थिरता और जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ और जोखिम पैदा करता है।

भूजल की कमी के कारण:

- हरित क्रांति का प्रभाव: भूजल-आधारित सिंचाई का विस्तार, जबकि भारत की बड़ी आबादी की खाद्य मांगों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, ने विभिन्न पर्यावरणीय परिणामों को जन्म दिया है।
- सिंचाई पंपिंग: कृषि सिंचाई के लिए भूजल पंपिंग कमी लाने वाला एक प्रमुख कारक बनी हुई है, जिससे खाद्य और जल सुरक्षा दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है, खासकर जलवायु परिवर्तन की स्थिति में।
- जलभृत का ह्रास: भूजल जलभृतों से प्राप्त होता है, जो भूमिगत जल का भंडारण करने वाली संतृप्त चट्टानें हैं। इन भंडारों से पानी की निरंतर पंपिंग से उनमें कमी आ जाती है, जिससे भारत की पानी की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: जबकि मानवीय गतिविधियाँ मुख्य रूप से भूजल की कमी को बढ़ावा देती हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारक भी योगदान करते हैं, जिससे कमी की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये चुनौतियाँ भावी पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन को संरक्षित करने के लिए भारत में स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- संस्थागत नवाचारों का अभाव: ट्यूबवेल और बोरवेल पर ऐतिहासिक फोकस ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, 2016 की मिहिर शाह समिति ने जल क्षेत्र में संस्थागत नवाचारों पर जोर की कमी की ओर इशारा किया, जिससे स्थायी समाधान बाधित हो रहे हैं।
- भूजल का कुप्रबंधन: विशेष रूप से पंजाब जैसे राज्यों में बिजली सब्सिडी और गिरते जल स्तर के बीच संबंध स्पष्ट है। मांग-पक्ष प्रबंधन को संबोधित करना एक जटिल चुनौती बनी हुई है, जिससे प्रभावी समाधान में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं।
- भूजल की कमी पर रिपोर्ट: संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, नीति आयोग और केंद्रीय जल आयोग सहित प्रतिष्ठित संस्थानों की रिपोर्टें देश के जलभृतों की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि तेजी से कमी हो रही है, 31 में से 27 जलभृत उनकी पूर्ति की तुलना में तेजी से कम हो रहे हैं और कुछ राज्यों में 78% कुओं का अत्यधिक दोहन हो रहा है।

- जलवायु संकट का संभावित प्रभाव: शोधकर्ताओं ने भूजल निष्कर्षण और जलवायु संकट के बीच संबंध स्थापित किया है, विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम जैसे क्षेत्रों में, जहां कठोर चट्टान वाले जलभृत पुनर्भरण को सीमित करते हैं। बढ़ता तापमान मिट्टी की नमी को कम करके, भूजल पुन:पूर्ति में बाधा डालकर समस्या को और बढ़ा देता है।

भूजल संरक्षण के लिए सरकारी पहल

- अटल भूजल योजना: 2020 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस कार्यक्रम का उद्देश्य सात राज्यों के 78 जल-तनाव वाले जिलों में सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक डेटा 2022 तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूजल निष्कर्षण में 6 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी का संकेत देता है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB): जल शक्ति मंत्रालय के तहत शीर्ष संगठन के रूप में, सीजीडब्ल्यूबी भूजल से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, प्रबंधन और विनियमन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- जल शक्ति अभियान (JSA): राज्यों के सहयोग से 2019 में शुरू किया गया, JSA 256 जल-तनाव वाले जिलों में भूजल स्थितियों सहित पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य व्यापक सुधार करना है।
- राष्ट्रीय जल नीति: वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की वकालत करने के लिए तैयार की गई, यह नीति वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर देती है।
- राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM): भूजल प्रबंधन और विनियमन (GWM&R) योजना के हिस्से के रूप में CGWB द्वारा कार्यान्वित, NAQUIM देश के जलभृतों के मानचित्रण और प्रबंधन, कुशल उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भूजल संरक्षण के लिए प्रभावी समाधान

- व्यक्तिगत-केंद्रित संरक्षण: सजावटी जल सुविधाओं और स्विमिंग पूल जैसे गैर-आवश्यक उद्देश्यों के लिए पानी के उपयोग को कम करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, पानी को महत्वपूर्ण रूप से संरक्षित कर सकता है। पानी की पर्याप्त मात्रा बचाने के लिए नल बंद करना, उपकरण का उपयोग सीमित करना और घर में बेकार की आदतों से बचना जैसी सरल प्रथाएँ आवश्यक हैं।
- व्यक्तिगत भूजल निगरानी: भूजल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। ऐसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना जो लोगों को अपने बोरवेल में जल स्तर की निगरानी करने में सक्षम बनाता है, जिम्मेदार जलभृत प्रबंधन को बढ़ावा दे सकता है। ये उपकरण भूजल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए व्यवहार परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं।
- जल प्रदूषण का प्रबंधन: जल प्रदूषण को रोकना महत्वपूर्ण है। व्यवसायों और आवासीय क्षेत्रों को रासायनिक उपयोग को कम करना चाहिए और उचित निपटान विधियों को सुनिश्चित करना चाहिए। जल प्रणालियों में विषाक्त पदार्थों के प्रवेश को कम करके, हम अपनी जल आपूर्ति को दूषित होने से बचा सकते हैं।
- विनियम, अनुसंधान और वित्त पोषण की आवश्यकता: अनुसंधान और निगरानी प्रयासों के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना आवश्यक है। यह फंडिंग सीमा निर्धारित करने और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने, जिम्मेदार भूजल उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता कर सकती है। भूजल पंपिंग को नियंत्रित करने वाले सख्त नियम, विशिष्ट दिशानिर्देशों और प्रवर्तन के साथ, प्रभावी संरक्षण के लिए आवश्यक हैं।
- वैकल्पिक जल स्रोतों की खोज: भूजल पर निर्भरता कम करना महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक जल स्रोतों की खोज से प्राकृतिक जलभृत पुन:पूर्ति में मदद मिलती है और स्थायी प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलता है जो पानी के उपयोग को कम करते हैं। यह दृष्टिकोण जल आपूर्ति में विविधता लाता है, जिससे यह बदलती मांगों के लिए अधिक लचीला और अनुकूलनीय बन जाता है।
- कृषि पद्धतियों का प्रबंधन: कम पानी वाली फसलों को अपनाने के साथ-साथ स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जैसी जल-बचत प्रौद्योगिकियों को लागू करने से सीमित भूजल संसाधनों के प्रभावी उपयोग में वृद्धि होती है। बाजरा जैसी फसलों को बढ़ावा देना, जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, और कुशल जल तकनीकों को प्रोत्साहित करना टिकाऊ कृषि पद्धतियों की दिशा में कदम हैं। भूजल के संरक्षण और दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ये पहल आवश्यक हैं।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ - 2022

खबरों में क्यों?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं - 2022' शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो सड़क सुरक्षा और दुर्घटना आंकड़ों की जानकारी प्रदान करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- तेज़ रफ़्तार सबसे बड़ी जानलेवा है: 2022 में, कुल सड़क दुर्घटनाओं में 72.3%, कुल मौतों में से 71.2% और कुल चोटों में 72.8% का कारण तेज़ गति थी। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई, दुर्घटनाओं में 12.8% की वृद्धि, मौतों में 11.8% की वृद्धि, और चोटों में 15.2% की वृद्धि हुई।

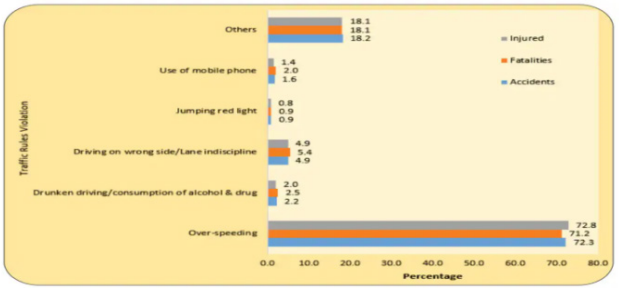

- अधिकांश दुर्घटनाएँ सीधी सड़कों पर हुईं: सभी दुर्घटनाओं में से लगभग 67% सीधी सड़कों पर हुईं, जो घुमावदार सड़कों, गड्ढों वाली सड़कों और खड़ी ढाल वाली सड़कों पर कुल दुर्घटनाओं की संख्या (13.8%) से चार गुना अधिक थी।
- पीछे से टक्कर : सभी टकरावों में से 21% से अधिक को 'पीछे से टक्कर' की घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसके बाद 'आमने--सामने की टक्कर' को वर्गीकृत किया गया था, जो सभी टकरावों का 16.9% था।
- अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ स्पष्ट दिनों में हुईं: सभी दुर्घटनाओं और मौतों में से लगभग तीन-चौथाई 'धूप/साफ' मौसम की स्थिति में हुईं। बारिश, कोहरे और ओलावृष्टि जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में होने वाली दुर्घटनाएँ कुल सड़क दुर्घटनाओं का केवल 16.6% थीं।

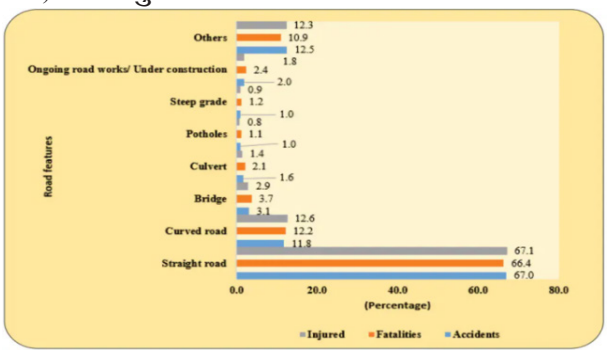

- दुपहिया वाहनों पर दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या सबसे अधिक है: 2022 में, दोपहिया वाहनों से जुड़ी 63,115 दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 25,228 मौतें हुईं। दुर्घटनाओं के मामले में कार और पैदल यात्री अगली उच्चतम श्रेणी थे, जिनमें क्रमशः 29,005 दुर्घटनाएँ (10,174 मौतें) और 20,513 दुर्घटनाएँ (10,160 मौतें) थीं।
- सबसे अधिक मृत्यु दर सिक्किम में है, और सबसे कम लद्दाख, दमन और दीव में है: सिक्किम में मृत्यु दर सबसे अधिक 17 (प्रति 10,000 पंजीकृत वाहनों पर मृत्यु दर) दर्ज की गई, जबकि लद्दाख और दमन और दीव में मृत्यु दर सबसे कम 0 थी। अखिल भारतीय दर 5.2 थी।
- तमिलनाडु में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं: तमिलनाडु ने 2022 में कुल 64,105 दुर्घटनाओं की सूचना दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.1% की वृद्धि दर्शाती है। यह भारत में दर्ज कुल दुर्घटनाओं का 13% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। दुर्घटनाओं की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां 54,432 घटनाएं दर्ज की गईं।

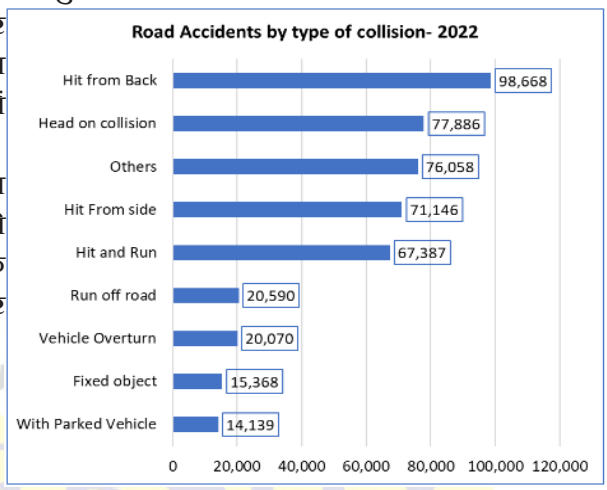

भारत में ऑनलाइन जुए का विनियमन

खबरों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद हुई, जिसमें ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा हुआ।

भारत में सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियाँ

- विभिन्न राज्य कानूनों के तहत सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि कौशल के कुछ खेलों को विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक रूप से वैध माना गया है।
- इस कानूनी परिदृश्य में, भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने हाल के दिनों में भारी वृद्धि देखी है।

चिंतायें

- लत संबंधी चिंताएँ: इन खेलों की लत की प्रकृति के कारण उपयोगकर्ता को नुकसान होता है, विशेष रूप से ऐसी लत के कारण वयस्क उपयोगकर्ताओं को होने वाले वित्तीय नुकसान के संदर्भ में।
- सामग्री-संबंधी चिंताएँ: यह हिंसक या अनुचित सामग्री के चित्रण के कारण चिंताएँ पैदा करता है, साथ ही बच्चों को ऐसी सामग्री तक पहुँचने से रोकने के लिए ठोस उपायों का अभाव है।
- विज्ञापन: इन ऐप्स के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले ऑफशोर जुआ और सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन चिंता का विषय है।
- केवाईसी तंत्र का अभाव: किसी सख्त केवाईसी तंत्र के अभाव में उपयोगकर्ताओं के धन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चिंताओं को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों का अभाव।

ऑनलाइन गेमिंग बनाम ऑनलाइन जुआ

- ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जुए के बीच बहुत पतली रेखा है। मल्टीप्लेयर गेमिंग एक मजेदार और अवकाश गतिविधि है, हालांकि, जुआ एक दूसरे के खिलाफ पैसे का दांव लगाना है और इसमें खिलाड़ियों के बीच मौद्रिक लेनदेन शामिल होता है।
- अधिकांश ऑनलाइन गेम मुफ्त हैं और इन्हें खेलने के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऑनलाइन जुए के लिए उपयोगकर्ताओं को पहले दांव लगाना (भुगतान करना) पड़ता है और फिर गेम खेलना पड़ता है।
- ऑनलाइन गेमिंग को खेलने के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि जुआ ज्यादातर भाग्य और संभावना पर निर्भर करता है।

क्या भारत में ऑनलाइन जुआ कानूनी है?

- जुआ को 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो सार्वजनिक जुआ घर चलाने या उसका प्रभारी होने पर प्रतिबंध लगाता है।
- हालाँकि, चूँकि यह कानून ऐसे समय में पारित हुआ था जब इंटरनेट अभी अस्तित्व में ही नहीं था, इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए का उल्लेख नहीं है।
- भारत में जुआ कानून भ्रमित करने वाले हैं। इसका कारण 'कौशल के खेल' और 'मौके के खेल' के बीच अस्पष्ट अंतर है।
- मौके के खेल पर सट्टेबाजी अवैध है जबकि कौशल के खेल पर सट्टेबाजी कानूनी है। यह निर्धारित करना मुश्किल है कि कोई गेम मौका या कौशल श्रेणियों के अंतर्गत आता है या नहीं।
- जब खेल का नतीजा मुख्य रूप से कौशल द्वारा निर्धारित होता है, तो यह कौशल का खेल होता है, जबकि जब परिणाम मुख्य रूप से संयोग से तय होता है, तो यह मौका का खेल होता है।

ऑनलाइन जुए का विनियमन

- ऐसी चिंताओं को कानूनी तरीकों से प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, MeitY ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन पेश किया है।
- ऑनलाइन गेम्स का सत्यापन: बिचौलियों को ऐसे किसी भी ऑनलाइन गेम को होस्ट, प्रकाशित या साझा नहीं करने के लिए बाध्य किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसे केंद्र सरकार द्वारा नामित स्व-नियामक निकाय द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। ऐसे खेलों के प्रचार और विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है।
- स्व-नियामक निकाय द्वारा सुनिश्चित किए गए सुरक्षा उपाय: इसके पास पूछताछ करने और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार होगा कि ऑनलाइन गेम में कोई जोखिम भरा परिणाम शामिल नहीं है और गेम उपयोगकर्ता के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा उपायों के नियमों और ढांचे का अनुपालन करता है।
- वास्तविक धन से जुड़े खेल: ऐसे खेलों पर स्व-नियामक निकाय द्वारा सत्यापन विह्न का प्रदर्शन; अपने उपयोगकर्ताओं को जमा की निकासी या वापसी के लिए पॉलिसी, जीत के निर्धारण और वितरण के तरीके, शुल्क और देय अन्य शुल्कों के बारे में सूचित करना; उपयोगकर्ताओं का केवाईसी विवरण प्राप्त करना; और उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट नहीं देना या तीसरे पक्ष द्वारा वित्तपोषण सक्षम नहीं करना।
- विनियमन प्राधिकरण की संरचना: सरकार कई स्व-नियामक निकायों को अधिसूचित कर सकती है, जो ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का प्रतिनिधि होगा, लेकिन यह अपने सदस्यों से दूरी पर काम करेगा, और एक बोर्ड जिसमें निदेशक शामिल होंगे जो हितों के टकराव से मुक्त होंगे और सभी प्रासंगिक हितधारकों और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- फर्जी जानकारी: केंद्र सरकार के किसी भी व्यवसाय के संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचित तथ्य जांच इकाई द्वारा पहचानी गई नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को प्रकाशित, साझा या होस्ट न करने के लिए मध्यस्थों पर दायित्व।

डीप फेक

खबरों में क्यों?

एक अभिनेता के वायरल डीपफेक वीडियो से संबंधित हालिया विवाद ने ऑनलाइन सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

डीप फेक क्या है?

- डीपफेक नकली घटना की छवियां बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक रूप का उपयोग करते हैं जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है।
- डीपफेक तकनीक वीडियो सामग्री को बनाने या हेरफेर करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे व्यक्ति कुछ ऐसा कह या कर रहे हैं जो उन्होंने वास्तव में कभी नहीं किया।
- अधिकांश डीपफेक वीडियो प्रकृति में अश्लील रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान, किसी बयान या वादे को झूठा बताने के लिए राजनेताओं की डिजिटल रूप से परिवर्तित क्लिप भी प्रसारित की जाती हैं।

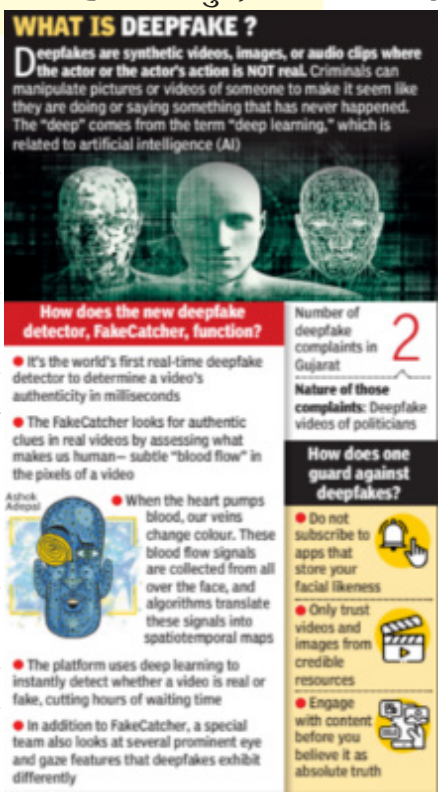

डीपफेक वीडियो का पता कैसे लगाएं?

- अप्राकृतिक नेत्र गति: डीपफेक वीडियो अक्सर अप्राकृतिक नेत्र गति या टकटकी पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक वीडियो में, आंखों की गतिविधियां आम तौर पर सहज होती हैं और व्यक्ति की वाणी और कार्यों के साथ समन्वित होती हैं।
- रंग और प्रकाश व्यवस्था में बेमेल: डीपफेक रचनाकारों को सटीक रंग टोन और प्रकाश स्थितियों की नकल करने में कठिनाई हो सकती है। विषय के चेहरे और आसपास की रोशनी में किसी भी विसंगति पर ध्यान दें।

- ऑडियो गुणवत्ता की तुलना करें और तुलना करें: डीपफेक वीडियो अक्सर एआई-जनरेटेड ऑडियो का उपयोग करते हैं जिनमें सूक्ष्म खामियां हो सकती हैं। दृश्य सामग्री के साथ ऑडियो गुणवत्ता की तुलना करें।
- अजीब शारीरिक आकार या हरकत: डीपफेक के परिणामस्वरूप कभी-कभी अप्राकृतिक शारीरिक आकृति या हरकत हो सकती है। उदाहरण के लिए, अंग बहुत लंबे या छोटे दिख सकते हैं, या शरीर असामान्य या विकृत तरीके से हिल सकता है। इन विसंगतियों पर ध्यान दें, खासकर शारीरिक गतिविधियों के दौरान।
- कृत्रिम चेहरे की हरकतें: डीपफेक सॉफ़्टवेयर हमेशा वास्तविक चेहरे के भावों की सटीक नकल नहीं कर सकता है। उन चेहरे की हरकतों को देखें जो अतिशयोक्तिपूर्ण, वाणी के साथ तालमेल से बाहर, या वीडियो के संदर्भ से असंबंधित लगती हैं।
- चेहरे की विशेषताओं की अप्राकृतिक स्थिति: डीपफेक कभी-कभी इन विशेषताओं में विकृतियां या गलत संरेखण प्रदर्शित कर सकता है, जो हेरफेर का संकेत हो सकता है।
- अजीब मुद्रा या काया: डीपफेक को प्राकृतिक मुद्रा या काया बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। शरीर की किसी भी अजीब स्थिति, अनुपात, या गतिविधियों पर ध्यान दें जो असामान्य या शारीरिक रूप से असंभव प्रतीत होती हैं।

डीपफेक खतरे से निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?

- IT अधिनियम 2000 डिजिटल माध्यमों से किए गए प्रतिरूपण और धोखाधड़ी को संबोधित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, डीप फेक के आगमन के लिए अधिक विशिष्ट उपायों की आवश्यकता है।
- सरकार को विशेष रूप से डीपफेक द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करना चाहिए।
- सरकार को अधिक परिष्कृत पहचान उपकरणों के विकास का समर्थन करना चाहिए जिनका उपयोग अधिकारियों और जनता द्वारा किया जा सकता है।
- नागरिकों को डीप फेक की प्रकृति और डिजिटल सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के तरीके के बारे में सूचित करने के लिए शैक्षिक पहल की जानी चाहिए।
- डीप फेक के प्रसार का पता लगाने और उसे कम करने के लिए तकनीकी कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ काम करने की आवश्यकता है।

डीपफेक टेक्नोलॉजी के उपयोग क्या हैं?

- फिल्म डबिंग: डीपफेक तकनीक का उपयोग विभिन्न भाषाएं बोलने वाले अभिनेताओं के लिए यथार्थवादी लिप-सिंकिंग बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे फिल्म वैश्विक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ और तल्लीन हो जाएगी।
  - उदाहरण के लिए, मलेरिया को समाप्त करने के लिए एक याचिका शुरू करने के लिए एक वीडियो बनाया गया था, जहां डेविड बेकहम, ह्यू जैकमैन और बिल गेट्स जैसी मशहूर हस्तियों ने डीपफेक तकनीक का उपयोग करके विभिन्न भाषाओं में बात की थी।
- शिक्षा: डीपफेक तकनीक शिक्षकों को कक्षा में ऐतिहासिक शख्सियतों को जीवंत करके, या विभिन्न परिदृश्यों के इंटरैक्टिव सिमुलेशन बनाकर आकर्षक पाठ देने में मदद कर सकती है।
  - उदाहरण के लिए, अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग संबोधन का एक डीपफेक वीडियो का उपयोग छात्रों को अमेरिकी गृहयुद्ध के बारे में सिखाने के लिए किया जा सकता है।
- कला: डीपफेक तकनीक का उपयोग कलाकारों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने, विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करने या अन्य कलाकारों के साथ सहयोग करने के लिए एक रचनात्मक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा में अपने संग्रहालय को बढ़ावा देने के लिए साल्वाडोर डाली का एक डीपफेक वीडियो बनाया गया था, जहां उन्होंने आगंतुकों के साथ बातचीत की और उनकी कलाकृतियों पर टिप्पणी की।
- स्वायत्तता और अभिव्यक्ति: डीपफेक तकनीक लोगों को अपनी डिजिटल पहचान को नियंत्रित करने, अपनी गोपनीयता की रक्षा करने या विभिन्न तरीकों से अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए सशक्त बना सकती है।
  - उदाहरण के लिए, रिफेस नामक एक डीपफेक ऐप उपयोगकर्ताओं को मनोरंजन या वैयक्तिकरण के लिए वीडियो या जिफ में मशहूर हस्तियों या पात्रों के साथ अपना चेहरा बदलने की अनुमति देता है।
- संदेश का विस्तार और उसकी पहुंच: डीपफेक तकनीक उन लोगों की आवाज और प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकती है जिनके पास साझा करने के लिए महत्वपूर्ण संदेश हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो भेदभाव, सेंसरशिप या हिंसा का सामना करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, सऊदी सरकार द्वारा मारे गए एक पत्रकार का एक डीपफेक वीडियो अपना अंतिम संदेश देने और न्याय की गुहार लगाने के लिए बनाया गया था।
- डिजिटल पुनर्निर्माण और सार्वजनिक सुरक्षा: डीपफेक तकनीक गुम या क्षतिग्रस्त डिजिटल डेटा को फिर से बनाने में मदद कर सकती है, जैसे पुरानी तस्वीरें या वीडियो को पुनर्स्थापित करना, या कम गुणवत्ता वाले फुटेज को बढ़ाना। यह आपातकालीन उत्तरदाताओं, कानून प्रवर्तन, या सैन्य कर्मियों के लिए यथार्थवादी प्रशिक्षण सामग्री बनाकर सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करने में भी मदद कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इसके बारे में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्कूल शूटिंग का एक डीपफेक वीडियो बनाया गया था।
- नवाचार: डीपफेक तकनीक मनोरंजन, गेमिंग या मार्केटिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। यह कहानी कहने, बातचीत, निदान या अनुनय के नए रूपों को सक्षम कर सकता है।

- उदाहरण के लिए, सिंथेटिक मीडिया की क्षमता और समाज पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए मार्क जुकरबर्ग का एक डीपफेक वीडियो बनाया गया था।

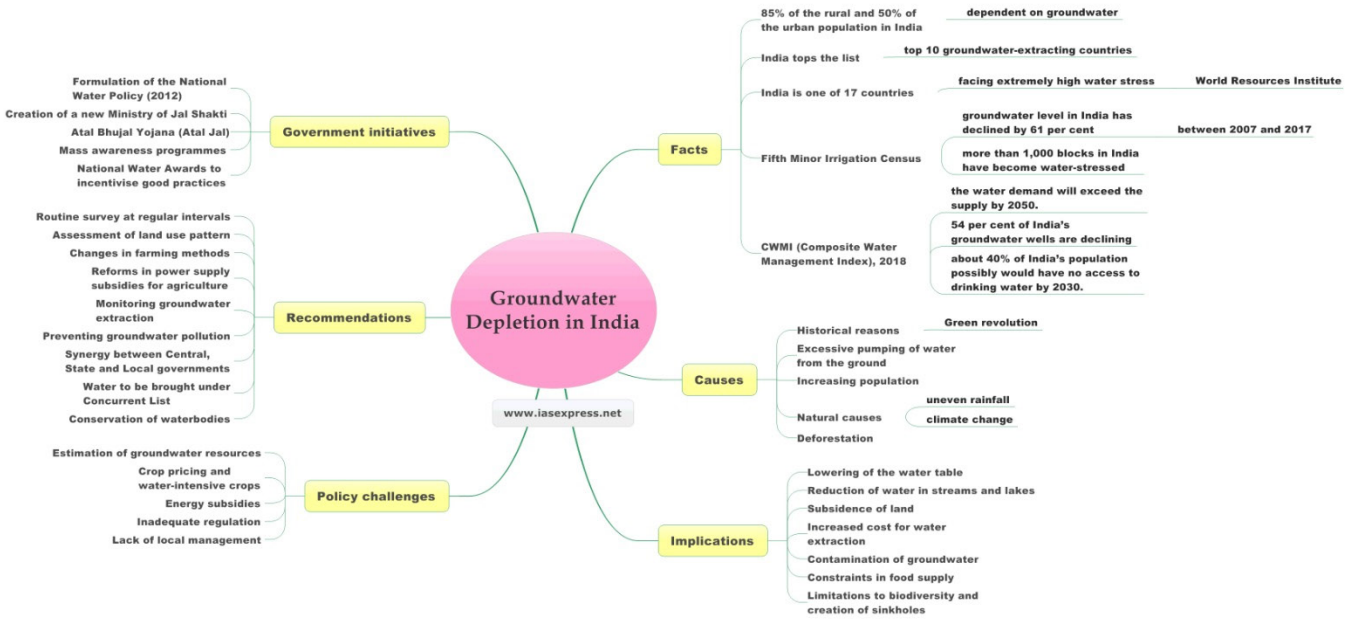

SHRIRAM
DUVERSITY
DUCATION
XPERT
"Right Access Get Success"

7 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

केमैन द्वीप समूह

खबरों में क्यों?

हाल ही में केमैन आइलैंड्स को FATF की ग्रे सूची से हटाने से भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में शामिल होने के इच्छुक वैश्विक निजी इक्विटी निवेशकों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), एक अंतरसरकारी संगठन जो मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी दिशानिर्देश स्थापित करता है, ने केमैन आइलैंड्स को अपनी "ग्रे सूची" से हटा दिया है।
- फरवरी 2021 में, FATF, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर नजर रखने वाली संस्था, ने गहन निगरानी के लिए इस क्षेत्र को ग्रे सूची में रखा।
- FATF ने पिछले सोमवार को घोषणा की कि केमैन आइलैंड्स ने 2021 में पहचानी गई रणनीतिक कमियों को हल करने के लिए अपनी कार्य योजना में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है।
- 2020 में, यूरोपीय संघ ने आवश्यक कर सुधारों की कमी का हवाला देते हुए केमैन को टैक्स हेवन की अपनी काली सूची में शामिल कर लिया।
- केमैन के अलावा, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को सूची से हटा दिया गया है, जिससे राज्यों को तब तक बढ़ी हुई जांच के अधीन होने की आवश्यकता होगी जब तक कि उनके सिस्टम में उल्लेखनीय कमजोरियों को संबोधित नहीं किया जाता है।
- FATF ने बुल्गारिया को अपनी ग्रे सूची में डाल दिया है।

FATF देशों को "ग्रे सूची" में क्यों शामिल करता है?

- ऐसी कार्रवाइयां यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं कि सरकारों की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML), आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (CFT), और वित्तपोषण प्रसार प्रणाली मजबूत हो।
- इसमें उन लोगों पर उचित प्रतिबंध लगाना शामिल है जो सटीक लाभकारी स्वामित्व जानकारी दर्ज करने में विफल रहते हैं और क्षेत्राधिकार के जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुसार सभी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग को अपनाना शामिल है।

यह बदलाव भारत के लिए क्या दर्शाता है?

- केमैन आइलैंड्स को FATF ग्रे सूची से हटाने से एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और वैकल्पिक निवेश फंडों को राहत मिलेगी, जो गैर-अनुपालन FATF क्षेत्राधिकार से निवेशकों को प्रमुख हिस्सेदारी देने पर प्रतिबंध का सामना करते हैं।
- पिछले हफ्ते केमैन आइलैंड्स को FATF की ग्रे सूची से हटाने से भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में शामिल होने के लिए उत्सुक वैश्विक निजी इक्विटी निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा।
- केमैन भारत में शीर्ष 15 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश न्यायक्षेत्रों में से एक है।
- भारत में निवेश के लिए, कई अमेरिकी और यूरोपीय निवेशक केमैन द्वीप में होल्डिंग कॉर्पोरेशन और फंड स्थापित करना पसंद करते हैं।

केमैन द्वीप के बारे में

इतिहास

- 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने केमैन द्वीप समूह पर कब्ज़ा कर लिया और 1863 के बाद उनका प्रबंधन जमैका द्वारा किया गया।
- यह द्वीप 1959 में फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का क्षेत्र बन गया।
- जब 1962 में फेडरेशन भंग हो गया, तो केमैन आइलैंड्स ने ब्रिटिश उपनिवेश बने रहने के लिए मतदान किया।

राजनीतिक स्थिति

- केमैन द्वीप यूनाइटेड किंगडम की संप्रभुता के तहत एक स्वशासित क्षेत्र है।
- उनकी अपनी सरकार और कानूनी प्रणाली है, जिसमें एक राज्यपाल राज्य के प्रमुख के रूप में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है।
- भाषा: प्रमुख भाषा अंग्रेजी है; हालाँकि, कई लोग स्थानीय क्रियोल भाषाएँ बोलते हैं।
- राजधानी: इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, जो ग्रैंड केमैन द्वीप पर स्थित है।

भूगोल और पर्यावरण

- केमैन द्वीप में पूरे वर्ष गर्म तापमान के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है।
- अटलांटिक तूफान के मौसम (जून से नवंबर) के दौरान द्वीप तूफान के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- केमैन द्वीप समूह अपनी समृद्ध जैव विविधता और समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है।
- संरक्षण पहल के माध्यम से प्रवाल भित्तियों, वन्य जीवन और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के प्रयास किए जाते हैं।
- मुद्रा: आधिकारिक मुद्रा केमैन आइलैंड्स डॉलर (KYD) है, लेकिन अमेरिकी डॉलर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अर्थव्यवस्था

- केमैन द्वीप समूह की आर्थिक संरचना विविध है और यह एक प्रमुख अपतटीय वित्तीय केंद्र है।
- केमैन आइलैंड्स को टैक्स हेवन माना जाता है क्योंकि वे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाते हैं, जिससे यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कराधान से अपने कुछ या सभी मुनाफे को आश्रय देने के लिए सहायक संस्थाओं का पता लगाने के लिए एक आकर्षक स्थान बन जाता है।
- केमैन द्वीप के निवासी करों का भुगतान नहीं करते हैं। उनके पास आयकर, संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर, पेरोल कर या विदहोल्डिंग कर नहीं है।
- कर राजस्व के बिना, केमैन आइलैंड्स पर्यटन और कार्य परमिट, बैंकिंग गतिविधियों और आयात शुल्क से जुड़ी फीस के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करता है।

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023'

खबरों में क्यों?

यूके ने एक प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें राजनीतिक नेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाकर इस तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रौद्योगिकी के वादे और संभावित खतरों दोनों पर चर्चा की गई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यूनाइटेड किंगडम ने दो दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें तेजी से आगे बढ़ने वाली इस तकनीक के वादे और संभावित खतरों दोनों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक नेताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया।
- हाल ही में, शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 28 देश (भारत सहित) और यूरोपीय संघ, शिखर सम्मेलन के स्थल के नाम पर "ब्लेचली घोषणा" पर सहमत हुए।

AI के बारे में

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एक कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की उन कार्यों को करने की क्षमता है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं क्योंकि उन्हें मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है।
- यह शब्द अक्सर मानव की विशिष्ट बौद्धिक प्रक्रियाओं, जैसे तर्क करने, अर्थ की खोज करने, सामान्यीकरण करने या पिछले अनुभव से सीखने की क्षमता से संपन्न विकासशील प्रणालियों की परियोजना पर लागू होता है।
- AI एल्गोरिदम को बड़े डेटासेट का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे पैटर्न की पहचान कर सकें, भविष्यवाणियां कर सकें और कार्यों की सिफारिश कर सकें, बिल्कुल इंसान की तरह, तेजी से और बेहतर तरीके से।
- AI एल्गोरिदम (AI चैटबॉट्स के रूप में जाना जाता है) के नवीनतम और लोकप्रिय उदाहरण OpenAI के चैटजीपीटी, गूगल के बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चैट आदि हैं।

चिंताएं: w.r.t. AI चैटबॉट और प्रमुख देशों द्वारा प्रतिक्रिया:

- चिंताएँ तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:
  - गोपनीयता,

- सिस्टम पूर्वाग्रह,
- बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन

- वर्तमान में, सरकारों के पास AI विकास में काम रोकने के लिए कोई नीतिगत उपकरण नहीं हैं।
- अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह लोगों के जीवन का उल्लंघन करना शुरू कर सकता है- और अंततः इसे नियंत्रित कर सकता है।
- सभी उद्योगों में व्यवसाय प्राथमिकताओं का विश्लेषण करने और उपयोगकर्ता अनुभवों को निजीकृत करने, उत्पादकता बढ़ाने और धोखाधड़ी से लड़ने के लिए एआई को तेजी से तैनात कर रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए, ChatGPT Plus को पहले ही Snapchat, UnrealEngine और Shopify द्वारा अपने अनुप्रयोगों में एकीकृत किया जा चुका है।
- AI के इस बढ़ते उपयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके और व्यवसायों द्वारा अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के तरीके को पहले ही बदल दिया है।
  - हालाँकि, कुछ मामलों में यह लोगों की निजता का उल्लंघन भी करने लगा है।
- हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसका उद्देश्य AI द्वारा उत्पन्न खतरों से बचाव करना और जेनरेटर AI बॉट्स का मूल्यांकन करने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा बेंचमार्क पर निगरानी रखना है।
- वास्तव में, पूरे देश में नीति निर्माताओं ने जेनरेटिव AI टूल्स की नियामक जांच बढ़ा दी है, खासकर चैटजीपीटी के लॉन्च के बाद।
- स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, चीन पिछले वर्ष विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और एआई को लक्षित करने वाले दुनिया के पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियमों में से कुछ के साथ सामने आया।
- वर्तमान में, AI को विनियमित करने के संबंध में भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), AI से संबंधित रणनीतियों के लिए कार्यकारी एजेंसी है और उसने एआई के लिए एक नीति ढांचा लाने के लिए समितियों का गठन किया है।

बैलेचली घोषणा के बारे में:

- घोषणापत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वादों और जोखिमों की वैश्विक समझ का एक व्यापक स्नैपशॉट प्रदान करता है।
- दस्तावेज़ AI सिस्टम को मानवीय इरादे के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर देता है और AI की पूर्ण क्षमताओं की गहन खोज का आग्रह करता है।
- इसके अलावा, यह AI के कारण होने वाली गंभीर, यहां तक कि विनाशकारी क्षति की संभावना को भी स्वीकार करता है, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में।
- यह मानवाधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शिता, व्याख्यात्मकता, निष्पक्षता, जवाबदेही, विनियमन, सुरक्षा, मानव निरीक्षण, नैतिकता, पूर्वाग्रह शमन, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- दस्तावेज़ संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और चीन सहित परस्पर विरोधी हितों और कानूनी प्रणालियों वाले देशों के बीच जटिल बातचीत को दर्शाता है।

नागरिक समाज और उद्योग की भूमिका:

- शिखर सम्मेलन से बाहर किए जाने का दावा करने वाले कुछ नागरिक समाज समूहों की आलोचना के बावजूद, घोषणा में AI सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में नागरिक समाज की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया है।
- यह परीक्षण, मूल्यांकन और उचित उपायों के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "फ्रंटियर" एआई सिस्टम विकसित करने वाली कंपनियों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी डालता है।

शिखर सम्मेलन में भारत का रुख:

- केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, जो बैलेचले पार्क में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने उद्घाटन पूर्ण सत्र में कहा कि सोशल मीडिया द्वारा प्रस्तुत हथियारीकरण को दूर किया जाना चाहिए।
- उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि एआई सुरक्षा और विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है।
- शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री के बयान ने देश में एआई को विनियमित करने पर किसी भी कानूनी हस्तक्षेप पर विचार नहीं करने से भारत की स्थिति में बदलाव पर उच्चतम स्तर पर अनुमोदन की मुहर लगा दी है।
- इससे पहले अप्रैल 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा था कि वह एआई क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किसी कानून पर विचार नहीं कर रहा है।

UAE और भारत के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

खबरों में क्यों?

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- MoU का उद्देश्य छात्र और संकाय की गतिशीलता, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम, पाठ्यक्रम डिजाइन करना, सम्मेलनों, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, पाठ्यक्रमों, वैज्ञानिक और शैक्षिक प्रदर्शनियों में आयोजन और भागीदारी की सुविधा प्रदान करके दोनों देशों में शैक्षणिक संस्थानों के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग को मजबूत करना है।
- यह ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक संयुक्त कार्य समूह के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।
- इस ज्ञापन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए JWG वर्ष में कम से कम एक बार बारी-बारी से बैठक करेगा।
- कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और डीपी वर्ल्ड साइन (एक अमीराती बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनी) ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यूएई भारत के बाहर भारतीय नागरिकों की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी कर रहा है जो भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी के मूल तत्व के रूप में कौशल विकास के महत्व को रेखांकित करता है।
- नेता पेशेवर मानकों और कौशल ढांचे को विकसित करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

संयुक्त अरब अमीरात और भारत संबंधों का अवलोकन

- राजनीतिक: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
  - जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में अपना दूतावास 1972 में खोला था, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास 1973 में खोला गया था।
  - बहुपक्षीय सहयोग: भारत और संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में कई बहुपक्षीय प्लेटफार्मों जैसे I2U2 (भारत-इज़राइल-यूएई-यूएसए) और UFI (यूएई-फ्रांस-भारत) का हिस्सा हैं। त्रिपक्षीय संयुक्त अरब अमीरात को जी-20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।
- आर्थिक और वाणिज्यिक: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सदियों से व्यापार संबंध साझा किए हैं। व्यापार, जिसमें खजूर, मोती और मछलियों जैसी पारंपरिक वस्तुओं का वर्चस्व था, संयुक्त अरब अमीरात में तेल की खोज (1962 में अबू धाबी से तेल निर्यात शुरू हुआ) के बाद तेज बदलाव आया।
  - भारत यूएई व्यापार, जिसका मूल्य 1970 के दशक में प्रति वर्ष 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, आज 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिससे संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अमेरिका के बाद वर्ष 2021-22 के लिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।
  - इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 31.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य (अमेरिका के बाद) है।
  - FDI के मामले में यूएई भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है
- सांस्कृतिक संबंध: संयुक्त अरब अमीरात में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय हैं और अमीराती भारतीय संस्कृति से काफी परिचित और संवेदनशील हैं
- रक्षा सहयोग: इसे जून 2003 में रक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर के साथ मंत्रालय स्तर पर एक संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से संचालित किया जाता है, जो अप्रैल 2004 से लागू हुआ।
- अंतरिक्ष सहयोग: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी ने 11 फरवरी 2016 को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- भारतीय समुदाय: लगभग 3.5 मिलियन का भारतीय प्रवासी समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है जो देश की आबादी का लगभग 35 प्रतिशत है।

ऑपरेशन कैक्टस

खबरों में क्यों?

'इंडिया आउट' मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के लिए एक अभियान का नारा था, जो 17 नवंबर को देश की बागडोर संभालेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पिछले लगभग एक दशक से, द्वीप राष्ट्र में भारत विरोधी भावनाएँ बढ़ रही हैं और कई मालदीववासियों की शिकायतों की एक लंबी सूची है।
- फिर भी, इस तथ्य के 35 साल बाद, 1988 में माले में ऑपरेशन कैक्टस नामक तख्तापलट के प्रयास में भारत के हस्तक्षेप को कृतज्ञता और स्नेह के साथ याद किया जाता है।

पृष्ठभूमि और तख्तापलट का प्रयास

- 1988 के मालदीव तख्तापलट के प्रयास का नेतृत्व मालदीव के व्यवसायी अब्दुल्ला लुथुफी ने किया था, जिसमें पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम (PLOTE) के सशस्त्र भाड़े के सैनिक राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहे थे।
- तख्तापलट की कोशिश, जिसमें एक श्री-लंकाई मालवाहक जहाज का अपहरण और राजधानी माले पर आक्रमण शामिल था, ने देश को राजनीतिक संकट के कगार पर ला खड़ा किया।

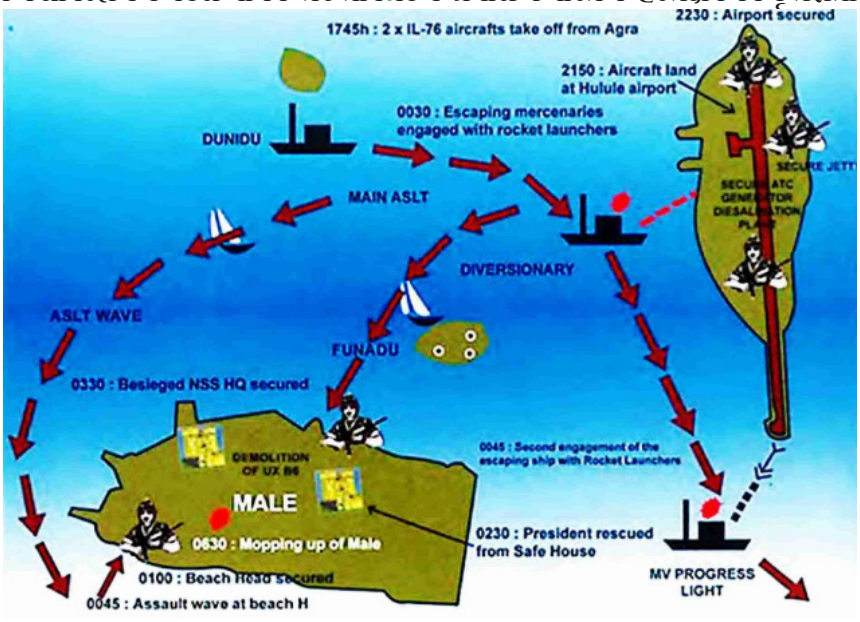

ऑपरेशन कैक्टस का क्रियान्वयन

- बाहरी शक्तियां तत्काल सहायता प्रदान करने में असमर्थ होने के कारण, राष्ट्रपति गयूम ने भारत के हस्तक्षेप की मांग की, जिससे भारतीय सेना तेजी से जुट गई और संकट कॉल के कुछ घंटों के भीतर "ऑपरेशन कैक्टस" शुरू किया गया।
- भारतीय वायु सेना के इल्युशिन आईएल-76 विमान ने 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड, पैराशूट रेजिमेंट की 6वीं बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट के तत्वों को माले को सुरक्षित करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए तैनात किया।

व्यवस्था की सफल बहाली

- भारतीय पैराट्रूपर्स ने तेज और सटीक खुफिया जानकारी के साथ, माले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सुरक्षित किया, राष्ट्रपति गयूम को बचाया, और तेजी से राजधानी पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तख्तापलट की कोशिश को प्रभावी ढंग से कुचल दिया और सरकार के अधिकार को बहाल किया।
- ऑपरेशन के परिणामस्वरूप भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया गया और पकड़े गए व्यक्तियों को मालदीव में मुकदमे के लिए वापस लाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रभाव

- भारत की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने क्षेत्रीय स्थिरता में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया, और ब्रिटिश प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर ने राष्ट्रपति गयूम की सरकार को बचाने में भारत की भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया।
- जबकि ऑपरेशन ने भारत-मालदीव संबंधों को मजबूत किया, इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देशों में कुछ बेचैनी भी पैदा हुई।

परिणाम और प्रभाव

- राष्ट्रपति गयूम ने पकड़े गए भाड़े के सैनिकों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जो मालदीव सरकार पर भारत के दबाव को दर्शाता है।
- गयूम सरकार की सफल बहाली ने भारत-मालदीव संबंधों को मजबूत किया और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने और पड़ोसी देशों की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद

खबरों में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की पांचवीं बैठक के लिए संयुक्त राज्य सरकार के अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की।

महत्वपूर्ण बिंदु

2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद

- 2+2 बैठकों में दोनों भाग लेने वाले देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होते हैं, विशेष रूप से विदेश मामलों और रक्षा के लिए जिम्मेदार मंत्री।

- इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य चर्चाओं के दायरे का विस्तार करना, एक-दूसरे की रणनीतिक चिंताओं और संवेदनशीलताओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देना है।
- यह तंत्र विशेष रूप से गतिशील वैश्विक वातावरण में अधिक मजबूत और एकीकृत रणनीतिक संबंध को बढ़ावा देता है।

भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ 2+2 बैठकें आयोजित की हैं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका (5 बार)
- जापान (3 बार)
- ऑस्ट्रेलिया (2 बार)
- रूस (1 बार)

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता:

- भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद 2018 से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
- नवीनतम बैठक 10 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में हुई, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मजबूत होते रणनीतिक गठबंधन का प्रतीक है।
- चर्चा में रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और भारत-प्रशांत क्षेत्र, आतंकवाद विरोधी और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर समन्वय सहित विविध विषय शामिल हैं।

भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता:

- भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता 2019, 2021 और 2023 में तीन बार हुई है।
- नवीनतम बैठक 8 मार्च, 2023 को टोक्यो में हुई।
- यह बैठक भारत और जापान के बीच अद्वितीय रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करती है।
- चर्चा में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और भारत-प्रशांत क्षेत्र और चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) में भागीदारी सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सरेखण शामिल है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता:

- 2020 में शुरू हुई भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की दूसरी बैठक 11 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में हुई।
- यह बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है।
- जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और भारत-प्रशांत क्षेत्र और क्वाड सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय शामिल हैं।

भारत-रूस 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता:

- भारत ने 6 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में रूस के साथ एक 2+2 बैठक आयोजित की है।
- बैठक में भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल हुए।
- यह दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का संकेत है।
- भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक लंबा इतिहास है, और 2+2 बैठक रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंच प्रदान करती है।

2+2 संवाद का महत्व

- रक्षा और रणनीतिक समझौते: इन संवादों से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते और साझेदारियाँ हुई हैं। उदाहरण के लिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्रोइका संधि पर हस्ताक्षर किए हैं:
  1. लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)
  2. संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)
  3. गहन सैन्य सहयोग के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)।
- क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करना: सामान्य क्षेत्रीय चिंताओं, जैसे कि चीन की बढ़ती मुखरता, के सामने, 2+2 संवाद भारत और उसके भागीदारों के लिए अपने रणनीतिक हितों को संरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र बन गए हैं। इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD) फोरम के भीतर सहयोग शामिल है।
- पारंपरिक गठबंधनों का विस्तार: भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने में साझा विश्वदृष्टिकोण और लक्ष्यों को स्वीकार करते हुए रूस के साथ अपने 2+2 संवादों को भी महत्व देता है।

भारतीय कूटनीति के लिए महत्व

- 2+2 बैठकें भारत और उसके प्रमुख साझेदारों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न मुद्दों पर उच्च स्तरीय बातचीत की अनुमति देती हैं।
- यह भारत और उसके साझेदारों के बीच विश्वास और समझ बनाने में मदद करता है, जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

- यह भारत के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र, आतंकवाद विरोधी और जलवायु परिवर्तन सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर अपने सहयोगियों के साथ सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- बैठकें भारत की रणनीतिक साझेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता का दृढ़ता से संकेत देती हैं।

ऑपरेशन ऑल क्लियर

खबरों में क्यों?

भूटान नरेश की भारत यात्रा के बीच, ऑपरेशन ऑल क्लियर को याद किया गया, जो भूटान ने असम के विद्रोही समूहों के खिलाफ शुरू किया था

महत्वपूर्ण बिंदु

- भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम की ऐतिहासिक तीन दिवसीय यात्रा के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
- असम और भूटान द्वारा साझा की गई 265.8 किलोमीटर की सीमा के बावजूद, यह राज्य में किसी भूटानी राजा की पहली यात्रा थी।

ऑपरेशन के बारे में:

- भूटान को अपने क्षेत्र से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए 140 वर्षों में अपना पहला सैन्य अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया।
- 'ऑपरेशन ऑल क्लियर' 15 दिसंबर 2003 को रॉयल भूटान आर्मी द्वारा शुरू किया गया था, और इसने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (KLO) को करारा झटका दिया था। जिसने भूटानी क्षेत्र में शिविर स्थापित किए थे।

पृष्ठभूमि

- भूटान-भारत सीमा पर चुनौतियाँ: 1990 के दशक में, असम स्थित विद्रोही समूहों ने दक्षिणपूर्वी भूटान में शिविर स्थापित किए, जिससे भूटान और भारत के बीच शांतिपूर्ण संबंधों में तनाव पैदा हो गया, क्योंकि ये समूह भूटान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते थे।
- भूटान का प्रारंभिक दृष्टिकोण: प्रारंभ में, भूटान ने अपने क्षेत्र में भारतीय विद्रोहियों के साथ उलझने, कूटनीतिक बातचीत का प्रयास करने से परहेज किया लेकिन अपनी सीमित सैन्य क्षमता और ऐसे खतरों से निपटने में अनुभव की कमी के कारण जबरदस्ती कार्रवाई से परहेज किया।
- बांग्लादेश शरण स्थल नहीं रह गया और परिणामस्वरूप, इन समूहों ने दक्षिण-पूर्व भूटान में, विशेष रूप से असम की सीमा से लगे समद्रूप जोंगखर जिले में शिविर स्थापित किए।

सैन्य अभियान को प्रेरित करने वाले कारक

- द्विपक्षीय संबंधों के लिए खतरा: भूटान में विद्रोही समूहों की उपस्थिति को उसके प्राथमिक व्यापार भागीदार और प्रमुख सहयोगी भारत के साथ भूटान के द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीधा खतरा माना गया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास पर प्रभाव: विद्रोहियों की गतिविधियों ने आर्थिक विकास को बाधित कर दिया, डुंगसम सीमेंट परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोक दिया और भूटानी नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, जिससे निर्दोष लोगों की दुखद हानि हुई।
- जातीय विद्रोह का डर: चिंताएं पैदा हुई कि विद्रोही समूह जातीय नेपाली लोत्शम्पाओं को हथियार दे सकते हैं, जिससे संभावित रूप से दक्षिणी भूटान में जातीय विद्रोह को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे देश अस्थिर हो सकता है।

इन उग्रवादी समूहों के प्रति भूटान का दृष्टिकोण:

- भूटान ने 1998 में इन समूहों के साथ बातचीत की थी लेकिन फिर भी उन्हें बाहर निकालने के लिए कठोर कार्रवाई करने में अनिच्छुक रहा।
- हालाँकि, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।
- रॉयल भूटान सरकार ने उन सभी कारकों को सामने रखा, जिन्होंने उसे विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए प्रेरित किया, यह रेखांकित करते हुए कि उनकी उपस्थिति भूटान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन गई है।
- ऐसा महसूस किया गया कि विद्रोही समूह जातीय नेपाली लोत्शम्पाओं को हथियारों की आपूर्ति करेंगे, जो शाही सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों के अधीन थे, जिससे दक्षिणी भूटान में जातीय विद्रोह को बढ़ावा मिला।

भारत के साथ सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ

- भारत-भूटान सहयोग: ऑपरेशन के दौरान रॉयल भूटान सेना और भारतीय सेना के बीच समन्वित प्रयास ने सीमा पार सुरक्षा खतरों से निपटने में दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग पर प्रकाश डाला।

- क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीति: ऑपरेशन ऑल क्लियर की सफलता ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने, सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने और आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भूटान और भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में योगदान दिया।

ऑपरेशन का परिणाम:

- 6000 सदस्यीय रॉयल भूटान सेना ने भारतीय सेना से रसद और चिकित्सा सहायता के साथ तीनों संगठनों के शिविरों पर एक साथ हमले किए, जिसने आतंकवादियों को भारत में भागने से रोकने के लिए भारत-भूटान सीमा को भी सील कर दिया।
- तीनों समूहों के कम से कम 650 विद्रोही या तो मारे गए या पकड़े गए।

ऑपरेशन के बाद के विकास और सुलह के प्रयास

- पुनर्निर्माण और सुलह: ऑपरेशन के बाद, प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास और शांति-निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए, संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण और सुलह को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए।
- दीर्घकालिक राजनयिक जुड़ाव: ऑपरेशन ने सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और एक स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्रीय वातावरण बनाए रखने के लिए भूटान और भारत के बीच निरंतर राजनयिक जुड़ाव और सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।

इजराइल फिलिस्तीन पर भारत का रुख

खबरों में क्यों?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो "कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र" में इजरायली निपटान गतिविधियों की निंदा करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 'पूर्वी येरुशलम और कब्जे वाले सीरियाई गोलान सहित "कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र" में इजरायली बस्तियां' शीर्षक वाले मसौदा प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष राजनीतिक और विउपनिवेशीकरण समिति (चौथी समिति) द्वारा 145 के पक्ष में दर्ज वोट से अनुमोदित किया गया था। सात विरोध में और 18 अनुपस्थित रहे।
- भारत उन 145 देशों में शामिल था, जिन्होंने बांग्लादेश, भूटान, चीन, फ्रांस, जापान, मलेशिया, मालदीव, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और ब्रिटेन के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
- प्रस्ताव "इस बात की पुष्टि करता है कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां अवैध हैं और शांति और आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा हैं।"
- प्रस्ताव में "कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र" में सभी इजरायली निपटान गतिविधियों को तत्काल और पूर्ण रूप से बंद करने की मांग दोहराई गई।

इज़राइल-फिलिस्तीन पर भारत की स्थिति

- भारत ने छह प्रस्तावों में से पांच के पक्ष में मतदान किया, एक प्रस्ताव में भाग नहीं लिया जो मानवाधिकार उल्लंघन के लिए इजरायली प्रथाओं और संचालन की जांच से संबंधित था।
- भारत ने इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की पारंपरिक स्थिति को भी दोहराया: "इजरायल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना करना।
- पिछले संबंध: ऐतिहासिक रूप से, भारत ने 1948 में फिलिस्तीन के विभाजन और इज़राइल के एक अलग राज्य के निर्माण के खिलाफ मतदान किया था, और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब राज्य था, और 1988 में फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए, और संयुक्त राष्ट्र में लगातार इज़राइल के ख़िलाफ़ मतदान किया।
- 1992 में, भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन जारी रखते हुए, इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- बढ़ते घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, तकनीकी सहायता, सैन्य खरीद और आतंकवाद विरोधी सहयोग को देखते हुए, इज़राइल की स्थिति में बदलाव आया है।
- 2016 में, भारत ने UNHRC के एक प्रस्ताव के खिलाफ भी मतदान किया था, जिसमें इजरायली युद्ध अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जांच का आह्वान किया गया था, और 2019 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में हमास से जुड़े एनजीओ को प्राप्त करने से रोकने के लिए इजरायल के साथ मतदान किया था।
- 2017 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधान मंत्री बने, जबकि 2018 में, नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया।
- हालाँकि, PM मोदी फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधान मंत्री भी थे।
- 2017 में, भारत ने एकतरफा तौर पर यरूशलेम को इजरायल की राजधानी घोषित करने के प्रयास के लिए अमेरिका और इजरायल के खिलाफ मतदान किया।

- नई दिल्ली द्वारा लगातार खींची जा रही नीति स्पष्ट प्रतीत होती है: आतंकवाद से घृणा करना, लेकिन अंधाधुंध प्रतिशोधात्मक बम विस्फोटों को बर्दाश्त नहीं करना, भले ही वह फ़िलिस्तीन पर अपनी निरंतर स्थिति रखता हो।
- ऐतिहासिक शिकायतों को सही करने का कोई भी दावा संभवतः हमास द्वारा इज़राइल पर अपने अमानवीय हमलों को समझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

भारत के लिए चुनौतियाँ

- इज़राइल की नवीनतम मांग, कि दस लाख से अधिक गाजा निवासियों को खाली करना होगा क्योंकि यह शहर पर हमला जारी रखता है और संभावित जमीनी हमले की योजना बना रहा है, जिससे संतुलन नीति में दिल्ली की चुनौती और भी जटिल हो जाएगी।

भारत का रुख

- आतंकवाद एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। दुनिया को आतंकवादी कृत्यों के किसी भी औचित्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
- आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है
- भारत हमेशा दो-राज्य समाधान के लिए खड़ा रहा है, भारत I2U2 (भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका) जैसे समूहों के साथ, इज़राइल के साथ अपने सामान्यीकरण में अरब दुनिया के साथ समन्वय में है।
- इसलिए, आगे बढ़ते हुए, भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह न केवल आतंकवाद के खिलाफ बल्कि गाजा में चल रही मानवीय त्रासदी के खिलाफ भी अधिक मजबूती से सामने आए।

लक्समबर्ग

खबरों में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लक्जमबर्ग का प्रधानमंत्री बनने पर ल्यूक फ्रीडेन को बधाई दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लक्ज़मबर्ग एक छोटा यूरोपीय देश है, जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है।
- यह ज्यादातर ग्रामीण है, उत्तर में घने अर्देनेस वन और प्रकृति पार्क, पूर्व में मुलस्थल क्षेत्र की चट्टानी घाटियाँ और दक्षिण-पूर्व में मोसेले नदी घाटी है।
- इसकी राजधानी, लक्ज़मबर्ग शहर, खड़ी चट्टानों पर बसे अपने किलेबंद मध्ययुगीन पुराने शहर के लिए प्रसिद्ध है।
- लक्ज़मबर्ग विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में से एक है।
- कई भारतीय कंपनियों ने लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें जारी करके पूंजी जुटाई है।
- लक्ज़मबर्ग स्थित निवेश फंड भारत में पोर्टफोलियो निवेश में पर्याप्त बैंकिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन बाजार हिस्सेदारी रखते हैं।
- यह भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है।

भारत-लक्ज़मबर्ग संबंध

आर्थिक साझेदारी:

- दोनों देशों के पास इस्पात क्षेत्र में सहयोग का एक लंबा इतिहास है, और नेताओं ने कंपनियों, विशेष रूप से एसएमई और स्टार्टअप से आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के नए तरीकों पर विचार करने का आग्रह किया।
- दोनों देश भारत और बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ के बीच 17वें संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आर्थिक और व्यापार सहयोग का मूल्यांकन करेगा।

वित्त:

- नियामक प्राधिकरण कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टूर फाइनेंसर (CSSF) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के बीच प्रस्तावित समझौता द्विपक्षीय वित्तीय क्षेत्र सहयोग को मजबूत करेगा।
- लक्ज़मबर्ग, यूरोप में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, भारत के वित्तीय सेवा उद्योग और दुनिया भर के बाजारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है, जो इसे यूरोपीय और वैश्विक निवेशकों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

अंतरिक्ष और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग:

- दोनों देशों के बीच उपग्रह प्रसारण और दूरसंचार सहित अंतरिक्ष सहयोग जारी है।
- लक्ज़मबर्ग स्थित अंतरिक्ष व्यवसायों ने उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए भारत की सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
- नवंबर 2020 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने PSLV-C49 मिशन लॉन्च किया, जिसमें चार लक्ज़मबर्ग उपग्रह थे।
- दोनों सरकारें अब बाहरी अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण खोज और उपयोग के लिए एक सहयोग उपकरण पर चर्चा कर रही हैं।
- महामारी के बाद, भारत और लक्ज़मबर्ग दोनों क्रमशः "डिजिटल इंडिया" योजना और "डिजिटल लक्ज़मबर्ग" पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण का समर्थन कर रहे हैं, और संभावित तालमेल का पता लगाने के लिए सहमत हुए हैं।

उच्च शिक्षा और अनुसंधान:

- भारतीय राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों पर लक्ज़मबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और लक्ज़मबर्ग सेंटर फॉर सिस्टम्स बायोमेडिसिन के साथ सहयोग करता है।
- न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग केंद्रीय या परिधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य के प्रगतिशील क्षरण द्वारा चिह्नित स्थितियों का एक विविध समूह है।

- अल्जाइमर रोग और पार्किंसंस रोग इसके दो उदाहरण हैं।
- बॉम्बे, कानपुर और मद्रास में आईआईटी के साथ-साथ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया ने लक्ज़मबर्ग विश्वविद्यालय के साथ संबंध स्थापित किए हैं, जिसे दोनों देशों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए बढ़ाया जाएगा।

संस्कृति और पारस्परिक संबंध संबंध:

- महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन को मनाने के लिए, लक्ज़मबर्ग ने 2019 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था।
- दोनों देश गतिशीलता बढ़ाने के लिए प्रवासन और गतिशीलता व्यवस्था पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, साथ ही राजनयिक और आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर करना चाहते हैं।

आसियान-भारत बाजरा महोत्सव 2023

खबरों में क्यों?

भारत ने बाजरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया में बाजरा महोत्सव शुरू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रदर्शनी का उद्देश्य आसियान देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और पाक विविधता का जश्न मनाना और स्वस्थ भविष्य के लिए टिकाऊ बाजरा प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- यह 2023 में जकार्ता, इंडोनेशिया में 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संकटों के जवाब में खाद्य सुरक्षा और पोषण को मजबूत करने पर आसियान-भारत संयुक्त नेताओं के वक्तव्य के कार्यान्वयन की दिशा में भी एक कदम है।
- बाजरा: बाजरा छोटे दाने वाली अनाज वाली खाद्य फसलों का एक समूह है जिसे लोकप्रिय रूप से पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है।
- किस्में: इनमें ज्वार, बाजरा, रागी/मंडुआ, लघु बाजरा - कांगनी/काकुन, चीना, कोदो, सावा/सांवा/झंगोरा, और कुटकी - और दो छद्म बाजरा, एक प्रकार का अनाज (कुट्टू) और अमरंथ (चौलाई) शामिल हैं।

बाजरा (श्री अन्ना) खेती के लिए शर्तें

- जलवायु: बाजरा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में 2,100 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जाता है। विकास के दौरान 26-29 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान रेंज उचित विकास और अच्छी फसल उपज के लिए सर्वोत्तम है।
- मिट्टी: बाजरा में बहुत खराब से लेकर बहुत उपजाऊ तक विभिन्न मिट्टी के लिए व्यापक अनुकूलन क्षमता होती है और यह कुछ हद तक क्षारीयता को सहन कर सकता है। सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली रेतीली मिट्टी होती है।

बाजरा के फायदे

- पर्यावरण-अनुकूल फसलें: बाजरा न्यूनतम इनपुट के साथ शुष्क भूमि पर उग सकता है और जलवायु में परिवर्तन के प्रति लचीला है।
- अत्यधिक पौष्टिक: बाजरा में 7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट और 15-20% आहार फाइबर होता है।
- स्वास्थ्य लाभ: बाजरा ग्लूटेन मुक्त और गैर-एलर्जेनिक है। बाजरे के सेवन से ट्राइग्लिसराइड्स और सी-रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाता है, जिससे हृदय रोग से बचाव होता है।
- आयात निर्भरता कम करें: वे देशों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयातित अनाज पर निर्भरता कम करने के लिए एक आदर्श समाधान हैं।

बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष: भारत ने वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का नेतृत्व किया।
- कृषि-इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: सरकार बाजरा में प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए किसानों/एफपीओ/उद्यमियों को आमंत्रित करने के लिए कृषि-इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना को लोकप्रिय बना रही है।
- उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): किसानों को बाजरा की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ज्वार, बाजरा और रागी के लिए उच्च एमएसपी की घोषणा की गई है।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) ने 2022-23 से 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए बाजरा आधारित उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है।

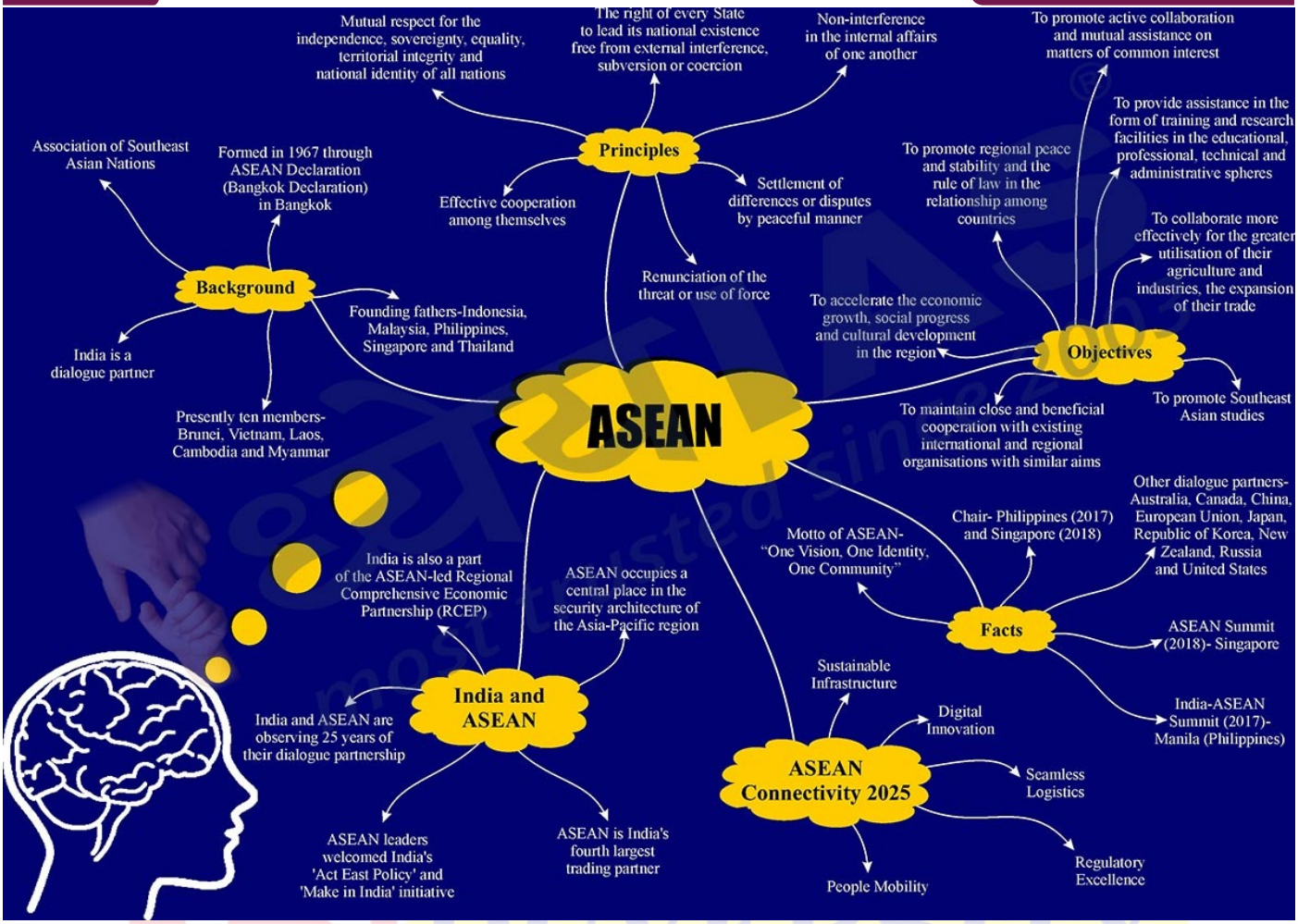
ASEAN
Principles
Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations
The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion
Non-interference in the internal affairs of one another
Effective cooperation among themselves
Settlement of differences or disputes by peaceful manner
Renunciation of the threat or use of force
Background
Association of Southeast Asian Nations
Formed in 1967 through ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) in Bangkok
Founding fathers-Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand
India is a dialogue partner
Presently ten members- Brunei, Vietnam, Laos, Cambodia and Myanmar
Objectives
To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest
To provide assistance in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres
To promote regional peace and stability and the rule of law in the relationship among countries
To collaborate more effectively for the greater utilisation of their agriculture and industries, the expansion of their trade
To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region
To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organisations with similar aims
To promote Southeast Asian studies
Facts
Other dialogue partners- Australia, Canada, China, European Union, Japan, Republic of Korea, New Zealand, Russia and United States
Chair- Philippines (2017) and Singapore (2018)
Motto of ASEAN- "One Vision, One Identity, One Community"
ASEAN Summit (2018)- Singapore
India-ASEAN Summit (2017)- Manila (Philippines)
India and ASEAN
India is also a part of the ASEAN-led Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
ASEAN occupies a central place in the security architecture of the Asia-Pacific region
India and ASEAN are observing 25 years of their dialogue partnership
ASEAN leaders welcomed India's 'Act East Policy' and 'Make in India' initiative
ASEAN is India's fourth largest trading partner
ASEAN Connectivity 2025
Sustainable Infrastructure
Digital Innovation
Seamless Logistics
Regulatory Excellence
People Mobility

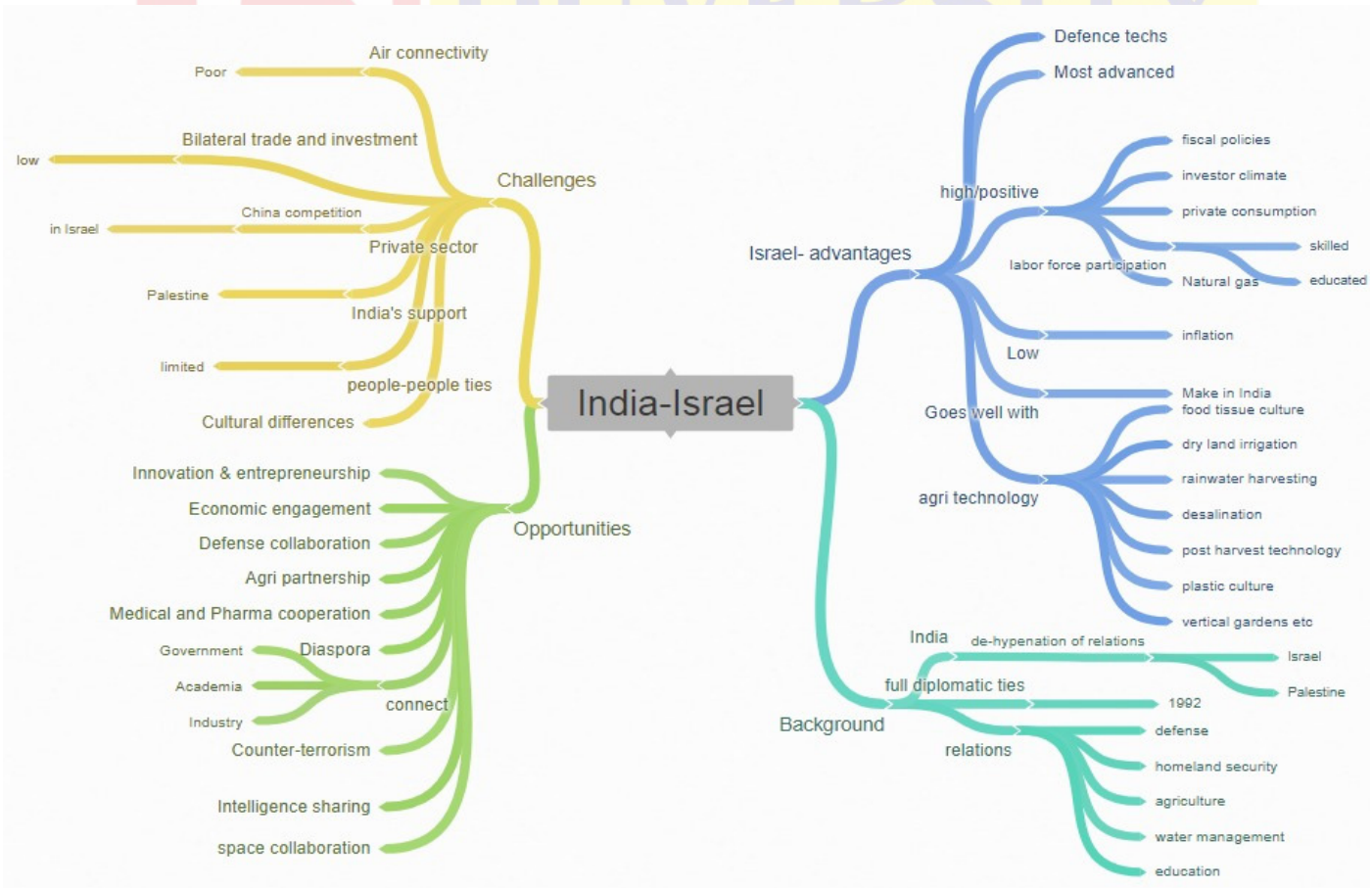
India-Israel
Challenges
Air connectivity
Poor
Bilateral trade and investment
low
China competition
in Israel
Private sector
Palestine
India's support
limited
people-people ties
Cultural differences
Opportunities
Innovation & entrepreneurship
Economic engagement
Defense collaboration
Agri partnership
Medical and Pharma cooperation
Government
Diaspora
Academia
Industry
connect
Counter-terrorism
Intelligence sharing
space collaboration
Israel- advantages
high/positive
Defence techs
Most advanced
fiscal policies
investor climate
private consumption
labor force participation
skilled
Natural gas
educated
Low
inflation
Goes well with
Make in India
food tissue culture
agri technology
dry land irrigation
rainwater harvesting
desalination
post harvest technology
plastic culture
vertical gardens etc
Background
India
de-hypenation of relations
Israel
Palestine
full diplomatic ties
1992
relations
defense
homeland security
agriculture
water management
education

8 सरकारी योजना

मेरा भारत प्लेटफार्म

खबरों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने 'मेरा युवा भारत (MY भारत)' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मेरा युवा भारत (MY भारत), एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय युवा नीति में 'युवा' की परिभाषा के अनुरूप, 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा।
- मेरा युवा भारत (MY भारत) 'फिजिटल प्लेटफॉर्म' (भौतिक + डिजिटल) है जिसमें शारीरिक गतिविधि के साथ-साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल है।
- यह युवा व्यक्तियों को सामुदायिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनने के लिए सशक्त बनाएगा।
- वे सरकार को अपने नागरिकों के साथ जोड़ने वाले "युवा सेतु" के रूप में कार्य करेंगे।

दृष्टि:

- 'मेरा युवा भारत (MY भारत)' की कल्पना युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए एक महत्वपूर्ण, प्रौद्योगिकी-संचालित सुविधा प्रदाता के रूप में की गई है।
- इसका व्यापक लक्ष्य युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और सरकार के संपूर्ण दायरे में "विकसित भारत" (विकसित भारत) के निर्माण में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करना है।
- यह एक ऐसे ढांचे की कल्पना करता है जहां हमारे देश के युवा कार्यक्रमों, सलाहकारों और अपने स्थानीय समुदायों के साथ निर्बाध रूप से जुड़ सकें।
- यह जुड़ाव स्थानीय मुद्दों के बारे में उनकी समझ को गहरा करने और रचनात्मक समाधानों में योगदान करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऐसे युवाओं की आवश्यकता:

- विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना: विजन 2047 के लिए एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और रूर्बन (अर्धशहरी) युवाओं को एक मंच पर ला सके।
- शहरी-ग्रामीण परिदृश्य में गतिशील बदलावों ने वर्तमान दृष्टिकोणों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पैदा कर दी है।
- एक ऐसा ढांचा बनाना जरूरी है जो ग्रामीण, शहरी और शहरी युवाओं को एक साझा मंच पर एकजुट करे। मेरा युवा भारत ऐसी रूपरेखा तैयार करने में मदद करेगा।
- एक प्रौद्योगिकी-संचालित मंच युवाओं को उन कार्यक्रमों से जोड़ सकता है जो उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और उन्हें सामुदायिक गतिविधियों से भी जोड़ सकते हैं।

उद्देश्य:

- युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास
- पृथक शारीरिक संपर्क से प्रोग्रामेटिक कौशल में बदलाव करके अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार करें
- युवाओं को सामाजिक नवप्रवर्तक और समुदायों में नेता बनाने के लिए उनमें निवेश करना
- युवाओं की आकांक्षाओं और समुदाय की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल
- मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से दक्षता में वृद्धि
- युवा लोगों और मंत्रालयों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करें
- एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस बनाएं
- युवा सरकारी पहलों और युवाओं के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों को जोड़ने के लिए दोतरफा संचार में सुधार
- फिजिटल इकोसिस्टम बनाकर पहुंच सुनिश्चित करना - भौतिक और डिजिटल अनुभवों का मिश्रण।

पीएम-किसान भाई (भंडारण प्रोत्साहन) योजना

खबरों में क्यों?

छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने और मूल्य निर्धारण में व्यापारियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए, भारत सरकार PM-किसान भाई (भंडारण प्रोत्साहन) योजना शुरू करने के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल कटाई के बाद कम से कम तीन महीने तक अपनी उपज रखने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें यह तय करने की स्वायत्तता मिलती है कि उन्हें अपनी फसल कब और कहां बेचनी है।
- यह फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास करता है, जिससे किसानों को उनकी उपज पर अधिक नियंत्रण मिलता है।
- यह पहल किसानों को यह तय करने की स्वायत्तता देती है कि उन्हें कब बेचना है, मौजूदा प्रथा के विपरीत जहां ज्यादातर फसलें कटाई के आसपास बेची जाती हैं, आमतौर पर 23 महीनों में।

योजना का कार्यान्वयन

- प्रारंभिक रोलआउट: इस योजना को आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शुरू किया जा सकता है।

दो प्रमुख घटक:

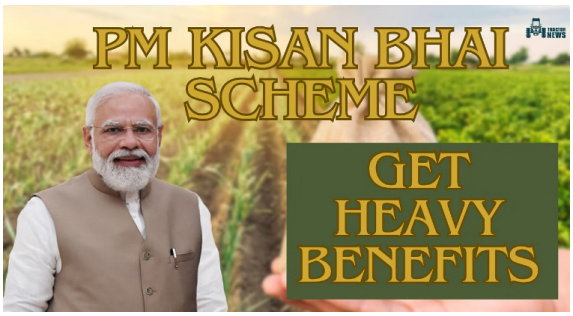

1. वेयरहाउसिंग रेंटल सब्सिडी (WRS): छोटे किसान और किसान उत्पादक संगठन (FPO) वेयरहाउसिंग शुल्क के बावजूद, अधिकतम तीन महीने के लिए प्रति माह 4 रुपये प्रति क्विंटल का डब्ल्यूआरएस लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2. शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI): सरकार अपनी उपज गिरवी रखने और रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत 3% अतिरिक्त ब्याज छूट देने का प्रस्ताव करती है।

- सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि भंडारण प्रोत्साहन अधिकतम तीन महीने के लिए प्रदान किया जाएगा।
- इसके अलावा, 15 दिनों या उससे कम समय के लिए संग्रहीत उपज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।
- प्रोत्साहन की गणना दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।

लाभ की पेशकश की गई

- मूल्य निर्धारण का विरोध: फसल के मौसम के दौरान भंडारण के लिए मौद्रिक समर्थन के साथ, किसान खरीदारों द्वारा निर्धारित कीमतों को अस्वीकार कर सकते हैं।
- व्यापक बाजार तक पहुंच: E-राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से ई-नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (ENWR) व्यापार को बढ़ावा देना किसानों को देश भर में खरीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला से जोड़ेगा।

ऐसी योजना की जरूरत है

- प्रतिज्ञा वित्त सुविधा: जबकि प्रतिज्ञा वित्त सुविधा वर्तमान में किसानों के लिए उपलब्ध है, किसानों पर उच्च कैरीओवर लागत और बैंकरों के लिए ऋण जोखिम के कारण इसकी प्रभावशीलता सीमित है।
- वैज्ञानिक भंडारण को प्रोत्साहित करना: इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से निर्मित गोदामों में किसानों की उपज के भंडारण को प्रोत्साहित करना, प्रतिज्ञा वित्त पर ब्याज दरों को कम करना है।

पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान

खबरों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान शुरू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए अंतिम छोर तक कल्याण योजना की डिलीवरी और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- प्रधान मंत्री ने सभी गांवों तक पहुंचने और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए पात्र लोगों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) कौन हैं?

- 1973 में, ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PGT) के लिए एक अलग श्रेणी की स्थापना की।
- 1975 में, संघ ने 52 आदिवासी समूहों को पीटीजी के रूप में पहचाना।
- 1993 में, सूची में 23 और समूह जोड़े गए। बाद में, 2006 में, इन समूहों को PVTGs नाम दिया गया।
- भारत में जनजातीय समूहों में PVTG एक अधिक असुरक्षित समूह है।
- इन समूहों में आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, कम साक्षरता, शून्य से नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और पिछड़ापन है।
- इसके अलावा, वे भोजन के लिए शिकार और कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी पर काफी हद तक निर्भर हैं।

- ऐसा कहा जाता है कि अधिक विकसित आदिवासी समूह विकास निधि का लाभ उठाते हैं, और इस प्रकार, पीवीटीजी के लिए अधिक धनराशि निर्देशित करने की आवश्यकता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, ओडिशा में PVTG की सबसे बड़ी आबादी है, इसके बाद मध्य प्रदेश है।

पीएम PVTG विकास मिशन:

- मिशन के हिस्से के रूप में, उन क्षेत्रों में सड़क और दूरसंचार कने-क्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जहां ये आदिवासी समूह रहते हैं।
- विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए कई मंत्रालय मिलकर काम करेंगे।
- इन योजनाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और जल जीवन मिशन समेत अन्य शामिल हैं।

जनजातीय गौरव दिवस

- 2021 में, भारत सरकार ने 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया।
- यह तारीख बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में पूजते हैं।
- बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 'उलगुलान' (क्रांति) का आह्वान करते हुए ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया।

अंशदायी पेंशन योजना - केरल

खबरों में क्यों?

राज्य की अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा के लिए केरल सरकार द्वारा गठित समिति की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सार्वजनिक कर दी गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अंशदायी योजना को रद्द करने के कानूनी और वित्तीय परिणामों की जांच करने के लिए 2018 में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसे 2013 में केरल में लागू किया गया था।
- रिपोर्ट 2021 में सरकार को सौंपी गई थी लेकिन अदालत के हस्तक्षेप तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है?

- अंशदायी पेंशन योजना या NPS 2004 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा, इसने कई वर्षों में कई राज्यों के कर्मचारियों को कवर किया।
- NPS ट्रस्ट के अनुसार, 39 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पिछले दो दशकों में, ज्यादातर 2010 से पहले, NPS लागू किया है।
- केरल ने अप्रैल 2013 में NPS की शुरुआत की।
- इसके तहत रोजगार के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से एक फंड बनाया जाता है।
- पिछली योजना में ऐसा नहीं था, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में अंतिम आहरित वेतन (50 प्रतिशत) की एक निश्चित राशि का वादा किया गया था और करदाताओं के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था।
- एनपीएस के मामले में, कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर एक वार्षिकी योजना खरीदता है, जिसमें फंड उसके नाम पर होता है और वह वार्षिकी पेंशन बन जाती है।
- जब यह योजना 2004 में शुरू की गई थी, तब कर्मचारी का पेंशन योगदान कर्मचारी के वेतन और भत्ते का 10 प्रतिशत था, और सरकार का भी उतना ही योगदान था।
- वास्तव में, यह सकल वेतन का लगभग 18 प्रतिशत था।
- 2019 में, केंद्र सरकार ने योगदान में अपना हिस्सा बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया, जिससे व्यक्तिगत स्तर पर सकल वेतन का हिस्सा बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया।

केरल का पेंशन परिदृश्य क्या है?

- नकदी संकट से जूझ रहे केरल में, बढ़ती पेंशन देनदारी राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों पर दबाव डाल रही है।
- सेवानिवृत्ति की आयु के बाद राज्य में उच्च जीवन प्रत्याशा, विशेष रूप से एक कर्मचारी की सेवा के वर्षों की संख्या के संबंध में, भी एक महत्वपूर्ण कारक है।
- केरल में राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले 56 वर्ष थी।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट में कहा गया है कि प्रतिबद्ध व्यय पर 94,649 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है, जो इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 70 प्रतिशत है।
- किसी राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है।

इसमें शामिल हैं:

- वेतन पर व्यय (राजस्व प्राप्तियों का 30 प्रतिशत),
- पेंशन (21 प्रतिशत),
- ब्याज भुगतान (19 प्रतिशत)।

समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार केरल में एनपीएस के लिए तर्क:

- समीक्षा समिति की रिपोर्ट में पेंशन योजना को रद्द करने की सलाह नहीं दी गई है।
- साथ ही, योजना को रद्द करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यद्यपि केरल सरकार द्वारा एनपीएस ट्रस्ट और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के साथ हस्ताक्षरित समझौतों में निकास खंड नहीं हैं, लेकिन उनमें सरकार को समझौतों को रद्द करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि NPS को जारी रखने से 2040 से राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में हिस्सेदारी के रूप में पेंशन व्यय में कमी आएगी।
- यह भी सुझाव दिया गया कि अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत और महंगाई भत्ता 14 प्रतिशत किया जाए - जैसा कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों द्वारा पहले ही किया जा चुका है।
- यह चाहता था कि अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अनुमति दी जाए।

केरल में NPS के ख़िलाफ़ तर्क

- जो लोग NPS के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें मामूली वार्षिकियां मिल रही हैं।
- यह देखते हुए कि NPS के तहत योगदान को विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है जिन्हें चुना जा सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश की स्थिति में निवेश के परिसंपत्ति मूल्य में भारी गिरावट का खतरा वास्तविक है।
- वैधानिक पेंशन योजना में, 10 वर्ष से कम सेवा वाले लोग पेंशन के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन सरकार ने उन्हें राहत प्रदान करने के लिए अनुग्रह पेंशन की शुरुआत की।
- NPS में ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है और यह चिंता का विषय बनी हुई है।

PM श्री

खबरों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने देश भर में हजारों स्कूलों को विकसित करने के उद्देश्य से ओडिशा में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना शुरू की।

महत्वपूर्ण बिंदु

ओडिशा में उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल (PM SHRI) योजना

- पहले चरण में, PM श्री योजना ओडिशा में केंद्र द्वारा संचालित 97 केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में से 63 संस्थानों में लागू की जाएगी।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र ने ओडिशा में केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों के लिए 50.8 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि में से 12.7 करोड़ रुपये पहली किस्त में जारी किए जा चुके हैं।
- केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य में 120 करोड़ रुपये से अधिक के कुल बजट के साथ PM श्री योजना लागू की जाएगी।
- ओडिशा सरकार को PM SHRI योजना के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना बाकी है।

उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल (PM श्री) योजना

- पीएम श्री योजना सितंबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करते हुए देश भर में 14,500 स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों में विकसित करना है।

Pradhan Mantri ScHools for Rising India

PM SHRI

Creating holistic and well-rounded individuals equipped with key 21st Century skills

- ये स्कूल पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करेंगे और न्यायसंगत, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे।

पीएम श्री योजना की मुख्य विशेषताएं:

- समग्र और बहु-विषयक शिक्षा: स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र और बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करेंगे।
- अनुभवात्मक शिक्षा: स्कूल सीखने को अधिक आकर्षक और सार्थक बनाने के लिए व्यावहारिक गतिविधियों और परियोजनाओं का उपयोग करके अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देंगे।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: शिक्षण और सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए स्कूल सीखने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेंगे।
- समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा: स्कूल समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि या क्षमता की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो।
- शिक्षक विकास: स्कूल शिक्षक विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे, शिक्षकों को NEP-2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करेंगे।

पीएम श्री स्कूलों का चयन

- PM श्री स्कूलों का चयन केंद्र सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों या निजी संस्थानों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों में से किया जाता है।
- स्कूलों का चयन उनके शैक्षणिक प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और परिवर्तन की क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

PM श्री योजना का कार्यान्वयन

- PM SHRI योजना समग्र शिक्षा, KVS और NVS के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। अन्य स्वायत्त निकायों को आवश्यकतानुसार विशिष्ट परियोजना के आधार पर शामिल किया जाएगा।

PM श्री योजना के अपेक्षित परिणाम

- सभी छात्रों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार।
- सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि।
- शिक्षक की प्रभावशीलता में वृद्धि।
- विद्यालय नेतृत्व को मजबूत किया गया।
- NEP 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने वाले अनुकरणीय स्कूलों का विकास।

अबुआ आवास योजना - झारखंड

खबरों में क्यों?

झारखंड ने 'अबुआ आवास योजना' (AAY) आवास योजना शुरू की

महत्वपूर्ण बिंदु

- झारखंड कैबिनेट ने हाल ही में 'अबुआ आवास योजना' (AAY) को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में बेघर व्यक्तियों को आठ लाख पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई एक आवास योजना है। 16,320 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ, इस योजना को तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख घर, वित्त वर्ष 2024-25 में 3.5 लाख घर और वित्त वर्ष 2025-26 में 2.5 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा।

AAY की आवश्यकता

- झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और अंबेडकर आवास योजना सहित कई आवास योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद, ये पहल सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने में असमर्थ रही हैं।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने चिंता जताई थी कि पहचान प्रक्रिया में विसंगतियों और त्रुटियों के कारण लगभग 8 लाख पात्र लाभार्थियों को आवास योजनाओं से बाहर कर दिया गया है।

AAY क्या प्रदान करता है:

- 'अबुआ आवास योजना' योजना के तहत, लाभार्थियों को एक रसोई के साथ तीन कमरे का घर मिलेगा, जिसमें कुल 31 वर्ग मीटर क्षेत्र शामिल होगा।
- सरकार ने अपने बजट में प्रति लाभार्थी 2 लाख रुपये आवंटित किए हैं, जो चार किश्तों में वितरित किए जाते हैं।
- इसकी तुलना में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में प्रति लाभार्थी 1.2-1.3 लाख रुपये के प्रावधान के साथ दो कमरे और एक रसोई वाले घरों का निर्माण किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, AAY लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत काम करने और प्रचलित मजदूरी दर पर 95 अकुशल मानव दिवस तक मजदूरी अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसका उपयोग उनके घर बनाने के लिए किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन या अन्य उपलब्ध योजनाओं के धन का उपयोग करके घर के निर्माण में शौचालय को शामिल करने का भी प्रावधान है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि एएवाई के तहत बनाए गए सभी घर लाभार्थी परिवारों की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किए जाएंगे।

पात्र लाभार्थी

AAY निम्नलिखित श्रेणियों में लाभार्थियों को लक्षित करता है:

- कच्चे मकानों में रहने वाले व्यक्ति।
- बेघर या लावारिस व्यक्ति।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार।
- बंधुआ मजदूरों को कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से बचाया गया।
- ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य आवास योजना के लाभार्थी नहीं रहे हैं।

बहिष्करण की शर्त

कुछ मानदंड व्यक्तियों को योजना के लिए अयोग्य बनाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- चार पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव का स्वामित्व।
- कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले तीन या चार पहिया वाहन का स्वामित्व।
- वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी।
- परिवार के सदस्य जन प्रतिनिधि के रूप में सेवारत हैं।
- आयकर दाता।
- पेशेवर करदाता।
- रेफ्रिजरेटर वाले परिवार।
- ऐसे परिवार जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण या 5 एकड़ सिंचित भूमि के साथ 2.5 एकड़ भूमि हो।

एम्प्लिफ़ी 2.0 पोर्टल

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एम्प्लिफ़ी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एम्प्लिफाई (रहने योग्य, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत के लिए मूल्यांकन और निगरानी मंच) पोर्टल का उद्देश्य भारतीय शहरों पर डेटा प्रदान करना है।
- यह डेटा-संचालित नीति निर्माण में मदद करने के लिए शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए भारतीय शहरों से कच्चे डेटा को एक ही मंच पर उपलब्ध करा रहा है।
- वर्तमान में, 258 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को शामिल किया गया है, और 150 शहरों का डेटा पोर्टल पर उपलब्ध है।
- यह कई शहरों के लिए कई प्रकार की जानकारी पर डेटा प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, कुल डीजल खपत और पानी की गुणवत्ता के लिए परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या।

शहरी परिणाम रूपरेखा 2022 क्या है?

- इसे मंत्रालय के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और PWC इंडिया द्वारा विकसित किया गया है।
- यह संकेतकों की व्यापक सूची के साथ सूचकांकों से डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसके साथ, डेटा संग्रह पर फोकस बढ़ाने के लिए 14 क्षेत्रों में डेटा को सुव्यवस्थित किया जाता है, और डोमेन विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है।
- यह पहल खुले डेटा पर नए ढांचे बनाने का अवसर भी प्रदान करती है।
- 14 क्षेत्र जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, वित्त, शासन, स्वास्थ्य, आवास, गतिशीलता, योजना, सुरक्षा और सुरक्षा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल और स्वच्छता हैं।

SHRIRAM DUVERSITY EDUCATION XPERT Right Access Get Success

9 विविध

गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (GMC)

खबरों में क्यों?

गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव (GMC) के चौथे संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना ने नेवल वॉर कॉलेज, गोवा के तत्वावधान में की थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- तीन दिवसीय सम्मेलन में क्षेत्र के बारह देश भाग लेंगे।
- कॉन्क्लेव में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड के अपने समकक्षों के साथ शामिल होंगे।
- भारत की आत्मनिर्भरता पहल के हिस्से के रूप में, कॉन्क्लेव के मौके पर एक "मेक इन इंडिया प्रदर्शनी" का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन किया गया।
- गणमान्य व्यक्तियों ने स्वदेशी युद्धपोतों का भी दौरा किया और डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (DSRV) की क्षमताओं को देखा।

विषय

- इस सम्मेलन का विषय हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को "सहयोगात्मक शमन ढांचे" में परिवर्तित करना है।
- कॉन्क्लेव के मुख्य विषय के अनुरूप, कार्यक्रम के पहले दिन, चार उप-विषयों पर विस्तृत विचार--विमर्श किया गया:
  - IOR में समुद्री सुरक्षा हासिल करने के लिए नियामक और कानूनी ढांचे में अंतराल की पहचान करना
  - समुद्री खतरों और चुनौतियों के सामूहिक शमन के लिए GMC राष्ट्रों के लिए एक सामान्य बहुपक्षीय समुद्री रणनीति और संचालन प्रोटोकॉल तैयार करना
  - पूरे IOR में उत्कृष्टता केंद्र के साथ सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान और स्थापना
  - सामूहिक समुद्री दक्षताओं को उत्पन्न करने की दिशा में आईओआर में मौजूदा बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से की जाने वाली गतिविधियों का लाभ उठाना

कॉन्क्लेव समावेशन

- विचार-विमर्श समुद्री खतरों और चुनौतियों को सामूहिक रूप से कम करने के लिए राष्ट्रों के लिए एक आम बहुपक्षीय समुद्री रणनीति और प्रोटोकॉल तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
- नौसेना प्रमुख और भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधि संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।
- कॉन्क्लेव के हिस्से के रूप में, आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ-साथ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल की क्षमताओं की एक झलक मिलेगी।
- गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों के लिए क्षेत्रीय समाधान खोजने और परिणाम-उन्मुख मंच बनने की अपनी खोज को पूरा करने का प्रयास जारी रखता है।

शत्रुतापूर्ण गतिविधि वॉच कर्नेल (HAWK) प्रणाली

खबरों में क्यों?

कर्नाटक वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ मिलकर होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल (HAWK) प्रणाली शुरू की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- शत्रुतापूर्ण गतिविधि वॉच कर्नेल (HAWK) क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है।
- इसे वन्यजीव अपराध, वन्यजीव अपराधियों और वन्यजीव मृत्यु दर के परस्पर जुड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह अधिकारियों को सूचना का विश्लेषण करने और वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी विकसित करने में मदद करेगा। और अवैध वन्यजीव व्यापार (IWT) पर अंकुश लगाना।
- सिस्टम में इन मामलों से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए समर्पित मॉड्यूल भी हैं।
- सिस्टम पूरे राज्य के वन विभाग को वास्तविक समय में जोड़ता है और पहुंच स्तरों के माध्यम से पहुंच प्रतिबंधित है।
- HAWK प्रणाली एक बड़ी ERP मॉडल क्लाउड-आधारित प्रणाली है जो डेटा प्रबंधित करने के लिए मोबाइल और डेस्कटॉप इंटरफेस का उपयोग करती है।
- संपूर्ण HAWK प्रणाली को विभिन्न मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है जो व्यक्तिगत स्टैंड-अलोन कार्यों से जुड़े हुए हैं। यह सिस्टम को राज्य वन विभाग की आवश्यकता के अनुसार ऊपर या नीचे स्केल करने में सक्षम बनाता है और प्रक्रियाओं में बदलावों को समायोजित करने और क्षेत्रीय भाषा में इंटरफ़ेस को समायोजित करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए अनुकूलन अवसर सुनिश्चित करता है।

- HAWK प्रणाली द्वारा प्रबंधित सभी डेटा सरकार के पास सुरक्षित है और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उद्योग-मानक सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं।
- एक समर्पित विकास और प्रशिक्षण टीम सिस्टम के सुचारू कार्यान्वयन में सहायता के लिए लक्षित राज्य भर में सिस्टम विकास और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का ख्याल रखती है।
- HAWK का विकास 2017 में केरल राज्य में केरल वन विभाग और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की संयुक्त टीम द्वारा शुरू किया गया था।
- इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर 2019 में केरल में लॉन्च किया गया था और तब से यह राज्य वन विभाग की आधिकारिक प्रणाली है।
- कर्नाटक वन विभाग के आईसीटी सेल की साझेदारी में कर्नाटक में 2022 में HAWK के एक अनुकूलित संस्करण का कार्यान्वयन शुरू किया गया और इस प्रणाली को पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।

प्रोपेन आपूर्ति समझौता

खबरों में क्यों?

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने उसर, महाराष्ट्र में गेल की आगामी पेट्रोकेमिकल सुविधा के लिए प्रोपेन की आपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के साथ 15 साल का समझौता किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- गेल (इंडिया) लिमिटेड ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के साथ 15 साल के महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- समझौते का मूल्य ₹63,000 करोड़ से अधिक है।
- इस सौदे के तहत, गेल महाराष्ट्र के उरण में स्थित BPCL की LPG आयात इकाई से 600 KTPA (हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष) प्रोपेन प्राप्त करेगा।

BPCL LPG आयात इकाई विस्तार

- उरण में BPCL की LPG आयात इकाई वर्तमान में 1 MMTPA क्षमता से सुसज्जित है।
- हालाँकि, गेल को प्रोपेन आपूर्ति की बढ़ती मांग का समर्थन करने के लिए 3 MMTPA प्रोपेन और ब्यूटेन आयात को संभालने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है।

गेल की प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन इकाई

- गेल उसर, महाराष्ट्र में एक प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन इकाई का निर्माण कर रहा है। यह सुविधा उल्लेखनीय है क्योंकि यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है।
- इस इकाई के 2025 में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।
- इसकी नेमप्लेट क्षमता 500 KTPA होगी और इसे प्रोपलीन उत्पादन के लिए समान क्षमता वाले पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा।

पॉलीप्रोपाइलीन की मांग

- यह परियोजना बाजार में पॉलीप्रोपाइलीन की बढ़ती मांग के अनुरूप है। गेल के एक बयान के अनुसार, अनुमान है कि पॉलीप्रोपाइलीन की मांग 2025 तक 6.3 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी।

गेल की विविधीकरण रणनीति

- यह उद्यम गेल की विविधीकरण रणनीति का हिस्सा है जैसा कि FY23 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है।
- कंपनी इस बात पर जोर देती है कि लाभप्रदता बढ़ाने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई व्यावसायिक पहल उसके रणनीतिक दृष्टिकोण के केंद्र में हैं।

प्रोपेन

- प्रोपेन एक रंगहीन और गंधहीन हाइड्रोकार्बन गैस है जिसका व्यापक रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक बहुमुखी ऊर्जा स्रोत है जो अपने स्वच्छ जलने वाले गुणों और दक्षता के लिए जाना जाता है।
- इसका उपयोग आमतौर पर आवासीय सेटिंग्स में घरों को गर्म करने और स्टोव, ओवन और अन्य खाना पकाने के उपकरणों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है।
- इसका उपयोग कृषि मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर और सिंचाई पंप में किया जाता है।
- इसकी सुविधा और सुवाह्यता के कारण इसका उपयोग आमतौर पर कैंपिंग स्टोव, लालटेन और बारबेक्यू ग्रिल के लिए किया जाता है।
- प्रोपेन को इसके पर्यावरणीय लाभों के लिए पसंद किया जाता है, क्योंकि यह कोयले और तेल जैसे अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में जलने पर कम उत्सर्जन और प्रदूषक पैदा करता है। इसे "स्वच्छ" ऊर्जा स्रोत माना जाता है।
- प्रोपेन को दबाव में तरल रूप में संग्रहीत और परिवहन किया जाता है, जो कुशल भंडारण और परिवहन की अनुमति देता है। जरूरत पड़ने पर इसे वाष्पीकृत किया जा सकता है और गर्मी या बिजली पैदा करने के लिए जलाया जा सकता है।
- प्रोपेन उत्पादन के प्राथमिक स्रोतों में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और कच्चे तेल का शोधन शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसे बायोमास और लैंडफिल गैस जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित किया जा सकता है, जिससे यह अधिक टिकाऊ विकल्प बन जाता है।

प्रोजेक्ट कुशा

खबरों में क्यों?

महत्वाकांक्षी परियोजना कुशा के तहत DRDO द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM) प्रणाली की "अवरोधन क्षमताएं" दुर्जेय रूसी S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली के साथ "तुलनीय" होंगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत की अपनी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, जिसका नाम 'प्रोजेक्ट कुशा' है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित की जा रही है।

क्षमता

- यह लंबी दूरी पर क्रूज मिसाइलों, स्टील्थ फाइटर जेट और ड्रोन सहित दुश्मन के प्रोजेक्टाइल और कवच का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा।

दृष्टिकोण

- प्रोजेक्ट कुशा भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल करता है।

हालिया अधिग्रहण

- रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई इस उन्नत प्रणाली के पांच स्क्वाड्रन के अधिग्रहण के लिए बहुप्रतीक्षित स्वीकृति की आवश्यकता (AON) प्रदान की है।

प्रोजेक्ट कुशा की इंटरसेप्टर मिसाइलें

- प्रोजेक्ट कुशा के केंद्र में तीन लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं, जिनमें से प्रत्येक भारत की वायु रक्षा प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती हैं।
- इन मिसाइलों को 150 किमी, 250 किमी और 350 किमी की रेंज रखने के लिए इंजीनियर किया जाएगा, जिससे हवाई खतरों के खिलाफ एक व्यापक ढाल प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा, उन्हें कम से कम 85% की उल्लेखनीय एकल-शॉट हत्या संभावना के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो उनकी प्रभावशीलता में उच्च स्तर का विश्वास प्रदान करता है।

प्रोजेक्ट कुशा की उल्लेखनीय विशेषताएं

- इस वायु रक्षा प्रणाली की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यह है कि जब दो अलग-अलग मिसाइलों को केवल पांच सेकंड के अंतराल के साथ क्रमिक रूप से लॉन्च किया जाता है, तो हत्या की संभावना को आश्चर्यजनक रूप से 98.5% तक बढ़ाने की क्षमता होती है।
- यह दोहरी मिसाइल दृष्टिकोण हवाई खतरों के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे देश की सुरक्षा में और वृद्धि होती है।
- प्रोजेक्ट कुशा का एक महत्वपूर्ण पहलू लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार का विकास है।
- ये अत्याधुनिक रडार दुश्मन के इलाके में 500-600 किमी की गहराई तक हवाई क्षेत्र को स्कैन करने की क्षमता रखेंगे, जिससे महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ मिलेंगे।
- यह क्षमता भारतीय वायु सेना को पूरे पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र की निगरानी करने और तिब्बती पठार में गहराई तक प्रवेश करने की क्षमता प्रदान करती है, जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) के एयरबेस रणनीतिक रूप से स्थित हैं।
- वायु रक्षा प्रणाली में एक द्वितीयक अति उच्च-आवृत्ति (VHF) रडार सरणी को भी शामिल करने की तैयारी है, जो परियोजना का एक प्रमुख तत्व है।
- VHF राडार ऐरे स्टील्थ प्लेटफार्मों के खिलाफ अपनी बेहतर पहचान क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो हवाई खतरों को पहचानने और प्रतिक्रिया देने की प्रणाली की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं।

भारत को प्रोजेक्ट कुशा की आवश्यकता क्यों है?

- वर्तमान समय में पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से उभरते खतरों के कारण ऐसी परियोजना की आवश्यकता काफी अधिक है। बाद वाला रूस की S-400 मिसाइल प्रणाली का भी उपयोग करता है और उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पार कई मिसाइल बैटरियां तैनात की हैं।
- चीन ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के उत्पादन में भी तेजी ला दी है। हालाँकि इन्हें S-400 की तुलना में कम सक्षम माना जाता है, फिर भी ये भारत के लिए गंभीर ख़तरा हैं। यह देखते हुए कि चीन भारत पर मिसाइलें दाग सकता है, यह उचित है कि नई दिल्ली खुद को अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों से लैस करे।
- 2020 में गलवान घाटी विवाद के बाद चीन के साथ भारत के संबंधों में गिरावट आई है, जो दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष है। भारत और चीन के तनावपूर्ण रिश्ते हाल के चीनी उकसावों से बढ़े हैं, जिसमें उसके "मानक मानचित्र" का 2023 संस्करण जारी करना, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन क्षेत्र पर दावा करना और हांग्जो एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों को वीजा देने से इनकार करना शामिल है।
- ध्यान में रखने वाली एक और बात यह है कि चीन पाकिस्तान का 'सदाबहार मित्र' है, और इस्लामाबाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
- चुनौतियों का सामना करते हुए, 'प्रोजेक्ट कुशा' दो-मोर्चे के संघर्ष के खिलाफ भारत का एक और प्रयास है।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

खबरों में क्यों?

कार्मिक मंत्रालय ने, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) के सहयोग से, भारत में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के "जीवनयापन में आसानी" को बढ़ाने के लिए DLC अभियान 2.0 नामक एक अभियान शुरू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह अभियान केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) बनाने के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे जीवन प्रमाण भी कहा जाता है।
- एक DLC एक पेंशनभोगी के अस्तित्व को डिजिटल रूप से सत्यापित करने के एक तरीके के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें अपने पेंशन लाभ मिलते रहेंगे।

प्रस्तुत करने में आसानी

- इस पहल का उद्देश्य पेंशनभोगियों के लिए डीएलसी जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। विशेष रूप से, 90 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनभोगी और 80-90 वर्ष के बीच के लोग अपने घरों, विभिन्न स्थानों, कार्यालयों और बैंक शाखाओं से आसानी से अपनी डीएलसी जमा कर सकते हैं।

अभियान प्रगति

- DLC अभियान 2.0 के पहले सप्ताह के अंत तक, 16 लाख से अधिक DLC तैयार किए गए।
- महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरे, जिन्होंने अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकेले पहले सप्ताह में, अनुमानित 4 लाख डीएलसी उत्पन्न हुए।

राष्ट्रव्यापी पहुंच

- अभियान का दायरा व्यापक है, जिसमें देश भर के 100 शहरों में 500 स्थान शामिल हैं।
- लक्षित दर्शकों में केंद्र सरकार के 50 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।

सहयोगात्मक प्रयास

- यह अभियान 17 पेंशन वितरण बैंकों, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, पेंशनभोगियों के कल्याण संघों, UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण), और MEITY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) सहित कई हितधारकों के सहयोग से संचालित होता है।

फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का परिचय

- DLC जमा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक महत्वपूर्ण तकनीक पेश की गई। यह तकनीक फेस ऑथेंटिकेशन पर निर्भर है और आधार डेटाबेस पर आधारित है।
- पेंशनभोगी अब किसी भी एंड्रॉइड-आधारित स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने डीएलसी जमा कर सकते हैं, जिससे बाहरी बायोमेट्रिक उपकरणों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह विकास नवंबर 2021 में हुआ, जिससे पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया अधिक सुलभ और किफायती हो गई।

जागरूकता अभियान

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) DLC-फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।
- जागरूकता के विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कार्यालयों, बैंक शाखाओं और एटीएम में रणनीतिक रूप से लगाए गए बैनर और पोस्टर।

कमजोर पेंशनभोगियों के लिए सहायता

- कुछ पेंशनभोगियों, विशेषकर बुजुर्ग, बीमार या कमजोर लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए, बैंक अधिकारी सहायता की पेशकश कर रहे हैं। वे DLC जमा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे पेंशनभोगियों के घरों और अस्पतालों का दौरा करते हैं।
- अभियान का उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और हितधारकों के साथ सहयोग करके केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) प्रस्तुतीकरण को सुव्यवस्थित करना है। इसकी सफलता राष्ट्रव्यापी आउटरीच, सहयोगात्मक प्रयासों और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रौद्योगिकी से प्रेरित है, जो सभी पात्र पेंशनभोगियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करती है।

उत्तराखंड सुरंग का ढहना

खबरों में क्यों?

उत्तराखंड में निर्माणाधीन सिल्क्यारा-बारकोट सुरंग ढह गई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 4.531 किमी लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। यह चार धाम हर मौसम में सुलभता परियोजना का हिस्सा है।
- इस सुरंग के निर्माण का उद्देश्य चारधाम यात्रा के धामों में से एक यमुनोत्री को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे देश के भीतर क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

विफलता के संभावित कारण

- चट्टान का एक ढीला टुकड़ा: यह टुकड़ा खंडित या नाजुक चट्टान से बना हो सकता है, यानी बहुत सारे जोड़ों वाली चट्टान जिसने इसे कमजोर बना दिया होगा।
- पानी का रिसाव: एक ढीले पैच के माध्यम से। पानी समय के साथ ढीले चट्टानी कणों को नष्ट कर देता है, जिससे सुरंग के शीर्ष पर एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है।

सुरंग खुदाई के तरीके

- अनिवार्य रूप से दो तरीके हैं: ड्रिल और ब्लास्ट विधि (DBM), और सुरंग-बोरिंग मशीनों (TBM) का उपयोग करके।
- DBM में चट्टान में छेद करना और उनमें विस्फोटक भरना शामिल है। जब विस्फोटकों में विस्फोट किया जाता है तो चट्टान टूटकर बिखर जाती है।
- TBM प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट स्थापित करके मशीन के पीछे खुदाई सुरंग का समर्थन करते हुए सामने से चट्टान को बोर करते हैं (एक घूमने वाले सिर का उपयोग करके)।

DBM और TBM के बीच अंतर

- TBM से सुरंग बनाना DBM से अधिक महंगा है, लेकिन अधिक सुरक्षित है।
- TBM का उपयोग बहुत ऊंचे पहाड़ों में ड्रिलिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। जब चट्टान का कोई हिस्सा अचानक अधिक तनाव के कारण गिर जाता है तो चट्टान फटने की घटना हो सकती है। टीबीएम तब आदर्श होते हैं जब चट्टान का आवरण 400 मीटर तक ऊंचा हो।
- दिल्ली मेट्रो के लिए भूमिगत सुरंगों को कम गहराई पर TBM का उपयोग करके खोदा गया था। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड सहित हिमालय जैसी जगहों पर, आमतौर पर DBM का उपयोग किया जाता है।

हिमालय क्षेत्र में सुरंग निर्माण

- हिमालय युवा वलित पर्वत हैं (इन्हें 40 मिलियन से 50 मिलियन वर्ष पहले बनाया गया था) और वे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच टकराव के कारण अभी भी बढ़ रहे हैं।
- कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां चट्टान सुरंग के लिए बहुत नाजुक है। लेकिन बाकी जगहों पर चट्टान बहुत अच्छी है।
- सुरंगें पहाड़ या पहाड़ी की पारिस्थितिकी को नष्ट नहीं करती हैं। सुरंग-निर्माण तकनीक लगभग 200 वर्ष पुरानी है और यदि ठीक से क्रियान्वित किया जाए, तो सुरंगें खतरनाक नहीं होती हैं।

सुरंग बनाने का मुख्य पहलू

- जिस चट्टान के माध्यम से सुरंग बनाने का प्रस्ताव है, उसकी जांच, चट्टान के माध्यम से भूकंपीय अपवर्तन तरंगें भेजकर यह जांचना कि कौन से पैच नाजुक या ठोस हैं।
- पेट्रोग्राफिक विश्लेषण के लिए एक मुख्य नमूने का निष्कर्षण (खनिज सामग्री, अनाज का आकार, बनावट और अन्य विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए सूक्ष्म परीक्षण)।
- विभिन्न स्थानों पर चट्टान के व्यवहार की जांच करने के लिए मौके की निगरानी करें। यह तनाव मीटर और विरूपण मीटर जैसे उपकरणों द्वारा किया जाता है।
- सुरंग को प्रदान किए गए समर्थन की पर्याप्तता के लिए परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।
- संभावित विफलताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भूविज्ञानी दौरा करता है। वे चट्टान के खड़े होने का समय भी निर्धारित करेंगे - वह अवधि जिसके लिए चट्टान बिना किसी सहारे के स्थिर रह सकती है। चट्टान को उसके स्टैंड-अप समय के भीतर समर्थन दिया जाता है।

चार धाम परियोजना

- चार धाम परियोजना एक दो-लेन राजमार्ग परियोजना है जो वर्तमान में सीमा सड़क संगठन द्वारा उत्तराखंड राज्य में निर्माणाधीन है।
- यह तीर्थ स्थलों (केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री) और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 125 के टनकपुर-पिथौरागढ़ खंड को जोड़ने वाले 900 किमी राजमार्गों को चौड़ा करेगा, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का एक हिस्सा है।

कंबाला दौड़

खबरों में क्यों?

25 और 26 नवंबर के सप्ताहांत के दौरान, बेंगलुरु के सिटी पैलेस मैदान में आयोजित होने वाली कंबाला दौड़ के लिए विशेष रूप से बनाए गए कीचड़ वाले ट्रैक पर भैंसों के 160 जोड़े और उनके जॉकी दौड़ने के लिए तैयार हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है।
- यह आयोजन स्थानीय संस्कृति का एक अनूठा और जीवंत हिस्सा है, जो क्षेत्र की कृषि परंपराओं में गहराई से निहित है।

उत्पत्ति और इतिहास

- प्राचीन परंपरा: कंबाला की जड़ें प्राचीन कृषि पद्धतियों में हैं जहां अच्छी फसल के लिए देवताओं को धन्यवाद देने और कृषक समुदाय का मनोरंजन करने के लिए भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता था।
- सांस्कृतिक महत्व: यह आयोजन सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो सामुदायिक भावना और एकता की भावना को बढ़ावा देता है।

घटना संरचना

- भैंसों के जोड़े: कम्बाला में भैंसों के जोड़े शामिल होते हैं जिन्हें एक हल जैसे उपकरण से बांधा जाता है जिसे एक हैंडलर, आमतौर पर एक किसान द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- रेसिंग ट्रैक: दौड़ कीचड़ भरे, पानी से भरे ट्रैक, अक्सर धान के खेतों में होती है, और भैंसों को संचालकों द्वारा चलाया जाता है जो उनके साथ-साथ दौड़ते हैं।

कंबाला के प्रकार

- पुकेरे कंबाला: इस प्रकार में, भैंसों को एक ही हल से बांधा जाता है, और दौड़ सीधी दौड़ होती है।
- बारे कंबाला: यहां, भैंसों को एक लकड़ी के तख्ते से बांधा जाता है, और दौड़ में भैंसों के दो जोड़े एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।

कंबाला की श्रेणियाँ

कंबाला आमतौर पर चार श्रेणियों में आयोजित किया जाता है:

- नेगीलु (हल): प्रवेश स्तर के भैंस जोड़े हल्के हल का उपयोग करके भाग लेते हैं।
- हग्गा (रस्सी): जॉकी केवल दोनों जानवरों से बंधी एक रस्सी के साथ भैंसों की दौड़ लगाते हैं।
- अड्डा हालेज: प्रतिभागी भैंसों द्वारा खींचे गए एक क्षैतिज तख्ते पर खड़े होते हैं।
- केन हालेज: भैंसों को बांधने वाला एक लकड़ी का तख्ता, जिसे खींचने पर छेदों से पानी निकलता है। विजेता का निर्धारण पानी के छींटों की ऊंचाई से होता है।

कम्बाला घटनाएँ

- कादरी कंबाला: मैंगलोर के पास आयोजित होने वाले सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कंबाला कार्यक्रमों में से एक।
- मूडबिद्री में कंबाला: यह कार्यक्रम अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है और पूरे कर्नाटक से प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करता है।

हाल की घटनाएँ

कंबाला पर प्रतिबंध:

- 2014 में, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) जैसे संगठनों की याचिकाओं के बाद, जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ के साथ कंबाला को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा।
- आरोपों में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, विशेष रूप से भैंस की नाक को रस्सी से बांधना और दौड़ के दौरान लगातार कोड़े मारना शामिल था।

प्रतिबंध हटाना:

- जनवरी 2016 में, पर्यावरण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कंबाला जैसे पारंपरिक आयोजनों को जारी रखने के लिए उनके सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए एक अपवाद की अनुमति दी।
- राज्य सरकारों ने जानवरों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शर्तों के अधीन छूट प्रदान करने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन किया।
- पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने उसी वर्ष मई में इन संशोधनों को बरकरार रखा, जिससे कंबाला और इसी तरह के पारंपरिक खेलों को विशिष्ट नियमों के तहत फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई।

जातिगत भेदभाव विवाद:

- ऐतिहासिक रूप से, कोरगा समुदाय को कंबाला के दौरान भेदभाव का सामना करना पड़ा, सदस्यों को 'अछूत' माना गया और त्योहार के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
- आलोचकों का तर्क है कि, आज भी, खेल को प्रमुख जाति समूहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि 'निचली जातियों' के व्यक्तियों को अक्सर आयोजन के दौरान छोटी भूमिकाओं में धकेल दिया जाता है।
- पशु अधिकार संबंधी चिंताएँ: कंबाला को पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा है, जो तर्क देते हैं कि यह प्रथा भैंसों के लिए हानिकारक है।
- नियामक उपाय: चिंताओं के जवाब में, खेल को विनियमित करने, दौड़ के दौरान जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं।

शान राज्य

खबरों में क्यों?

म्यांमार उत्तरी शान राज्य में संघर्ष को लेकर चिंतित है, जिसने मांडले स्थित व्यापारियों को प्रभावित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एक म्यांमार राज्य है।
- इसकी सीमा उत्तर में चीन, पूर्व में लाओस, दक्षिण में थाईलैंड और पश्चिम में म्यांमार के पांच प्रशासनिक प्रभागों से लगती है।
- भूमि आकार के मामले में शान राज्य 155,800 किमी2 के साथ म्यांमार के 14 प्रशासनिक प्रभागों में सबसे बड़ा है।
- राज्य का नाम ताई लोगों के बर्मी नाम "शान लोग" से लिया गया है।
- इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश जातीय समूह शान हैं।
- शान थेरवाद बौद्ध हैं जो अपनी भाषा में बोलते और लिखते हैं।
- थानल्विन नदी (जिसे साल्विन/नामखोंग के नाम से भी जाना जाता है) राज्य से होकर बहती है, जिसमें इनले झील शामिल है, जो म्यांमार का पानी का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विस्तार है।
- शान ज्यादातर ग्रामीण है, केवल तीन प्रमुख शहर हैं: लौशियो, केंगतुंग, और राजधानी, ताउंगगी।
- शान राज्य में अपने विविध जातीय समूहों के कारण कई सशस्त्र जातीय सेनाएँ हैं।

- जबकि सैन्य प्रशासन ने अधिकांश दलों के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, राज्य के व्यापक हिस्से, विशेष रूप से थानल्विन नदी के पूर्व, केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं और मजबूत जातीय-हान-चीनी आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में आ गए हैं।
- शान राज्य सेना जैसे सैन्य गुट अन्य क्षेत्रों पर हावी हैं।

भारत-म्यांमार संबंध

- भारत-म्यांमार संबंध साझा ऐतिहासिक, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक पर आधारित हैं
- भगवान बुद्ध की भूमि के रूप में, भारत म्यांमार के लोगों के लिए तीर्थयात्रा का देश है।
- भारत और म्यांमार संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
- दोनों देशों की भौगोलिक निकटता ने सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने में मदद की है और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाया है।
- भारत और म्यांमार 1600 किमी से अधिक लंबी भूमि सीमा और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा साझा करते हैं।
- भारतीय मूल की एक बड़ी आबादी (कुछ अनुमानों के अनुसार लगभग 25 लाख) म्यांमार में रहती है।
- भारत और म्यांमार ने 1951 में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किये।
- 1987 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी की यात्रा ने भारत और म्यांमार के बीच मजबूत संबंधों की नींव रखी।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने वाले कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- द्विपक्षीय हित के कई मुद्दों पर नियमित बातचीत की सुविधा के लिए संस्थागत तंत्र भी स्थापित किए गए हैं।
- 2002 में, मांडले में भारतीय महावाणिज्य दूतावास को फिर से खोला गया और म्यांमार के महावाणिज्य दूतावास को कोलकाता में स्थापित किया गया।
- मई 2008 में म्यांमार में आए प्रलयंकारी चक्रवात 'नरगिस' के बाद, भारत ने राहत सामग्री और सहायता की पेशकश के साथ तुरंत प्रतिक्रिया दी।
- भारत ने मार्च 2011 में शान राज्य में आए भीषण भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय राहत और पुनर्वास के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भी प्रदान की।
- इस राशि में से, 250,000 अमेरिकी डॉलर म्यांमार सरकार को नकद अनुदान के रूप में प्रदान किए गए थे, जबकि 750,000 अमेरिकी डॉलर का उपयोग टार्ले टाउनशिप में एक हाई स्कूल और छह प्राथमिक स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए किया गया था जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे।

म्यांमार में प्रमुख भारतीय परियोजनाएँ

- भारत सरकार म्यांमार में ढांचागत और गैर-बुनियादी दोनों क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल है।
- इनमें 160 किमी का उन्नयन और पुनर्संतहीकरण शामिल है।
- लंबी तामू-कलेवा-कलेम्यो सड़क; म्यांमार में री-टिडिम रोड का निर्माण और उन्नयन; कलादान मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट; वगैरह।
- TCIL द्वारा म्यांमार के 32 शहरों में हाई-स्पीड डेटा लिंक के लिए एक ADSL परियोजना पूरी कर ली गई है।
- ONGC विदेश लिमिटेड (OVL), गेल और ESSR म्यांमार में ऊर्जा क्षेत्र में भागीदार हैं।
- मेसर्स राइट्स रेल परिवहन प्रणाली के विकास और रेलवे कोच, लोको और भागों की आपूर्ति में शामिल है।
- सितंबर 2008 में, इलेक्ट्रिक पावर-1 मंत्रालय (MOEP-1) और NHPC ने चिंदविन नदी घाटी में तमंथी और श्वेज़ाये हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर परियोजना के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और NHPC ने तमंथी पर अद्यतन DPR प्रस्तुत किया और काम कर रहा है।
- भारत सरकार की वित्तीय सहायता से टाटा मोटर्स द्वारा म्यांमार में स्थापित एक भारी टर्बो-ट्रक असेंबली प्लांट का उद्घाटन 31 दिसंबर, 2010 को किया गया था।
- HMT (I) द्वारा भारत सरकार की सहायता से म्यांमार में पकोक्कू में एक भारत-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, दूसरा केंद्र मिंगयान में स्थापित किया जा रहा है, जबकि म्यांमार-भारत अंग्रेजी भाषा केंद्र (MICELT), एक म्यांमार-भारत उद्यमिता विकास केंद्र (MIEDC) और एक भारत-म्यांमार आईटी कौशल संवर्धन केंद्र (IMCEITS) सभी चालू हैं।
- अन्य परियोजनाओं में बागान में आनंद मंदिर का पुनरुद्धार, यांगून चिल्ड्रेन हॉस्पिटल और सिटवे जनरल हॉस्पिटल का उन्नयन, आपदा-प्रूफ चावल साइलो का निर्माण आदि शामिल हैं।

"Right Access Get Success"

- भारत ने टार्ले टाउनशिप में 1 हाई स्कूल और 6 प्राइमरी स्कूलों के पुनर्निर्माण में भी सहायता की है, यह क्षेत्र मार्च 2011 में उत्तर-पूर्वी म्यांमार में आए भीषण भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था।

वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध

- द्विपक्षीय व्यापार 1980-81 में 12.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2010-11 में 1070.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया है।
- म्यांमार से भारत के आयात में कृषि वस्तुओं का प्रभुत्व है (बीन्स, दालें और वन-आधारित उत्पाद हमारे आयात का 90% हिस्सा हैं)।
- म्यांमार को भारत का मुख्य निर्यात प्राथमिक और अर्ध-तैयार स्टील और फार्मास्यूटिकल्स हैं।

सीमा व्यापार

- भारत और म्यांमार ने 1994 में एक सीमा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1643 किमी लंबी सीमा पर दो परिचालन सीमा व्यापार बिंदु (मोरेह-तामू और ज़ोखातर-री) हैं।
- तीसरा सीमा व्यापार बिंदु अवाखुंगपानसैट/सोमराई में खोलने का प्रस्ताव है।
- 12.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2010-11) के अनुमानित सीमा व्यापार के साथ, भारतीय पक्ष से म्यांमार के व्यापारियों द्वारा खरीदी गई प्रमुख वस्तुएं सूती धागे, ऑटो पार्ट्स, सोयाबीन भोजन और फार्मास्यूटिकल्स हैं, (जैसी वस्तुओं की तस्करी के बारे में भी रिपोर्टें हैं) उर्वरक, वाहन विशेषकर दोपहिया वाहन, आदि); सुपारी, सोंठ, हरी मूंग, हल्दी की जड़ें, राल और औषधीय जड़ी-बूटियाँ म्यांमार से भारत में बेची जाने वाली मुख्य वस्तुएँ हैं।
- अक्टूबर 2008 में तीसरी भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति के दौरान, इस बात पर सहमति हुई कि मौजूदा बिंदुओं पर सीमा व्यापार को सामान्य व्यापार में अपग्रेड किया जाएगा ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- म्यांमार ITEC, कोलंबो योजना के TCS, GCSS और MGCSS योजनाओं के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभार्थी है।
- 2011-12 में म्यांमार प्रशिक्षुओं के लिए स्लॉट इस प्रकार थे: ITEC 185; TCS-75; ICCR का GCSS - 10 और MGCSS - 10. उपयोग उत्कृष्ट रहा है।
- 2011-12 में भी ब्याज का स्तर ऊंचा था। हमने स्थानीय पत्रकारों के दो समूहों को प्रशिक्षण की भी पेशकश की है, जिन्हें XP डिवीजन द्वारा IIMC, नई दिल्ली में गहन प्रशिक्षण दिया गया था।

भारतीय प्रवासी

- म्यांमार में भारतीय समुदाय की उत्पत्ति 19वीं सदी के मध्य में 1852 में निचले बर्मा में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ मानी जाती है।
- ब्रिटिश शासन के दौरान म्यांमार के दो शहरों, यांगून (पूर्व रंगून) और मांडले में नागरिक सेवाओं, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों की प्रमुख उपस्थिति थी।
- म्यांमार की 1983 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार, म्यांमार में PIO की संख्या 428,428 है और राज्यविहीन PIO की अनुमानित संख्या 250,000 है।
- बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय (लगभग 150,000) बागो (ज़ेवाड्डी और क्यौटागा) और तनिनथारी क्षेत्र और मोन राज्य में रहते हैं और मुख्य रूप से खेती में लगे हुए हैं।
- म्यांमार में NRI परिवार मुख्य रूप से यांगून में रहते हैं और निर्यात-आयात व्यवसाय में लगे हुए हैं या भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी हैं।

SHRIRAM UNIVERSITY EDUCATION XPERT "Right Access Get Success"

10 योजना दिसम्बर 2023

1: धरती, लोगों, शांति और समृद्धि के लिए G20

- भारत की G20 की अध्यक्षता ने उसकी वैश्विक नेतृत्व भूमिका में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है।
- भारत पहली बार राष्ट्रपति पद संभालने के साथ, यह समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु लचीलापन और न्यायसंगत वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- G20 शिखर सम्मेलन में अपनाई गई नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा, संघर्ष और विभाजन से विकास और सहयोग की ओर फोकस में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है।
- भारत ने सहयोगी समाधानों को बढ़ावा दिया जो न केवल उसकी अपनी आबादी को लाभ पहुंचाते हैं बल्कि व्यापक वैश्विक कल्याण में योगदान करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम 'या विश्व एक परिवार है' की भावना को मजबूत करते हैं।
- G20 देश सामूहिक रूप से दुनिया की दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 85% का योगदान करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% का योगदान करते हैं।

नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा

- घोषणापत्र कौशल अंतराल को संबोधित करने, सभ्य कार्य को बढ़ावा देने और सतत विकास प्राप्त करने के लिए अवसरों और संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में, घोषणापत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता है, इस वैश्विक चुनौती पर अंकुश लगाने के लिए CIO के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देता है।
- भारत की G20 अध्यक्षता ने स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को पहचाना और उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल की स्थापना की।

SDG पर प्रगति में तेजी लाना

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) दुनिया के सामने आने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है।
- नवीनतम संयुक्त राष्ट्र SDG रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 12% एसडीजी लक्ष्य ट्रैक पर हैं, जबकि 2015 के बाद से 30% स्थिर हो गए हैं या पिछड़ गए हैं।
- उच्च मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों, प्रतिबंधात्मक ऋण और कई विकासशील देशों में बढ़ते ऋण संकट से चिह्नित वैश्विक आर्थिक स्थितियों के साथ, कोविड के बाद की वसूली अतिरिक्त चुनौतियां पेश करती है।
- 'एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाने के लिए जी20 2023 कार्य योजना' एक मील का पत्थर उपलब्धि है, जो वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच जैसी चुनौतियों का समाधान करते हुए न्यायसंगत, मजबूत, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा अधिक डिजिटल रूप से जुड़े और कुशल समाज की ओर चल रहे वैश्विक बदलाव के अभिन्न अंग हैं।
- डिजिटल भुगतान, को-विन, डिजीलॉकर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसे कुछ सफल प्रयासों के साथ भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का गहरा प्रभाव असंदिग्ध है।
- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए G20 फ्रेमवर्क, दुनिया भर के देशों को समान डीपीआई सिस्टम को अपनाने, विकसित करने और स्केल करने में सक्षम बनाता है।

लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना

- नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (NDLD) बहुआयामी है, जो मानव-केंद्रित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता है।
- G20 महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, लिंग समावेशी जलवायु कार्रवाई और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा का समर्थन कर रहा है।
- यह प्रतिबद्धता महिला कार्य समूह की स्थापना में परिलक्षित होती है, जिसकी उद्घाटन बैठक ब्राजील के राष्ट्रपति पद के दौरान निर्धारित है, जो लैंगिक समानता और महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की दुनिया को डिजाइन करना

- चक्रीय अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करके बर्बादी को कम करती है।
- पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था के विपरीत, जो "लेओ, बनाओ, निपटाओ" मॉडल का पालन करती है, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था का लक्ष्य उत्पादों, सामग्रियों और संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखना है।
- इसमें उत्पादों और सामग्रियों का निरंतर पुन: उपयोग, मरम्मत, पुन: निर्माण और पुनर्चक्रण शामिल है ताकि उनके जीवनकाल को अधिकतम किया जा सके और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।

चक्राकार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

- सर्कुलरिटी का प्राथमिक उद्देश्य अस्थिर उपभोग और उत्पादन के प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करना है।
- इसमें उपभोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना शामिल है।
- सर्कुलर प्रथाएं अपशिष्ट उत्पादन को रोकने और कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं।
- एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था को अपनाने से हरित नौकरियों और वृत्ताकार व्यवसायों के अवसरों के निर्माण को बढ़ावा देकर सामाजिक लाभ मिलते हैं।

UNEP रिपोर्ट

- UNEP की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 15 वर्षों में फैशन की खपत दोगुनी हो गई है, लेकिन निपटान से पहले किसी परिधान को पहनने की संख्या में 36% की कमी आई है।
- चौंकाने वाली बात यह है कि हर सेकेंड में कपड़ों से भरे एक कूड़े के ट्रक के बराबर का निपटान होता है, जिसका वैश्विक स्तर पर कुल अनुमानित मूल्य 460 अरब डॉलर है।
- इन रुझानों के बावजूद, फैशन उद्योग सर्कुलरिटी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर रहा है। वर्तमान फैशन उद्योग की स्थिरता को बढ़ाने के लिए कपड़ा मूल्य श्रृंखला में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

G20 देशों का बढ़ाया फोकस

- भारत की अध्यक्षता में G20 ने सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया, जिसमें सतत उपभोग और उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धताओं के महत्व पर जोर दिया गया।
- उच्च-स्तरीय सिद्धांत, G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज़ के साथ, सतत विकास प्राप्त करने में चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं।
- सरकार विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था, संसाधन दक्षता और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन के महत्व पर जोर दे रही है।
- भारत में विनिर्माण-आधारित विकास की ओर चल रहा बदलाव विनिर्माण क्षेत्रों में चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।
- नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, चक्रीय आर्थिक विकास में परिवर्तन से 2050 तक भारत में लगभग 624 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक मूल्य का शुद्ध आर्थिक लाभ उत्पन्न हो सकता है।

भारत सरकार का उपाय

- संसाधनों के कुशल उपयोग और चक्रीय आर्थिक विकास की दिशा में भारत द्वारा की गई कुछ पहलों में शामिल हैं:
  - (a) मसौदा राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (2019)
  - (b) स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति, वाहन स्क्रैपिंग नीति
  - (c) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में विस्तारित उत्पादक के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं
- प्लास्टिक पैकेजिंग पर जिम्मेदारी (EPR): ये दिशानिर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसायों को सतत प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाया जा सके।
- भारत ने जुलाई 2023 में चौथे G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ECSWG) और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के दौरान संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन का शुभारंभ किया।

3. DPI और जनभागीदारी

- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) एक डिजिटल नेटवर्क है जो देशों को सभी निवासियों को सुरक्षित और कुशलता से आर्थिक अवसर और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- DPI की तुलना सड़कों से की जा सकती है, जो एक भौतिक नेटवर्क बनाती है जो लोगों को जोड़ती है और वस्तुओं और सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करती है।
- तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत की अध्यक्षता के तहत G20 नेताओं की घोषणा उस केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है जो प्रौद्योगिकी डिजिटल विभाजन को पाटने और समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में निभाती है।

भारत में DPL

- G20 भारत की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम के विषय के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका अर्थ है 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।'
- इस दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी (GDPIR), DPI का एक डिजिटल स्टोरेज बनाने और बनाए रखने की योजना बना रहा है।
- भारत में, आधार, जन धन बैंक खाते और मोबाइल फोन जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPL) को अपनाने से लेनदेन खातों के स्वामित्व में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
- इन तत्वों को शामिल करते हुए JAM ट्रिनिटी ने वित्तीय समावेशन को 2008 में 25% से बढ़ाकर पिछले छह वर्षों में 80% से अधिक कर दिया है।
- G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत के आधार और JAM ट्रिनिटी के सफल कार्यान्वयन के साथ संरेखित, सुरक्षित, सुरक्षित और समावेशी DPI के महत्व को रेखांकित करती है।

सरकार-से-व्यक्ति कार्यक्रम और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस

- भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का उपयोग करके दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल गवर्नमेंट-टू-पर्सन (G2P) आर्किटेक्चर में से एक का निर्माण किया है।
- इस प्रणाली ने अब तक 313 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लाभार्थियों को लगभग 32.29 ट्रिलियन रुपये का सीधा हस्तांतरण सक्षम किया है।
- भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) देश के भीतर एक तीव्र और तात्कालिक भुगतान नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जिसने अगस्त 2023 में लगभग 15.76 ट्रिलियन रुपये के 10.586 बिलियन से अधिक लेनदेन दर्ज किए।
- भारत को 11 देशों (फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूनाइटेड किंगडम) से जोड़ने वाली UPI-पे नाउ पहल वित्तीय समावेशन पर जी20 के जोर के साथ संरेखित है।

महत्वपूर्ण पहल

1. डिजिटल इंडिया पहल और भारतनेट परियोजना: 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल, डिजिटल विभाजन को संबोधित करने की जी20 की प्रतिज्ञा के अनुरूप है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर जोर देता है।
2. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY): PMJDY ने वित्तीय समावेशन और डिजिटल अपनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो सार्वजनिक भागीदारी पर जी20 के जोर में प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।
3. मेक इन इंडिया: मेक इन इंडिया पहल ने प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो गई है। यह नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण को बढ़ावा देने पर जी20 के फोकस के अनुरूप है।
4. स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा दिया है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार और समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जी20 की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसमें 99,380 डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर 664,486 का उपयोगकर्ता आधार शामिल है, यह महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें फंडिंग, मेंटरशिप और नियामक सुधारों तक पहुंच शामिल है।
5. स्मार्ट सिटी मिशन: हालांकि मुख्य रूप से एक शहरी विकास पहल है, स्मार्ट सिटी मिशन DPI के निर्माण पर जी20 के जोर के साथ संरेखित करते हुए डिजिटल बुनियादी ढांचे के घटकों को एकीकृत करता है।

4. AI का उपयोग

- AI के जिम्मेदार उपयोग में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों को उन तरीकों से विकसित, तैनात और प्रबंधित किया जाता है जो नैतिक विचारों, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यक्तियों और समाज की भलाई को प्राथमिकता देते हैं।
- नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा, अच्छे और सभी के लिए जिम्मेदारी से अल का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालती है।

G20 नई दिल्ली के जिम्मेदार AI नेताओं की घोषणा

- नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा 'अच्छे और सभी के लिए जिम्मेदारी से काम करने' के महत्व पर प्रकाश डालती है।
- इसमें कहा गया है कि G20 नेता लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करते हुए जिम्मेदार, समावेशी और मानव-केंद्रित तरीके से चुनौतियों का समाधान करके जनता की भलाई के लिए AI का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- इसमें कहा गया है कि जिम्मेदार AI विकास, तैनाती और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, मानवाधिकारों की सुरक्षा, पारदर्शिता और व्याख्या क्षमता, निष्पक्षता, जवाबदेही, विनियमन, सुरक्षा, उचित मानव निरीक्षण, नैतिकता, पूर्वाग्रह, गोपनीयता और डेटा संरक्षण को संबोधित किया जाना चाहिए।
- घोषणापत्र 2019 के G20 AI सिद्धांतों के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है।
- नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में रिस्पॉन्सिबल अल (RAI) से संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा की गई।

AI पर वैश्विक अभ्यास

- 2019 में G20 ओसाका शिखर सम्मेलन "वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश," "नवाचार (डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI))," "असमानताएं और समावेशी और सतत विश्व" को संबोधित करने पर चर्चा को रेखांकित करता है।
- अधिकांश G20 सदस्य AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए नियम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, खासकर GenAI अनुप्रयोगों के आगमन के बाद से।
- यूरोपीय संघ का प्रस्तावित अल अधिनियम, अल के जिम्मेदार विकास के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने का सबसे व्यापक प्रयास है जो मुख्य रूप से डेटा गुणवत्ता, पारदर्शिता, मानव निरीक्षण और जवाबदेही के आसपास नियमों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

AI और नैतिक जोखिम

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विभिन्न नैतिक जोखिम और चुनौतियां प्रस्तुत करता है जिन पर सावधानीपूर्वक विचार और प्रबंधन की आवश्यकता है।
- AIAAIC (AI, Algorithmic, and Automation Incidences and Controversies) डेटाबेस के अनुसार, जो AI के नैतिक दुरुपयोग से संबंधित घटनाओं को ट्रैक करता है, 2012 के बाद से AI घटनाओं और विवादों की संख्या 26 गुना बढ़ गई है।
- जब स्वास्थ्य देखभाल और वित्त जैसी सेवाओं में AI के अनुप्रयोग की बात आती है तो AI के कई आलोचकों ने लिंग और नस्लीय पूर्वाग्रह के बारे में भी चिंता जताई है।
- युद्ध के मैदान पर ड्रोन की लक्ष्यीकरण और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में AI के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं हैं।
- साइबर सुरक्षा क्षेत्र में, जेनरेटिव AI एप्लिकेशन तेजी से वैध सुरक्षा खतरे पैदा कर रहे हैं क्योंकि उनका उपयोग मैलवेयर हमले करने के लिए किया जा रहा है।

AI की जिम्मेदारी

- जिम्मेदार AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों के नैतिक और जिम्मेदार विकास और उपयोग को संदर्भित करता है।
- इसमें व्यक्तियों, समाज और पर्यावरण पर AI प्रौद्योगिकियों के संभावित प्रभाव पर विचार करना और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना शामिल है कि इन प्रौद्योगिकियों को इस तरह से विकसित और तैनात किया जाए जो नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के साथ संरेखित हो।
- इन गतिशीलता ने रिस्पॉन्सिबल AI (RAI) की आवश्यकता और इसे विनियमित करने की आवश्यकता पैदा की है।
- RAI को मोटे तौर पर कर्मचारियों और व्यवसायों को सशक्त बनाने और समाज को निष्पक्ष तरीके से प्रभावित करने के लिए AI को डिजाइन करने, विकसित करने और तैनात करने की प्रथा के रूप में समझा जाता है।

5. भारत में ऊर्जा संक्रमण

- "ऊर्जा संक्रमण" शब्द का तात्पर्य समाजों द्वारा ऊर्जा के उत्पादन, वितरण और उपभोग के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव से है।
- ऊर्जा संक्रमण का प्राथमिक लक्ष्य पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना, सीमित और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करना और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- बिजली उत्पादन के पारंपरिक से नवीकरणीय स्रोतों तक भारत की यात्रा एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता

- दशकों से, ऊर्जा क्षेत्र बिजली और आर्थिक विकास के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर रहा है।
- फिर भी, इस निर्भरता के परिणामस्वरूप पर्याप्त पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम सामने आए हैं।
- जीवाश्म ईंधन जलाने से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं।
- पेरिस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकारी उपाय

- भारत सरकार ने व्यापक नीतियों और पहलों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ समर्पण का प्रदर्शन किया है।

- 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) ने देश के सतत विकास लक्ष्यों के लिए आधार तैयार किया।
- NAPCC के तहत, कई राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है जो जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में योगदान देता है।
- इन मिशनों में से, 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन का शुभारंभ देश की नवीकरणीय ऊर्जा कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण रहा है।
- मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की तैनाती को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना है।

भारत की उपलब्धि

- आज, भारत के पास विश्व स्तर पर चौथी सबसे अधिक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है।
- वैश्विक पवन और बायोएनर्जी स्थापित क्षमता के मामले में भी भारत चौथे स्थान पर है, जबकि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में यह जर्मनी से काफी पीछे 5वें स्थान पर है।
- पिछले पांच वर्षों (2017-22) के दौरान, 63 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, जो उस अवधि के दौरान विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक है।
- पिछले पांच वर्षों में, 70 गीगावॉट सौर परियोजनाओं और 21 गीगावॉट पवन परियोजनाओं (हाइब्रिड परियोजनाओं सहित) के लिए बोली लगाई गई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न बिजली की निकासी में मदद के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस और ग्रीन पावर मार्केट भी शुरू किए गए हैं।
- सरकार ने 2030 तक 5 MMTPA उत्पादन क्षमता के लक्ष्य के साथ जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) भी लॉन्च किया है।
- सूर्यमित्र कार्यक्रम के माध्यम से 32,000 से अधिक व्यक्तियों को सौर क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है। पवन ऊर्जा के लिए वायुमित्र और छोटे पनबिजली संयंत्रों के लिए जल-ऊर्जामित्र जैसी पहल शुरू की गई हैं, साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहे हैं।

SHRIRAM
DUVERSITY
DUCATION
XPERT
"Right Access Get Success"

11 कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2023

1: ग्रामीण भारत में खेल प्रतिभाओं का पोषण करना

- ग्रामीण भारत में खेल प्रतिभा प्रचुर मात्रा में है, और इन क्षेत्रों में कई अप्रयुक्त संभावित एथलीट हैं।
- ग्रामीण भारत में, खेल प्रतिभा एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर कम उपयोग किया जाने वाला संसाधन है, जबकि शहरी क्षेत्रों में खेल विकास के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और संसाधन होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त क्षमता का खजाना होता है।
- रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्यों में तीरंदाजी, कुश्ती, घुड़सवारी और रथ दौड़ सहित खेलों के कई उदाहरण हैं।

सरकार की पहल

- भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक सतत यात्रा शुरू की है, यह पहचानते हुए कि खेल उत्कृष्टता की क्षमता कोई भौगोलिक सीमा नहीं जानती।
- हाल के वर्षों में, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक जोर देने के साथ भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए खेलो इंडिया योजना, टॉप्स योजना आदि जैसी कई पहल की हैं।
  - खेलो इंडिया योजना: केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक खेलो इंडिया योजना है जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अपने पांच कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देता है।
- खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर खेल कौशल दिखाने और प्रतिभा तलाशने का बुनियादी मंच है। यह प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विकास मार्ग भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह योजना उभरते खिलाड़ियों को राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करके मार्ग प्रशस्त करती है।
  - संसद खेल महाकुंभ: संसद खेल महाकुंभ जून 2019 में शुरू किया गया था। इस पहल में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट जैसे खेल विषयों में 1400 से अधिक टीमों, 42,700 युवाओं की भागीदारी के साथ मैच देखे गए। इस पहल में 20 प्रखंडों, 800 पंचायतों और 5000 से अधिक गांवों के एथलीट शामिल थे।

खेल अवसंरचना के विकास की आवश्यकता

- खेल भारत के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- भारत में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलू शामिल हैं।
- उपलब्ध खेल बुनियादी ढांचे में सुधार करना या नया निर्माण करना केंद्र सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
- 'खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन' खेलो इंडिया योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में खेल बुनियादी ढांचे में समग्र परिवर्तन करना है।
- शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटित किया जा रहा है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने वाले खेल

- खेलों में युवा सामाजिक-आर्थिक लाभ लाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करते हैं।
- खेलों में निवेश करने से न केवल कुशल एथलीट विकसित होते हैं बल्कि जिम्मेदार, लचीले और नशामुक्त व्यक्तियों को भी बढ़ावा मिलता है जो समाज में सार्थक योगदान देते हैं।
- प्रधान मंत्री ने जोर देकर कहा कि एथलीट्स को युवाओं के बीच नशीली दवाओं की बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए और यह कैसे करियर और जीवन को बर्बाद कर सकते हैं।
- सरकार स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करके, मजबूत और स्वस्थ नागरिकों के विकास के लिए आधार तैयार करके युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करती है।

एशियाई खेलों में महिलाओं की भागीदारी

- 2022 एशियाई खेलों ने भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसने 60 वर्षों में 107 पदकों की अपनी सर्वोच्च पदक तालिका हासिल की, जिसमें 2018 एशियाई खेलों की तुलना में स्वर्ण पदकों में 75% की वृद्धि भी शामिल है।
- खेलो इंडिया योजना के 'महिलाओं के लिए खेल' घटक का उद्देश्य स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में जागरूकता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जिससे महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा दिया जा सके।

- खेलो इंडिया योजना के इस घटक के तहत 'अस्मिता महिला लीग' एक उल्लेखनीय पहल है, जिसमें देश भर में विभिन्न विषयों में खेल लीग शामिल हैं जो भारत में महिला एथलीटों के बीच लचीलापन, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की भावना को समाहित करती हैं।

2. PM विश्वकर्मा योजना

- प्रधान मंत्री ने सितंबर 2023 में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी।
- पीएम विश्वकर्मा वास्तव में "संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण" का उदाहरण हैं।
- केंद्र सरकार के तीन विभाग या मंत्रालय, अर्थात् MSME मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग, योजना के सह-कार्यान्वयनकर्ता के रूप में एकजुट हुए हैं।
- योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों का समर्थन करना है।

विशेषताएँ एवं उद्देश्य

- पीएम विश्वकर्मा कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता के रूप में प्रमाण पत्र और ID कार्ड, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, कौशल विकास सहायता, विपणन सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और टूलकिट समर्थन प्रदान करके सशक्त बनाने की परिकल्पना की गयी हैं।
- यह उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपराओं और विविध विरासत को जीवंत बनाये रखने की इच्छा से प्रेरित है।
- इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।

पात्रता

- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक कारीगर या शिल्पकार, जो अपने हाथों और औजारों से काम करता है और 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगा हुआ है, बशर्ते कि उसने केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया हो।
- इसके अलावा, पंजीकरण परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा, और सरकारी सेवा में रहने वाला व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।

लाभ

- कौशल उन्नयन: 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, 500 रुपये का दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है;
- टूलकिट प्रोत्साहन: बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन देने की सुविधा है।
- क्रेडिट सहायता: इस योजना के तहत लोगों को रियायती ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। 18 और 30 महीने की अवधि के साथ क्रमशः 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की दो किश्तों में 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त 'उद्यम विकास ऋण', 5% पर निर्धारित रियायती ब्याज दर तय किया गया है। इसके लिए ब्याज दर 5% तय किया गया है। पहले चरण में लोगों को एक लाख रुपये का लोन दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है।
- जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे 1 लाख रुपये तक की क्रेडिट सहायता की पहली किश्त का लाभ लेने के पात्र होंगे। दूसरी ऋण किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का लाभ उठाया है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में प्रति डिजिटल लेनदेन 1 रुपये की राशि, अधिकतम 100 लेनदेन मासिक तक जमा की जाएगी।
- विपणन सहायता: मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार के लिए कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

इम्प्लांटेशन के अंतर्गत मौजूदा कारीगर संबंधी योजना

- कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम क्रमशः हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- पीएम स्वनिधि योजना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों/फेरीवालों को डिजिटल लेनदेन समर्थन के लिए ब्याज सब्सिडी और प्रोत्साहन के साथ संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है।
- विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (USTTAD), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करता है। हालाँकि, यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों के लिए है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) योजना अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं जिनका मुख्य फोकस लक्षित लाभार्थियों को बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है।

3. स्वास्थ्य सेवा में प्रतिभा का विकास करना

- भारत में स्वास्थ्य सेवा एक जटिल और बहुआयामी प्रणाली है जो अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करती है।
- भारत में दोहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करना इसकी बड़ी और विविध आबादी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत में प्रति 1,000 लोगों पर केवल 0.65 चिकित्सक और 1.3 नर्सें हैं, जो कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दर्शाता है।
- इन कमियों को दूर करने के लिए मानवीय क्षमता, विशेषकर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की क्षमता का दोहन करने की तत्काल आवश्यकता है।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मांगों को संबोधित करना

- बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल मांगों को पूरा करने के लिए भारत को अतिरिक्त 1.54 मिलियन डॉक्टरों और 2.4 मिलियन नर्सों की आवश्यकता है।
- सरकार के नेतृत्व वाली आयुष्मान भारत जैसी पहल से प्रमुख शहरों और छोटे शहरों/गांवों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की मांग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- वर्ष 2023-24 तक प्रति 1,000 लोगों पर कम से कम 2.5 डॉक्टर और 5 नर्सों का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में प्र-शिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और मध्यम स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की स्थापना की वकालत करती है।
- नीति आयोग की न्यू इंडिया@75 रणनीति ने 2022-23 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 1.5 मिलियन नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा।

सरकार के नीतिगत उपाय

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), 2014 में अपनी स्थापना के बाद से, कौशल क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के बीच असमानता को कम करने के लिए देश भर में परिश्रमपूर्वक काम कर रहा है।
- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम: एमएसडीई लगभग एक लाख फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए अनुकूलित क्रैश पाठ्यक्रमों के साथ एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें शामिल हैं:
  - छह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की नौकरी भूमिकाओं में उम्मीदवारों की ताजा कौशल, जैसे कि बुनियादी देखभाल समर्थन, होमकेयर समर्थन, उन्नत देखभाल समर्थन, आपातकालीन देखभाल समर्थन, नमूना संग्रह समर्थन और चिकित्सा उपकरण समर्थन की हैंडलिंग (अल्पकालिक प्रशिक्षण; अवधि: 21 दिन)।
  - पूर्व अनुभव/पूर्व शिक्षा वाले उम्मीदवारों के लिए कौशल उन्नयन (अवधि: 7 दिन तक)।
  - जीवन रक्षक दवाओं/उपकरणों आदि के संचालन/परिवहन में ड्राइवरों को प्रशिक्षण।
- प्रधानमंत्री युवा (पीएम-युवा) योजना: प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान) भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण पर एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है; उद्यमिता सहायता नेटवर्क की वकालत और आसान पहुंच और समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY): यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है) का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियां प्रदान करना है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - अजीविका का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य गरीबी कम करना है और इससे 550 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ होने की उम्मीद है। डीडीयू-जीकेवाई को ग्रामीण गरीबों को उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने और एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो प्रशिक्षित उम्मीदवारों को बेहतर भविष्य सुरक्षित करने में सहायता करता है।

4. सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करना

- सूक्ष्म-उद्यमिता छोटे पैमाने के व्यवसाय या उद्यमशीलता गतिविधि के एक रूप को संदर्भित करती है जिसमें आम तौर पर निम्न स्तर का निवेश, कर्मचारियों की एक छोटी संख्या (अक्सर एक व्यक्ति), और स्थानीय या विशिष्ट बाजार की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- सूक्ष्म-उद्यमी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोटे व्यवसाय शुरू करते हैं और संचालित करते हैं, अक्सर एकमात्र मालिक के रूप में या एक छोटी टीम के साथ काम करते हैं।

सूक्ष्म उद्यमिता का दायरा

- सूक्ष्म उद्यमिता का दायरा विविध है और विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है।
- एक माइक्रोबिजनेस आमतौर पर कुछ प्रकार की फंडिंग से शुरू होता है, जैसे कि माइक्रोक्रेडिट या माइक्रोफाइनेंस।
- सूक्ष्म व्यवसाय आम तौर पर उभरते देशों और अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं और आधिकारिक क्षेत्र में नौकरियों की कमी के कारण छोड़े गए शून्य को भरने का प्रयास करते हैं।
- नौकरियाँ पैदा करने के अलावा, वे उत्पादन लागत में भी कटौती करते हैं, क्रय शक्ति को बढ़ावा देते हैं और सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।
- सूक्ष्म उद्यमियों को अक्सर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है।

सूक्ष्म उद्यमिता के गुण

- रोजगार सृजन: सूक्ष्म व्यवसाय जो कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं या अनुबंध पर काम करते हैं, वे रोजगार सृजन, स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- नवाचार: छोटी कंपनियाँ नियमित रूप से बाज़ार में नई वस्तुएँ, सेवाएँ और अवधारणाएँ लाती हैं। सूक्ष्मउद्यमी अक्सर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक चुस्त और नवोन्वेषी होते हैं। वे जल्दी से नए विचारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और बदलती बाजार मांगों के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं।

- स्थानीय आर्थिक विकास: सूक्ष्म व्यवसाय आस-पास के आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करके, निवासियों को काम पर रखने और सामुदायिक सुधार के लिए कर राजस्व उत्पन्न करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। वे रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्थानीय समुदाय को आवश्यक सामान और सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- आत्मनिर्भरता: सूक्ष्म व्यवसाय अपनी वित्तीय नियति पर अधिक नियंत्रण रखते हैं, बड़े निगमों या पारंपरिक नौकरी संरचनाओं पर निर्भरता को नियंत्रित करते हैं। यह स्वतंत्रता सशक्तीकरण की एक शक्तिशाली भावना को बढ़ावा देती है।
- विविध पेशकश: माइक्रो-फर्में विशिष्ट बाजारों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो बड़ी कंपनियों द्वारा प्रदान नहीं किए जाने वाले विशेष उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करती हैं। यह विविध सूक्ष्म उद्यमिता विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों की पसंद और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जिससे व्यक्तियों को अपने कौशल और रुचियों के अनुरूप अवसरों का पता लगाने की अनुमति मिलती है।

सरकार की योजना

- एस्पायर: नवाचार, ग्रामीण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना: इसे पूरे भारत में उद्यमिता बढ़ाने के लिए ऊष्मायन केंद्र और प्रौद्योगिकी केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि-उद्योग में नवाचार के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना है। यह भारत में उपकरण और मशीनरी (भूमि और बुनियादी ढांचे के अलावा) की लागत का 100%, जो भी छोटा हो, के एकमुश्त अनुदान के माध्यम से आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों और/या प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो भारत में सूक्ष्म उद्यम बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाता है। इस योजना के माध्यम से, MUDRA बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संगठनों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है, जो 10 लाख रुपये तक की वित्तपोषण आवश्यकताओं वाली सूक्ष्म इकाइयों को ऋण प्रदान करता है। यह योजना उद्यम के विकास के चरण, वित्त आवश्यकताओं, आयु और ऋण राशि जैसे कारकों के आधार पर ऋण को तरुण, किशोर और शिशु में वर्गीकृत करती है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (SIP-EIT) में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के लिए समर्थन: SIP-EIT कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ('DeiTY') द्वारा भारतीय सूक्ष्म, लघु, को सरकारी सहायता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। और विदेशी पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए मध्यम आकार के व्यवसाय ('MSME') और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप। इस पहल का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं का विकास और नवाचार तथा भारत में रोजगार दर बढ़ाना है।
- गुणक अनुदान योजना (MGS): गुणक अनुदान योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DEITY) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसे अत्याधुनिक शैक्षणिक और सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सहयोग करके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था, जो उत्पादों/पैकेजों के विकास की गतिविधि में लगे हुए हैं।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE): यह भारत सरकार द्वारा 2000 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के तहत स्थापित एक ट्रस्ट है। CGTMSE योजना उन वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है जो 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट सुविधा प्रदान करते थे, अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। CGTMSE योजना पूरे भारत में MSE को 75% से 85% तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। यह स्टार्ट-अप, छोटे व्यवसायों और माइक्रोफर्मों को काफी रियायती दरों पर और संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना ऋण प्रदान करता है।
- एकल बिंदु पंजीकरण योजना (SPRS): यह देश के MSME क्षेत्र की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए NSIC द्वारा समर्थित एक स्टार्ट-अप योजना है। यह योजना लघु-स्तरीय क्षेत्र में की गई खरीदारी की संख्या को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई थी।

5. ग्रामीण शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण

- ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए ग्रामीण शिक्षा और क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण घटक हैं।
- इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों और समुदायों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे उन्हें चुनौतियों का सामना करने, अवसरों का लाभ उठाने और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

NEP 2020 का दृष्टिकोण

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) की शुरूआत, एक गेम-चेंजर के रूप में उभरी है, जो शैक्षिक विभाजन को पाटने और दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को सशक्त बनाने का वादा करती है।
- NEP 2020 का प्राथमिक उद्देश्य पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही पर जोर देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटना है।
- नीति शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार, शिक्षकों के पेशेवर विकास, शैक्षिक पहुंच बढ़ाने, शैक्षिक योजना, प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक व्यापक और अधिक गहन भूमिका की भी परिकल्पना करती है।
- यह प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय क्षमताओं को पहचानने, पहचानने और बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

विद्यार्थियों की प्रतिभा का पोषण करना

NEP 2020 का लक्ष्य छात्रों के समग्र विकास और आलोचनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अनुभवात्मक शिक्षा, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, जिससे ग्रामीण छात्रों को एक सर्वांगीण व्यक्तित्व विकसित करने में मदद मिलती है। कुछ पहलें नीचे दी गई हैं:

- प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने और उन्हें अपने कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम- DHRUV शुरू किया गया है। देश भर के उत्कृष्टता केंद्रों में, प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन और पोषण दिया जाएगा ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें।
- समग्र शिक्षा: समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के संपूर्ण दायरे को कवर करती है। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) के अनुरूप है। यह योजना न केवल बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के साथ भी जोड़ा गया है।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB): एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। राज्य भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और व्यंजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने आदि के क्षेत्रों में निरंतर और संरचित सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां चलाते हैं।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (NTSE) हर साल दो स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चयनित छात्रों की पहचान करती है और उनका पोषण करती है। यह योजना प्रतिभाशाली छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद करती है और उनके लिए पोषण कार्यक्रम आयोजित करती है।

पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप

- समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी का दायरा बढ़ाना: समग्र शिक्षा, भारत की सबसे बड़ी केंद्र प्रायोजित स्कूल शिक्षा योजना, शिक्षकों और छात्रों के लिए ई-सामग्री विकास को बढ़ावा देती है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी और स्मार्ट कक्षाओं का समर्थन करता है। यह कार्यक्रम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) के माध्यम से ई-सामग्री बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- डेटाबेस की मजबूत प्रणाली - UDISE+: UDISE+ UDISE का एक उन्नत और ऑनलाइन संस्करण है, जो 2018-19 से सक्रिय रूप से वास्तविक समय डेटा एकत्र कर रहा है। यह शिक्षा प्रणाली के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, जिससे स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप सक्षम होता है। ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म (DCF) का उपयोग करते हुए, UDISE+ छात्रों, स्कूलों, शिक्षकों, बुनियादी ढांचे, नामांकन और परीक्षा परिणामों जैसे विभिन्न मापदंडों पर डेटा एकत्र करता है।
- प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0: 2017 में लॉन्च किया गया PGI 2.0, NEP 2020 के साथ संरेखित है और एसडीजी लक्ष्य 4 की निगरानी करता है। यह स्कूली शिक्षा की स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए एक उपकरण है। उन प्रमुख संकेतकों पर जो उनके प्रदर्शन और सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रेरित करते हैं।
- NDEAR (नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर): NDEAR का लक्ष्य एनईपी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह नवाचार को बढ़ावा देने, स्वायत्तता सुनिश्चित करने और शिक्षा क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करने पर केंद्रित है।
- विद्या समीक्षा केंद्र: शिक्षा मंत्रालय ने वास्तविक समय डेटा अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की है। यह पहल छात्रों, शिक्षकों और स्कूल रजिस्ट्रियों से जानकारी को एकीकृत करके सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। बड़े डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र शिक्षा प्रणाली की निगरानी को बढ़ाना और छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच अंतर को पाटना है।

- वर्चुअल लैब्स: इसे जुलाई, 2022 में DIKSHA पर लॉन्च किया गया था, यह पहल छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए सीखने को एक अनुभवात्मक यात्रा में बदल देती है। ऑनलाइन सिमुलेटर के माध्यम से, शिक्षार्थी पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर 218 वर्चुअल लैब प्रयोगों में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं। उपयोग रिपोर्ट से पता चलता है कि आज तक दीक्षा पर 98,804 नाटक हुए, कुल मिलाकर 1,49,329 मिनट का खेल हुआ।
- पीएम e-विद्या दीक्षा: पीएम e-विद्या को महामारी के समय लॉन्च किया गया था और यह एक ऐसी व्यापक पहल है जो मल्टीमॉडल

दृष्टिकोण के माध्यम से डिजिटल शिक्षा तक सुसंगत पहुंच सुनिश्चित करती है। MoE के डिजिटल प्लेटफॉर्म 'दीक्षा' को 'एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म' घोषित किया गया है। देशभर में शिक्षार्थियों और शिक्षकों के लिए सुलभ दीक्षा, क्यूआर कोड जैसे विभिन्न समाधानों के माध्यम से पाठ्यक्रम से जुड़ी ई-सामग्री का खजाना प्रदान करती है।

शिक्षकों का क्षमता निर्माण

- NEP 2020 शिक्षकों को परिभाषित भूमिकाओं, विशेषज्ञता स्तरों और आवश्यक दक्षताओं के साथ सशक्त बनाने पर जोर देता है। यह प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम 50 घंटे का वार्षिक सतत व्यावसायिक विकास (CPD) अनिवार्य करता है।
- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) शिक्षकों के समग्र विकास के लिए अनुशंसित क्षेत्रों को संबोधित करने वाला एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

निष्ठा प्रगति

- 2019-20 में, निष्ठा प्राथमिक आमने-सामने सत्रों के साथ शुरू हुई। कोविड महामारी के कारण, प्राथमिक शिक्षकों तक निरंतर सीखने के लिए निष्ठा ऑनलाइन को अक्टूबर 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया था।
- 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1-8) में लगभग 24 लाख शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों ने प्रशिक्षण पूरा किया और प्रमाणन प्राप्त किया।
- इसके बाद, सभी स्तरों पर शिक्षक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए माध्यमिक, बुनियादी चरण और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ECCE) के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- इसके अलावा, शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षाशास्त्र में ICT का उपयोग करने और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों और उपकरणों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री विकसित करने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

SHRIRAM
DUVERSITY
DUCATION
XPERT
"Right Access Get Success"

"Right Access Get Success"